61st वार्षिक रिपोर्ट
Annual Report
1965-2025

2024-25

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

सी सी आई
CCI

सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)

Cement Corporation of India Limited
(A Govt. of India Enterprise)

CCI JOURNEY

Objectives

CCI was incorporated as wholly owned Government of India Enterprise on 18.01.1965 with the principal objective of achieving self sufficiency in Cement production.

Journey Started

First plant was commissioned on 19.07.1970 in Mandhar. CCI commissioned total of 11 units till 1990 in different states with total capacity of 38.48 LMT p.a.

BIFR

Declared SICK on 08.08.1996 u/s 3 (1) (o) of SICA Act, 1985. Hon'ble BIFR on 21.03.2006, approved closure of 7 Non operating units (NOU's) and Expansion/ Modernization of 3 operating units.

Action

After receipt of Govt./Ministry support, VRS/VSS was invited and regular employee strength of CCI was reduced from 1570 to 813. A New journey of CCI commenced with an installed capacity of 14.46 LMT p.a. with 3 operating plants in Rajban, Bokajan and Tandur.

Post Revival

Post Revival CCI have been running in profit except in FY 2019-20.

Positive Net Worth

CCI continue the Journey of earning profits and increasing Net Worth

Shri H.D. Kumaraswamy

Hon'ble Minister
Ministry of Heavy Industries

Shri Bhupathi Raju Srinivasa varma

Hon'ble Minister of State
Ministry of Heavy Industries

Shri Kamran Rizvi

Secretary
Ministry of Heavy Industries

Mr. Prem Chandra Maurya

Joint Secretary
Ministry of Heavy Industries

Table of CONTENTS

1

CORPORATE OVERVIEW

Board of Directors 3

Key Functionaries 4

2

STATUTORY REPORTS

Chairman Speech 5

Directors' Report 7

Management Discussion & Analysis 52

Corporate Governance 55

Secretarial Audit Report 63

Auditors' Report 67

3

FINANCIAL STATEMENT

Financial Statements 2024-25 87

Cash Flow Statement 89

C&AG Comments 140

4

ADDITIONAL INFORMATION

Our Employees – Our Greatest Asset 142

Salient Features of Our Units 146

REFERENCE INFORMATION

AUDIT COMMITTEE (TILL 01.11.2024)	Dr. Ravindra Shivshankar Arali (Chairman) Dr. Manju Baghel (Member) Shri Arun Kumar Sarkar (Member)
CSR COMMITTEE (TILL 01.11.2024)	Dr. Ravindra Shivshankar Arali (Chairman) Dr. Manju Baghel (Member) Shri Arun Kumar Sarkar (Member)
REMUNERATION COMMIITTE (TILL 01.11.2024)	Dr. Manju Baghel (Chairman) Dr. Ravindra Shivshankar Arali (Member) Shri Arun Kumar Sarkar (Member)
STATUTORY AUDITORS	M/s S K Mehta & Co. (Statutory & Principal Auditor) M/s karvy & Co. (Branch Auditor) M/s K P Sarda & Co. (Branch Auditor) M/s Amit Agrawal & Associates (Secretarial Auditor)
COST AUDITORS	M/s K G Goyal & Associates (Principal Auditor) M/s S Dhal & Co. - Tandur Unit M/s Bandyopadhyaya Bhaumik & Co. - Bakajan Unit

Bankers: SBI, बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda, ICICI Bank

BOARD OF DIRECTORS

Shri Sanjay Banga
Chairman & Managing Director

Shri Prem Chandra Maurya
Govt. Nominee Director
Joint Secretary, MHI
w.e.f. 17.07.2025

Dr. Renuka Mishra
Govt. Nominee Director
Economic Advisor, MHI
from 22.07.2024 to 14.07.2025

Shri Arun Kumar Sarkar
Govt. Nominee Director,
Deputy Secretary, MHI

Shri Pradeep Kumar Chand
Director (Finance)

COMPANY SECRETARY

Shri Ajay Kumar Sharma

KEY FUNCTIONARIES

Shri Piyush Ranjan, IDSE
Chief Vigilance Officer
w.e.f. 03.04.2025

Shri Nijamuddin
Chief Vigilance Officer
from 24.04.2023 to 13.09.2024

Shri. Vivek Kumar
Executive Director

Shri Vipul Kumar
General Manager

Shri. Sharad Kumar
General Manager

Shri Ravindra Kumar Saroj
General Manager

Shri Alok Shukla
General Manager (Mktg.)

Dr. S.K. Sudhanshu
Addl. GM (HR)

Shri Syed Shariq Hussain
Senior Manager (Fin.)

CHAIRMAN SPEECH AT THE 61st ANNUAL GENERAL MEETING

Chairman's Message

Cement Corporation of India Ltd., operates in a fiercely competitive market and is the only CPSU engaged in manufacture and sale of cement. We cater to customers located in distinct geographies of North, South and NE India. Indian cement market is an important driver of India's vision of becoming a Viksit Bharat by 2047 and provides sustenance to diverse construction activities such as homes, roads, bridges, multi-storeyed buildings, dams and tunnels. Cement is also one of the eight core industries and thus forms the backbone of nation building. India is also the second highest cement producer in the world after China. CCI has three operational units located at Tandur in Telangana, Rajban in Himachal Pradesh and Bokajan in Assam . These plants were established in seventies and eighties to enable India to become self reliant in cement production.

Global Outlook

The global economy proved its resilience in 2024 and registered a growth of 3.3% despite two full fledged wars, inflationary pressures , fragmented trade ties and other disruptions. Geopolitical tensions compounded markets uncertainties and a fragmented world economy shaped by competing spheres of influence added further complexity. These are likely to remain as significant challenges for next financial year also.

New Tariffs and retaliatory measures may pull global trade volume into negative mode , however globalisation is giving way to bilateral trade deals which may change the global business as conducted today. However it also offers India an opportunity to emerge as a reliable business and strategic partner to an increasing number of countries.

Indian Outlook

India emerged as an outlier of stability and momentum during FY 24-25 and remained as the fastest growing major economy, with GDP growth of about 6.5%. Moreover Jan-Mar 25 quarter registered growth of 7.4% led by construction, manufacturing and sustained capital outlay. The risks are also well balanced and consumption especially domestic is likely to pick up further. Public investment shall continue to be a significant contributor to the Indian growth. Individual house building still contributes to about two third of overall cement consumption.

India's exports also reached an all time high figure of US 825 billion and inflation rate eased to 4.6% down from 5.4% of last FY. India's GDP growth is projected at 6.5% for FY 25-26 also with domestic consumption and public investments remaining as major drivers.

Cement being a part of building material industry stands to gain by various government initiatives such as Gati Shakti, affordable housing and various infrastructure expansion projects. While global financial market face volatility , geopolitical tensions and trade barriers/tariffs pose downside risks, India's sound macroeconomic fundamentals, robust financial sector, a growing middle class, and a commitment to sustainable growth places India in a position to remain the fastest growing major economy in FY 25-26 as well.

Your Company's performance

The largest one million tonne cement plant of CCI is located at Tandur in the state of Telangana. South India has and continues to be a cement surplus region of the country. An annual cement production capacity of about

35 million tonnes is available in our vicinity. The year 24-25 saw a substantial price war between cement majors particularly Adani and Ultra Tech and the resultant spate of mergers and acquisitions. This affected our capacity to sell in many markets profitably. However CCI remained a consumer favourite in our nearby markets which speaks about the brand strength and customer satisfaction. The prices remained under tremendous pressure both in North and South India. Competition increased in NE India also with many producers undergoing expansion.

Bokajan unit also faced challenges of logistic bottlenecks and reduced construction activity due to the conflict between two communities in Manipur which is a major market for Bokajan unit. Despite various headwinds Rajban unit which supplies cement primarily to the states of Uttarakhand and HP was almost able to maintain its sale as compared to last FY. CCI annual sale during FY 24-25 was 6.73 lac MT against 8.43 lac during FY 23-24 due to these challenges.

However taking a pro-active approach, we restarted the production and sale of IRS T-40 a special grade cement produced by only a handful of cement companies for Concrete Sleeper Plants from Tandur unit. In the trade segment we are focussing on the sale of Portland pozzolona cement (PPC) but ordinary Portland cement (OPC) is also available at all the units.

Going forward, price situation may stabilise as most of the industry is facing challenges in pricing and once the phase of mergers and acquisitions is over, industry dynamics may change. However South India shall continue to be cement surplus region with capacity utilisations under pressure.

Growth Initiatives

CCI remains committed to reducing its carbon footprint despite cement production being inherently a major contributor to carbon dioxide emissions. We are focussing on the installation of solar plants at all the three cement units. While the solar plants of one MW each have already been commissioned at Rajban and Bokajan units, efforts are underway for the installation of a 6 MW solar power plant at Tandur unit.

We are also installing waste heat recovery systems and such units have already become operational at Rajban and Bokajan units. A fly ash handling system was also commissioned at Tandur unit thereby increasing the clinker conversion factor and increasing the production of eco-friendly cement. Dry fly ash is now being sourced from thermal power plants.

Our responsibility also extends to nearby communities where CCI provides various basic facilities such as education and health care and it will our endeavour to continue the human approach associated with public sectors.

Corporate Social Responsibility

The CSR Policy was approved by the Board and the policy is being implemented at the Corporation in accordance with the provisions of Companies Act, 2013 and guidelines issued by the Government from time to time.

Corporate Governance

The Company believes that ethical and transparent business practices with all stakeholders of the company is key to adhering to the norms of Corporate Governance. Your company reiterates its commitment to pursue the same. I feel elated to inform you, that your Company is consistent in achieving "Excellent Rating" in respect of Corporate Governance. Independent External Monitors (IEM) has been appointed to oversee and resolve any grievance arising out of any tender floated by the company with value more than prescribed limit. I would like to draw your attention to the Directors' Report, where a separate section under Corporate Governance is included.

Acknowledgement

Your continued support and confidence inspires in pursuing new endeavours for excellence and I, on behalf of Board of Directors of your Company, wish to place on record our sincere thanks to you and Government of India particularly to the Ministry of Heavy Industries for their guidance and support in all our pursuits.

I also extend my gratitude to our esteemed customers both in Government sector and private sector for their continued support to the products of CCI.

I also acknowledge and feel grateful for the overwhelming support of Government of India, State Governments, CAG, our Bankers, Statutory Auditors, Principal Director of Audit, Industry and Corporate Affairs and all other Authorities and Agencies.

Last but not the least, I would convey my appreciation for the commitment, involvement and dedication exhibited by the employees in the overall development and growth of the Corporation.

Thanking you all again,

Jai Hind,

Sd/-
(Sanjay Banga)
Chairman & Managing Director
DIN No: 09353339

Date : 09, October, 2025
Place: New Delhi

DIRECTORS' REPORT

To the Members,

On behalf of the Board of Directors of your company, I am delighted to present the 61st Annual Report of your Company along with the audited accounts for the year ended 31st March, 2025, the Auditor's Report and the Report of the Comptroller & Auditor General of India.

1. FINANCIAL PERFORMANCE

The Company's financial performance for the year 2024-25 along with previous year's figures are given below:

(₹ in Crore)

Sl. No.	PARTICULARS	For the year ended 2024-25	For the year ended 2023-24
1	Net Income from Operations	326.81	418.04
2	Other Income	114.61	56.32
3	Total Expenses other than depreciation and interest	396.21	465.58
4	Exceptional Income/ (Expenses)	0.00	99.42
5	PBDIT	45.21	108.20
6	Less: Finance Cost	0.53	0.00
7	PBDT	44.68	108.20
8	Less: Depreciation	13.63	13.15
9	Profit/ (Loss) before Tax	31.05	95.05
10	Less: Income Tax	2.60	16.61
11	Add: MAT Credit Entitlement	2.60	16.61
12	Net Profit after Tax	31.05	95.05

1.1 Corporation has earned a net profit of Rs. 31.05 crores during the year 2024-25 as against net profit of Rs. 95.05 crores during the previous year. The cement production during the year is 6.66 lakhs MT as against 8.50 lakhs MT during the previous year.

2. DIVIDEND

Company has accumulated losses. Accordingly, no dividend will be declared for the financial year 2024-25.

3. REVIEW OF BUSINESS OPERATIONS AND FUTURE PROSPECTS

Your Directors wish to present the details of Business operations done during the year 2024-25:-

A. OPERATIONS

(i) Performance of Units –

The Capacity utilization for Cement Production (%), Clinker Production (MT), Cement Production (MT) and Dispatch of Cement (MT) of the operating units individually and collectively are stated as under:-

Description	UOM	BOKAJAN		RAJBAN		TANDUR		TOTAL OPERATING PLANTS	
		24-25	23-24	24-25	23-24	24-25	23-24	24-25	23-24
Capacity Utilization of Cement	%	49.37	59.72	56.64	57.02	42.73	59.00	46.02	58.76
Clinker Production	MT	85250	121250	119005	127370	350000	581360	554255	829980
Cement Production	MT	97750	118250	140775	141420	427270	590000	665795	849670
Dispatch	MT	101351	112652	139331	140047	431958	589720	672640	842419

(ii) Quality:

CCI manufactures various types of cements like Portland Pozzolana Cement (PPC), Ordinary Portland Cement (OPC) of varying grades viz 43, 53 and 53S (special grade cement for manufacture of sleepers for Indian Railways) grades, under strict quality control with the brand name of CCI Cement.

The status of projects are mentioned below:

a) Status of Bokajan Expansion Project

A Work Order for expansion of Bokajan unit to 1200 TPD on 24.09.2010 was placed on M/s Promac Engineering Industries Ltd. Bangalore vide Work Order No. 46/10/6(6)/10-MMO/196 dated 30.09.2010 at value of Rs.142.40 crores with the completion period of 18 months. The Project languished for about 7 years. On 06.03.2019, CCI terminated the Contract with M/s Promac Engineering Industries Ltd.

The matter is in arbitration with Arbitral Tribunal.

b) Status of Silchar Grinding Unit

A Work Order No.47/10/6(7)/10-MMO/206 dated 30.09.2010 was issued to M/s Promac Engineering Industries Ltd. Bangalore for setting up of 50 TPH Cement Grinding Unit at Silchar (Assam) on Turnkey Basis at value of Rs.39.68 crores with the completion period of 12 months.

On breach of contractual obligations, the W.O. was terminated by CCI on 06.03.2019.

The matter is subjudice.

c) Technology Upgradation

i) Replacement of MOCB Breaker with SF6 Breaker for 132 KV switching.

ii) Replacement of old conventional relays of 132 / 6.6 KV power transformer with new micro Processed relays.

iii) Installed 01 No. 2000 KW high efficiency motor for Cement Mills.

iv) Installed 04 Nos. energy efficiency pumps for GLR pump house.

v) Replacement of old rectifier transformer with high efficient ESP transformer rectifier for coal mill ESP.

Details of Non-Operating Units:

The company has commenced disposing off its idle assets of the non-operating units on "as is where is basis" as per MHI vide letter No. 1(1)/2017-PE-XII/ CPSE-III dated 09.02.2022. The sale of 6 NOU's out of 7 NOU's are concluded through open e-auction by MSTC.

The status of Sale of Plant & Machineries, Store & Spares etc. of Non-Operating Units is mentioned below:

Sr. No.	Unit's Location	Status
1	Charkhi Dadri, Haryana	Completed
2	Akaltara, Chhattisgarh	
3	Mandhar, Chhattisgarh	
4	Bhatinda, Punjab	
5	Nayagaon, Madhya Pradesh	Sale order is released. Work is under progress
6	Kurkunta, Karnataka	Sale order is released. Arbitration is under progress
7	Adilabad, Telangana	Re-auction is under progress

B. **PROFITABILITY**

The company has earned a net profit of Rs. 31.05 Crores during the year 2024-25 as against the net profit of Rs. 95.05 crores in the previous year.

Hon'ble Minister Shri H.D. Kumaraswamy (MHI) chaired a review meeting with Shri Sanjay Banga, CMD, Cement Corporation of India Ltd.

4. CAPITAL STRUCTURE

The Corporation has not received any amount as equity from Government of India during the Financial year and company's share capital at the end of the year stood at Rs. 811.41 crore; consisting of paid up Equity share capital of Rs. 455.98 crores and paid up Non-cumulative redeemable preference shares of Rs. 355.43 crores.

5. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

At the milestone of 60 years, CCI reaffirms its commitment to its greatest strength—its people The company is supported by a dedicated workforce comprising approximately 310 regular employees and 1,184 contractual staff, all bringing diverse skills, qualifications, and expertise to the organization. CCI firmly believes that employee development is vital to the overall growth of the company. In collaboration with premier institutes, the company conducts focused programs aimed at enhancing knowledge, technical capabilities, and preparing its workforce for future challenges.

Safety Awareness Sessions:

6. INDUSTRIAL RELATIONS:

The company fostered a conducive and amiable Industrial Relations climate during the FY 2024-2025. CCI also adhered to all applicable labour laws, in line with the government guidelines leading to zero man-days loss on account of labour disputes. CCI has a sound practice of resolving issues in a structured manner through interacting and discussing with trade unions and employees at different levels.

Smt. N.G. Vaidehi, Deputy Chief Inspector of Factories, Hyderabad, conducted a statutory inspection at CCI Tandur Cement Factory. Reviewed the operations and discussed the plant matters with senior officials of the plant:

7. HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT:

In today's evolving world of Automation and Artificial Intelligence, work is more of an experience, an experience that organisations can create for its workforce. There is a paradigm shift in preferences today towards flexibility, well-being, diversity, equity and inclusion at the workplace. Behind this shift, Human Resource Development of Cement Corporation of India has played a pivotal role. It strives to create impactful employee experience strategies to better engage, motivate employees to maintain healthy & transparent work culture and to achieve higher productivity keeping in view the mission and vision of the Corporation as well as to intercept any unpredictable challenge.

Leaving behind the decade old way of managing and leading the workforce, CCI has advanced tremendously in the sphere of technology with the perspective of adapting to changing job scenario, economical changes and growth of manpower. CCI has streamlined various processes such as Recruitment and Online Performance Management System with the objective to ease out the process of reaching out to candidates rapidly, as compared to the tedious physical recruitment process as well as to eliminate the time consuming manual appraisal letters.

Human Resources is the backbone to support sustainable growth for an organisation when industries are going through a constant change. During these times of unprecedented changes, workforce being the lifeblood of an organisation needs to unlock the true potential to drive the business, therefore, Human Resources of CCI has ensured that the workforce is always healthy and running smoothly by prioritizing employee well-being and engagement to maintain business continuity. Therefore, with the objective to cultivate a jovial workplace, improve focus & energy and boost productivity across CCI, the Human Resource Department of CCI has organized various team building activities, cleanliness drive (Swachhta Pakhwada), sports activities, Yoga Day, National Unity Day, Constitution Day, Safety week, World Environment Day etc.

In addition to the above activities, CCI also administered life-saving programs such as Health Awareness session for employees/ schools in units and Medical camp in nearby villages of units so as to provide medical assistance to the underprivileged. The Human Resource Department of CCI has been organizing various Activities in Corporate office and Units which are provided below:

Bokajan unit conducted Orientation session for new Apprentice trainees, focusing on all-round development and career growth:

Rajban unit organized a career counseling session for apprentice trainees to empower young professionals by providing guidance & support for effective career navigation

Bokajan Cement Factory, Assam distributed Nutrition kits/food baskets under the Pradhan Mantri TB Mukt Bharat Abhiyaan to TB patients in BKO Sub Division, Karbi Anglong:

CCI Bokajan Unit conducted an informative disaster management session, led by NDRF experts from Guwahati. The team explained and demonstrated several life-saving techniques

Labour Welfare Minister of Assam, Shri Rupeshgowala and Deputy Speaker Shri N. Mom in visited the Bokajan unit of CCI, reviewed the plant's capacity, performance, production, and labour welfare measures, interacted with the unit's staff, and appreciated the company's efforts

Hon'ble Union Minister of Agri. GoI and MoRD GoI, Shri Shivraj Singh Chouhan, visited CCI, Bokajan Unit. Reviewed the plant's production capacity, manufacturing processes, and raw material supply, and appreciated the team's dedicated efforts towards strengthening India's industrial capabilities.

CCI Rajban Unit organized a Free TB camp in Adarsh Colony as part of India's mission to eliminate TB and Free Immunization Camp for pregnant women & children

CCI Tandur Unit organised Awareness Session on Waste Heat Recovery focusing on enhancing energy efficiency in industrial operations.:

CCI Tandur Unit organized a PF camp for contract laborers in collaboration with the EPFO, aims to address various PF-related matters

CCI Tandur Unit organized a comprehensive Fire Fighting Safety Program, spearheaded by our Safety Officers & the CCI Fire Fighting Security Team

First Aid safety program at CCI Tandur Equipping our team with life-saving skills:

CCI Bokajan organized a comprehensive training on Health, Hygiene and Fire Fighting to prioritize the well-being of its workforce

CCI Celebrated New Year and its Foundation Day in the month of January

On the occasion of CCI Foundation Day, CMD, CCI met with the Hon'ble Minister of Heavy Industries

The CMD,CCI addressed the employees on the 61st foundation day of CCI

Bokajan Unit Celebrated 61st foundation day with full enthusiasm

Rajban Unit Celebrated 61st foundation day with full enthusiasm

Tandur Unit Celebrated 61st foundation day with full enthusiasm

CCI Bokajan participated in the Karbi Ethnic Festival, Assam.

Observance of International Yoga Day, CCI organized Yoga sessions at units with the aimed at developing the habit of Yoga:

IEM CCI Sh. Otem Dai, accompanied by Sh. P.K Chand, Dir(F), participated in International Yoga Day activities at the Tandur unit:

Observance of Swachhata Pakhwada at Corporation by conduction various competition like essay writing Competition with a themed "Roadmap of Vikshit Bharat", Drawing Competition, etc.

Poem Recitation Competition at Corporate Office

Poster Competition at Corporate Office

Prize distribution on Swachhata Pakhwada

Special Campaign 4.0

With an objective to minimize pendency in the government, Special Campaign 4.0 for Swachhata and disposal of pending matters has been institutionalized. The Special Campaign 4.0 commenced with the identification of activities, revenue from Scrap disposal, successful completion of the cleanliness and office scarp disposal, physical and Digital Files. In alignment, with the goals of minimize pendency, CCI undertook several initiative under the guidance of Honorable CMD, Shri. Sanjay Banga, which focus on cleanliness, sanitation, health scrap disposal and space cultivation.

Before

After

100 days TB Campaign 2025-

Cement Corporation of India's Initiatives under the Government of India's 100-Day TB Campaign (World TB Day 2025)

In alignment with the Government of India's 100-Day TB Campaign and in observance of **World TB Day 2025**, Cement Corporation of India (CCI) undertook a series of proactive initiatives aimed at raising awareness and accelerating efforts towards a **TB-free India**. The campaign highlighted CCI's commitment to public health and community welfare. Key activities conducted during the campaign are as follows:

- **Awareness Session at Corporate Office:**

  An informative session was organized for employees at the Corporate Office to disseminate the objectives, strategies, and importance of the 100-Day TB Campaign. The session emphasized early detection, prevention, and the collective goal of TB elimination.

- **Unit-Level Initiatives (Rajban, Tandur, Bokajan):**

  All operating units of CCI actively participated by conducting TB awareness programs, health screening camps, and distributing free medicines in collaboration with their respective General Managers. Additionally, special **'TB Mukt Bharat'** awareness drives were conducted in nearby villages.

  - **Bokajan Unit:** Partnered with the Civil Health Centre to organize medical camps, distribute free medicines, and provide clean drinking water to local villagers.
  - **Tandur Unit:** Conducted a dedicated awareness session at the CCI Health Centre, focusing on TB prevention and elimination strategies.

Through these efforts, CCI demonstrated a unified and compassionate approach toward combating tuberculosis and reaffirmed its dedication to supporting national health missions.

Corporate Office

Rajban Unit

Tandur Unit

8. TRAINING AND DEVELOPMENT:

The Training and Development Policy of CCI is reviewed and restructured constantly as per changing business environment. In order to thrive in this competitive business environment, Training is provided for better understanding of professional requirements as well as to sensitize employees about the socio-economic environment in which the company operates. As part of Human Resource Development, Cement Corporation of India has always fostered a culture of continuous training and development across levels and HR professionals of CCI have shaped workplaces that empower individuals to thrive, leading to both personal upliftment and organizational prosperity. During the FY 2024-25, employees were nominated for various online/ offline training programmes, workshops and seminars organized inhouse or by any external agency to hone their skills in their respective function of work.

Apart from the day to day training, CCI has initiated a culture of organized Knowledge Sharing Sessions wherein employees across units and offices participated. These sessions enhance collective knowledge and employees can gain access to valuable information and deliver better productivity.

Knowledge Sharing Session:

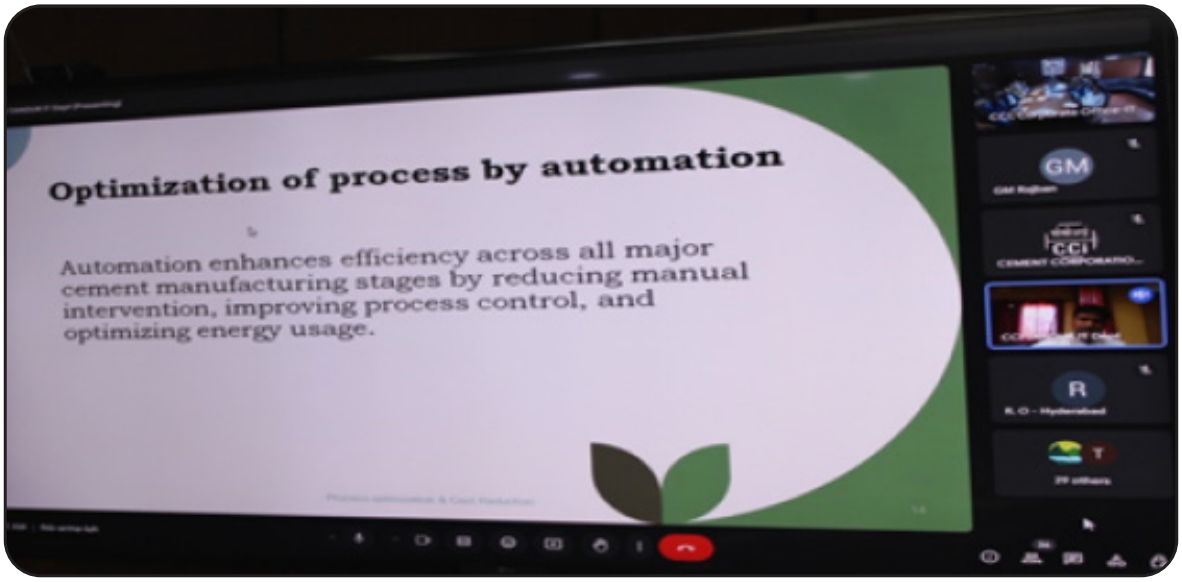

9. OFFICIAL LANGUAGE IMPLEMENTATION:

The Corporation has consistently promoted the progressive use of Hindi in accordance with the Official Language Policy of the Government of India. Regular meetings of the Official Language Implementation Committee are held to review progress and set future goals. The Corporation actively participates in the activities organized by the Committee. To further encourage the use of Hindi in official work, Hindi Week/Fortnight is celebrated annually, aiming to motivate employees to increasingly adopt Hindi in their daily tasks.

Under the Nagar Rajbhasha Karyanvayan Samiti Dimapur Rajbhasha Shield Scheme,CCI Bokajan Unit was awarded for commendable work in the implementation of the Official Language Policy.

10. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY:

Apart from the business of manufacturing cement, the core value of CCI is to give back to the society by providing social, environmental and economic benefits to the community it operates. CSR initiatives have been undertaken in the field of sanitation, hygiene and promotion of healthcare facilities and skill development.

During the Financial Year 2024-25, CCI Units has contributed in different thematic areas including:

- Installation of One Multi Clean 60L Semi-Automatic Scrubber Dryer with cable and make available Patients Wheel Chairs at Bokajan Civil Health Centre, Bokajan. The Wheel Chairs for patients were also arranged at Dillai State Dispensary.
- Installation of Water Cooler with RO Purifier at Deopani Durga Mandir and Bokajan Police Station so as to ensure safe & purified drinking water to public.
- Repairing and Maintenance Work of Toilet, Classrooms etc. at Govt. L.P. School and Health Centre, Bokajan.
- Distribution of Nutritional food packet for school going children of Govt. LP School, Sukhanjan, Govt. Project L.P. School, Bokajan and Govt. Upper OK Kehai LP School, Dillai by Bokajan Cement Factory.
- Distribution of Food Basket for TB patients for 6 months in order to provide Nutrition and Health Support for TB patients under Pradhan Mantri TB Mukt Bharat Abhiyaan (Nikshay Mitra Initiative) launched by Honorable President of India.
- Installation of ECG Machine, Binocular Microscope, Urine analyzer etc. by Tandur Cement Factory.
- Installation of Voltas Purifier, Water Dispenser and Refrigerators by Tandur Cement Factory.
- Distribution of Nutritional kits in CCI Tandur Township, Karankote.

- Ceiling work, whitewashing and renovation of toilets & repair of window at Government Primary School, Rajban and Government Middle School, Manal.
- A Medical Camp was organized in Adarsh Colony near factory & Ka do village near Mines area including distribution of medicines by CCI Rajban Cement Factory.

For CSR 2024-25, the company has also contributed towards Skill development programme through Apparel Made-ups & Home Furnishing Sector Skill Council (AMHSSC). Impact assessment of CSR project was carried out.

Glimpses of CSR Activities by CCI

Hon'ble Union Minister Shri H.D. Kumaraswamy, MHI & Steel Visited Bokajan C.H.C and distributed health packets among patients on 21.09.2024 Bokajan, Karbi Anglong, Assam

In Kando Village, Rajban Unit transformed a rocky schoolyard into a playground by filling it with soil, recognizing physical activity's importance for children's health and overall development.

Rajban Cement Factory Renovated 3 schools which were badly affected by Factory Dust and Crusher. The renovations included installing windows and false ceilings to minimize dust's impact on students and upgrading toilets for better hygiene.

Distribution of Surgical items like Urine Analyzer, ECG Machine, Multi Para Monitor, Binocular Microscope & Refrigerator Under CSR Activities for FY 24-25 at Government District Hospital, Tandur by CMD, CCI in presence of MLA, Tandur and other dignitaries.

Distribution of TB Kits to TB Patients residing at nearby Villages Under CSR Activities for FY 24-25 at CCI Health Centre by CMD,CCI, Shri Sanjay Banga.

Distribution of Refrigerator and Water Cooler to Panchayat Officials, Karankote Under CSR Activities for FY 24-25 at CCI Health Centre by CMD,CCI

Distribution of 6 Nos of Water Dispenser to ADC Tandur and Dy SP Tandur for Panchayat and outpost at Gowthapur chengshpur, Chegul, Yelamakna, Narayanpur, Allahpur Villages under Tandur Division, to facilitate clean water Under CSR Activities for FY 24-25 by CCI Tandur.

11. WELFARE OF WOMEN:

The Company has actively cultivated a culture of equality that motivates and supports women's participation in all facets of the organization. This progressive environment has encouraged a transformative mindset, empowering women to take on roles with greater confidence and impact—contributing meaningfully to both their own development and the growth of the organization. All statutory and additional benefits are uniformly extended to women employees across all Units and Offices of the Corporation. CCI fully complies with the provisions of the Maternity Benefit Act, 1961 (as amended in 2017). The benefits under this Act are extended to both permanent and contractual employees, ensuring comprehensive support and protection for all eligible women staff.

To ensure a safe and inclusive workplace, Cement Corporation of India has constituted a committee in accordance with the provisions of the Prevention of Sexual Harassment (PoSH) Act. The committee is responsible for addressing any issues related to sexual harassment, periodically reviewing the Company's policy, and sensitizing employees about their rights and responsibilities under the Act. Notably, during the financial year 2024–25, no complaints were received under the Sexual Harassment of Women at Workplace Act.

In addition, CCI units are having dedicated Ladies Clubs, which serve as platforms for organizing various social, recreational, and welfare activities for women. These clubs actively address women-related concerns at the unit level and promote empowerment through vocational programs such as computer literacy and mother-and-child healthcare. The Corporation extends infrastructural and financial support to facilitate these initiatives for the overall well-being and development of women employees.

Prevention of Sexual Harassment (PoSH)

a. Number of complaints of sexual harassment received during the year- 00 (NIL)

b. Number of complaints disposed off during the year – 00 (NIL)

c. Number of cases pending for more than ninety days – 00 (NIL)

International Women's Day was celebrated with fervor & renewed commitment at Corporate Office. An Awareness Session on the POSH Act Was held during the day& inspiring stories were shared by Ms.Riya Kumari POSH Expert:

In celebration of Women's Equality Day in the Month of August, organized special events to honor the achievements of women and promote gender equality:

Rajban

Bokajan

Tandur

12. GRIEVANCE REDRESSAL MECHANISM

An effective Grievance Redressal system is key to enhancing employee satisfaction, which in turn contributes to improved productivity. Recognizing this, Cement Corporation of India has established a robust and responsive Grievance Redressal mechanism across its Corporate Office and operational Units.

Employees are encouraged to raise grievances at any time concerning wages, working conditions, leave, work assignments, welfare facilities, and other related matters. Based on the nature of each grievance, the designated committee ensures timely and thoughtful resolution, often through informal and constructive dialogue.

CCI's grievance mechanism is comprehensive, streamlined, and adaptable—playing a vital role in fostering a positive and harmonious relationship between employees and management.

13. REMUNERATION POLICY

In CCI, pay and other benefits for executives are based on the Presidential Directives issued by the Ministry of Heavy Industries and Department of Public Enterprises,

As per guidelines issued by DPE vide OM No. W-02/0028/2017-DPE (WC)-GL-XIII/17 dated 03.08.2017, OM No W-02/0028/2017-DPE (WC)-GL-XIV/17 dated 04.08.2017 and OM No. W-02/0028/2017-DPE(WC)-GL-XVI/17 dated 07.09.2017 on Pay Revision of Board Level and below Board Level Executives and Non-Unionised Supervisors of CPSEs w.e.f. 01.01.2017, MHI has issued presidential directives on 01.09.2023 to implement pay revision notionally effective from 01.01.2017 and actually with effect from 01.04.2023. The said order (Presidential Directives) has been implemented.

14. CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION, FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUTGO

The information pertaining to conservation of energy, technology absorption, Foreign exchange Earnings and outgo as required under Section 134 (3) (m) of the Companies Act, 2013 read with Rule 8(3) of the Companies (Accounts) Rules, 2014 is furnished in Annexure and is attached to this report.

Green Initiative and Energy saving projects taken up by Corporation is provided below:

Hon'ble Union Minister Shri H.D. Kumaraswamy, MHI & Steel
inaugurated hot gas utilisation project on 21/09/2024, Cement Corporation of India ltd.
a CPSE under MHI at Bokajan, Karbi Anglong, Assam

Hon'ble Union Minister Shri H.D. Kumaraswamy, MHI & Steel
foundation stone laying of 1 MWp Grid Connected Solar PV Plant on 21/09/2024, Cement Corporation of India ltd.
a CPSE under MHI at Bokajan, Karbi Anglong, Assam

Inauguration of Coal Shed at CCI Tandur Cement Factory By Hon'ble CMD,CCI

Inauguration of energy efficient Compressor under Demonstration of Energy Efficiency Project (DEEP) - Energy Efficiency Services Limited (EESL) at CCI Tandur Factory By Hon'ble CMD,CCI

Coal Shed at Tandur (Reduction in Coal Consumption/Improve Plant Operation)

15. STATEMENT CONCERNING DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF RISK MANAGEMENT POLICY OF THE COMPANY

The risk management system is an integrated and aligned system with the corporate and operational objectives. Risk management is undertaken as part of normal business practice and not as a separate task at set time.

16. DETAILS OF POLICY DEVELOPED AND IMPLEMENTED BY THE COMPANY ON ITS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY INITIATIVES

Your Company has always discharged its social responsibility as a part of its CSR philosophy that business and society can become partners for development. In line with its Corporate Social Responsibility, your company has created basket of activities and taken up various initiatives.

17. ACTIVITIES AND ACHIEVEMENTS OF THE VIGILANCE DEPARTMENT.

1) During the year, Vigilance Department has created vigilance awareness amongst its employees at all levels in the Organisation and promo ed culture of honesty, efficiency and transparency in the working environment. Vigilance Awareness Week was celebrated from 28h October 2024 to 3rd November, 2024, under guidance of CVC with the theme "Culture of Integrity for Nation's Prosperity". "सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि". During the Week, Corporate Office and operating Units have organized seminars, debate, workshops, competition on essay writing/ slogan etc. Lectures were also organized on preventive vigilance with a view to eliminate the scope of indulging in malpractices.

2) As per the CVC guidelines, three months campaign was organized in CCI with the following Preventive Vigilance measures as focus area:

   a) Capacity Building programs.

   b) Identification and implementation of Systemic Improvement measures.

   c) Updation of Circulars / Guidelines / Manuals

   d) Disposal of complaints received before 30.06.24

   e) Dynamic Digital Presence

   Under Capacity building program training program on "**Ethics & Governance and CDA Rules"** was organized on 04.10.2024 at Corporate Office, New Delhi in which

officials of units also participated through virtual mode.

3) Regular Preventive Vigilance activities were performed in CCI such as identification of areas prone to corruption, Identification of sensitive posts & carrying periodic rotation of officers/ Staff in sensitive posts, Surprise inspections, scrutiny of Immovable property returns and preparation of Agreed & ODI lists etc.

4) 20-30% Annual property return of employees being obtained from HR Department are being scrutinized on quarterly basis.

5) Quarterly Performance Reports, Annual Report and Quarterly progress Reports are being sent to Central Vigilance Commission (CVC) periodically within the stated timeframe.

Corporation organized a session as part of the VAW Campaign 2024 under Capacity Building Program focusing on Ethics and Governance and the Code of Conduct, led by Virendra S. Rawal. With active participation from all three units, emphasizing the importance of ethical practices within the organization

18. E-PROCUREMENT / INTEGRITY PACT

The e-procurement facility is already in place in the organization. M/s NIC (National Informatics Center), New Delhi is the service provider for e-procurement portal apart from GeM portal where procurement is being promoted in accordance with Govt. policies.

Moreover, tenders above Rs. 50,000/- (fifty thousand) are being invited through e-tender, floated in NIC/GeM portal.

The Integrity Pact has been implemented. An IEM also oversees implementation of Integrity Pact, for all tenders above Rs. 10 Lakhs. Regular Integrity Pact review meetings are also held by the IEM.

19. MSME PROCUREMENTS

The MSME Policy of the Government of India is being strictly adhered to in all procurement activities. For the financial year 2024-25, procurement from Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) has reached a remarkable 82% of the total procurement value. The Government is also monitoring the progress of MSME procurement through MSME Sambandh portal where monthly data is analysed. Procurement through SC/ST and Women MSMEs is also being monitored and efforts are underway to increase their participation in the procurement process.

20. INTERNAL FINANCIAL CONTROL

The Company has adequate internal financial controls system for ensuring orderly and efficient conduct of its business including adherence to the Company's policies, safeguarding of its assets and prevention of frauds, accurate and prompt financial reporting, for compliances and improve the effectiveness of risk management towards good corporate governance. The company has the following internal audit system mainly :–

- Internal Audit by Independent Chartered Accountant forms

Outside Internal auditors are appointed on the basis of Open Tender/ Empanelment after due recommendation by Audit Committee and approval from Board of Directors of the company. The reports containing significant audit findings are periodically submitted to management and Audit Committee of the company. Based on report of Internal Auditor, corrective action in respective areas are undertaken and thereby strengthen the control.

The company has adequate internal control measures in the form of various codes, manuals and procedures issued by the management covering all important activities i.e. Marketing Manual, Purchase and Works manual, Material, Stores, Accounts and Personal Manual etc. The marketing manual has been updated and management has taken steps to update all other manuals time to time for better check and control.

21. PARTICULARS OF LOANS, GUARANTEES OR INVESTMENTS

No govt. loans, guarantees or investments are made under section 186 of the Companies Act, 2013 during the year 2024-25.

22. EXPLANATION OR COMMENTS ON QUALIFICATIONS, RESERVATIONS OR ADVERSE REMARKS OR DISCLAIMERS MADE BY THE AUDITORS AND THE PRACTICING COMPANY SECRETARY IN THEIR REPORTS

Management's reply to the Statutory Audit Report and Secretarial Audit Report are part of Directors' Report.

23. PARTICULARS OF CONTRACTS OR ARRANGEMENTS MADE WITH RELATED PARTIES

There was no contract or arrangements made with related parties as defined under Section 188 of the Companies Act, 2013 during the year under review.

24. COMPANY'S POLICY RELATING TO DIRECTORS APPOINTMENT, PAYMENT OF REMUNERATION AND DISCHARGE OF THEIR DUTIES:

CCI is a CPSE where policy relating to appointment, remuneration and allowances payable to Directors is determined by the Government of India.

25. ANNUAL RETURN

The Annual Return pursuant to the provisions of Section 92 read with Rule 12 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 is placed on the website of the company. The URL for the Annual Return is https://www.cciltd.in/page.php?id=29

26. NUMBER OF BOARD MEETINGS CONDUCTED DURING THE YEAR UNDER REVIEW

The company has conducted Eight (8) Board Meetings i.e. on 15.05.2024, 29.07.2024, 13.08.2024, 21.08.2024, 30.09.2024, 25.10.2024, 31.12.2024 and 10.03.2025 during the financial year 2024-25.

27. MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS REPORT

Management Discussion and Analysis Report is attached with this report and forms part of Annual Report of the Company.

28. DIRECTORS RESPONSIBILITY STATEMENT

In accordance with the provisions of Section 134(5) of the Companies Act, 2013 the Board hereby submit its responsibility Statement:—

(a) in the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures;

(b) the directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the financial year and of the profit and loss of the company for that period;

(c) The directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of this Act for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;

(d) The directors had prepared the annual accounts on a going concern basis; and

(e) the directors had laid down internal financial controls to be followed by the company and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively. Internal financial control means the policies and procedures adopted by the Company for ensuring the orderly and efficient conduct of its business including adherence to Company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records and the timely preparation of reliable financial information.

(f) The directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

29. SUBSIDIARIES, JOINT VENTURES AND ASSOCIATE COMPANIES

The Company does not have any Subsidiary, Joint venture or Associate Company.

30. DEPOSITS

The Company has neither accepted nor renewed any deposits during the year 2024-25.

31. DIRECTORS

- Dr. Renuka Mishra, Economic Adviser, Ministry of Heavy Industry joined the Board as part time official Director (Govt. Nominee) w.e.f. 22.07.2024.
- Shri Arun Kumar Sarkar, Deputy Secretary, Ministry of Heavy Industry joined the Board as part time official Director (Govt. Nominee) w.e.f. 30.09.2024.
- Ms. Mukta Shekhar, Joint Secretary, Ministry of Heavy Industry ceased to be part time official Director (Govt. Nominee) from the Board of the Company w.e.f. 22.07.2024. The company places on record, its appreciation for her guidance and contribution during her association with the Company.
- Shri Joseph Atul T. Barla, Director, Ministry of Heavy Industry ceased to be part time official Director (Govt. Nominee) from the Board of the Company w.e.f. 26.09.2024. The company places on record, its appreciation for his guidance and contribution during his association with the Company.
- Dr. Ravindra Shivshankar Arali ceased to be Non-official Independent Director from the Board of the Company w.e.f. 01.11.2024. The company places on record, its appreciation for his guidance and contribution during his association with the Company.
- Dr. Manju Baghel ceased to be Non-official Independent Director from the Board of the Company w.e.f. 01.11.2024. The company places on record, its appreciation for her guidance and contribution during her association with the Company.

32. DECLARATION OF INDEPENDENT DIRECTORS

During the year 2024-25, Dr. Ravindra Shivshankar Arali and Dr. Manju Baghel, Non-official

Independent Directors of CCI have given their respective Declaration of Independence under the provisions of Section 149 (7) of the Companies Act, 2013.

33. DIGITALIZATION, E-PRCOUREMENT, BILL TRACKING, ERP, ONLINE SALES MODULE, ONLINE PROVIDENT FUND MODULE, ONLINE PERFORMANCE APPRAISAL PORTAL, CYBER SECURITY AUDIT ETC.

Digitalization at CCI:

- CCI has taken up several initiatives to enhance transparency and improve efficiency such as e-Procurement of Works, Goods and Services, e-Office, Video Conferencing Solution, to name a few.
- The latest updates and information made by the company can be accessed at Company's website: https://www.cciltd.in which includes the Company Profile/ Organizational History of CCI, Vision & Mission, Annual Reports, latest Tenders, Photo Gallery, Plants/CCI Offices, HRM/HRD etc.

E-Procurement Portal:

The CCI is using the GeM (Government e-Market Place) portal for procurement of Goods, Services and Works. However, GePNIC CPP e-procurement portal of Govt. of India is used in case of non-availability in GeM portal. The e-procurement portal GePNIC is a secure and transparent procurement system.

E-mail:

The CCI has migrated mail servers to NIC (Govt. of India) for better security of electronic mail. Now the email.gov.in portal is being used for accessing emails, which is having the dual authentication facility.

Digitalization of Records:

The exercise for digitalization of records has been initiated for better record management of official documents.

Bill Tracking System for Vendor:

CCI has provided a link at CCI's official website for "Online Bill Tracking System" to help the Vendors.

ERP:

The project for moving from Tally ERP 9 to SAP Business One ERP system has been initiated for better management of information systems and data security. The system is in trial stage.

Online Sales Module:

The online sale module in CCI website is available wherein the customer can place the request for purchase of cement directly to the plants.

Online Provident Fund Module:

CCI introduced PF online Module in Intranet Website for facilitating the employee.

Online Performance Appraisal Portal:

The Online Performance Appraisal system is being used for transparency and streamlining.

Cyber Security Audit:

The cyber security audit is also initiated for mitigating IT security vulnerability in online portals. The Centralized Firewall has been installed at CCI-Tandur Unit, for Parameter level security.

34. IMPLEMENTATION OF RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005

Your Company has always endeavored in implementation of Right to Information (RTI) Act, 2005 in letter and spirit. The Company has designated Public Information Officers (PIO) and Appellate Authorities and Transparency Officer under Section 5 and Section 19(1) of the RTI Act. The provisions under the Act are being complied with by all the Plants and Units of the Company.

An exclusive RTI Corner has been developed with link being available on website of the Company. Details of Authorities, PIO, First Appellate Authority & Transparency Officer have also been made available on the website of the Company.

35. FOREIGN EXCHANGE EARNING AND OUTGO:

From time to time we are receiving export enquiries from different parties. Due to locational disadvantage for our plants, which are for away from sea ports, out inland freight from plants to the nearest sea ports works out to be on higher side. Due to this reason our FOB prices do not work out competitive. Close monitoring is being done on export front, to avail the opportunity, as and when arises. The entire production of cement is being sold in the domestic market.

36. AUDITORS:

STATUTORY AUDITORS

M/s. S K Mehta & Co., Chartered Accountant Delhi were appointed as Principal Statutory Auditors and Branch Auditor for Rajban and Non-Operaring units for the year 2024-25 and M/s. K P Sarda & Co. and M/s. Karvy & Co., were appointed as Branch Auditors. The report of the statutory auditors and reply thereto, and comments of the Comptroller & Auditor General of India are annexed to this report.

COST AUDITORS

M/s. K G Goyal & Associates, Cost Accountants, were appointed as Lead Cost Auditor of the Corporation and also Cost Auditor of Rajban, M/s. Bandyopadhyaya Bhaumik & Co., Cost Accountant for Bokajan & M/s. S Dhal & Co., Cost Accountants for Tandur Unit for the year 2024-25.

SECRETARIAL AUDITORS

In terms of the provision of Section 204 of the Act read with the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014, the Board has appointed M/s. Amit Agrawal & Associates, Company Secretaries, New Delhi as Secretarial Auditor for conducting Secretarial Audit of your Company for the financial year ended 31st March, 2025. The report of the Secretarial Auditor is attached as Annexure. In respect of the Secretarial Audit report for the financial year ended 31st March, 2025, your Directors have clarified as follows: (a) Both the Independent Directors i.e. Dr. Ravindra Shivshankar Arali and Dr. Manju Baghel ceased to be Non-official Independent Directors, CCI w.e.f. 01.11.2024. Accordingly, the Audit Committee and other Committees could not be reconstituted for want of Independent Directors. However, time to time request letters have been sent to Administrative Ministry for appointment of Independent Directors.

37. DISCLOSURE OF COMPOSITION OF AUDIT COMMITTEE AND PROVIDING VIGIL MECHANISM

The Audit Committee of the company consists of the following Directors:

a. Dr. Ravindra Shivshankar Arali, Independent Director as Chairman.

b. Dr. Manju Baghel, Independent Director, as Member

c. Shri Arun Kumar Sarkar, Director (Govt. Nominee) as Member

The Company has Whistle Blower Policy as approved by Board of Directors. The Company has also provided adequate safeguards against victimization of employees and Directors who express their concerns. The Company has also provided direct access to the Chairman of the Audit Committee, who are competent authority under the Whistle Blower Policy of the company on reporting issues concerning the interests of employees and the Company. The Whistle Blower Policy is hosted on the official website of the Company www.cciltd.in

The Audit Committee ceased to be in effect due to cessation of both Independent Directors from the Board of CCI w.e.f. 01.11.2024.

38. ACKNOWLEDGEMENTS

Board acknowledges the support and guidance your Corporation received from Ministry of Heavy Industries, Govt. of India and also the support and cooperation of the Ministry of Railways, PESB, Financial Institutions, Bankers and other Central and State Government Departments. We extend our gratitude to our esteemed customers both in Govt. and private sector for their continued overwhelming support to the products of CCI.

The Directors are thankful to M/s. S K Mehta & Co., Chartered Accountants, Comptroller & Auditor General of India and Principal Director of Audit, Industry and Corporate Affairs. The Directors wish to place on record their deep appreciation for the dedication of employees of the Corporation.

FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD

Sd/-
(Sanjay Banga)
Chairman & Managing Director
DIN No: 09353339

Date : 09, October, 2025
Place: New Delhi

Particulars under following heads as required under Rule 8(3) of Companies (Accounts) Rules 2014.

A. CONSERVATION OF ENERGY

i) The steps taken or impact on conservation of energy:

- Replaced inefficient motors by high energy efficient motors such as motors of Preheater Fans, Cooler Fans to reduce the energy losses.
- In phases replacing Conventional bulbs / tubes with LED lamps in colony & plant
- Reduction in the idle operation of equipment by providing the interlocking
- Installation of APFC panels and capacitors to improve the power factor
- The conversion of connection of the LT motors from Delta to Star and also by installing VFD panels & motors.
- Installation of Coal Shed has completed for smooth operation of Kiln during rainy season and avoiding the excess coal consumption
- The diversion of waste hot gases from preheater fan outlet to coal mill inlet for drying of coal for conserving the coal consumption.
- Installation of 1200 KW, 11KV, 750 RPM Slip-ring induction motor in replacement of synchronous induction motor of same rating
- Installation of energy efficient turbine duty pump for water pumping

ii) The steps taken by the company for utilizing alternate sources of energy:

- The 1 MWp Solar Power Plant under RESCO MODEL has been commissioned at CCI-Rajban unit.
- The installation of 1 MWp Solar Power Plant under RESCO MODEL is under progress at CCI-Bokajan and expected to be completed in the first half of FY 25-26.
- Use of petro-polymer fuel as a substitute for diesel during kiln heat up.

iii) The Capital investment on energy conservation equipment's.

The CCI has invested ₹ 289.73 Lakhs for taking up the various energy conservation measures by way of improvement in efficiency and reducing losses.

B) TECHNOLOGY ABSORPTION

(i) The efforts made towards technology absorption;-

a) ERP SAP is installed for better control by integration of the departments and real time data access.

b) Installed LED Street lights with motion sensors.

c) Installed switching breakers of SF6 type in place of MOCB for 132 Voltage level.

d) The pulse jet bag house was installed in place of ESP. This has reduced the wastage of material in air, as well as reduced the pollution level.

e) Installation of new Electronic Packer in place of Mechanical packer

(ii) The benefits derived like product improvement, cost reduction, product development or import substitution

(a) The installation of Dry fly ash feeding system for increasing the addition of the fly ash for utilization of the waste material of thermal power plant and reduce the cost of production

(iii) In case of imported technology (imported during the last three years reckoned from the beginning of the financial year): NIL

(a) The details of technology imported: NA

(b) The year of import: NA

(c) Whether the technology been fully absorbed: NA

(d) If not fully absorbed, areas where absorption has not taken place, and the reasons thereof; and: NA

(iv) The expenditure incurred on Research and Development: NA

CCI Rajban overall ranked 3rd for outstanding Mine Environment & Mineral Conservation week:

21st North East Metalliferous Mines Safety Week

Annexure A

CSR ACTIVITIES

1 CCI's CSR & Sustainability Policy is envisaged as **"A commitment to meet its social obligations by playing an active role to improve the quality of life of the communities and stakeholders on a sustainable basis, preferably in the project areas where it is operating".**

CCI integrates and align its CSR & Sustainability policies and activities with its goals, plans and strategies keeping in view the suggested activities as per schedule VII of the Companies Act, 2013 and Guidelines issued by Department of Public Enterprises, Government of India from time to time.

2. (i) Net Worth- 252.66 Crore

(ii) Turnover- 325.22 Crore

(iii) Net Profit- 31.05 Crore

(iv) Criteria that triggered CSR applicability – Net profit Exceeding 5 Crore

3. (a) (i) Whether CSR Committee has been constituted- **YES (Earlier the CSR Committee was constituted, however, after cessation of both Independent Directors w.e.f. 01.11.2024, the CSR committee was also ceased to be in effect)**

(ii) Number of Directors composing CSR Committee- **03**

(iii) Number of meetings of CSR Committee held during the year- **01**

Sr. No.	DIN	Name of Director	Category	No. of meetings of CSR Committee attended during the year
1.	07392367	Dr. Ravindra Shivshankar Arali	Independent Director	01
2.	09391340	Dr. Manju Baghel	Independent Director	01
3.	10795153	Shri Joseph Atul T. Barla	Director (Govt. Nominee)	01

(b) (i) Whether the company has a website- **YES**

(ii) If Yes, Provide web-link- ***https://www.cciltd.in***

(iii) Whether following has been disclosed on the website of the company in pursuance of Rule 9 of Companies (CSR Policy) Rules, 2014:

- Composition of CSR Committee- **YES (Up to 01.11.2024)**
- CSR Policy – **YES**
- CSR projects approved by the Board- **YES**

(c) (i) Whether Impact assessment of CSR projects is carried out in pursuance of sub-rule (3) of Rule 8 of Companies (CSR Policy) Rules, 2014, if applicable- **YES**

(ii) If Yes, whether the same has been disclosed in the Board Report- **YES**

(iii) Provide web-link, if any- ***https://www.cciltd.in***

(d) (i) Whether any amount is available for set off in pursuance of sub-rule (3) of Rule 7 of Companies (CSR Policy) Rules, 2014- **YES**

(ii) If yes, provide details:

S. No.	Financial Year	Amount available for set-off (in Rs.)	Amount set-off in the financial year, if any (in Rs.)	Balance Amount (in Rs.)
1.	2021-22	--	--	--
2.	2022-23	--	--	--
3.	2023-24	2,76,595	2,76,595	--
	Total	--	--	--

4. (a) Whether the company has completed the period of three financial years since its incorporation – **YES**

   (b) If no, then provide the number of financial years completed since incorporation- **NA**

   (c) Net Profit & other details for the preceding financial years:

S. No.	Particulars	Amount (Rs. in Crores)		
		FY-1 (2021-22)	**FY-2 (2022-23)**	**FY-3 (2023-24)**
1.	Profit before tax	40.20	95.29	95.05
2.	Net Profit computed u/s 198	40.20	13.55	(4.37)
3.	Total amount adjusted as per rule 2(1)(h) of the CSR Policy Rules 2014	0	0	0
4.	Total Net Profit for section 135 (2-3)	40.20	13.55	(4.37)

   (d) Average Net Profit of the company as per section 135 (5)- **Rs. 1646 Lakhs**

5. (a) 2% of Average net profit of the company s per section 135 (5) – **Rs. 32.92 Lakhs**

   (b) Surplus arising out of the CSR projects/ programs or activities of the previous financial year, if any - **NIL**

   (c) Amount required to be set off for the financial year, if any – **Rs. 2,76,595**

   (d) Total CSR obligation for the financial year (5a+5b-5c) - **Rs. 30,15,405**

6. (a) Whether CSR amount for the financial year has been spent- **YES**

   (b) If yes, CSR amount has been spent against:

   - Ongoing projects- NA
   - Other than ongoing projects- NA
   - Both (Ongoing and other than ongoing projects)- YES

   (i) Details of CSR amount spent against ongoing projects for the financial year:

   Number of Ongoing Projects for the financial year

Sl. No.	Project ID	Item from the list of activities in schedule VII	Name of the Project	Local Area (Yes/ No)	Location of the project		Project duration (in months)	Amount spent in the financial year (in Rs.)	Mode of Implementation-Direct (Yes/ No)	Mode of Implementation-Through Implementing Agency	
					State	District				CSR Registration No.	Name
1	–	Schedule VII (ii)	Apparel Skill Training	No	Uttar Pradesh	Kanpur	12 Months	5,06,260	NO	CSR00000393	Apparel Made-ups and Home Furnishing Skill Council
							Total	5,06,260			

(ii) Details of CSR amount spent against other than ongoing projects for the financial year: Rs. 26,39,063

Number of Other than Ongoing Projects for the financial year

Sl. No.	Item from the list of activities in schedule VII	Name of the Project	Local Area (Yes/ No)	Location of the project		Amount spent in the financial year (in Rs.)	Mode of Implementation-Direct (Yes/ No)	Mode of Implementation-Through Implementing Agency	
				State	District			CSR Registration No.	Name
1	Schedule VII (i)	Health & Nutrition	Yes	Telangana	K.V. Rangareddy	12,28,584	Direct	–	–
2	Schedule VII (i)	Health & Nutrition etc.	Yes	Assam	Karbi Anglong	5,49,930	Direct	–	–
3	Schedule VII (ii)	Sanitation & Learning etc.	Yes	Assam	Karbi Anglong	2,00,122	Direct	–	–
4	Schedule VII (i)	Health & Nutrition	Yes	Himachal Pradesh	Sirmaur	6,60,427	Direct	–	–
					Total	26,39,063			

(c) Amount spent in Administrative Overheads- **NIL**

(d) Amount spent on Impact Assessment, if applicable- **NIL**

(e) Total Amount Spent for the financial year – **Rs. 31,45,323**

(f) Amount unspent/ (excess) spent for the Financial year [5(d)-6(e)] unspent for Ongoing projects) – **(Rs. 1,29,918)**

(g) Amount eligible for transfer to Unspent CSR Account for the Financial year as per Section 135 (6) (before adjustments) - **NIL**

(h) Amount to be transferred to Fund specified in Schedule VII for the Financial Year (if total unspent for the Financial Year is greater than unspent for Ongoing projects) - **NIL**

7. Details of transfer of Unspent CSR amount for the financial year:

(a) Transfer to Unspent CSR account as per Section 135(6)

Amount to be transferred to Unspent CSR account	Amount actually transferred to Unspent CSR account	Date of Transfer	Deficiency, if any
--	--	--	--

(b) Transfer to Fund specified in Schedule VII as per second proviso to Section 135(5) for the Financial Year:

Amount to be transferred to Fund specified in Schedule VII	Amount actually transferred to Fund specified in Schedule VII	Date of Transfer	Deficiency, if any
--	--	--	--

8. Specify the reason(s) if the company has failed to spend two percent of the average net profit as per section 135(5): NA

9. Whether any unspent amount of preceding three financial years has been spent in the financial year: NO

(a) Details of CSR amount spent in the financial year pertaining to three preceding financial year(s):

Sl. No.	Preceding Financial Years	Amount transferred to Unspent CSR Account under Section 135(6) (in Rs.)	Balance Amount in Unspent CSR Account under Section 135(6) (in Rs.)	Amount spent in the financial year (in Rs.)	Amount transferred to a Fund as specified under Schedule VII as per second proviso to Section 135(5), if any		Amount remaining to be spent in succeeding financial years (in Rs.)	Deficiency, if any
					Amount (in Rs.)	Date of Transfer		
1	2021-22	--	--	--	--	--	--	--
2	2022-23	--	--	--	--	--	--	--
3	2023-24	--	--	--	--	--	--	--

(b) Details of CSR amount spent in the financial year for ongoing projects of the preceding financial year(s):

Number of Ongoing Projects: NA

Sl. No.	Project ID	Name of the Project	Financial Year in which the project was commenced	Amount spent for the project at the beginning of the Financial Year (In Rs.)	Amount spent in the financial year (in Rs.)	Cumulative Amount Spent at the end of Financial Year (in Rs.)	Status of the project- Completed/ Ongoing
1	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--
3	--	--	--	--	--	--	--

(c) (i) Whether any new CSR project has been undertaken in the financial year from the Unspent amount pertaining to preceding three financial years: NO

(ii) If yes, nature of the new CSR Project(s) is/are:

- Ongoing project(s) - NA
- Other than ongoing project(s) -NA
- Both (Ongoing and other than ongoing projects)- NA

(iii) Details of amount spent against new ongoing CSR project in the financial year:

Number of Ongoing Projects: NA

Sl. No.	Project ID	Financial year to which the new project pertains	Item from the list of activities in schedule VII	Name of the Project	Local Area (Yes/ No)	Location of the project		Project duration (in months)	Amount spent in the financial year (in Rs.)	Mode of Implemen-tation-Direct (Yes/ No)	Mode of Implementation-Through Implementing Agency	
						State	District				CSR Registration No.	Name
1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
								Total				

(iv) Details of amount spent against new other than ongoing projects in the financial year

Number of Other than Ongoing Projects: NA

S. No.	Financial year to which the new project pertain	Item from the list of activities in schedule VII	Name of the Project	Local Area (Yes/ No)	Location of the project		Amount spent in the financial year (in Rs.)	Mode of Implementation-Direct (Yes/ No)	Mode of Implementation-Through Implementing Agency	
					State	District			CSR Registration No.	Name
1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
						Total				

10. Whether any capital assets have been created or acquired through CSR spent in the financial year: **NO**

If yes, enter the number of Capital assets created/ acquired: **NA**

Sr. No.	Short particulars of the property or assets(s) [including complete address and location of the property]	Pin code of the property or asset(s)	Date of creation	Amount of CSR spent	Details of entity/ Authority/ beneficiary or registered owner		
					CSR Registration Number, if applicable	Name	Registered Address
	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
			Total				

Sd/-
(Pradeep Kumar Chand)
Chief Financial Officer (CFO)

Sd/-
(Sanjay Banga)
Chairman & Managing Director

Management's replies to the observations stipulated in the Audit Report on Annual Accounts for the financial year 2024-25 dated 06-08-2025 are given below:

S.No	BASIS FOR QUALIFICATIONS	MANAGEMENT REPLY
1	**PROPERTY PLANT & EQUIPMENT** a) Execution of title and lease deeds of land of certain units in favour of company continues to be pending and land details are subject to reconciliation in respect of lands held at Non- Operating Units. Further, the DDA had suo-moto transferred the land measuring 14.20 Acres to SDMC on 11.04.2017, the cost of which amounting to Rs. 321.29 lacs is shown as "Recoverable from outside parties". Moreover, the physical possession of land measuring 6.74 Acres, given to railways for constructing siding is not yet handed over to the company. Further, MCD vide letter dated 22.04.2024 has communicated handing over of 9 Acres of MCD land situated at Firozpur Kalan (Faridabad) to Company in lieu of 14.20 Acres of land, possession of which is still pending. Northern Railways vide letter dated 01.01.2024 directed the Delhi Division and construction organisation and has sought details in order to decide on the matter of CCI claim. (Refer Note 34.04 to the Financial Statements). Pending outcome of aforesaid matters, impact on the Financial Statements is presently not quantifiable. b) No accounting is made in respect of the amount recoverable on account of acquisition and use of government land outside CCI's Adilabad Township as road from pump house to national highway no. 7 measuring 32 Guntas , the alienation order of which is awaited. (Refer Note 34.06 to the Financial Statements). Impact of the same on the Financial Statements is not quantifiable.	a) The position has been adequately explained in the relevant point no. 04 in Note no. 34, which is forming part of the Annual Accounts. b) The position has been adequately explained in the relevant point no. 06 in Note no. 34, which is forming part of the Annual Accounts.

S.No	BASIS FOR QUALIFICATIONS	MANAGEMENT REPLY
	c) Physical verification report of Property, Plant & Equipment items held at Non -Operating Units Mandhar, Charkhi Dadri, Akaltara, Nayagaon & Nayagaon Expansion, Delhi Grinding unit, Kurkunta, Adilabad, Bhatinda Grinding Unit (Collectively referred to as **'Non- Operating Units'**) has not been conducted in current year & previous year having net written down value of Rs. 2777.37 lacs (including Rs. 1441.67 lacs in respect of Freehold & Leasehold Land) as of 31st March, 2025 and in the absence of same, we are not able to comment on the physical existence of such items as reflected in the Financial Statements and its impact on the Financial Statements. d) Amortization expense is not booked in the current year for Leasehold Land held at various Non – Operating Units having written down value of Rs. 324.82 lacs as of 31st March, 2025. Further during the current year, amortization expense of Rs. 76.50 lacs is reversed in respect of Adilabad Leasehold Land for the Financial Year 2022-23 and Financial Year 2023-24 on the ground that these assets are retired for active use and held for sale. Further amortization expense for the year amounting to Rs. 38.25 lacs is not provided in respect of this land. In our opinion, same is not accordance with provisions of Accounting Standard(AS)-10 "Property ,Plant & Equipment" , considering the fact that such lands are not held for sale/ disposal as of date. As a result, profit after tax for year and shareholders' fund as at 31st March 2025 are overstated to the tune of Rs. 114.75 lacs. In respect of other leasehold lands, impact of non-charging of amortization on the Financial Statements is not ascertainable.	c) All the Plant and Machinery, raw materials and stores and spares excluding limestone of all the non-operating units except Adilabad Unit have been sold through MSTC e-auction process. Physical Valuation have been undertaken as per the laid down procedure enumerated by Ministry in this regard viz, Internal CCI Committee valuation, Independent Government Valuer, and sealed cover valuation being submitted to Ministry directly. Only township, non-plant building and limestone is available in all the units. d) The position has been adequately explained in the relevant point no. 15 in Note no. 34, which is forming part of the Annual Accounts.
2	**CAPITAL WORK IN PROGRESS** Capital Work in progress amounting to Rs. 285.00 lacs is outstanding since long for capital scheme in Delhi Grinding Unit which is abandoned. In the absence of availability of information related to latest realisable value of such assets, we are unable to comment on whether any provision for impairment in the value is required in this regard.	The position has been adequately explained in the relevant point no. 10 in Note no. 34, which is forming part of the Annual Accounts.

S.No	BASIS FOR QUALIFICATIONS	MANAGEMENT REPLY
3	**INVENTORIES**	
	a) There is inventory of Rs. 2254.07 Lacs (net of provisions for diminution) in the Non-Operating Units which had been carried forward in the books from several past years. Considering the nature of inventory items involved and in the absence of physical verification report, there may be considerable depletion in value of this inventory, the effect of which on the Financial Statements is not presently quantifiable.	a) All the Plant and Machinery, raw materials and stores and spares excluding limestone of all the non-operating units except Adilabad Unit have been sold through MSTC e-auction process. Physical Valuation have been undertaken as per the laid down procedure enumerated by Ministry in this regard viz, Internal CCI Committee valuation, Independent Government Valuer, and sealed cover valuation being submitted to Ministry directly. Only township, non-plant building and limestone is available in all the units.
	b) No provision is made for stores and spares items which are not moved for more than three years amounting to Rs. 317.70 lacs held at Rajban Unit. In the absence of detailed review & analysis of such items, we are unable to comment whether any provision for diminution in value of such items is required to be made in the Financial Statements.	b) All the concerned items are usable and having value which is not diminished in terms of its usage.
	c) Semi - Finished Inventory of Clinker held at Rajban unit having value of Rs. 1747.50 lacs as of 31st March, 2025, is not properly tagged or labelled and major stock is lying scattered in an open ground which leads to damage/deterioration and as result, we are not able to comment on whether there is any decline in the value of said inventory as at 31st March, 2025.	c) Point is well noted and necessary action if any will be taken at unit level.
	d) In respect of Tandur Unit, Branch Auditor was unable to verify the existence and condition of some spare parts and stores as they were not adequately labelled or tagged. Some spare parts were also lying scattered in an open ground which leads to rusting & damage and as result, they are not able to comment on whether there is any impairment or obsolescence in the value of said inventory as at 31st March, 2025.	d) Point is well noted and necessary action if any will be taken at unit level

S.No	BASIS FOR QUALIFICATIONS	MANAGEMENT REPLY
4	**INVESTMENTS** Company is having investment of Rs. 227.96 lacs by way of equity shares of Andhra Pradesh Gas Power Corporation Limited. Financial Statements of investee company is not available with the Company for the period beyond 31st March, 2021. In the absence of availability of latest financial information/ financial statement, we are not able to comment on whether there is any impairment in the value of such investment as at 31st March, 2025.	As per para 17 of AS-13, "...Long-term investments are usually carried at cost. However, when there is a decline, other than temporary, in the value of a long-term investment, the carrying amount is reduced to recognize the decline..." APGPCL is going in the process of to be in effective operational and they are having have positive net assets value, surplus reserves and positive net worth as well. In view of the above, the said investment is recognized and carried at Cost. We shall be reviewing the same on every balance sheet date and will comply applicable paras of AS-13 accordingly.
5	TRADE RECEIVABLES, LOANS AND ADVANCES, TRADE PAYABLES, DEPOSITS AND OTHER LIABILTIES a) The balance of Trade Receivables, Loans and advances, Trade Payables, Deposits to and from parties and Other Liabilities are subject to confirmation and reconciliation. The financial impact, if any arising out of non-reconciliation/ confirmation of balances is not ascertainable. (Refer Note 34.42 to the Financial Statements) b) There are certain recoverable balances outstanding for Rs. 1060.15 lacs in Non-Operating Units, Rs. 124.10 lacs in Rajban Unit and Rs. 30.10 lacs in Corporate Office which are not recovered/ adjusted since long and there is no confirmation/ reconciliation of such outstanding balances. In the absence of same, we are not able to comment on the recoverability of such amounts. c) Provisions for interest payable up to 31st March 2025 on outstanding undisputed statutory dues other than Mining dues and Dead Rent is not made as per the provisions of applicable law. Quantum of provisions required in this regard on these undisputed dues is not ascertainable as relevant details are not available with the Company. Management is expecting waiver of interest from respective statutory authorities in this regard. Further property tax provision is not made for F.Y. 2024 - 25 in respect of Adilabad unit, wherein provision of Rs. 12.68 lacs was made for the F.Y. 2023-24 which in the opinion of management is not payable. In the absence of detailed information, impact of the same on the Financial Statements is not quantifiable.	a) The position has been adequately explained in the relevant point no. 42 in Note no. 34, which is forming part of the Annual Accounts. b) The position has been adequately explained in the relevant point no. 42 in Note no. 34, which is forming part of the Annual Accounts. c) The position has been adequately explained in the relevant point no. 02 in Significant Accounting Policies at Note no. 01, which is forming part of the Annual Accounts.

S.No	BASIS FOR QUALIFICATIONS	MANAGEMENT REPLY
	d) Branch Auditor of the Tandur unit has reported that there are certain amounts payables to Micro, Small and Medium enterprises within the meaning of MSME Development Act, 2006 beyond the due dates as prescribed in the said Act. However, the Unit is not calculating and providing for the interest in the books of account for the year ending 31st March, 2025, except for those parties who are under BIFR. Impact of the same on the Financial Statements is presently not quantifiable.	d) The position has been adequately explained in the relevant point no. 26 & 28 in Note no. 34, which is forming part of the Annual Accounts of Tandur Unit. Further these are on account of disputed dues and/or payments withheld in line with the terms and conditions provided in respective work orders and tender documents which are duly agreed upon by both the parties and hence these amounts are not due for payments pending resolution of disputes / issues as per provisions of MSMED Act
	e) In Tandur Unit, with regard to classification of the long-term trade payables of Rs. 333.23 lacs, Branch Auditor of the unit has not been provided with any justification as to why the same is classified as long term in the Financial Statements, along with the due date of payment for each party. In the absence of detailed information, impact of the same on the Financial Statements is not quantifiable.	e) The qualification will be taken care in the subsequent year at unit level.
	f) In respect of non-operating units, certain amounts recoverable from other parties shown as long-term receivables for Rs. 974.20 lacs in the Financial Statements for which we have not been provided any justification as to why the same is classified as long term in the Financial Statements, along with the due date of payment for each party. In the absence of detailed information, impact of the same on the Financial Statements is not quantifiable.	f) The qualification will be taken care in the subsequent year at NOUs level.
6	**INCOME TAX** a) Company has shown recoverable balance of Rs. 2309.68 lacs which include balance of Rs. 2029.94 lacs carried forward from earlier years in respect of MAT credit entitlement in the Financial Statements. In the opinion of the management same will be adjusted in future, however, in the absence of conclusive evidence that company will pay normal income tax and will be able to adjust such MAT credit during the time period specified in the Income Tax Act 1961, we are not able to comment whether recognition of such asset is in order.	a) The position has been adequately explained in the relevant point no. 16 in Note no. 34, which is forming part of the Annual Accounts.
	b) Company has made short provision of Income Tax payable as per provisions of Section 115 JB of the Income Tax Act, 1961 for Rs. 12.28 lacs and accordingly liability for provision for tax and amount recognized as asset as MAT credit entitlement in the financials is understated to that extent.	b) Final tax amount payable under Income Tax Act, 1961 shall be worked out on or before tax Audit due date u/s 44 AB Income Tax Act, 1961 and will be discharged accordingly and the impact of the same shall be accounted accordingly.

S.No	BASIS FOR QUALIFICATIONS	MANAGEMENT REPLY
	Further, company has not provided interest payable on shortfall in payment of Advance tax amounting to Rs. 5.39 lacs in the Financial Statements. As a result, profit after tax for the year and the shareholders' funds as at 31st March 2025 are overstated to the extent of Rs. 5.39 lacs.	
7	**SHARE CAPITAL** The company had issued 3554325 Non-cumulative Redeemable Preference Shares of Rs.1,000/- each for a value of Rs. 35543.25 lacs to Government of India on 22nd March, 2007 for 7 (seven) years. As per terms of issue, above preference shares were to be redeemed before 22nd March, 2014 and redemption of which is not done in consonance with the terms of the issue. Management has informed that further action for extension of re- issue of preference share has been sought from Ministry and response in this regard is yet to be received. (Refer Note 34.11 to the Financial Statements).	The position has been adequately explained in the relevant point no. 11 in Note no. 34, which is forming part of the Annual Accounts.
8	**CONTINGENT LIABILITIES** a) Contingent liability amount includes certain disputed cases of Rs. 1623.17 lacs which are decided against the company in Arbitration / Lower courts against which the Company has filed appeal with Higher Courts and against these cases, the Company has deposited sum of Rs. 1402.33 lacs in the higher courts/ with parties. In the opinion of management which is supported by legal view, company is expecting favorable decision in higher forum and accordingly, no provision is made against such disputed cases. Pending final outcome of such cases, impact of the same on the Financial Statements is presently not quantifiable. b) In the absence of adequate documentation, we are not able to verify the correctness of certain disputed cases amounting to Rs. 5119.71 lacs disclosed as contingent liability in the current and last financial year related to non-operating units	The position has been adequately explained in the relevant point no. 16 in Significant Accounting Policies at Note no. 01, and Note No. 32 as well which are forming part of the Annual Accounts.
9	**OTHERS** The effect of inconsistencies pointed out in the special audit report in relation to Yerraguntala unit sold in 1998, has not been considered due to pending reconciliation. Impact of the same on the Financial Statements is not quantifiable. (Refer Note 34.44 to the Financial Statements)	The position has been adequately explained in the relevant point no. 44 in Note no. 34, which is forming part of the Annual Accounts.

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

1. Economic Scenario

Significant risk is being posed around trade and fiscal policies in the global economy due to prevailing and emerging uncertainties. Thus the International Monetary Fund has projected a moderate global economic growth of 2.8% to 3%. The trade restrictions, tariffs and geopolitical tensions with Russia –Ukraine and Israel-Gaza war having entered 4th year could pose headwinds. To steer clear of these headwinds and foster sustainable growth nations are strengthening bilateral and multilateral cooperation.

Amidst this global scenario, India's GDP is expected to register annual growth of about 6.5% during FY 25-26 and India continues to be the fastest growing major economy of the world boosted by robust domestic demand, sustained private consumption and government's thrust on infrastructure and development. This was supported by record kharif crop production, favorable monsoons and falling crude oil prices as India imports about 85% of its crude oil requirement. Reserve Bank of India is likely to adopt supportive fiscal policies to restrict inflation within moderate 3.5%-4.0% band, and balance the need for growth with inflation control. India's economy has shown remarkable resilience and growth over the past decade which has been driven by a host of factors such as implementation of various policy reforms and sustained investment by the Government of India.

During FY 24-25, higher disposable income and urban demand recovery led to increased consumption. Overall India's economic outlook remains positive with strong domestic demand, manageable inflation and strategic policy measures. The cement industry saw impact of general election in 2024 during the first quarter of the year, which resulted in curtailed cement demand and the overall cement demand was subdued during first half of FY 24-25 but improved subsequently.

2. Outlook

The Economic Survey highlights the need for systemic deregulation to enhance India's long term growth prospects so as to achieve the goal of Viksit Bharat by 2047 when we complete 100 years of independence. This requires a sustained 8% annual growth rate for which government is trying to improve "Ease of Doing Business" and also supporting MSME sector through various schemes as it provides large scale employment. India's GDP is expected to register a modest increase of 6.5% during FY 25-26 due to robust domestic demand, rise in urban and private consumption, healthy agricultural production and improved infrastructure development. However trade tensions between various countries and various global geopolitical tensions pose possible risk to both global and Indian economic outlook.

3. Cement Industry

The Indian cement industry continues to be the second highest in the world and plays a pivotal role in driving nation's infrastructure push and construction development. Housing still accounts for about 65% of total cement consumption, while infrastructure and commercial account for about 25% and 10% respectively. The housing sector has been propelled by urbanisation and affordable housing schemes such as Pradhan Mantri Avas Yojana. The industry witnessed depressed prices during FY 24-25 due to a sustained drive of mergers and acquisitions by the two cement majors-UltraTech and Adani Cement. The Union Budget for FY 25-26 has allocated a record Rs 11.21 lac crore for infrastructure development. In order to expedite urban projects and drive urban development, key initiatives such as Rs one lac crore Urban Challenge Fund and Rs 15,000 crore SWAMIH Fund. Additionally Rs 1.5 lac crore 50 year interest free loan to states for capital investments is further expected to boost cement demand.

The Indian cement industry also added fresh capacity of nearly 30 million tonnes during FY 24-25 and annual cement demand reached about 435 million tonnes. The sector's ability to navigate through challenges and capitalise on opportunities remain critical to its continued success.

4. Go Green Initiative

Cement firms are expected to benefit from

structural cost reductions as they transition towards more sustainable practices such as renewable energy adoption, waste heat recovery systems and alternative fuel usages. CCI has also installed 1 MW solar power plants both at Rajban and Bokajan units towards its drive for clean energy and is also in the process of installing a 6 MW solar power project for its 1 million tonne annual capacity cement plant at Tandur. Waste heat recovery systems have also been installed both at Rajban and Bokajan units. A fly ash handling system was also commissioned at Tandur unit thereby increasing the clinker conversion factor and increasing the production of this eco-friendly Portland Pozzolona Cement.

5. Cement Sale

The year saw a substantial price war between cement majors particularly in South India, where CCI has the largest one million tonne annual cement production facility. Overall cement sale was 6.73 lac MT during FY 24-25 from 8.43 lacs during FY 23-24 and the bulk of sale loss came from Tandur unit where it was unprofitable to sell cement in many markets due to prevailing lower cement prices. Rajban unit almost retained its sale of last Financial Year while Bokajan unit suffered some drop in sale due to various extraneous factors outside our control such as the situation in Manipur which was an important market for Bokajan unit.

Taking a pro-active approach your company restarted the production of IRS T-40, a special grade cement for Concrete Sleeper Plants from its Tandur unit. This is a niche market and very few cement manufacturing facilities produces this grade of cement.

However going forward, it is expected that price situation in South India is going to improve as the pricing situation during FY 24-25 was unworkable for most of the cement industry. The prices are also likely to stabilise once the phase of mergers and acquisitions is completed and industry dynamics are redrawn. It is also pertinent to mention that South India has cement production overcapacity and average capacity utilisations are lower for the industry when compared with All India figures.

Cautionary Statement

Statements in this "Management Discussions & Analysis" describing Company's objectives, projections and estimates are forward looking statements and progressive within the meaning of applicable security laws and regulations. Actual results may vary from those expressed or implied depending upon economic conditions, Govt. policies and other factors.

CCI's dealer meet for Rishikesh, Roorkee & Haridwar was a great success! CMD, CCI Shri Sanjay Banga highlighted dealer's vital role in our growth:

CCI organized a Dealers Meet at Gulbarga, in which performers of FY 24-25 were also felicitated Director (Finance) CCI:

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

1. Company's philosophy on Code of Governance:

The philosophy of the Company in relation to Corporate Governance is that Cement Corporation of India Ltd (CCI) believes in financial prudence, customers' satisfaction, transparency, accountability and commitment to stakeholders. CCI practices based the guidelines that Government of India issues from time to time should go a long way to enhance the value for all stakeholders i.e. shareholders, customers, suppliers, creditors, Government of India, State Governments, Government Agencies/ Departments and the society at large.

2. Board of Directors:

i. Constitution of the Board:

Cement Corporation of India Limited is a Government company within the meaning of section 2(45) of the Companies Act, 2013. As per the Articles of Association of the company, the power to appoint directors rests with the President of India. The strength of the Board shall not be less than 3 Directors and not more than 12.

ii. Composition of Board:

As on 31st March 2025, the Board of CCI comprised of four (4) Directors out of which two are Functional Directors and two Part-time Official Directors, who are nominees of the Administrative Ministry.

The name and categories of Directors, their attendance in Board Meeting held during the year and at the last Annual General Meeting as well as the number of Directorship and Committee (Audit Committee) positions are given in Table 1.

Table 1: Categories of Directors and the Directorship and Committee positions held by them

Sl. No.	Name of Directors	Board Meeting held during the tenure of Directors	No. of Board Meeting Attended	Attendance in AGM (held on 25.10.2024)	No. of Directorship held as on 31.03.2025 (Including CCI)	No. of Committee Membership held in other companies as on 31.03.2025
Functional Directors:						
1.	Shri Sanjay Banga, C&MD*	8	8	Yes	1	NIL
2.	Shri Pradeep Kumar Chand, Director (Finance)	8	8	Yes	1	NIL
Government Nominee Directors:						
3.	Ms. Mukta Shekhar** (Upto 22.07.2024)	1	1	NA	9	NIL
4.	Dr. Renuka Mishra** (w.e.f. 22.07.2024)	7	7	NA	10	NIL
5.	Shri Joseph Atul T. Barla*** (Upto 26.09.2024)	4	1	Yes	3	NIL

6.	Shri Arun Kumar Sarkar*** (w.e.f. 30.09.2024)	4	4	Yes	2	NIL
Independent Directors:						
7.	Dr. Ravindra Shivshankar Arali**** (Upto 01.11.2024)	6	6	NA	1	3
8.	Dr. Manju Baghel (Upto 01.11.2024)	6	6	Yes	1	NIL

*Pursuant to Order No. 1(1)/2020-PE-XII/CPSE-III dated 21st February, 2024 of Ministry of Heavy Industries, Govt. of India, Shri Shivendra Nath, Chairman & Managing Director, Engineering Projects (India) Ltd (EPIL) was entrusted with the additional charge of the post of Chairman & Managing Director, Cement Corporation of India Limited (CCI) w.e.f. 07th June, 2024(A/N) during the period of absence of Shri Sanjay Banga, C&MD, CCI proceeding to undertake private foreign travel to USA.

Shri Sanjay Banga resumed the charge of Chairman & Managing Director, Cement Corporation of India Limited (CCI) w.e.f. 08.07.2024 (F/N), accordingly, Shri Shivendra Nath, Chairman & Managing Director, Engineering Projects (India) Ltd (EPIL) ceased to be Chairman & Managing Director, CCI with effect from 08.07.2024 (F/N).

**Dr. Renuka Mishra, Economic Adviser, Ministry of Heavy Industry was appointed as Part-time Official Director (Government Nominee) on the Board of CCI w.e.f. 22.07.2024 vice Ms. Mukta Shekhar, Joint Secretary, Ministry of Heavy Industry.

***Shri Arun Kumar Sarkar, Deputy Secretary, Ministry of Heavy Industry was appointed as Part-time Official Director (Government Nominee) on the Board of CCI w.e.f. 30.09.2024 vice Shri Joseph Atul T. Barla, Director, Ministry of Heavy Industry.

****Designated Partner at following LLPs:

- Health Point Multispeciality Hospital LLP, Sangli, Maharashtra
- Synergy Multi Speciality Hospital LLP, Sangli, Maharashtra
- Sangli Urban Co. Op Bank, Sangli

The company held Eight (8) Board Meetings i.e. on 15.05.2024, 29.07.2024, 13.08.2024, 21.08.2024, 30.09.2024, 25.10.2024, 31.12.2024 and 10.03.2025 during the financial year 2024-25.

iii. Scheduling and selection of agenda items for Board/Committee meetings:

- The meetings are convened by giving appropriate notice after obtaining the approval of the Chairman of the Board/ Committee. The C&MD/Directors decides the date and place of Board/ Committee meetings. Detailed a genda notes, management reports, and other explanatory statements are circulated in advance among the members to facilitate meaningful, informed and focused decisions during the meeting. When urgent issues need to be addressed, meetings are called at shorter notice or resolutions are passed by circulation in due compliance with applicable provisions whether enunciated in the Act or its Articles.
- Wherever it is not practical to attach any document to the agenda notes due to its confidential nature, or in special and exceptional circumstances, additional or supplemental items, such papers are placed on the table in the meeting.
- The agenda papers are circulated after obtaining the approval of the Functional Director/Chairman & Managing Director.
- Presentations are made in the Board/ Committees meetings on matters related to Finance, Operations, Human Resources, etc. to enable members to take informed decisions, as and when necessary.
- The members of the Board have complete access to all information of the Company. The Board is also free to recommend any issue that it may con-

sider important for inclusion in the agenda. Senior management officials are called to provide additional inputs to the items being discussed by the Board, as and when necessary.

iv. Recording of minutes of the Board/ Committee meetings:

Minutes of the proceedings of each Board/ Committee meeting are duly recorded in the Minutes Book. The minutes of each Board meeting are circulated among Board members in the next Board Meeting for their confirmation. The minutes of Sub-Committee of the Board are also placed before the Board for its information.

v. Follow-up mechanism:

An Action Taken Report on the important decisions of the Board/Committee members is presented as and when the ATR agenda received. This acts as an effective follow-up, review and report process.

vi. Compliance:

It is our endeavor to ensure that all applicable provisions of law, rules, and guidelines are adhered to while preparing the agenda notes. The Company ensures compliance of all the applicable provisions of the Companies Act and various other statutory requirements under different laws. The requisite information is regularly provided to the Board as detailed below:-

- Memorandum of Understanding (MOU), Award of large contracts.
- Minutes of the meetings of the Audit Committee and other Committees of the Board.
- Show cause, demand, prosecution notices, and penalty notices, if any, which are materially important.
- Fatal or serious accidents, dangerous occurrences.
- Major investments, formation of subsidiaries, joint ventures, and strategic Alliances.
- Disclosure of interest by Directors about directorships and committee positions occupied by them in other companies/ firms, etc.
- Other items in accordance with the law and DPE Guidelines.
- Quarterly Compliance certificate of statutory provisions.
- Other matters desired by the Board from time to time.

vii. Non-Executive Directors' compensation and disclosures:

The Company do not pay sitting fee to Government Nominee Directors. However, the Independent Directors are being paid sitting fees at the rate of Rs. 15,000/- (Rs. Fifteen thousand only) per Board meeting and Rs. 12,000/- (Rs. Twelve thousand only) for Committee meetings. Out of pocket expenses for attending the meeting of Board of Directors and Committees thereof are also re-imbursed to Independent Directors.

viii. Directorship and Membership in Committee of Board of Directors of other Companies held (As on 31.03.2025)

Sl. No.	Name of Directors	Category	Directorship in other companies / Disclosures (2024-25)
Functional Directors:			
1.	Shri Sanjay Banga, C&MD	Functional Director	NIL
2.	Shri Pradeep Kumar Chand, Director (Finance)	Functional Director	NIL

Government Nominee Directors			
3.	Dr. Renuka Mishra (w.e.f. 22.07.2024)	Govt. Nominee Director	1. HMT Machine Tools Limited 2. H.M.T. Limited 3. H.M.T (International) Limited 4. H.M.T Watches Limited 5. NEPA LTD 6. Rajasthan Electronics and Instruments Ltd 7. Bridge & Roof Co (India) Ltd 8. Engineering Projects (India) Limited 9. Scooters India Limited
4.	Shri Arun Kumar Sarkar	Govt. Nominee Director	1. Hindustan Cables Limited

ix. Training of Board Members

CCI takes initiatives to train its Board members about CCI's profile, business, etc. All the relevant issues and significant developments related to the working of CCI are imparted to Directors by the management of CCI from time to time.

x. Code of Conduct

The company is committed to conduct its business in accordance with the highest standards of business ethics and comply with all applicable laws, rules and regulations. It is confirmed that the Board Members and Sr. Management Personnel have affirmed compliance with Code of Conduct during the year 2024-25.

xi. Policies for Risk Assessment & Minimization

The risk management system is an integrated part and aligned with the corporate and operational objectives. Risk management is undertaken as part of normal business practice and not as a separate task at set time.

3. Audit Committee

The Audit Committee of the company was consisted of the following Directors:-

1) **Dr. Ravindra Shivshankar Arali, Independent Director as Chairman**
2) **Dr. Manju Baghel, Independent Director, as Member**
3) **Shri Arun Kumar Sarkar, Director (Govt. Nominee) as Member**

Both the Independent Directors ceased to be Directors on the Board of CCI w.e.f. 01.11.2024, accordingly, for want of Independent Directors the Audit Committee of the company could not be reconstituted.

The Audit Committee has the powers, role and terms of reference in accordance with the Companies Act, 2013 and the Guidelines on Corporate Governance as issued by Department of Public Enterprises.

During the year 2024-25, Seven Audit Committee Meetings were held on 10.05.2024, 28.06.2024, 26.07.2024, 09.08.2024, 20.08.2024, 27.09.2024 and 25.10.2024 and attended by following members:-

Name	No. of meetings held during the tenure of the Directors	Meetings attended
1. Dr. Ravindra Shivshankar Arali	7	7
2. Dr. Manju Baghel	7	7
3. Shri Arun Kumar Sarkar	1	1

4. Nomination & Remuneration Committee

Being a Government Company, Remuneration and allowances payable to Directors is determined by the Government and as per the terms and conditions of their appointment / contract. However, Department of Public Enterprises has directed that each CPSE shall constitute a Nomination & Remuneration Committee headed by a Part-time Non-official Director which will decide the Annual Bonus/Variable pay policy for its distribution across the Employees.

The Nomination & Remuneration Committee of the company was consisted of the following Directors:-

1) **Dr. Manju Baghel, Independent Director as Chairperson**
2) **Dr. Ravindra Shivshankar Arali, Independent Director, as Member**
3) **Shri Arun Kumar Sarkar, Director (Govt. Nominee) as Member**

Both the Independent Directors ceased to be Directors on the Board of CCI w.e.f. 01.11.2024, accordingly, for want of Independent Directors the Nomination & Remuneration Committee of the company could not be reconstituted.

During the year 2024-25, Four Remuneration Committee Meetings were held on 10.04.2024, 24.04.2024, 26.07.2024 and 16.10.2024 and attended by following members:-

Name	No. of meetings held during the tenure of the Directors	Meetings attended
1. Dr. Manju Baghel	4	4
2. Dr. Ravindra Shivshankar Arali	4	4
3. Shri Arun Kumar Sarkar	1	1

Detail of Remuneration paid to Directors/ KMP:

Details of remuneration paid to Directors/KMP of the Company for the year 2024-25 are given below:-

(Rs. In lakhs)

S. No	Name	Salary including DA & HRA	Other Benefits	Performance Incentive	Value of Perquisite	Medical Reimbursement	Contribution to PF & Other Funds	Total
1.	Shri Sanjay Banga, C&MD	34.08	6.97	0.00	9.47	0.77	4.09	55.37
2.	Shri Pradeep Kumar Chand, Director (Finance)	29.52	10.92	0.00	5.69	0.61	3.54	50.28
3.	Shri Ajay Kumar Sharma, Co. Secretary	21.08	4.31	0.00	0.00	0.37	2.53	28.30
	Total	**84.68**	**22.20**	**0.00**	**15.16**	**1.75**	**10.16**	**133.95**

5. Corporate Social Responsibility (CSR) Committee

As per the provisions of Section 135 of the Companies Act, 2013, the Company is required to have a Corporate Social Responsibility Committee. The Corporate Social Responsibility (CSR) Committee of the company consists of the following Directors:-

1) **Dr. Ravindra Shivshankar Arali, Independent Director as Chairman**
2) **Dr. Manju Baghel, Independent Director as Member**
3) **Shri Arun Kumar Sarkar, Director (Govt. Nominee) as Member**

Both the Independent Directors ceased to be Directors on the Board of CCI w.e.f. 01.11.2024, accordingly, for want of Independent Directors the Corporate Social Responsibility (CSR) Committee of the company could not be reconstituted.

During the year 2024-25, one Corporate Social Responsibility (CSR) Committee meeting was held on 16.10.2024 and attended by following members:-

Name	No. of meetings held during the tenure of the Directors	Meetings attended
1. Dr. Ravindra Shivshankar Arali	1	1
2. Dr. Manju Baghel	1	1
3. Shri Arun Kumar Sarkar	1	1

6. Stakeholders Relationship Committee

Cement Corporation of India Limited is an Unlisted Government Company and the entire share capital is held by Hon'ble President of India and his nominees. Hence, no such committee is required to be constituted.

7. Subsidiary Companies

The Company has no Subsidiary Company.

8. Annual General Meeting

Details of Annual General Meetings for the last three years are given hereunder:-

AGM	58th AGM	59th AGM	60th AGM
Date & Time	28th September, 2022 at 11:30 AM	29th September, 2023 at 11:00 AM	25th October, 2024 at 04:00 PM
Location	Scope Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003	Scope Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003	Scope Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003
Special Resolution(s) passed	Yes	No	Yes

9. Disclosures

I. **Related Party Transactions:**

The Company has not entered into any significant related party transactions with the Directors or their relatives (Disclosure made by directors individually pursuant to Section 188 of the Companies Act, 2013) having potential interest with the Company at large.

II. **Compliance of Laws:**

The Company has taken steps to comply with the guidelines on Corporate Governance issued by Department of Public Enterprises (DPE) in May 2010.

There are no personal expenses incurred for the Board of Directors except which are as per terms of appointment as contractual obligations.

III. Accounting Treatment:

The company followed the Accounting Standards as prescribed by the Institute of Chartered Accountants of India subject to the comments & observations as given by the Statutory Auditors in its Report for the Financial Statement prepared for the financial year ended as on 31st March, 2025.

IV. Presidential Directives:

The company has not received any Presidential directives during the financial year 2024-25. However, MHI has issued presidential directives on 01.09.2023 to implement pay revision notionally effective from 01.01.2017 and actually with effect from 01.04.2023. The said order (Presidential Directives) has been implemented.

10. Vigilance

CCI, being a PSU, the records of the Company are open to Audit by Comptroller and Auditor General of India and open to inspection by Vigilance. CCI has a Vigilance Department, headed by CVO.

11. Means of communication

Annual financial performance is posted on the Company's website. www.cciltd.in. The Company also hosts official news on significant corporate decisions and activities on the website of CCI from time to time.

12. Whistle Blower Policy:

The company has established a mechanism for employees to report concern about unethical behavior, actual or suspected fraud or violation of policy. The employees have direct access to the CMD & Chairperson, Audit Committee who are the Competent Authority under the Whistle Blower Policy of the company. The whistle Blower Policy is hosted on the official website of the Company www.cciltd.in

13. Compliance Certificate:

Certificate from M/s Amit Agrawal & Associates, Practicing Company Secretaries confirming the compliance subject to their remarks and observation thereon with the Conditions of Corporate Governance as stipulated under the guidelines issued by Department of Public Enterprises and Management's reply forms part of the Annual Report for the financial year 2024-25 which is **Annexed** herewith.

FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD

Sd/-
(Sanjay Banga)
Chairman & Managing Director
DIN: 09353339

Date : 09, October, 2025
Place: New Delhi

Amit Agrawal & Associates
Company Secretaries
Office : H-63, Vijay Chowk, Laxmi Nagar, Delhi-110092, INDIA
Ph. : +91-11-49423788, 43019279, Mob.: +91-9811272307
E-mail : amitagcs@gmail.com, amit2kas@yahoo.com

CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

To
The Members,
Cement Corporation of India Limited
CORE -5, Scope Complex 7
Lodhi Road New Delhi-110003 IN
CIN: U74899DL1965GOI004322

We have examined the compliance of the conditions of Corporate Governance by Cement Corporation Of India Limited, (herewith referred as 'the Company') for the year ended on **31st March, 2025** as stipulated in 'Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises, 2010' vide Notification No. 1 No. 18(8)/2005- GM originally issued on 22.06.2007 and revised guidelines vide office memorandum dated 14th May, 2010 by the Department of Public Enterprises, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises Government of India and annexure mentioned there under (herein referred as 'Guidelines').

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Company for ensuring the compliance of the conditions of corporate governance as stipulated in above mentioned guidelines. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statement of the company.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we hereby certify that the Company has complied with the conditions of corporate governance as stipulated in abovementioned DPE guidelines except as given below:

a. The Company has not proper composition of audit committee.

We further state that such compliance is neither an assurance to the future viability of the Company nor the efficiency of the effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the company.

Place : Delhi

Date : 25.08.2025

For Amit Agrawal & Associates
(Companies Secretaries)

AMIT AGRAWAL & ASSOCIATES Company Secretaries C.P. : 3647

CS Amit Agrawal
(Partner)
M. No. F5311, C.P. No. : 3647
UDIN: F005311G001078328

Management's Reply on the observation under Corporate Governance Certificate for the financial year 2024-25

The certificate on Corporate Governance for the Financial year 2024-25 has been received from M/s Amit Agrawal & Associates, Practising Company Secretaries, New Delhi wherein it was pointed out that "The Company has not proper composition of audit committee". In this regard, the management's reply is as under:

Both the Independent Directors i.e. Dr. Ravindra Shivshankar Arali and Dr. Manju Baghel ceased to be Non-official Independent Directors, CCI w.e.f. 01.11.2024. Accordingly, the Audit Committee and other Committees could not be reconstituted for want of Independent Directors. However, time to time request letters have been sent to Administrative Ministry for appointment of Independent Directors.

Amit Agrawal & Associates
Company Secretaries
Office : H-63, Vijay Chowk, Laxmi Nagar, Delhi-110092, INDIA
Ph. : +91-11-49423788, 43019279, Mob.: +91-9811272307
E-mail : amitagcs@gmail.com, amit2kas@yahoo.com

Form No. MR-3

SECRETARIAL AUDIT REPORT

FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31st MARCH, 2025

[Pursuant to section 204(1) of the Companies Act, 2013 and rule No.9 of the Companies (Appointment and Remuneration Personnel) Rules, 2014]

To,
The Members,
Cement Corporation of India Limited
CORE -5, Scope Complex 7
Lodhi Road New Delhi-110003 IN
CIN: U74899DL1965GOI004322

We report that:

We have conducted the Secretarial Audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by **Cement Corporation of India Limited** (hereinafter referred as 'the Company') having its registered office at Core -5, Scope Complex 7, Lodhi Road, New Delhi-110003. Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Company's Responsibilities

The Company's Management and Board of Directors are responsible for the maintenance of secretarial record under the Companies Act, 2013 and compliance of the provisions of Corporate and other applicable laws, rules, regulations, standards. Further the Company's management and the Board of Directors are also responsible for establishing and maintaining adequate systems and process, commensurate with the size and operations of the Company to identify, monitor and ensure compliances with the applicable laws, rules, regulations and guidelines.

Auditor's Responsibilities Statement

Our responsibility is only to examine and verify those compliances on a test basis and express an opinion on these secretarial records based on our audit.

We have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the Secretarial records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in secretarial records. We believe that the processes and practices, we followed provide a reasonable basis for our opinion.

AMIT AGRAWAL & ASSOCIATES * Company Secretaries * C.P. : 9647

We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and Books of Accounts of the Company. Wherever required, we have obtained the Management representation about the compliance of laws, rules and regulations and happening of events etc.

The Secretarial Audit report is neither an assurance as to the future viability of the Company nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

Limitations

Due to the inherent limitations of an audit including internal, financial and operating controls, there is an unavoidable risk that some misstatements or material non-compliances may not be detected, even though the audit is properly planned and performed in accordance with the Secretarial Auditing Standards as prescribed by Institute of Company Secretaries of India (ICSI).

Further, we conducted the secretarial audit by examining the secretarial records including minutes, documents, registers, other records and returns related to the applicable laws on the Company etc. received via electronic means. The management has confirmed that the records submitted to us are the true and correct. We have also relied upon representation given by the management of the Company for certain areas which otherwise requires physical verification.

Basis of Opinion

We have followed the audit practices, secretarial auditing standards and processes as were applicable and appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the Secretarial records. The verification in some cases was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in secretarial records. We believe that the processes and practices, we followed provide a reasonable basis for our opinion. We also believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Report on Secretarial Records and Compliances thereof

Based on our verification of the Company's books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Company and also the information provided by the Company, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, we hereby report that in our opinion, the Company has during the audit period covering the financial year ended on March 31, 2025 complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Company has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter.

We have examined the books, papers, minute books, forms, and returns filed and other records maintained by **M/s. Cement Corporation of India Limited** for the financial year ended on **31st March, 2025** according to the provisions of:

(i) The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made thereunder;

AMIT AGRAWAL & ASSOCIATES * Company Secretaries * C.P. : 3647

(ii) The Secretarial Standards issued by The Institute of Company Secretaries of India

(iii) Other laws applicable specifically to the Company namely:

a) The Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952
b) Payment of Gratuity Act, 1972
c) Payment of Minimum Wages Act, 1948
d) The Maternity Benefit Act, 1961
e) The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal Act), 2013
f) Payment of Bonus Act, 1965
g) Employees' State Insurance Act, 1948;
h) Indian Trust Act, 1882 created for PF purposes for its employees.
i) Environment (Protection) Act, 1986
j) Food Safety and Standard of India Act, 2011
k) The Factory Act, 1948
l) Compulsory Notification of Vacancy Act 1959
m) Payment of Wages Act
n) Workman`s and Compensation Act
o) The Gratuity Act
p) Equal Remuneration Act
q) Industrial Dispute Act
r) Employment of Children Act
s) Indian Stamp Act
t) The Limestone and Dolomite Mines Labour Welfare Fund Act, 1972

However, During the period under review, provisions of the following regulations were not applicable to the Company because of clause (I) no FDI and ECB has been taken by the Company since incorporation and for (II) & (III) clauses below the Company is unlisted Company. Hence, comments are not required to be made in respect of these clauses:

I. Foreign Exchange Management Act, 1999 and rules and regulation made there under to the extent Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings.

II. The Rules, Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act').

III. The Listing Agreement with any Stock Exchange.

During the period under review, the Company has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, standards etc. mentioned above except our observation as given below:

AMIT AGRAWAL & ASSOCIATES * Company Secretaries * C.P. 3647

a. The Company has not proper composition of audit committee. However, with the approval of the Board, various letters have been sent to MHI for appointment of Independent Directors.
The Board of Directors of the Company is duly constituted with proper balance of Non-Executive Directors and Women Director.

Adequate notice is given to all directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent at least seven days in advance, and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

Further, the Company has 4 charges which are shown on MCA Portal due to non-filing of form 17 (Form CHG-4 under Companies Act, 2013) with the Registrar of Companies, however the same were satisfied years ago as per One Time Settlement (OTS) with the respective Bank/ Financial Institutions.

Majority decision is carried through while the dissenting members' views are captured and recorded as part of the minutes.

We further report that there are adequate systems and processes in the company commensurate with the size and operations of the company to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

We further report that the compliance by the Company of applicable financial laws like direct and indirect tax laws and maintenance of financial records and books of accounts has not been reviewed in this Audit since the same have been subject to review by statutory financial audit by other designated professional.

We further report that during the audit period there were no specific events / corporate actions in pursuance of the above referred laws, rules, regulations, guidelines, standards, etc. having a major bearing on the Company`s affairs.

Place: Delhi
Date : 02.09.2025

For Amit Agrawal &Associates
(Company Secretaries)

Amit Agrawal
(Partner)
M. No. F5311, C.P. No. : 3647
UDIN: F005311G001143217

Independent Auditor's Report

To

The Members of
Cement Corporation of India Limited,

Report on the Audit of the Financial Statements

Qualified Opinion

We have audited the accompanying Financial Statements of CEMENT CORPORATION OF INDIA LIMITED ("the Company") which comprises the Balance Sheet as at 31st March, 2025, the Statement of Profit and Loss and the Cash Flow Statement for the year then ended and notes to the Financial Statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information (hereinafter referred to as "the Financial Statements"), in which are incorporated the Financial Statements for year ended on that date of four units (Tandur, YRO, Bokajan & Silchar Grinding Unit) audited by the Branch Auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, except for the effects / possible effects of the matters described in the Basis for Qualified Opinion paragraph, the aforesaid Financial Statements give the information required by the Companies Act, 2013 (the "Act") in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at 31st March 2025, its profit and its cash flows for the year ended on that date.

Basis for Qualified Opinion

1) PROPERTY PLANT & EQUIPMENT

a) Execution of title and lease deeds of land of certain units in favour of company continues to be pending and land details are subject to reconciliation in respect of lands held at Non- Operating Units.

Further, the DDA had suo moto transferred the land measuring 14.20 Acres to SDMC on 11.04.2017, the cost of which amounting to Rs. 321.29 lacs is shown as "Recoverable from outside parties". Moreover, the physical possession of land measuring 6.74 Acres, given to railways for constructing siding is not yet handed over to the company. Further, MCD vide letter dated 22.04.2024 has communicated handing over of 9 Acres of MCD land situated at Firozpur Kalan (Faridabad) to Company in lieu of 14.20 Acres of land, possession of which is still pending. Northern Railways vide letter dated 01.01.2024 directed the Delhi Division and construction organisation and has sought details in order to decide on the matter of CCI claim. (Refer Note 34.04 to the Financial Statements). Pending outcome of aforesaid matters, impact on the Financial Statements is presently not quantifiable.

b) No accounting is made in respect of the amount recoverable on account of acquisition and use of government land outside CCI's Adilabad Township as road from pump house to national highway no. 7 measuring 32 Guntas , the alienation order of which is awaited. (Refer Note 34.06 to the Financial Statements). Impact of the same on the Financial Statements is not quantifiable.

c) Physical verification report of Property, Plant & Equipment items held at Non -Operating Units Mandhar, Charkhi Dadri, Akaltara, Nayagaon & Nayagaon Expansion, Delhi Grinding unit, Kurkunta, Adilabad, Bhatinda Grinding Unit (Collectively referred to as 'Non- Operating Units') has not been conducted in current year & previous year having net written down value of Rs. 2777.37 lacs (including Rs. 1441.67 lacs in respect of Freehold & Leasehold Land) as of 31st March, 2025 and in the absence of same, we are not able to comment on the physical existence of such items as reflected in the Financial

Statements and its impact on the Financial Statements.

d) Amortization expense is not booked in the current year for Leasehold Land held at various Non – Operating Units having written down value of Rs. 324.82 lacs as of 31st March, 2025. Further during the current year, amortization expense of Rs. 76.50 lacs is reversed in respect of Adilabad Leasehold Land for the Financial Year 2022-23 and Financial Year 2023-24 on the ground that these assets are retired for active use and held for sale. Further amortization expense for the year amounting to Rs. 38.25 lacs is not provided in respect of this land. In our opinion, same is not accordance with provisions of Accounting Standard(AS)-10 "Property ,Plant & Equipment" , considering the fact that such lands are not held for sale/ disposal as of date. As a result, profit after tax for year and shareholders' fund as at 31st March 2025 are overstated to the tune of Rs. 114.75 lacs.

In respect of other leasehold lands, impact of non-charging of amortization on the Financial Statements is not ascertainable.

2) CAPITAL WORK IN PROGRESS

Capital Work in progress amounting to Rs. 285.00 lacs is outstanding since long for capital scheme in Delhi Grinding Unit which is abandoned. In the absence of availability of information related to latest realisable value of such assets, we are unable to comment on whether any provision for impairment in the value is required in this regard.

3) INVENTORIES

a) There is inventory of Rs. 2254.07 Lacs (net of provisions for diminution) in the Non-Operating Units which had been carried forward in the books from several past years. Considering the nature of inventory items involved and in the absence of physical verification report, there may be considerable depletion in value of this inventory, the effect of which on the Financial Statements is not presently quantifiable.

b) No provision is made for stores and spares items which are not moved for more than three years amounting to Rs. 317.70 lacs held at Rajban Unit. In the absence of detailed review & analysis of such items, we are unable to comment whether any provision for diminution in value of such items is required to be made in the Financial Statements.

c) Semi – Finished Inventory of Clinker held at Rajban unit having value of Rs. 1747.50 lacs as of 31st March, 2025, is not properly tagged or labelled and major stock is lying scattered in an open ground which leads to damage/deterioration and as result, we are not able to comment on whether there is any decline in the value of said inventory as at 31st March, 2025.

d) In respect of Tandur Unit, Branch Auditor was unable to verify the existence and condition of some spare parts and stores as they were not adequately labelled or tagged. Some spare parts were also lying scattered in an open ground which leads to rusting & damage and as result, they are not able to comment on whether there is any impairment or obsolescence in the value of said inventory as at 31st March, 2025.

4) INVESTMENTS

Company is having investment of Rs. 227.96 lacs by way of equity shares of Andhra Pradesh Gas Power Corporation Limited. Financial Statements of investee company is not available with the Company for the period beyond 31st March, 2021. In the absence of availability of latest financial information/ financial statement, we are not able to comment on whether there is any impairment in the value of such investment as at 31st March, 2025.

5) TRADE RECEIVABLES, LOANS AND ADVANCES, TRADE PAYABLES, DEPOSITS AND OTHER LIABILTIES

a) The balance of Trade Receivables, Loans and advances, Trade Payables, Deposits to and from parties and Other Liabilities are subject to confirmation and reconciliation. The financial impact, if any arising out of non-reconciliation/ confirmation of

balances is not ascertainable. (Refer Note 34.42 to the Financial Statements)

b) There are certain recoverable balances outstanding for Rs. 1060.15 lacs in Non-Operating Units, Rs. 124.10 lacs in Rajban Unit and Rs. 30.10 lacs in Corporate Office which are not recovered/ adjusted since long and there is no confirmation/ reconciliation of such outstanding balances. In the absence of same, we are not able to comment on the recoverability of such amounts.

c) Provisions for interest payable up to 31st March 2025 on outstanding undisputed statutory dues other than Mining dues and Dead Rent is not made as per the provisions of applicable law. Quantum of provisions required in this regard on these undisputed dues is not ascertainable as relevant details are not available with the Company. Management is expecting waiver of interest from respective statutory authorities in this regard. Further property tax provision is not made for F.Y. 2024 - 25 in respect of Adilabad unit, wherein provision of Rs. 12.68 lacs was made for the F.Y. 2023-24 which in the opinion of management is not payable. In the absence of detailed information, impact of the same on the Financial Statements is not quantifiable.

d) Branch Auditor of the Tandur unit has reported that there are certain amounts payables to Micro, Small and Medium enterprises within the meaning of MSME Development Act, 2006 beyond the due dates as prescribed in the said Act. However, the Unit is not calculating and providing for the interest in the books of account for the year ending 31st March, 2025, except for those parties who are under BIFR. Impact of the same on the Financial Statements is presently not quantifiable.

e) In Tandur Unit, with regard to classification of the long-term trade payables of Rs. 333.23 lacs, Branch Auditor of the unit has not been provided with any justification as to why the same is classified as long term in the Financial Statements, along with the due date of payment for each party. In the absence of detailed information, impact of the same on the Financial Statements is not quantifiable.

f) In respect of Non-Operating units, certain amounts recoverable from other parties shown as long-term receivables for Rs. 974.20 lacs in the Financial Statements for which we have not been provided any justification as to why the same is classified as long term in the Financial Statements, along with the due date of payment for each party. In the absence of detailed information, impact of the same on the Financial Statements is not quantifiable.

6) INCOME TAX

a) Company has shown recoverable balance of Rs. 2309.68 lacs which include balance of Rs. 2029.94 lacs carried forward from earlier years in respect of MAT credit entitlement in the Financial Statements. In the opinion of the management same will be adjusted in future, however, in the absence of conclusive evidence that company will pay normal income tax and will be able to adjust such MAT credit during the time period specified in the Income Tax Act 1961, we are not able to comment whether recognition of such asset is in order.

b) Company has made short provision of Income Tax payable as per provisions of Section 115 JB of the Income Tax Act, 1961 for Rs. 12.28 lacs and accordingly liability for provision for tax and amount recognized as asset as MAT credit entitlement in the financials is understated to that extent.

Further, company has not provided interest payable on shortfall in payment of Advance tax amounting to Rs. 5.39 lacs in the Financial Statements. As a result, profit after tax for the year and the shareholders' funds as at 31st March 2025 are overstated to the extent of Rs. 5.39 lacs.

7) SHARE CAPITAL

The company had issued 3554325 Non-cumulative Redeemable Preference Shares of Rs.1,000/- each for a value of Rs. 35543.25 lacs to Government of India on 22nd March, 2007 for 7 (seven) years. As per terms of issue,

above preference shares were to be redeemed before 22nd March, 2014 and redemption of which is not done in consonance with the terms of the issue. Management has informed that further action for extension of re- issue of preference share has been sought from Ministry and response in this regard is yet to be received. (Refer Note 34.11 to the Financial Statements)

8) CONTINGENT LIABILITIES

a) Contingent liability amount includes certain disputed cases of Rs. 1623.17 lacs which are decided against the company in Arbitration / Lower courts against which the Company has filed appeal with Higher Courts and against these cases, the Company has deposited sum of Rs. 1402.33 lacs in the higher courts/ with parties. In the opinion of management which is supported by legal view, company is expecting favorable decision in higher forum and accordingly, no provision is made against such disputed cases. Pending final outcome of such cases, impact of the same on the Financial Statements is presently not quantifiable.

b) In the absence of adequate documentation, we are not able to verify the correctness of certain disputed cases amounting to Rs. 5119.71 lacs disclosed as contingent liability in the current and last financial year related to non-operating units.

9) OTHERS

The effect of inconsistencies pointed out in the special audit report in relation to Yerraguntala unit sold in 1998, has not been considered due to pending reconciliation. Impact of the same on the Financial Statements is not quantifiable. (Refer Note 34.44 to the Financial Statements)

In respect of points mentioned in the basis for qualified opinion other than for points stated in 1 (d) impact of which is partly quantifiable and point no 6 (b) above, impact of the other points on the Financial Statements cannot be quantified.

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under section 143(10) of the Act. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the company in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the Financial Statements under the provisions of the Act and the Rules thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our qualified opinion.

Emphasis of Matters

We draw attention to following notes in the Financial Statements:

a) The Company was declared sick vide Hon'ble BIFR letter No. 501/96-BENCH IV SOL dated 08.08.1996. Hon'ble BIFR, in its hearing held on 21.03.2006 has approved the Rehabilitation Scheme prepared by M/s. IFCI (OA) and approved by Govt. of India. The Sanctioned Scheme was circulated by Hon'ble BIFR on 03.05.2006 which inter alia envisaged settlement of secured and unsecured creditors and expansion/technological up-gradation of 3 operating plants and closure / sale of remaining 7 non-operating plants. As per sanctioned scheme closure has been made at 7 units. MHI vide letter dated 09.02.2022 directed to sale plant and machinery, stores etc. of these non- operating units. Accordingly, Plant and machinery along with other assets of Akaltara, Chakri Dadri, Kurkunta and Mandhar units was sold through M/s MSTC. (Refer Note - 34.08 to the Financial Statements)

b) The company has seven production units, where operations were discontinued between the years 1996 to 1999 and a grinding unit at Bhatinda (Punjab) which was not commissioned. As per view of the Management, no provision for impairment of assets, under Accounting Standard -28 notified under the Act is required as recoverable value expected is more than the book value of the Assets. (Refer Note - 34.10 to the Financial Statements).

c) As per the guidelines, 3rd Pay Revision for IDA employees has been issued by

DPE on 29.05.2017. As per practice, the recommendation from 'Board of Directors' was sent to MHI for approval. The necessary approval from DHI was received and the same has been implemented. As per Presidential directives, Ministry has approved 3rd Pay revision for IDA employees w.e.f. April 01, 2023 without having arrears payable for earlier period. The provision for same in the books of accounts was reviewed during the year and based on the management's best assessment, said provision amounting to Rs. 1,986 lakhs is written back in the current financial year and disclosed as Contingent Liability in Note No.32 considering the ongoing proceedings in the case being pursued by Employee Union in Hon'ble Delhi High Court. (Refer note 34.21 to the Financial Statements)

d) In case of Kurkunta unit, a security deposit amount of Rs. 530 lakhs pertains to PSN Medicare Private Limited (Bidder) is forfeited and disclosed as income in the books of accounts during F.Y. 2024-25, for non-fulfilment of the obligations as per relevant clauses of the tenders terms and conditions in this regard. Arbitration clause has already been invoked in this case by the Bidder and the same is pending disposal as of date. Company is expecting favourable decision in this regard considering terms and conditions as stipulated in tender document (Refer Note 34.22 to the Financial Statements).

e) During the year, company has written back various liabilities of past year amounting to Rs. 2817.30 lacs in the Financial Statements on the ground that such amounts are not payable for which necessary approval for write back of such liability is obtained. (Refer Note 34.23 to the Financials Statements).

Our opinion is not modified in respect of the matters mentioned above.

Information other than the Financial Statements and Auditor's Report thereon

The Company's Board of Directors is responsible for the preparation of the other information. The other information comprises the information included in the Board's Report including Annexures to Board's Report but does not include the Financial Statements and our auditor's report thereon, which are expected to be made available to us after the date of our auditor's report.

Our opinion on the Financial Statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the Financial Statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the Financial Statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the other information, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate action thereon.

Responsibility of Management and those charged with governance for the Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in Section 134(5) of the Act with respect to the preparation of these Financial Statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 as amended. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate of accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the Financial Statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the Financial Statements, the Board of Directors are responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The Board of Directors are also responsible for overseeing the company's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the Financial Statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these Financial Statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the Financial Statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Act, we are also responsible for expressing our opinion on whether the Company has adequate Internal Financial Controls with reference to Financial Statements in place and the operating effectiveness of such controls.

- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.

- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the Financial Statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the Financial Statements, including the disclosures, and whether the Financial Statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

  Materiality is the magnitude of misstatements in the Financial Statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the Financial Statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the Financial Statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Other Matters

1. We did not audit the Financial Statements of 4 (four) units included in the Financial Statements of the company whose Financial Statements/ Financial Information include total assets of Rs. 33527.91 lacs as at 31st March, 2025 and total income of Rs. 29412.12 lacs for the year ended on that date. These financial statements have been audited by the Branch Auditors whose reports have been furnished to us, and our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these units is based solely on the report of such Branch Auditors.

2. The Financial Statements of the Company for the year ended 31st March, 2024 were audited by predecessor auditor of the company, where they had expressed, qualified opinion vide their report dated 21st August, 2024 on such Financial Statements.

Our opinion is not modified in respect of above matters.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2020 ("the Order"), issued by the Government of India in terms of sub-section (11) of section 143 of the Act, and on the basis of such checks of the books and records of the Company as we considered appropriate and according to the information and explanation given to us, we give in the **"Annexure A"**, a statement on the matters specified in the paragraphs 3 and 4 of the said Order to the extent applicable.

2. We are enclosing our report in terms of Section 143(5) of the Act, on the basis of such checks of the books and records of the Company as we considered appropriate and according to the information and explanation given to us, in the **"Annexure B"** on the directions issued by the Comptroller and Auditor General of India.

3. As required by Section 143 (3) of the Act, we report to the extent applicable that:

   a) We have sought and, except for the effects/possible effects of the matters described in Basis for Qualified Opinion paragraph, obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.

   b) In our opinion, except for the effects/ possible effects of the matters described in Basis for Qualified Opinion paragraph and for the matters stated in paragraph (vi) below on reporting under Rule 11(g) of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books and reports of Branch Auditors.

   c) The matters described in the Basis for Qualified Opinion paragraph above, in our opinion may have an adverse effect on the functioning of the Company.

   d) The reports on the accounts of units of the Company audited under Section 143(8) of the Act by the Branch Auditors have been furnished to us and have been properly dealt with by us in preparing this report.

   e) Except for the effects/possible effects of the matters described in Basis for Qualified Opinion paragraph, the Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss, and the Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the books of accounts.

   f) Except for the effects/possible effects of the matters described in the Basis for Qualified Opinion paragraph, in our opinion, the aforesaid Financial Statements comply with the Accounting Standards prescribed under section 133 of the Act.

   g) Being a Government Company, pursuant to the Notification No. GSR 463(E) dated 5th June, 2015 issued by Ministry of Corporate Affairs, Government of India, provisions of sub-section (2) of Section

164 of the Act are not applicable to the Company.

h) The qualification relating to maintenance of accounts and other matters connected therewith are as stated in the Basis for Qualified Opinion paragraph and as stated in paragraph (b) above on reporting under 143(3) of the Act & paragraph (vi) below on reporting under Rule 11(g) of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014.

i) With respect to the adequacy of the internal financial controls with reference to Financial Statements and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in "Annexure C". Our report expresses a modified opinion on the adequacy and operating effectiveness of the Company's internal financial controls with reference to Financial Statements.

j) Pursuant to Gazette Notification no. 463(E) dated 5th June, 2015 issued by Ministry of Corporate Affairs, Government of India, provisions of section 197 of the Act, are not applicable to the Company, being a Government Company and accordingly, reporting in accordance with requirements of provisions of Section 197(16) of the Act is not applicable to the Company.

k) With respect to other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:

i. Except for effects/possible effects of the matters described in the Basis for Qualified Opinion under the paragraph related to contingent liabilities, the Company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its Financial Statements–Refer Note No 32 to the Financial Statements.

ii. The Company did not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses.

iii. There is no amount which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company in accordance with the relevant provisions of the Act and Rules made thereunder.

iv. a) The management has represented that, to the best of it's knowledge and belief, no funds have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the company to or in any other person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, whether, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the company ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries;

b) The management has represented that, to the best of it's knowledge and belief, no funds have been received by the company from any person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Funding Parties"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the company shall, whether, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries; and

c) Based on such audit procedures which we considered reasonable and appropriate in the circumstances, nothing has come to our notice that has caused us to believe that the representations under sub-clause (iv)(a) and (iv)(b) above contain any material mis-statement.

v. The company has not paid or declared any dividend during the year.

vi. Based on our examination, which included test checks, the Company has used accounting software for

maintaining its books of account for the financial year ended March 31, 2025 which has a feature of recording audit trail (edit log) facility and the same has operated throughout the year for all relevant transactions recorded in the software except that:

A) For the Corporate office and Non – Operating units, where the SAP system was made operational on 22nd February, 2025 and 19th February, 2025 respectively, wherein the bulk data is posted into SAP system for transactions up to the date of migration for which the evidence of existence of audit trail is not made available.

B) Further, the feature of recording audit trail (edit log) facility was not available at the database level to log any direct data changes for the accounting software used for maintaining the books of account of the company.

During the course of our audit, we did not come across any instances of the audit trail feature being tampered with. Additionally, the audit trail has been preserved by the Company as per the statutory requirements for record retention.

For S.K. Mehta & Co.
Chartered Accountants
FRN: 000478N

Sd/-
Rohit Mehta
Partner
M. No.091382
UDIN: 25091382BMIXDS5781
Place of Signature: New Delhi
Dated: 06th August, 2025

Annexure 'A'
Annexure to the Independent Auditors' Report

[Referred to in paragraph 1 under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' of our Report of even date to the Members of CEMENT CORPORATION OF INDIA LTD on the Financial Statements for the year ended 31st March, 2025]

i)

a) In respect of its Property, Plant, Equipment and Intangible Assets:

A. The Company has maintained proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of the property, plant & equipment other than for the Non-Operating Units (Adilabad, Akaltara, Charkhi Dadri, Kurkunta, Mandhar, Nayagaon and Nayagaon expansion, Delhi grinding Unit & Bhatinda Grinding Unit).

B. According to the information and explanation given to us the Company is maintaining proper records showing full particulars of intangible assets.

b) As explained to us, Property, Plant & Equipment have been physically verified by the management during the year in accordance with the phased manner program of verification adopted by the management which provides for physical verification of all the property plant & equipment at reasonable intervals for units located in Bokajan, Silchar, Rajban and Tandur which in our opinion is reasonable considering the size of units and nature of its assets. No physical verification of property, plant & equipment has been conducted in respect of Non- Operating Units (Adilabad, Akaltara, Charkhi Dadri, Kurkunta, Mandhar, Nayagaon and Nayagaon expansion, Delhi Grinding unit and Bhatinda Grinding unit).

In our opinion and as per the information given by the Management, the discrepancies observed during physical verification were not material and have been appropriately accounted for in the books.

c) Title deeds of immovable properties are held in name of the Company except forNon-Operating Units where proper details relating to immovable properties held is not made available and in the absence of same, we are not unable to comment on whether these units are having proper title deeds in its name in case of freehold land and having valid lease deeds in respect of leasehold lands. Details of other cases where Title deeds of land and other properties of the Company are yet to be executed is given as under (Refer note 34.31 to the Financial Statements)

Sr. No.	Description of Property	Gross Carrying Value (Rs. in Lacs)	Held in name of	Whether Promoter, Director or their relative or employee	Period held – indicate Range where appropriate	Reason for not being held in the name of company
1.	Land at Bhatinda	5.57	PSEB (Gurunanak dev Thermal Power Station Bhatinda)	No	Since 1995	Deemed Ownership with CCI
2.	Head Office Building	266.58	Standing Conference of Public Enterprise	No	Since 1988	Deemed ownership with CCI

Further in respect of Tandur Unit, Branch Auditor of unit has reported that title deeds of Land and Building is not available in respect of 628 Acres and 31 Gunta.

d) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the company, the Company has not revalued its property, plant & equipment or intangible assets or both during the year. Accordingly, reporting under the provisions of clause 3(i)(d) of the Order is not applicable.

e) According to information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, there are no proceedings initiated or pending against the Company for holding any benami property under the Prohibition of Benami Property Transactions Act, 1988 (as amended in 2016) and rules made thereunder.

ii) In respect of inventory:

(a) As explained to us, the inventories were physically verified at the end of the year by the management for units located in Bokajan, Rajban and Tandur except that physical verification records of inventory of stores and spares held at Rajban and Tandur units is not made available. Further, no physical verification of Inventories lying in Non–Operating Units (Adilabad, Akaltara, Kurkunta, Mandhar, Nayagaon and Nayagaon expansion) is conducted during the year.

In our opinion, the frequency of such physical verification of inventories is reasonable having regard to the size of the units and the nature of its business and the coverage and procedures of such verification by the management is appropriate except where inventories are not physically verified and also where physical verification records are not available . As per information and explanation given to us, no discrepancies were noticed on verification between the physical stocks and the book records that were more than 10% in the aggregate of each class of inventory.

(b) According to information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, the Company doesn't have sanctioned working capital limits in excess of five crore rupees, in aggregate, from banks or financial institutions on the basis of security of current assets. Accordingly, reporting under the provisions of clause 3 (ii) (b) of the Order is not applicable.

iii) According to information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, during the year, the Company has not made investments in, provided any guarantee or security or granted any loans or advances in the nature of loans, secured or unsecured, to companies, firms, Limited Liability Partnerships or any other parties. Accordingly, reporting under the provisions of clause 3(iii)(a) to (f) of the Order is not applicable.

iv) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has complied with the provisions of Section 185 and 186 of the Act as applicable, in respect of investments made. Company has not granted any loans, or provided any guarantee and security to the parties covered under section 185 and 186 of the Act.

v) The Company has not accepted deposits or amounts which are deemed to be deposits. As such, directives issued by Reserve Bank of India and provisions of Section 73 to 76 of the Act or any other relevant provisions of the Act and rules framed thereunder are not applicable to the company.

vi) We have broadly reviewed the cost records maintained by the Company pursuant to the Rules made by the Central Government under Section 148(1) of the Companies Act, 2013, wherever applicable and we are of the opinion that prima facie the prescribed cost records have been made and maintained where applicable. We have, however, not made a detailed examination of these records with a view to determining whether they are accurate or complete.

vii) In respect of statutory dues:

(a) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, the Company is regular in depositing undisputed statutory dues including Goods and Services Tax, provident fund, employees state insurance (ESI), income-tax, sales-tax, service tax, duty of customs, duty of excise, value added tax, cess and any other statutory dues as applicable, to

the appropriate authorities except for cases stated below.

In our opinion and according to the information and explanations given to us, no undisputed statutory dues is outstanding as at 31st March 2025 for a period of more than six months from the date they became payable except as given herein below:

Name of the Statute*	Nature of dues	Amount (Rs. in Lacs)	Period to which the amount relates*	Due Date*	Date of payment*	Remarks if Any*
Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (MMDR Act)	Dead Rent	37.10				
Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (MMDR Act)	Royalty	639.57				
Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (MMDR Act)	Surcharge and Additional Tax	4.18				
	Road Tax	4.92				
	Professional Tax	3.03				
Chhattisgarh Entry Tax, 1976	Entry Tax	12.08				
	Entry Tax	1.69				
Chhattisgarh Value Added Sales Tax Act,	Sales Tax	1,279.45				
Haryana General Sales Tax Act,	Sales Tax	283.54				
Himachal Pradesh General Sales Tax Act	Sales Tax	0.66				
Madhya Pradesh General Sales Tax Act,	Sales Tax	2.04				
	Cess	16.79				
Total		**2285.05**				

*In the absence of required information/proper records available with the Company, details required as per requirements of Guidance Note on Companies Auditors Report Order (CARO) 2020 issued by the ICAI is not provided under this clause.

b) According to the information and explanations given to us, there are disputed statutory dues which have not been deposited till 31st March 2025 as given herein below:

Name of the Statute#	Nature of dues	Gross Disputed Amount (Rs. in lacs)	Amount deposited under protest/ Appeal (Rs. in lacs)	Period to which amount relates (Year) #	Forum where dispute is pending #	Remarks If any #
Central Excise & Customs Act	Excise Duty	184.24		2009	Court of Respective States	
Central Excise & Customs Act	Excise Duty	100.76	-			
Central Excise & Customs Act	Service Tax	33.75		2016	Appellate Tribunal	
Commercial Tax Dept. Telangana	Sales Tax	8.98	-		High Court, Telangana	
Chhattisgarh Value Added Sales Tax Act,	Sales Tax	184.72	-			
Commercial Tax Department – Telangana	Sales Tax	120.33		1985-86	High Court, Telangana	
Himachal Pradesh General Sales Tax Act	Sales Tax	13.21	-			
Income Tax Act, 1961	Income Tax	84.56	84.56	AY- 2006-07	Assessing Officer	
Income Tax Act, 1961	Income Tax	73.55	73.55	AY- 2018-19	CIT (A)	
Income Tax Act, 1961	Income Tax	20.87			Assessing Officer	TDS Demand of various years
Income Tax Act, 1961	Income Tax	0.76			Commissioner of Income Tax	
Finance Act, 1994	Service Tax	2.29	-			
GST Act, 2017	GST	62.52		2024	Office of Assistant Commissioner	
GST Act, 2017	GST	6.36	-			
Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (MMDR Act)	Royalty	56.87	-			
	NALA Tax	51.13	-			
	Panchayat Tax	6.02	-			
	Property Tax	290.04	-			
The Payment of Gratuity Act, 1972	Gratuity	220.70	-			
Assam Sales Tax (Amendments) Act ,1961	Sales Tax	174.24				
Grand Total		**1695.90**	**158.11**			

In the absence of required information/ proper records maintained by the Company, details as required as per Guidance Note on Companies Auditors Report Order (CARO) 2020 issued by the ICAI is provided to the extent made available.

Further, in respect of Bokajan unit, Branch Auditor has reported that they are not able to ascertain the exact amount of disputed liability due to non-availability of various assessment orders from different department.

viii) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, the Company has not surrendered or disclosed any transactions, previously unrecorded as income in the books of account, in the tax assessments under the Income Tax Act, 1961 as income during the year. Accordingly, reporting under the provisions of clause 3(viii) of the Order is not applicable.

ix)

(a) According to the information and explanation given to us the company has defaulted in the repayment of principle amount of loans and interest thereon in respect of dues as per details given below -

Nature of Borrowing, including Debt Securities	Name of Lender	Amount not paid on due date (Rs. in Lacs)	Whether Principal or Interest	No. of Days Delay or Unpaid	Remarks
Interest Free Loan	Govt. of India	15,090.07	Principal	From the year 2011 i.e. 5113 Days	Not paid
Non Plan Loan	Govt. of India	12,385.27	Interest	From the year 2011 i.e. 5113 Days	Not paid
Total		**27,475.34**			

(b) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, the Company has not been declared wilful defaulter by any bank or financial institution or other lender.

(c) The company has not taken any term loan during the year and accordingly, reporting requirements under the provisions of clause 3(ix)(c) of the Order is not applicable.

(d) According to the information and explanations given to us and on an overall examination of the records of the Company, no short-term funds were raised during the year.Accordingly , reporting requirements under the provisions of clause 3(ix) (d) of the Order is not applicable.

(e) The company is not having any subsidiary or associate or joint venture. Accordingly, reporting requirements under the provisions of clause 3(ix) (e) of the Order is not applicable.

(f) The company is not having any subsidiary or associate or joint venture. Accordingly, reporting requirements under the provisions of clause 3(ix) (f) of the Order is not applicable.

x)

(a) The Company has not raised money by way of initial public offer or further public offer (including debt instruments) during the year and hence reporting under clause 3(x)(a) of the Order is not applicable.

(b) During the year, the company has not made any preferential allotment or private placement of the shares or convertible debentures (fully, partially or optionally). Accordingly, reporting under clause 3(x)(b) of the order is not applicable.

xi)

(a) In our opinion and according to the information and explanations given to us and based on our examination of books and records of the Company, no case of material fraud by the Company or on the Company has been noticed or reported during the year.

(b) No report under sub-section (12) of section 143 of the Act has been filed by us in Form ADT-4 as prescribed under rule 13 of Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 with the

Central Government, during the year and up to date of audit report.

(c) As represented to us by the management, there were no whistle blower complaints received by the company during the year. Accordingly, reporting under the provisions of clause 3(xi)(c) of the Order is not applicable.

xii) In our opinion and according to the information and explanations are given to us, the company is not a Nidhi company. Accordingly, reporting under the provisions of clause (xii) of the Order is not applicable.

xiii) According to the information and explanations given to us, all transactions with the related parties are in compliance with sections 177 and 188 of the Act, wherever applicable and their details have been disclosed in Financial Statement as required under Accounting Standards (AS).

xiv)

(a) Based on information and explanations provided to us and our audit procedures performed, in our opinion, the Company has an internal audit system commensurate with the size and nature of its business.

(b) We have considered the internal audit reports of the Company issued till date for the year under audit in determining the nature, timing and extent of our audit procedures.

xv) The Company has not entered into any non-cash transactions with its directors or persons connected with them. Accordingly, reporting under the provisions of clause 3(xv) of the Order is not applicable.

xvi)

(a) The Company is not required to be register under section 45-IA of the Reserve Bank of India Act 1934. Accordingly, reporting under the provisions of clause 3(xvi) (a) of the order is not applicable.

(b) The Company has not conducted any Non-Banking Financial or Housing Finance Activities without a valid certificate of Registration from the Reserve Bank of India as per the Reserve Bank of India Act, 1934. Accordingly, reporting under the provisions of clause 3(xvi) (b) of the Order is not applicable.

(c) The Company is not a Core Investment Company (CIC) as defined in the regulations made by the Reserve Bank of India. Accordingly, reporting under the provisions of clause 3(xvi)(c) of the Order is not applicable.

(d) In our opinion, there is no core investment company within the Group (as defined in Core Investment Companies (Reserve Bank) Directions, 2016). Accordingly, reporting under the provisions of clause 3(xvi)(d) of the Order is not applicable.

xvii) Based on our examination of the books and records of the Company, the Company has not incurred cash losses in the financial year and in the immediately preceding financial year. Accordingly, reporting under the provisions of clause 3(xvii) of the Order is not applicable.

xviii) There has been no resignation of the statutory auditors during the year. Accordingly, reporting under the provisions of clause 3(xviii) of the Order is not applicable.

xix) On the basis of the financial ratios, ageing and expected dates of realization of financial assets and payment of financial liabilities, other information accompanying the Financial Statements and our knowledge of the board of directors and management plans and based on our examination of the evidence supporting the assumptions, nothing has come to our attention, which causes us to believe that any material uncertainty exists as on the date of the audit report indicating that the company is not capable of meeting its liabilities existing at the date of balance sheet as and when they fall due within a period of one year from the balance sheet date.

We however state that this is not an assurance as to the future viability of the company. We further state that our reporting is based on the facts up to the date of audit report and we neither give any guarantee nor any assurance that all liabilities falling due within a period of

one year from the balance sheet date, will get discharged by the company as and when they fall due.

xx) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the company has incurred expenditure under Corporate Social Responsibility as required by the provisions of Section 135 of the Act and there are no unspent amounts which are to be transferred pursuant to section 135(5) and 135(6) of the Act.

For S.K. Mehta & Co.
Chartered Accountants
FRN: 000478N

Sd/-
Rohit Mehta
Partner
M. No.091382
UDIN: 25091382BMIXDS5781

Place of Signature: New Delhi
Dated: 06th August, 2025

Annexure - B
to the Independent Auditor's Report

Referred to in paragraph 2 under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of our Report of even date to the Members of Cement Corporation of India Limited on the Financial Statements for the year ended 31st March, 2025.

Sl No.	Directions U/s 143(5) of the Companies Act, 2013	Auditor's reply on action taken on the directions	Impact on Financial Statements
1.	Whether the Company has a system in place to process all the accounting transactions through IT system? If yes, the implications of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of the accounts along with the financial implications, if any, may be stated.	The Company has a system in place to process all the accounting transactions through IT system. We have not noticed any accounting transactions which have been processed outside the IT system.	NIL
2.	Whether there is any restructuring of an existing loan or cases of waiver/ write-off of debts/loans/ interest etc. made by a lender to the Company due to the Company's inability to repay the loan? If yes, the financial impact may be stated. Whether such cases are properly accounted for? (in case, lender is a Government company, then this direction is also applicable for statutory auditor of lender company).	During the year there has been no restructuring of an existing loan or cases of waiver/write-off of debts/ loans/ interest etc. made by a lender to the Company due to the company's inability to repay the loan.	NIL
3.	Whether funds (grants/subsidy etc.) received / receivable for specific schemes from Central/State Government or its agencies were properly accounted for/ utilized as per its term and conditions? List the cases of deviation.	Based on procedures carried out and as per information and explanations given to us, Company has not received any funds(grants /subsidy etc.) e for specific schemes from Central/State Government or its agencies during the Financial Year 2024-25, Further there are no funds (grant / subsidy etc.) which are receivable as at reporting data for specific schemes from Central/State Government or its agencies	NIL

For S.K. Mehta & Co.
Chartered Accountants
FRN: 000478N

Sd/-
Rohit Mehta
Partner
M. No.091382
UDIN: 25091382BMIXDS5781

Place of Signature: New Delhi
Dated: 06th August, 2025

Annexure - C
to the Independent Auditor's Report

Referred to in paragraph 3(i)) under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of our Report of even date to the Members of Cement Corporation of India Limited on the Financial Statements for the year ended 31st March 2025

Report on the Internal Financial Controls with reference to Financial Statements under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

We have audited the internal financial controls with reference to Financial Statements of **Cement Corporation of India Limited** ("the Company") as of 31st March 2025 in conjunction with our audit of the Financial Statements of the Company for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Company's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls with reference to Financial Statements based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by The Institute of Chartered Accountants of India ('ICAI'). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to Company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Act.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls with reference to Financial Statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting (the "Guidance Note") issued by the ICAI and the Standards on Auditing, as specified under section 143(10) of the Act, to the extent applicable to an audit of internal financial controls with reference to Financial Statements and, both issued by ICAI. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls with reference to Financial Statements was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls with reference to Financial Statements and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls with reference to Financial Statements included obtaining an understanding of internal financial controls with reference to Financial Statements, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the Financial Statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our qualified audit opinion on the Company's internal financial controls with reference to Financial Statements.

Meaning of Internal Financial Controls with reference to Financial Statements

A Company's internal financial control with reference to Financial Statements is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of Financial Statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A Company's internal financial control with reference to Financial Statements includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the Company; (2) provide reasonable assurance that

transactions are recorded as necessary to permit preparation of Financial Statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the Company are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the Company; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the Company's assets that could have a material effect on the Financial Statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls with reference to Financial Statements

Because of the inherent limitations of internal financial controls with reference to Financial Statements, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls with reference to Financial Statements to future periods are subject to the risk that the internal financial control with reference to Financial Statements may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Basis for Qualified Opinion

According to information and explanations given to us and based on our audit, the following material weakness has been identified as of 31st March, 2025:

PROPERTY PLANT AND EQUIPMENT

1. Physical verification report of Property, Plant & Equipment items held at Non -Operating Units has not been conducted by the management in the current year & previous year .

2. Proper records related to title deed / Lease deeds in respect of immoveable properties held at Non – operating Units are not properly maintained

3. Proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of the property, plant & equipment is not maintained in respect of Non-Operating units.

INVENTORIES

1. No physical verification of Inventories lying in Non-Operating units which has been carried forward in the books from several past years and also, physical verification records of the Stores and spares held at Rajban and Tandur Unit are not made available.. Further, proper records of inventories held is not maintained in Non-Operating units.

2. Semi – Finished Inventory of Clinker held at Rajban unit is not properly labelled or tagged and major stocks are lying scattered in an open ground which leads to damage / deterioration.

3. In respect of Tandur Unit, Branch Auditor was unable to verify the existence and condition of some spare parts and stores as they were not adequately labelled or tagged and some spare parts and stores were lying scattered in an open ground which leads to rusting & damage

STATUTORY DUES

1. Proper records for undisputed statutory dues such as due date of payment, reasons for not making payment and interest / penalty amount payable, as applicable, are not available.

2. Proper records for disputed statutory dues such as year of dispute, forum where disputes are pending, gross disputed amount and amount paid under dispute etc. are not maintained in Non – Operating Units.

3. Branch Auditor of Bokajan unit has reported that they are not able to ascertain the exact amount of disputed liability due to non-availability of various assessment orders from different department.

OTHERS

1. System of obtaining confirmation and reconciliation of balances with respect to balance of Trade Receivables, Loans and advances, Trade Payables, Deposits to and from parties and Other Liabilities need significant improvement.

2. Proper records for Contingent Liabilities are not maintained in Non-Operating Units.

Qualified Opinion

In our opinion, to the best of our information and according to explanations given to us, except for the possible effects of material weakness described in the Basis of Qualified Opinion Paragraph on the achievement of the objectives of the control criteria, the Company has, in all material respects, an adequate internal financial controls with reference to Financial Statements and such internal financial controls with reference to Financial Statements were operating effectively as of March 31, 2025, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note issued by the ICAI.

We have considered the material weakness identified and reported above in determining the nature, timing, and extent of audit tests applied in our audit of the Financial Statements of the Company as at and for the year ended 31st March, 2025 and these material weaknesses have affected our opinion on the Financial Statements of the Company and we have issued qualified opinion on the Financial Statements.

Other Matter

Our aforesaid report under section 143(3)(i) of the Act on the adequacy and operating effectiveness of the internal financial controls with reference to Financial Statements in so far as it relates to Units / Branches audited by the Branch Auditors, is based on the corresponding report of the Branch Auditors.

For S.K. Mehta & Co.
Chartered Accountants
FRN: 000478N

Sd/-
Rohit Mehta
Partner
M. No.091382
UDIN: 25091382BMIXDS5781

Place of Signature: New Delhi
Dated: 06th August, 2025

Cement Corporation of India Limited
Balance Sheet as at March 31, 2025

(₹ In Lakh)

	Note No.	As at March 31, 2025	As at March 31, 2024
EQUITY AND LIABILITIES			
Shareholders' Funds			
(a) Share Capital	02	81,140.74	81,140.74
(b) Reserves and Surplus	03	(55,874.55)	(58,979.37)
		25,266.19	**22,161.37**
Non-Current Liabilities			
(a) Long-Term Borrowings	04	15,090.07	15,090.07
(b) Other Long-Term Liabilities	05	23,071.23	24,829.12
(c) Long-Term Provisions	06	3,873.46	4,093.86
		42,034.76	**44,013.05**
Current Liabilities			
(a) Short-Term Borrowings	07	-	-
(b) Trade Payables			
(i) Total outstanding dues of micro enterprises and small enterprises	08	573.07	825.50
(ii) Total outstanding dues of creditors other than micro enterprises and small enterpises	08	2,209.69	1,927.37
(c) Other Current Liabilities	09	4,731.49	8,012.45
(d) Short-Term Provisions	10	1,807.03	4,970.70
		9,321.28	**15,736.02**
Total		**76,622.23**	**81,910.44**
ASSETS			
Non-Current Assets			
(a) Property, Plant and Equipment and Intangible Assets			
(i) Property, Plant and Equipment	11A	17,043.10	16,198.21
(ii) Intangible Assets	11B	39.92	1.11
(iii) Capital Work-In-Progress	12	4,985.12	4,577.74
(iv) Intangible Assets under development	13	-	12.81
(b) Non-Current Investments	14	227.98	227.98
(c) Long-Term Loans and Advances	15	2,334.29	2,439.76
(d) Other Non-Current Assets	16	5,306.68	6,046.43
(e) Unamortised Expenses	17	1,896.13	1,977.47
		31,833.22	**31,481.51**
Current Assets			
(a) Current Investments	18	-	-
(b) Inventories	19	16,205.45	18,189.11
(c) Trade Receivables	20	452.45	508.03
(d) Cash and Cash Equivalents			
(i) Cash and Cash Equivalents	21(i)	641.39	1,222.02
(ii) Other Bank Balances	21(ii)	22,331.02	25,422.70
(e) Short-Term Loans and Advances	22	3,473.10	3,206.09
(f) Other Current Assets	23	1,685.60	1,880.98
		44,789.01	50,428.93
Total		**76,622.23**	**81,910.44**

Significant Accounting Policies and Notes to Financial Statements **1 to 34**
The Notes referred to above form an integral part of the Balance Sheet

This is the Balance Sheet referred to in our report of even date

For S K MEHTA & CO.
Chartered Accountants
FRN 000478N

Sd/-
(CA Rohit Mehta)
Partner
Membership No.091382

Date: 06.08.2025
Place: New Delhi

For and on behalf of Board of Directors

Sd/-
(Sanjay Banga)
Chairman & Managing Director
DIN : 09353339

Sd/-
(Pradeep Kumar Chand)
Director (Finance)
DIN : 09711963

Sd/-
(Ajay Kumar Sharma)
Company Secretary)

Sd/-
(Syed Shariq Hussain)
Sr. Manager (Finance)

Cement Corporation of India Limited
Statement of Profit and Loss for the year ended March 31, 2025

(₹ In Lakh)

Particulars	Note No.	Year ended March 31, 2025	Year ended March 31, 2024
Income			
I Revenue from Operations			
(a) Sale of Products		32,521.78	41,705.51
(b) Other Operating Revenues		159.55	98.76
Total Revenue from Operations		**32,681.33**	**41,804.27**
II Other Income	**24**	11,460.72	5,631.96
Total Income		**44,142.05**	**47,436.23**
Expenses			
(a) Cost of Materials Consumed	**25**	4,706.54	5,662.58
(b) Changes in Inventories of Finished Goods, Work-in-Progress and Stock in Trade	**26**	1,202.89	(2,586.32)
(c) Employee Benefits Expense	**27**	5,507.77	5,609.92
(d) Finance Costs	**28**	52.83	16.59
(e) Depreciation and Amortisation Expense	**29**	1,363.16	1,314.90
(f) Other Expenses	**30**	28,204.04	37,855.44
Total Expenses		**41,037.23**	**47,873.11**
Profit / (Loss) before Exceptional and Extraordinary Items and Tax		**3,104.82**	**(436.88)**
Exceptional Items Income / (Expense)	**31AA**	-	9,942.13
Profit / (Loss) before Extraordinary Items and Tax		**3,104.82**	**9,505.25**
Extraordinary Items Income / (Expense)	**31 AB**	-	-
Profit / (Loss) before Tax		**3,104.82**	**9,505.25**
Tax Expense			
Current Tax		259.62	1,660.76
Less: MAT Credit Entitlement		(259.62)	(1,660.76)
Profit / (Loss) from Continuing operations		1,527.61	518.06
Profit / (Loss) from Discontinuing operations	**31C**	1,577.21	8,987.19
Tax expense of Discontinuing operations		-	-
Profit / (Loss) from Discontinuing operations (After Tax)		1,577.21	8,987.19
Profit / (Loss) for the year		**3,104.82**	**9,505.25**
Earnings per Equity Share (in ₹)	**34.47**		
(Face Value of ₹ 1000/- per Equity Share)			
Basic		**68.01**	**(9.66)**
Diluted		**68.01**	**(9.66)**

Significant Accounting Policies and Notes to Financial Statements **1 to 34**
The Notes referred to above form an integral part of the Statement of Profit & Loss

This is the Balance Sheet referred to in our report of even date

For S K MEHTA & CO.
Chartered Accountants
FRN 000478N

Sd/-
(CA Rohit Mehta)
Partner
Membership No.091382

Date: 06.08.2025
Place: New Delhi

For and on behalf of Board of Directors

Sd/-
(Sanjay Banga)
Chairman & Managing Director
DIN : 09353339

Sd/-
(Pradeep Kumar Chand)
Director (Finance)
DIN : 09711963

Sd/-
(Ajay Kumar Sharma)
Company Secretary)

Sd/-
(Syed Shariq Hussain)
Sr. Manager (Finance)

Cement Corporation of India Limited
Cash Flow Statement for the year ended March 31, 2025

(₹ In Lakh)

Particulars		Continuing Operations		Discontinuing Operations		Total	
		Year ended March 31, 2025	Year ended March 31, 2024	Year ended March 31, 2025	Year ended March 31, 2024	Year ended March 31, 2025	Year ended March 31, 2024
A.	**Cash flow from Operating Activities:**						
	Net profit/(loss) before Tax	1,527.60	518.06	1,577.22	8,987.19	3,104.82	9,505.25
	Adjusted for:						
	Depreciation and amortisation expenses	1,349.41	1,757.08	13.89	82.70	1,363.30	1,839.78
	Finance Cost	52.83	16.59	-	-	52.83	16.59
	Depreciation Written Back	(131.33)	-	(137.76)	-	(269.09)	-
	Interest and Other Income	(4,526.39)	(4,008.41)	(691.74)	(621.80)	(5,218.13)	(4,630.21)
	Profit on disposal of Property, Plant and Equipment	-	(18.30)	-	(188.78)	-	(207.08)
	Profit on sale of Investment		-		-		-
	Provisions no longer required written back	(5,481.77)	(192.43)	(38.44)	(35.50)	(5,520.21)	(227.93)
	Provision for doubtful receivables & advances	458.66	-	-	-	458.66	-
	Unamortised Expenses written off	268.82	338.18	-	-	268.82	338.18
	Exceptional (Income)/Expense	-	-	-	(9,942.13)	-	(9,942.13)
	Operating profit before working capital changes	**(6,482.17)**	**(1,589.23)**	**723.17**	**(1,718.32)**	**(5,759.00)**	**(3,307.55)**
	Changes in Working Capital:						
	Increase / (Decrease) in Trade Payables	(446.15)	595.30	476.04	-	29.89	595.30
	Increase / (Decrease) in Other Liabilities	2,389.17	(274.46)	(1,907.79)	567.84	481.38	293.38
	Increase / (Decrease) in Provisions	(2,558.84)	(127.02)	(825.23)	767.92	(3,384.07)	640.90
	Decrease / (Increase) in Trade Receivables	(403.08)	(185.47)	-	-	(403.08)	(185.47)
	Decrease / (Increase) in Inventories	1,978.88	(2,059.14)	4.78	916.44	1,983.66	(1,142.70)
	Decrease / (Increase) in Loans and Advances	32.95	(1,247.01)	(194.49)	(1,040.93)	(161.54)	(2,287.94)
	Decrease / (Increase) in Other Assets	1,536.49	1.91	(84.77)	692.65	1,451.72	694.55
	Unamortised Expenses incurred	(187.49)	(447.18)	-	-	(187.49)	(447.18)
	Cash generated from Operations	**(4,140.24)**	**(5,332.30)**	**(1,808.29)**	**185.60**	**(5,948.53)**	**(5,146.71)**
	Payment of Taxes (Net)	(438.92)	(1,570.52)	-	-	(438.92)	(1,570.52)
	Net cash from / (used in) Operating Activities	**(4,579.16)**	**(6,902.82)**	**(1,808.29)**	**185.60**	**(6,387.45)**	**(6,717.22)**
B.	**Cash flow from Investing Activities:**						
	Purchase of Property, Plant and Equipment	(2,109.24)	(5,591.09)	-	(2.58)	(2,109.24)	(5,593.67)
	Interest and Other Income	4,580.05	4,693.08	829.49	621.80	5,409.54	5,314.88
	Capital work-in-progress	(577.77)	1,638.38	183.19	26.70	(394.58)	1,665.08
	Receipts on sale of Property, Plant and Equipment	-	24.34	(137.75)	14,144.25	(137.75)	14,168.59
	Net cash from Investing Activities	**1,893.04**	**764.71**	**874.93**	**14,790.17**	**2,767.97**	**15,554.88**
C.	**Cash flow from Financing Activities:**						
	Interest and Other Borrowing Cost paid	(52.83)	(16.59)	-	-	(52.83)	(16.59)
	Fund transferred between units	(933.66)	14,962.00	933.66	(14,962.00)	-	-
	Net cash from financing activities	**(986.49)**	**14,945.41**	**933.66**	**(14,962.00)**	**(52.83)**	**(16.59)**
	Net Increase / (Decrease) in Cash and Cash Equivalents	**(3,672.61)**	**8,807.30**	**0.30**	**13.77**	**(3,672.31)**	**8,821.07**
	Opening Cash and Cash Equivalents	26,620.45	17,813.15	24.27	10.50	26,644.72	17,823.65
	Closing Cash and Cash Equivalents	**22,947.84**	**26,620.45**	**24.57**	**24.27**	**22,972.41**	**26,644.72**

Notes :

1 Closing Cash and Cash Equivalents comprises:

Particulars	Continuing Operations		Discontinuing Operations		Total	
	Year ended March 31, 2025	Year ended March 31, 2024	Year ended March 31, 2025	Year ended March 31, 2024	Year ended March 31, 2025	Year ended March 31, 2024
Cash (Refer Note No. 21)	0.87	0.80	0.03	0.03	0.90	0.83
Balance with Banks:						
- In Current Accounts (Refer Note No. 21)	536.94	996.93	24.54	24.24	561.48	1,021.17
- In Deposit Accounts (Refer Note No. 21)	22,410.03	25,622.72	-	-	22,410.03	25,622.72
Total	**22,947.84**	**26,620.45**	**24.57**	**24.27**	**22,972.41**	**26,644.72**

2 The above Cash Flow Statement has been prepared under the Indirect Method as set out in Accounting Standard 3 'Cash Flow Statements' notified by the Central Government under Companies (Accounting Standards) Rules, 2021.

3 Fixed Deposits include deposits of ₹ 1701.52 (Previous Year: ₹ 1357.23) held as Margin Money against Bank Guarantee/Letter of credit with Client/Others on acount of Earnest Money Deposit/Security Deposit/Departments/Regulatories etc.

4 Additional working capital, as and when required, is proposed to be met out of own cash resources.

5 Previous year's figures have been regrouped / rearranged wherever necessary to confirm to the current year's classification.

This is the Balance Sheet referred to in our report of even date

For S K MEHTA & CO.
Chartered Accountants
FRN 000478N

Sd/-
(CA Rohit Mehta)
Partner
Membership No.091382

Date: 06.08.2025
Place: New Delhi

For and on behalf of Board of Directors

Sd/-
(Sanjay Banga)
Chairman & Managing Director
DIN : 09353339

Sd/-
(Pradeep Kumar Chand)
Director (Finance)
DIN : 09711963

Sd/-
(Ajay Kumar Sharma)
Company Secretary)

Sd/-
(Syed Shariq Hussain)
Sr. Manager (Finance)

Cement Corporation of India Limited
Notes to Financial Statements

01 Significant Accounting Policies

01.01 Basis of Preparation

The financial statements have been prepared under historical cost convention, on accrual basis, in compliance with applicable Accounting Standards specified under Section 133 of the Companies Act., 2013 read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 as amended and the relevant provision of the Companies Act., 2013 except for the following items which are accounted for on cash basis.

(a) Liquidated damages/penalties/claims, other than Railway & Insurance claims, made are accounted for on realization and included in Miscellaneous Income.

(b) Profit / loss, if any, on surplus / slow moving / non-moving items etc. of stores and spares, is accounted for only in the year of their disposal.

01.02 Use of Estimates

The preparation of financial statements, in conformity with the Generally Accepted Accounting Principles, requires Management to make estimates and assumptions wherever necessary that affect the reported amount of assets, liabilities and contingent liabilities as on the date of the financial statements and the reported amount of revenue and expenses during the period. Difference between the actual results and estimates are recognized in the period in which the results materialize.

01.03 Operating Cycle

All assets and liabilities have been classified as current or non-current as per the Company's operating cycle and other criteria set out in Schedule III of the Companies Act, 2013. Based on the nature of operations, the Company has ascertained its operating cycle as twelve months for the purpose of current/non-current classification of assets and liabilities.

01.04 Revenue Recognition

"Revenue is recognised to the extent that it can be reliably measured and is probable that the economic benefits will flow to the company.

(a) "Sale of Goods

Sales are recognised when all significant risks and rewards of ownership are transferred to the buyer and the Company retains no effective control of the goods transferred to a degree usually associated with the ownership. Revenue is recognized net of returns, discounts and rebates etc., and also excluding Goods and Services tax."

(b) "Sales of Services

Revenue from services rendered is recognised as and when the service is performed based on agreements/ arrangements with the concerned parties."

(c) "Other Income

Interest income is accrued on a time basis, with reference to the principal outstanding and at the effective interest rate applicable."

01.05 Land & Amortisation

(a) Land given free by the State Government is valued at nominal cost or on the basis of incidental expenditure incurred on its acquisition.

(b) Land free hold under mining lease at quarry and land lease hold with less than 99 years lease is amortized within a period of ten years from the date of commercial production of the respective unit.

01.06 Investments

(a) Long term investments are stated at cost. Permanent decline in the value of such investments is recognized and provided for.

(b) Current investments are stated at lower of cost and quoted / fair value. Unquoted current investments are stated at cost.

01.07 Borrowing Costs

Borrowing Costs that are attributable to acquisition or construction or production of qualifying assets are capitalized as part of the costs of such assets. A qualifying asset is one that takes necessarily substantial period of time to get ready for its intended use. All other borrowing costs are recognised as an expense in the period, in which they are incurred.

01.08 Property, Plant and Equipment and Intangible Assets

(a) Property, plant & equipment are stated at acquisition cost, net of accumulated depreciation and accumulated impairment losses, if any. Cost comprises of the purchase price and any other attributable cost to bring the asset to its working condition for its intended use.

(b) Intangible assets are stated at acquisition cost, net of accumulated amortisation and accumulated impairment losses, if any. Cost comprises of the purchase price and any other attributable expenditure on making the asset ready for its intended use.

01.09 Depreciation / Amortisation

(a) Depreciation is provided on assets after they are completed and become available for use. Depreciation on Property, Plant and Equipment is calculated on straight line basis based on the useful life of assets in accordance with the Schedule II of the Companies Act, 2013 and 95% of the cost is written off during the expected useful life of the assets.

(b) Depreciation on assets added during the year is charged prorata from the date they are capitalized and upto the date these are discarded /sold / demolished/ destroyed.

(c) Any individual asset whose written down value is ₹ 5000/- or less at the beginning of the year is fully depreciated during the year without retaining the residual value as it is considered insignificant.

(d) Any individual asset costing upto ₹ 5000/- purchased during the year is taken to gross block and depreciated fully in the same year.

(e) Leasehold Land is amortised over the period of lease.

(f) "Intangible assets are amortised on a straight line basis over their expected useful life as follows:

Computer software is amortised over a period of five years.

01.10 Inventories

(a) Stores, spare parts and raw materials, except as indicated in (b) below, are stated at weighted average cost. The obsolete/ unserviceable stores and spares when determined, are treated as scrap and valued at net realizable value.

(b) Clinker and other semi-finished goods are stated at lower of unit's weighted average cost or net realizable value on the basis of work back formula. However, in case of negative valuation it is stated at zero value.

(c) Finished goods at factories/projects/in dumps or in transit to dumps are stated at lower of units weighted average cost or realizable value. Freight included in selling expenses upto dump is included in value of finished goods lying at various dumps.

(d) The total quantity of various scrap items as at the close of each financial year is valued as per rates available as per latest sale orders for respective items. However, where no such rates are available because

of scrap having been generated for the first time or not disposed off earlier, reserve price fixed for disposal of such scrap items is adopted for the purpose of valuation.

(e) Loose Tools and tackles are written off over a period of three years

01.11 Unamortised Expenditure

(a) Expenditure on Prospecting and Boring is treated as Unamortised Expenditure and charged off in three to five years after Units go into commercial production.

(b) Expenditure incurred on removal of over-burden etc. at the mines which is utilized for capital works like laying roads, stockyard, crusher ramp etc. is capitalized. The rest of the expenditure incurred on removal of over-burden etc. is treated initially as 'Unamortised Expenditure' and is charged off over the period for which the limestone exposed out of quarry development is available for exploitation.

(c) The cost of internal partitions and other fixtures in rented buildings are directly charged off in the year of installation, but if the cost is more than rupee one lakh, the same is treated as Unamortised Expenditure and is charged off in three to five years.

(d) After start of commercial production of a Unit, initial full charge of hi-chrome grinding media is treated as Unamortised Expenditure and written off over a period of three years. However, make up charges are charged to Statement of Profit & Loss.

(e) In case there is no unutilized grant/subsidy for Voluntary Retirement Scheme (VRS), then terminal benefits which are attributable to VRS payment equivalent to one and a half months wages for each completed year of service or wages for the balance period of service, whichever is less and notice period pay are deferred and charged off during the remaining period of service of the individuals or in a maximum period of 5 years, whichever is less. However, any expenditure incurred on VRS/VSS on or after 01/04/2003 is recognized as an expense when it is incurred and charged off wholly in that year itself.

01.12 Prior Period Items

Expenditure / Receipts relating to the particular year, coming to notice after closure of the Accounts i.e. after the cutoff date are booked under the relevant head of expenditure / receipt of the next year. In case the amount is more than ₹ 10,000/-, same are disclosed as prior period items in the financial statements.

01.13 Taxes on Income

Tax expense for the period, comprising Current Tax and Deferred Tax is included in determining the Net Profit / (Loss) for the year.

(a) Provision for Current Income Tax is made in accordance with the provisions of Income Tax Act, 1961 after considering the applicable Double Taxation Avoidance Agreement provisions.

(b) Deferred Tax resulting from "timing differences" between taxable income and accounting income is determined by using the tax rates and the tax laws that have been enacted or substantively enacted as on the Balance Sheet date. Deferred Tax assets are carried forward to the extent it is reasonably/virtually certain that future taxable profit will be available, against which such Deferred Tax assets can be realised.

(c) MAT credit entitlement is recognized and are carried forward to the extent it is reasonably/virtually certain that future taxable profit will be available against which MAT credit can be realized.

01.14 Accountal of Foreign Exchange Transaction

Foreign loan liabilities are translated at the closing market exchange rates. Gains or losses on settlement of transactions (a) during project period are credited/ debited

to the relevant cost of equipment those relating to spares and service are credited/ debited to Incidental Expenditure During Construction (IEDC), (b) after project has gone into commercial production, the gains/ losses are credited/ debited to the relevant cost of equipment but, those relating to spares and services are charged off to Statement of Profit & Loss. Depreciation on such adjustment to Property, Plant and Equipment is adjusted prospectively.

01.15 Government Grants/ Subsidies

(a) Government Grants/ Subsidies related to specific Property, Plant and Equipment are deducted from the gross value of the concerned assets in arriving at their book value. Where the grants related to specific Property, Plant and Equipment equals the whole or virtually the whole of the cost of the asset, the asset is valued at nominal value or on the basis of incidental expenditure incurred on its acquisition/ installation.

(b) Grants for Voluntary Retirement Scheme, Transport Subsidy and other Revenue Grants are deducted from the related expenditure.

(c) Government Grants received under Central Investment Subsidy Scheme included in Central Government Incentive for Industries in backward areas and other similar grants received from the State Governments, where no repayment is ordinarily expected in respect thereof, the grants are treated as Capital Reserve

(d) Capital/ Revenue Grants/ Subsidies, other than those specified above, are accounted for as per Accounting Standard-12 notified under Companies Act, 2013.

01.16 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

(a) Provisions are recognised for liabilities that can be measured by using a substantial degree of estimation, if:

(i) the Company has a present obligation as a result of a past event;

(ii) a probable outflow of resources embodying economic benefits is expected to settle the obligation; and

(iii) the amount of the obligation can be reliably estimated.

(b) Contingent liability is disclosed in case of:

(i) a present obligation arising from a past event when it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation.

(ii) a possible obligation, unless the probability of outflow in settlement is remote.

(c) Contingent assets are neither recognised nor disclosed in the financial statements.

01.17 Impairment of Assets

At each Balance Sheet date an assessment is made whether any indication exists that an Asset/Cash Generating Unit has been impaired. If any such indication exists, an impairment loss i.e. the amount, by which the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount, is provided in the books of account. Recoverable amount is higher of the net selling price of assets and value in use.

01.18 Claims of the Company

(a) Insurance claims are brought to account on the basis of Surveyor's Report and / or on the basis of claims lodged where on account payments have been received. In case, however, where surveyor's Report for events of loss occurred upto 31st March is not received before closing of the Accounts, the disclosure to that effect is made in the form of Notes to the Accounts.

(b) Railway claims are brought to account on lodging of the claims.

01.19 Deposit Works

In respect of Deposit Works in progress, the same are treated as Corporation's Capital Work-in-Progress and Incidental

Expenditure during Construction Period is proportionately added to the Deposit Work when the ownership is transferred and capitalized.

01.20 Employee Benefits

(a) Provision for gratuity under the Payment of Gratuity Act, 1972 and Company's own Gratuity Scheme is made in respect of all employees in service at the end of each financial year in accordance with the acturial valuation.

(b) Provision for earned leave / half pay leave etc. which is encashable on retirement or death of an employee is made in respect of employees in service at the end of each financial year in accordance with the acturial valuation.

(c) Provision for expenses on Travel to Hometown on Superannuation is recognised on the basis of an actuarial valuation carried out at the year end.

(d) The contribution to Provident Fund and Family Pension Scheme is recognised as expense and is charged to the Statement of Profit and Loss.

(e) Liability for bonus is provided as per the provisions of Payment of Bonus Act, 1965 on Unit wise basis and not Corporation as a whole. The liability for bonus for the Corporate Office is provided at a rate which is average of the rates at which the bonus is provided for the other Units.

(f) Gains and losses arising out of actuarial valuation are recognised in the Statement of Profit and Loss.

01.21 Premium on Redemption of Debentures

Premium payable on redemption of debentures is charged to Statement of Profit & Loss / IEDC Account in such equal instalments as the duration of debentures commencing from the year in which debentures are allotted.

01.22 Prepaid Expenses

Expenditure of ₹ 10,000/- or less, in each case, incurred in advance of the subsequent year(s) are charged off as expenses of the current year.

01.23 Accounting for Bad & Doubtful Recievables/ Loans / Advances etc

(a) Provision is made for doubtful Recievables/ Loans and advances when the same is considered doubtful of recovery but chances of recovery subsist.

(b) Amounts are written off, when the efforts for recoveries have failed either due to legal process or where it is considered litigation will not be fruitful and recovery is not possible.

01.24 Inter unit/ Zones / Corporate Office transfers

(a) Finished goods transferred by the Units are initially valued at Despatch Plan rates and the quantity sold is then settled by the Zones at the actual net realizable value.

(b) Inter Unit/ Zones / Corporate Office transfers of Property, Plant and Equipment etc. are accounted for at book value.

(c) Inter Unit Transfer of clinker is accounted for at its realizable rates (by work back method from cement) and its losses in transit are absorbed in cost by the receiving Unit.

(d) Inter Unit/ Zones/ Corporate Office balances are reconciled regularly and balance confirmations obtained.

01.25 Classification of Expenditure

(a) Expenditure incurred on Repairs & Maintenance of Property, Plant and Equipment, including cost of stores & spares, except as shown as in (b) below, are charged to Statement of Profit & Loss.

(b) Expenditure incurred on repairs and maintenance of Property, Plant and

Equipment including cost of stores & spares that increase the future benefits from the existing assets beyond its previously assessed standard of performance (e.g. an increase in capacity) is capitalized.

(c) Salaries and Wages:

Salaries and wages incurred on Repairs and Maintenance of Plant & Machinery, Buildings etc. are charged directly to Salaries and Wages Account.

(d) "Other Sundry Expenses:

Expenditure on parks, plantation of trees and purchase of tents and tarpaulins etc. are charged off as revenue expenditure.

01.26 Indirect Expenses on Expansion Projects/ New Projects Adjacent to the Existing Plant

The common expenses on administration, supervision etc. incurred by the existing plants are not charged to the Expansion Project/ New Projects adjacent to the existing plants.

01.27 Allocation of Corporate Office Expenditure

Net Revenue Expenditure / Income of the Corporate Office is allocated to all the units and projects under construction on estimates based on the probable benefits or relatable to the different Units or projects as decided by the management to their best assessment and judgment.

Cement Corporation of India Limited
Notes to Financial Statements

(₹ In Lakh)

	As at March 31, 2025	As at March 31, 2024
02 Share Capital		
Authorised		
50,00,000 (31 March 2024: 50,00,000) Equity Shares, ₹ 1000/- par value per share	50,000.00	50,000.00
40,00,000 (31 March 2024: 40,00,000) Preference Shares, ₹ 1000/- par value per share	40,000.00	40,000.00
Total	**90,000.00**	**90,000.00**
Issued, Subscribed and Paid-Up		
45,59,749 (31 March 2024: 45,59,749) Equity Shares, ₹ 1000/- par value per share fully paid	45,597.49	45,597.49
35,54,325 (31 March 2024: 35,54,325) Preference Shares, ₹ 1000/- par value per share fully paid	35,543.25	35,543.25
Total	**81,140.74**	**81,140.74**

02.1 Rights, preferences and restrictions in respect of each class of shares

The Company has two classes of shares referred to as Equity Shares and 0.01% Non-Cumulative Preference Shares having par value of ₹ 1000/- per share. Each holder of Equity Share is entitled to one vote per share. Preference Shareholder is eligible to vote only on the resolutions directly affecting the rights attached to his Preference shares.

02.2 Reconciliation of the Number of Shares outstanding

	March 31, 2025		March 31, 2024	
Equity Shares	**Number of Shares**	**Amount ₹ Lakh**	**Number of Shares**	**Amount ₹ Lakh**
Balance as at the beginning of the year	4,559,749	45,597.49	4,559,749	45,597.49
Add: Number of shares issued	-	-	-	-
Balance as at the end of the year	4,559,749	45,597.49	4,559,749	45,597.49

0.01% Non Cumulative Redeemable Preference Shares	**Number of Shares**	**Amount ₹ Lakh**	**Number of Shares**	**Amount ₹ Lakh**
Balance as at the beginning of the year	3,554,325	35,543.25	3,554,325	35,543.25
Add: Number of shares issued	-	-	-	-
Balance as at the end of the year	3,554,325	35,543.25	3,554,325	35,543.25

02.3 Details of shares held by each shareholder holding more than 5% shares in the Corporation:

	March 31, 2025		March 31, 2024	
Name of the Shareholder	**Number of Shares**	**% of Shareholding**	**Number of Shares**	**% of Shareholding**
Equity Shares:				
Government of India	4,559,749	100%	4,559,749	100%
0.01% Non Cumulative Redeemable Preference Shares:				
Government of India	3,554,325	100%	3,554,325	100%

02.4 Details of shareholding of promoters in the Corporation:

	March 31, 2025			March 31, 2024		
Promoter Name	**Number of Shares**	**% of Shares**	**% Change during the year**	**Number of Shares**	**% of Shares**	**% Change during the year**
Equity Shares:						
Government of India	4,559,749	100%	0%	4,559,749	100%	0%
0.01% Non Cumulative Redeemable Preference Shares:						
Government of India	3,554,325	100%	0%	3,554,325	100%	0%

Notes :

There is no change in %age shareholding of promoters in the Corporation during financial year 2024-25 and 2023-24.

Refer Note No. 34.11 related to 0.01% Non-Cummulative Redemeeable Perference Shares

Cement Corporation of India Limited
Notes to Financial Statements

(₹ In Lakh)

	As at March 31, 2025	As at March 31, 2024
03 Reserves & Surplus		
Surplus / (Deficit) in the Statement of Profit and Loss		
Balance as at the beginning of the year	(58,979.37)	(68,484.62)
Add: Net Profit / (Loss) for the year	3,104.82	9,505.25
Balance as at the end of the year	(55,874.55)	(58,979.37)

(₹ In Lakh)

	As at March 31, 2025	As at March 31, 2024
04 Long Term Borrowings		
Unsecured:		
Interest Free -Plan loan from Government of India	15,090.07	15,090.07
Total	**15,090.07**	**15,090.07**
Note.: Refer Note No. 34.09		

(₹ In Lakh)

	As at March 31, 2025	As at March 31, 2024
05 Other Long Term Liabilities		
Trade Payable		
-Outstanding dues of micro enterprises and small enterprises	72.32	99.49
-Outstanding dues of creditors other than micro enterprises and small enterpises	1,943.05	2,781.25
Security & Earnest Money Received	2,599.14	2,659.82
Advance from Customers	446.33	445.13
GST/Sales Tax payable	80.16	80.34
Power dues payable	1,169.71	1,169.71
Royalty payable	65.31	65.31
Interest accrued and due on borrowings- Govt Loan*	12,385.27	12,385.27
Other Payables	4,309.94	5,142.80
Total	**23,071.23**	**24,829.12**

*Note.: Refer Note No. 34.09

Cement Corporation of India Limited
Notes to Financial Statements

(₹ In Lakh)

	As at March 31, 2025	As at March 31, 2024
06 Long Term Provisions		
Provision for Employee benefits:		
- Gratuity	1,700.32	1,871.45
- Earned Leave	1,254.45	1,295.18
Provision for Capital Expenditure	10.57	10.57
Other Provisions	908.12	916.66
Total	**3,873.46**	**4,093.86**

(₹ In Lakh)

	As at March 31, 2025	As at March 31, 2024
07 Short Term Borrowings		
From Banks	-	-
Total	**-**	**-**

(₹ In Lakh)

	As at March 31, 2025	As at March 31, 2024
08 Trade Payables		
Total outstanding dues of micro enterprises and small enterprises	573.07	825.50
Total outstanding dues of creditors other than micro enterprises and small enterpises	2,209.69	1,927.37
Total	**2,782.76**	**2,752.87**

(₹ In Lakh)

	As at March 31, 2025	As at March 31, 2024
09 Other Current Liabilities		
Advance from customers	791.36	991.53
Security & Earnest Money Received	909.99	3,631.23
GST/Sales Tax Payable	781.72	975.20
Power Dues Payable	799.69	998.85
Dues to Employees	299.24	455.22
Royalty payable	17.59	15.82
Other Payables	1,131.90	944.60
Total	**4,731.49**	**8,012.45**

(₹ In Lakh)

	As at March 31, 2025	As at March 31, 2024
10 Short Term Provisions		
Provision for Employee benefits:		
- Gratuity	478.32	517.06
- Earned Leave	305.24	328.99
Other Provisions	921.02	3,842.90
Bonus	7.96	7.96
Provision for Taxation	94.49	273.79
Total	**1,807.03**	**4,970.70**

Cement Corporation of India Limited
Notes to Financial Statements
11 A: Property, Plant and Equipment

(₹ In Lakh)

	Particulars	Gross Block / Original Cost				Depreciation / Amortisation				Net Block	
		As at April 01, 2024	Additions/ Adjustm-ents	Deletions/ Adjustm-ents	As at March 31, 2025	As at April 01, 2024	Additions/ Adjustm-ents	Deletions/ Adjustm-ents	As at March 31, 2025	As at March 31, 2025	As at March 31, 2024
		(a)	(b)	(c)	(d)=(a)+ (b)-(c)	(e)	(f)	(g)	(h)=(e)+ (f)-(g)	(i)=(d)- (h)	(j)=(a)-(e)
A)	**Works**										
1	Land Freehold	1,336.92	-	-	1,336.92	146.07	-	-	146.07	1,190.85	1,190.85
2	Land Leasehold	2,003.78	-	-	2,003.78	1,633.63	14.26	207.83	1,440.06	563.72	370.15
3	Roads & Culverts	903.79	-	-	903.79	808.24	11.91	-	820.15	83.64	95.55
4	Plant Buildings	6,800.84	-	-	6,800.84	6,456.08	4.12	5.10	6,455.10	345.74	344.76
5	Non-Plant Buildings	711.14	-	-	711.14	529.62	7.57	-	537.19	173.95	181.52
6	Water Supply, Drainage & Sewerage	994.33	-	-	994.33	868.32	1.76	-	870.08	124.25	126.01
7	Railway Siding	4,999.41	-	-	4,999.41	2,092.08	221.94	-	2,314.02	2,685.39	2,907.33
8	Electrical Installation	2,450.23	353.66	21.91	2,781.98	1,720.00	116.18	20.03	1,816.15	965.83	730.23
9	Plant & Machinery	47,615.55	1,494.28	19.33	49,090.50	38,293.02	895.84	74.37	39,114.49	9,976.01	9,322.53
10	Aerial Ropeway	706.04	24.58	-	730.62	672.33	1.23	-	673.56	57.06	33.71
11	Railway Rolling Stock	348.41	-	-	348.41	333.99	-	-	333.99	14.42	14.42
12	Quarry Equipment	1,399.34	-	-	1,399.34	1,330.86	3.41	-	1,334.27	65.07	68.48
13	Vehicles	274.26	-	5.30	268.96	229.94	5.18	5.03	230.09	38.87	44.32
14	Office Equipments	495.13	2.04	91.43	405.74	447.38	14.48	91.43	370.43	35.31	47.75
15	Furniture & Fixture	242.46	7.04	41.56	207.94	230.80	2.68	41.56	191.92	16.02	11.66
16	Miscellaneous Equipments	851.76	40.89	43.17	849.48	698.99	33.12	43.17	688.94	160.54	152.77
17	Plant & Mach. costing upto ₹ 5000	59.64	1.99	0.08	61.55	59.64	1.99	0.08	61.55	-	-
	Total Works	**72,193.03**	**1,924.48**	**222.78**	**73,894.73**	**56,550.99**	**1,335.67**	**488.60**	**57,398.06**	**16,496.67**	**15,642.04**

	Particulars	Gross Block / Original Cost				Depreciation / Amortisation				Net Block	
		As at April 01, 2024	Additions/ Adjustm-ents	Deletions/ Adjustm-ents	As at March 31, 2025	As at April 01, 2024	Additions/ Adjustm-ents	Deletions/ Adjustm-ents	As at March 31, 2025	As at March 31, 2025	As at March 31, 2024
		(a)	(b)	(c)	(d)=(a)+ (b)-(c)	(e)	(f)	(g)	(h)=(e)+ (f)-(g)	(i)=(d)- (h)	(j)=(a)-(e)
B)	**Township**										
1	Land Freehold	15.72	-	-	15.72	-	-	-	-	15.72	15.72
2	Land Leasehold	32.65	-	-	32.65	0.32	-	-	0.32	32.33	32.33
3	Roads & Culverts	39.01	-	-	39.01	36.99	0.08	-	37.07	1.94	2.02
4	Residential & welfare buildings	1,743.45	-	-	1,743.45	1,273.23	17.74	-	1,290.97	452.48	470.22
5	Water Supply, Drainage & Sewerage	185.35	-	-	185.35	156.34	0.87	-	157.21	28.14	29.01
6	Electrical Installation	39.96	-	-	39.96	38.96	-	-	38.96	1.00	1.00
7	Vehicles	88.83	9.79	-	98.62	85.53	0.79	-	86.32	12.30	3.30
8	Office Equipments	3.83	-	-	3.83	3.75	-	-	3.75	0.08	0.08
9	Furniture & Fixture	16.48	-	-	16.48	15.20	-	-	15.20	1.28	1.28
10	Miscellaneous Equipments	16.15	-	-	16.15	14.94	0.05	-	14.99	1.16	1.21
	Total Township	**2,181.43**	**9.79**	**-**	**2,191.22**	**1,625.26**	**19.53**	**-**	**1,644.79**	**546.43**	**556.17**
	Total works & Township	**74,374.46**	**1,934.27**	**222.78**	**76,085.95**	**58,176.25**	**1,355.21**	**488.60**	**59,042.85**	**17,043.10**	**16,198.21**
	Previous year	**72,230.24**	**5,633.57**	**3,489.35**	**74,374.46**	**59,650.40**	**1,839.50**	**3,313.65**	**58,176.25**	**16,198.21**	

11 B: Intangible Assets

	Particulars	Gross Block / Original Cost				Depreciation / Amortisation				Net Block	
		As at April 01, 2024	Additions/ Adjustm-ents	Deletions/ Adjustm-ents	As at March 31, 2025	As at April 01, 2024	Additions/ Adjustm-ents	Deletions/ Adjustm-ents	As at March 31, 2025	As at March 31, 2025	As at March 31, 2024
		(a)	(b)	(c)	(d)=(a)+ (b)-(c)	(e)	(f)	(g)	(h)=(e)+ (f)-(g)	(i)=(d)- (h)	(j)=(a)-(e)
1	Computer Software	1.90	46.90	-	48.80	0.79	8.09	-	8.88	39.92	1.11
	Total	**1.90**	**46.90**	**-**	**48.80**	**0.79**	**8.09**	**-**	**8.88**	**39.92**	**1.11**
	Previous year	**0.81**	**1.09**	**-**	**1.90**	**0.51**	**0.28**	**-**	**0.79**	**1.11**	

Cement Corporation of India Limited
Notes to Financial Statements

(₹ In Lakh)

	Particulars	As at April 01, 2024	Additions during the year	Capitalised during the year	As at 31 March 2025
12	**Capital Work-in-Progress (Tangible)**				
	Mechanical consultancy	154.16	94.94	-	249.10
	Civil Engineering Works	2,042.47	-	4.20	2,038.27
	Plant & Machinery including awaiting erection	2,433.96	1,650.99	1,250.12	2,834.83
	Erection Expenses of Plant & Machinery	77.79	-	77.25	0.54
	Incidental Expenditure Pending Allocation*	138.19	-	-	138.19
	Capital Stores	6.98	-	6.98	-
	Others	160.16	-	-	160.16
	Sub Total	**5,013.71**	**1,745.93**	**1,338.55**	**5,421.09**
	Provisions for unserviceable CWIP	435.97	-	-	435.97
	Total	**4,577.74**	**1,745.93**	**1,338.55**	**4,985.12**
	Note - Refer Note No 34.32 related to aging of CWIP				
	***Incidental Expenditure not allocated**				
	Power	0.21			0.14
	Miscellaneous Expenses	0.68			1.14
	Legal Expenses	0.11			0.00
	Security Expenses	10.78			10.49
	Depreciation	0.14			0.14
	Total	**11.92**			**11.91**
	Transferred	11.92			11.91
	Addition during the year	-			-
	Total	**-**			**-**
13	**Capital Work-in-Progress (Intangible)**				
	Computer Software	14.91	-	14.91	-
	Sub Total	**14.91**	**-**	**14.91**	**-**
	Provision	2.10	-	2.10	-
	Total	**12.81**	**-**	**12.81**	**-**

Note - Refer Note No. 34.33 related to aging of Intangible assets under development.

Cement Corporation of India Limited
Notes to Financial Statements

(₹ In Lakh)

Particulars		Market Value as on 31-03-25	Book Value as on 31-03-25	Book Value as on 31-03-25	Market Value as on 31-03-24	Book Value as on 31-03-24	Book Value as on 31-03-24
14	**Non Current Investments (Non Trade)**						
A	**Equity Shares (Fully Paid) at Cost: Quoted**						
i)	"31 Equity Shares of ₹ 10/- each of Andhra Cement Co. Ltd. Market Value ₹ 48.88 per share on NSE (Previous Year: ₹ 78.04 per Share)"	0.02		*	0.02		*
ii)	280 Equity Shares (Including 180 Bonus Shares) of ₹ 10/- each of ACC Ltd. (Note1 below) Market Value @₹ 1942.65 per share on NSE (Previous Year: ₹ 2491.70 per Share)"	5.44		0.01	6.98		0.01
	Sub Total			**0.01**			**0.01**
B	**Equity Shares (Fully Paid) at Cost: Unquoted**						
i)	1 Equity Share of ₹ 10/- each of Assam Bengal Cement Co. Ltd. (Note 2 below)			*			*
ii)	79 Equity Share of ₹ 10/- each of Jaipur Udyog Ltd.			0.01			0.01
iii)	40 Equity Share of ₹ 5/- each of Sone Valley Cement Co. Ltd.			*			*
iv)	55,31,250 Equity Share of ₹ 10/- each of A P Gas Power Corporation Ltd. including 23,15,520 Bonus Shares		322.00			322.00	
	Less: 16,10,680 Shares sold including 1,34,000 Bonus Shares		94.04			94.04	
	Balance held 39,20,570 Shares including 21,81,520 Bonus Shares			227.96			227.96
	Sub Total			**227.97**			**227.97**
	Total (A + B)			**227.98**			**227.98**

Particulars		Market Value as on 31-03-25	Book Value as on 31-03-25	Book Value as on 31-03-25	Market Value as on 31-03-24	Book Value as on 31-03-24	Book Value as on 31-03-24
	Aggregate of Quoted Investments						
	Cost			0.02			0.02
	Market Value	5.45			7.00		
	Aggregate of Un-quoted Investments						
	Cost			227.96			227.96
	Total			**227.98**			**227.98**

Note.:

1) Converted from 28 Shares of ₹ 100 each. New Share Certificates awaited.
2) Shares are yet to be transferred to the name of the Corporation.

* Amount is less than ₹ 0.01 lakh

Cement Corporation of India Limited
Notes to Financial Statements

(₹ In Lakh)

		As at March 31, 2025		As at March 31, 2024	
15	**Long-term Loans and Advances**				
a)	**Capital Advances**				
	Secured, Considered Good	-		-	
	Unsecured, Considered Good	207.20		207.20	
	Doubtful	18.59		18.59	
	Less: Allowances for bad and doubtful advances	18.59		18.59	
	Sub Total		**207.20**		**207.20**
b)	**Contractors & Suppliers**				
	Secured, Considered Good	-		-	
	Unsecured, Considered Good	326.99		77.04	
	Doubtful	496.74		470.63	
	Less: Allowances for bad and doubtful advances	496.74		470.63	
	Sub Total		**326.99**		**77.04**
c)	**Balance with Govt. Department**				
	Secured, Considered Good	0.38		0.38	
	Unsecured, Considered Good	80.19		80.19	
	Doubtful	151.20		151.20	
	Less: Allowances for bad and doubtful advances	151.20		151.20	
	Sub Total		**80.57**		**80.57**
d)	**Insurance and Other claims**				
	Secured, Considered Good	7.52		7.52	
	Unsecured, Considered Good	14.44		12.91	
	Doubtful	134.01		133.84	
	Less: Allowances for bad and doubtful advances	134.01		133.84	
	Sub Total		**21.96**		**20.43**
e)	**Loans & Advances to Employees**				
	Secured, Considered Good	-		3.16	
	Unsecured, Considered Good	0.14		0.60	
	Doubtful	3.53		0.37	
	Less: Allowances for bad and doubtful advances	3.53		0.37	
	Sub Total		**0.14**		**3.76**

		As at March 31, 2025		As at March 31, 2024	
f)	**Claims Recoverable- Railways**				
	Secured, Considered Good	-		-	
	Unsecured, Considered Good	13.44		13.44	
	Doubtful	406.06		406.06	
	Less: Allowances for bad and doubtful advances	406.06		406.06	
	Sub Total		**13.44**		**13.44**
g)	**Excise Duty Relief Recoverable**				
	Secured, Considered Good	-		-	
	Unsecured, Considered Good	27.55		79.71	
	Doubtful	132.38		80.21	
	Less: Allowances for bad and doubtful advances	132.38		80.21	
	Sub Total		**27.55**		**79.71**
h)	**Recoverable from Employees**				
	Secured, Considered Good	0.03		0.31	
	Unsecured, Considered Good	0.05		0.10	
	Doubtful	7.94		7.51	
	Less: Allowances for bad and doubtful advances	7.94		7.51	
	Sub Total		**0.08**		**0.41**
i)	**Recoverable from Outside Parties**				
	Secured, Considered Good	-		-	
	Unsecured, Considered Good	1,656.36		1,957.20	
	Doubtful	949.52		673.94	
	Less: Allowances for bad and doubtful advances	949.52		673.94	
	Sub Total		**1,656.36**		**1,957.20**
j)	**Shortage, Losses Pending Investigation**				
	Secured, Considered Good	-		-	
	Unsecured, Considered Good	-		-	
	Doubtful	589.52		589.52	
	Less: Allowances for bad and doubtful advances	589.52		589.52	
	Sub Total		**-**		**-**
	Total		**2,334.29**		**2,439.76**

Cement Corporation of India Limited
Notes to Financial Statements

(₹ In Lakh)

Particulars		As at March 31, 2025		As at March 31, 2024	
16	**Other Non-Current Assets**				
	Long- Term Trade Receivables:				
	Secured- Considered Good	-		-	
	Unsecured- Considered Good	-		-	
	Doubtful	1,514.52		1,514.52	
	Less: Allowances for doubtful receivables	1,514.52		1,514.52	
	Sub Total		**-**		**-**
	Deposits: Central Excise	-		-	
	Secured, Considered Good	23.47		18.00	
	Unsecured, Considered Good	0.44		0.44	
	Doubtful	0.02		0.02	
	Less: Allowances for bad and doubtful advances	0.02		0.02	
	Sub Total		**23.91**		**18.44**
	Deposits: Others	-		-	
	Secured, Considered Good	0.03		0.03	
	Unsecured, Considered Good	1,526.70		1,618.24	
	Doubtful	54.78		53.66	
	Less: Allowances for bad and doubtful advances	54.78		53.66	
	Sub Total		**1,526.73**		**1,618.27**
	Interest accrued & due on Loans & Advances				
	Secured- Considered Good	-		-	
	Unsecured- Considered Good	2.09		2.09	
	Doubtful	-		-	
	Less: Allowances for doubtful receivables	-		-	
	Sub Total		**2.09**		**2.09**
	Fixed deposits having maturity period of more than 12 months from the reporting date *		1,210.72		2,147.10
	Advance Tax (Net of Provision)		233.55		230.59
	MAT Credit Entitlement		2,309.68		2,029.94
	Total		**5,306.68**		**6,046.43**
17	**Unamortised Expenses**				
	Quarry Development Expenditure				
	Opening for the year	1,977.46		1,868.47	
	Additions	187.49		447.18	
			2,164.95		2,315.65
	Less: Capitalised/Adjusted		268.82		338.18
	Total		**1,896.13**		**1,977.47**
18	**Current Investments**				
	Non Trade Investments		-		-
	Total		**-**		**-**

Note: *Fixed Deposits include deposits of ₹ 973.72 Lakh (Previous Year: ₹ 2147.1 Lakh) held as Margin Money against Bank Guarantee/Letter of credit with Client/Others on acount of Earnest Money Deposit/Security Deposit/Departments/Regulatories etc.

Cement Corporation of India Limited
Notes to Financial Statements

(₹ In Lakh)

Particulars	As at March 31, 2025	As at March 31, 2024
-Fixed Deposit (Held as Margin Money against Bank Guarantee/Letter of Credit)	973.72	2,147.10

(₹ In Lakh)

Particulars		As at March 31, 2025		As at March 31, 2024	
19	**Inventories (As verified, valued and certified by the Management)**				
a)	*Stores and Spares:*				
	In stock	6,843.30		7,219.82	
	In transit	14.39	6,857.69	11.41	7,231.23
b)	*Work in Progress:*				
	In stock	6,351.38		7,129.33	
	In transit	-	6,351.38	-	7,129.33
c)	*Finished Goods:*				
	In stock	1,015.92		1,299.80	
	In transit	7.75	1,023.67	26.07	1,325.87
d)	*Raw Materials:*				
	In stock	1,140.47		992.16	
	In transit	-	1,140.47	-	992.16
e)	*Loose Tools:*				
	In stock	0.60		0.88	
	In transit	-	0.60	-	0.88
f)	*Packing Materials:*				
	In stock	88.78		127.08	
	In transit	-	88.78	-	127.08
g)	*Coal:*				
	In stock	842.56		1,328.37	
	In transit	277.14	1,119.70	308.29	1,636.66
h)	*Scrap:*				
	In stock	213.15		335.89	
	In transit	-	213.15	-	335.89
	Sub total		**16,795.44**		**18,779.10**
	Less: Provision for diminution in the value of inventories		589.99		589.99
	Total		**16,205.45**		**18,189.11**

Cement Corporation of India Limited
Notes to Financial Statements

(₹ In Lakh)

Particulars		As at March 31, 2025		As at March 31, 2024	
20	**Trade Receivables**				
a)	*Outstanding for a period exceeding six months*				
	Secured, Considered Good	-		-	
	Unsecured, Considered Good	120.30		140.56	
	Doubtful	-		-	
	Less: Allowances for bad and doubtful receivables	-	120.30	-	140.56
b)	*Others*				
	Secured, Considered Good	69.97		118.92	
	Unsecured, Considered Good	262.18		248.55	
	Doubtful	-		-	
	Less: Allowances for bad and doubtful receivables	-	332.15	-	367.47
	Total		**452.45**		**508.03**
21 (i)	**Cash and Cash Equivalents**				
	Cash in hand		0.90		0.83
	Balance with Banks:				
	- In Current Account		561.48		1,021.16
	- In Fixed Deposits (having original maturity up to 3 months)		79.01		200.03
	Total		**641.39**		**1,222.02**
21 (ii)	**Other bank Balances**				
	In Fixed Deposits* (with original maturity period more than three months but less than twelve months from reporting date)		22,331.02		25,422.70
	Total		**22,331.02**		**25,422.70**

Note:

*Fixed Deposits include deposits of ₹ 1701.52 Lakh (Previous Year: ₹ 1357.23 Lakh) held as Margin Money against Bank Guarantee/Letter of credit with Client/Others on acount of Earnest Money Deposit/Security Deposit/Departments/Regulatories etc.

Cement Corporation of India Limited
Notes to Financial Statements

(₹ In Lakh)

Particulars		As at March 31, 2025	As at March 31, 2024
22	**Short-term Loans and Advances**		
a)	**Deposits: Central Excise**		
	Secured, Considered Good	-	-
	Unsecured, Considered Good	-	17.80
	Doubtful	17.53	-
	Less: Allowances for bad and doubtful advances	17.53	-
	Sub Total	**-**	**17.80**
b)	**Deposits: Others**		
	Secured, Considered Good	-	-
	Unsecured, Considered Good	1,222.83	927.05
	Doubtful	-	-
	Less: Allowances for bad and doubtful advances	-	-
	Sub Total	**1,222.83**	**927.05**
c)	**Contractors & Suppliers**		
	Secured, Considered Good	-	-
	Unsecured, Considered Good	858.91	967.48
	Doubtful	-	-
	Less: Allowances for bad and doubtful advances	-	-
	Sub Total	**858.91**	**967.48**
d)	**Balance with Govt. Department**		
	Secured, Considered Good	533.91	536.31
	Unsecured, Considered Good	133.99	59.29
	Doubtful	-	-
	Less: Allowances for bad and doubtful advances	-	-
	Sub Total	**667.90**	**595.60**
e)	**Insurance and Other claims**		
	Secured, Considered Good	11.94	8.61
	Unsecured, Considered Good	275.40	242.57
	Doubtful	-	-
	Less: Allowances for bad and doubtful advances	-	-
	Sub Total	**287.34**	**251.18**

Cement Corporation of India Limited
Notes to Financial Statements

(₹ In Lakh)

Particulars		As at March 31, 2025	As at March 31, 2024
f)	**Loans & Advances to Employees**		
	Secured, Considered Good	3.72	4.93
	Unsecured, Considered Good	-	-
	Doubtful	-	-
	Less: Allowances for bad and doubtful advances	-	-
	Sub Total	**3.72**	**4.93**
g)	**Recoverable from Employees**		
	Secured, Considered Good	13.99	12.60
	Unsecured, Considered Good	12.23	8.71
	Doubtful	-	-
	Less: Allowances for bad and doubtful advances	-	-
	Sub Total	**26.22**	**21.31**
h)	**Recoverable from Outside Parties**		
	Secured, Considered Good	0.70	-
	Unsecured, Considered Good	405.48	420.74
	Doubtful	-	-
	Less: Allowances for bad and doubtful advances	-	-
	Sub Total	**406.18**	**420.74**
	Total	**3,473.10**	**3,206.09**
23	**Other Current Assets**		
	Interest Accrued on Term Deposits	1,081.31	1,158.99
	Recoverable from outside parties		
	-Unsecured, Considered Good	604.29	721.99
	Total	**1,685.60**	**1,880.98**

Cement Corporation of India Limited
Notes to Financial Statements

(₹ In Lakh)

Particulars		As at March 31, 2025		As at March 31, 2024	
24	**Other Income**				
	Rental Income		2,637.96		2,112.63
	Interest on:				
	- Fixed deposits with banks		2,000.03		1,915.21
	- Others		51.83		56.14
	Receipts from Township		47.43		53.82
	Excess Provision/Balances written back (Refer Note-34.23)		5,520.21		227.93
	Miscellaneous Income		749.97		492.41
	Prior Period Income (Net) (Refer Note-31 B)		453.29		566.74
	Profit on sale of discarded Assets		-		207.08
	Total		**11,460.72**		**5,631.96**
25	**Cost of Raw Materials Consumed**				
	Opening Balance	992.16		1,029.61	
	Acquisition during the year:				
	Limestone Raising, Quarrying & Transportation [(1)]	2,969.73		3,757.40	
	Other Raw Materials Purchased	1,885.12	5,847.01	1,867.73	6,654.74
	Less: Closing Stock		1,140.47		992.16
	Raw Materials Consumed		**4,706.54**		**5,662.58**
[(1)]	**Limestone Raising, Quarrying & Transportation**				
	Limestone Raising & Payment to Contractors		828.27		1,257.31
	Employees Remuneration & Benefits				
	Salaries, Wages and Bonus	317.87		338.43	
	Gratuity paid	16.15		32.21	
	Benefits to Employees	0.03		0.68	
	Contribution to Provident Fund	27.11		26.23	

Cement Corporation of India Limited
Notes to Financial Statements

(₹ In Lakh)

Particulars	As at March 31, 2025		As at March 31, 2024	
Contribution to Pension Fund	3.45		3.71	
Leave Encashment	11.34		13.85	
Medical Expenses	3.99		4.66	
Provision for Earned Leave	3.41	383.35	4.69	424.46
Stores Consumed				
Gross Amount	366.77		473.20	
Less: Amount included under Repairs	187.98	178.79	219.59	253.61
Power	78.15		81.95	
Fuel	23.73		34.24	
Rates and Taxes	10.33		16.35	
Payment to Contract Labour	399.94		386.47	
Royalty and Cess	760.37		1,149.11	
Quarry Development Expenditure written off	268.82		338.18	
Travelling Expenses	0.98		1.33	
Insurance	0.61		0.80	
Other Expenses	35.89	1,578.82	41.18	2,049.61
Repairs				
- Machinery	11.91		2.91	
- Building	0.06		1.41	
- Others	176.02	187.99	215.27	219.59
Sub Total		**3,157.22**		**4,204.58**
Less: Quarry Dev. Exp. transferred to Note No. 17		187.49		447.18
Total		**2,969.73**		**3,757.40**

Cement Corporation of India Limited
Notes to Financial Statements

(₹ In Lakh)

Particulars		As at March 31, 2025		As at March 31, 2024	
26	**Change in Inventories of Finished Goods, Work-in-Progress and Stock in Trade**				
	Semi Finished Goods				
	- Opening Stock	7,129.33		4,950.94	
	- Closing Stock	6,351.38	777.95	7,129.33	(2,178.39)
	Finished Goods				
	- Opening Stock	1,299.80		859.83	
	- Closing Stock	1,015.92	283.88	1,299.80	(439.97)
	Finished Goods in transit				
	- Opening Stock	26.07		77.96	
	- Closing Stock	7.75	18.32	26.07	51.89
	Scrap Stock				
	- Opening Stock	335.89		316.04	
	- Closing Stock	213.15	122.74	335.89	(19.85)
	Total		**1,202.89**		**(2,586.32)**
27	**Employee Benefits Expense**				
	Salary, Wages and Bonus		3,873.36		4,048.14
	Gratuity Paid		469.06		443.10
	Benefits to Employees		6.41		10.81
	Leave Encashment		384.68		280.29
	Contribution to Provident Fund		320.88		329.20
	Contribution to Pension Fund		27.06		31.00
	Medical Expenses		241.33		258.72
	Provision for Earned Leave		54.66		88.43
	Provision for Gratuity		32.77		9.43
	Staff Welfare Expenses		97.56		110.80
	Total		**5,507.77**		**5,609.92**

Cement Corporation of India Limited
Notes to Financial Statements

(₹ In Lakh)

Particulars		As at March 31, 2025		As at March 31, 2024	
28	**Finance Cost**				
	Other Borrowing Cost				
	- Others	52.83		16.59	
	Total	**52.83**		**16.59**	
29	**Depreciation and Amortisation Expense**				
	Depreciation/ Amortisation	1,363.30		1,839.78	
	Less: Amount charged to Prior Period	-		524.74	
	Sub Total	**1,363.30**		**1,315.04**	
	Less: Depreciation transferred to IEDC	0.14		0.14	
	Total	**1,363.16**		**1,314.90**	
30	**Other Expenses**				
	Power	7,403.88		9,410.61	
	Coal	10,919.25		16,165.93	
	Fuel Oil	9.53		9.55	
	Rent	26.48		22.94	
	Rates & Taxes	185.15		328.66	
	Insurance	22.26	18,566.55	36.22	25,973.91
	Repairs & Maintenance				
	- Plant & Machinery	1,488.25		1,796.08	
	- Buildings	66.55		138.20	
	- Others	285.22	1,840.02	350.48	2,284.76
	Other Production Expenses		566.78		612.61
	Tools & Tackles Written off		0.32		0.45
	Travelling Expenses		93.91		94.01
	Selling Expenses				
	- Freight on Cement	1,878.86		2,550.31	
	- Handling Charges	64.66		161.73	
	- Godown Charges	-		14.90	
	- Sales Promotion & Publicity	61.93		42.95	
	- Other Selling Expenses	3.12	2,008.57	13.87	2,783.76
	Vehicle Running Expenses		25.26		26.56
	Auditors' Remuneration				

Cement Corporation of India Limited
Notes to Financial Statements

(₹ In Lakh)

Particulars	As at March 31, 2025		As at March 31, 2024	
- For Audit Fee	8.85		8.85	
- For Reimbursement of Expenses	0.15		0.15	
- In Other Capacity	1.86	10.86	1.86	10.86
Cost Auditors' Remuneration				
- For Audit Fee	1.15		0.95	
- For Reimbursement of Expenses	-	1.15	0.04	0.99
Subscription to CRI & Others		2.92		5.47
Communication Expenses		16.00		12.52
Printing & Stationery		19.61		20.87
Legal & Professional Expenses		180.20		154.60
Security Expenses		622.45		696.90
Interest on deposits from Stockists/Others		45.75		899.27
Miscellaneous Expenses (1)		320.98		416.79
Payment to Contract Labour		1,764.38		1,743.02
Expenses on closed project		11.91		11.92
Provision for doubtful receivables & advances*		458.66		-
Corporate Social Responsibiity Expenses		31.45		42.98
Consumption of Stores & Spare Parts:				
- Gross Amount	1,769.10		2,538.80	
- Less: Includes under Repair & Maintenance	1,158.42	610.68	1,643.08	895.72
Packing Materials		1,017.40		1,179.25
Sub Total		**28,215.81**		**37,867.22**
Less: Expenses transferred to IEDC A/c				
Power expenses		0.14		0.21
Legal and Professional expenses		-		0.11
Security expenses		10.49		10.78
Miscellaneous expenses		1.14		0.68
Total		**28,204.04**		**37,855.44**
(1) Includes:				
- Commission on Sale of Assets (NOU)		-		108.64
- loss on Discard of Assets		-		6.56
- Director Sitting Fees		6.86		5.70

*Note.: Refer Note No. 34.23

Cement Corporation of India Limited
Notes to Financial Statements

(₹ In Lakh)

Particulars		As at March 31, 2025		As at March 31, 2024	
31	**Exceptional, Extraordinary Items and Adjustment Relating to Past Years**				
31AA	**Exceptional Items**				
	Income:				
	Waiver of Interest etc.		-		96.63
	Profit on sale of Assets		-		10,080.90
	Sub total		**-**		**10,177.53**
	Expenses:				
	Loss on Sale/Discard of Assets		-		235.40
	Sub total		**-**		**235.40**
	Net Exceptional Items Income/ (Expenses)		**-**		**9,942.13**
31AB	**Extraordinary Items**				
	Income:				
	Sub total		-		-
	Expenses:				
	-		-		-
	Sub total		-		-
	Net Extraordinary Items Income/ (Expenses)		-		-
31B	**Prior Period Items**				
	Income:				
	Interest	-		-	
	Store & Spares, Materials, Depreciation and Others	479.18	479.18	1,541.02	1,541.02
	Total		**479.18**		**1,541.02**
	Expenses:				
	Repairs & Maintenance	-		335.18	
	Rates & Taxes	2.44		15.05	
	Depreciation & Amortisation	-		524.74	
	Store & Spares, Materials, Depreciation and Others	23.45		99.31	
	Total		**25.89**		**974.28**
	Net Prior Period Income / (Expense)		**453.29**		**566.74**

31C Statement of Revenue & Expenses of Continuing and Discontinuing Operations

	Particulars	Continuing Operations		Discontinuing Operations		Total	
		Year eneded March 31, 2025	Year eneded March 31, 2024	Year eneded March 31, 2025	Year eneded March 31, 2024	Year eneded March 31, 2025	Year eneded March 31, 2024
A	**Revenue:**						
	Turnover (Net)	32,521.78	41,705.51	-	-	32,521.78	41,705.51
	Other Operating Revenue	159.55	98.76	-	-	159.55	98.76
	Change in Inventories of Finished Goods, Work-in-Progress and Stock in Trade	(1,202.89)	2,803.08	-	(216.76)	(1,202.89)	2,586.32
	Total	**31,478.44**	**44,607.35**	**-**	**(216.76)**	**31,478.44**	**44,390.59**
B	**Expenses:**						
	Operating Expenses (including net of expenses/ income allocated)	40,353.58	48,881.15	(572.07)	1,561.69	39,781.51	50,442.84
	Total	**40,353.58**	**48,881.15**	**(572.07)**	**1,561.69**	**39,781.51**	**50,442.84**
C	**Profit/(Loss) Before Interest & Tax from Operating Activities**	**(8,875.14)**	**(4,273.80)**	**572.07**	**(1,778.45)**	**(8,303.07)**	**(6,052.25)**
	Interest Expenses	52.83	16.59	-	-	52.83	16.59
D	**Profit/(Loss) Before Tax**	**(8,927.97)**	**(4,290.39)**	**572.07**	**(1,778.45)**	**(8,355.90)**	**(6,068.84)**
	Income Tax	-	-	-	-	-	-
E	**Profit/(Loss) from Operating Activities After Tax**	**(8,927.97)**	**(4,290.39)**	**572.07**	**(1,778.45)**	**(8,355.90)**	**(6,068.84)**
	Other Income	10,455.58	4,808.45	1,005.14	823.51	11,460.72	5,631.96
F	Exceptional Items: Income/(Expenses)	-	-	-	9,942.13	-	9,942.13
G	Extraordinary Items- Income/(Expenses)	-	-	-	-	-	-
H	**Net Profit / (Loss) from Operating Activities**	**1,527.61**	**518.06**	**1,577.21**	**8,987.19**	**3,104.82**	**9,505.25**

Cement Corporation of India Limited
Notes to Financial Statements

(₹ In Lakh)

Particulars		As at March 31, 2025	As at March 31, 2024
32	**Contingent Liabilities and Commitments (To the extent not provided for)**		
A)	**Contingent Liabilities**		
(i)	Claims against the company not acknowledged as debts		
a)	Income Tax Demand	178.79	10.15
b)	Sales Tax demand of Tandur & Bokajan unit etc.	590.42	546.13
c)	Bokajan Plant Expansion Contract	11,513.00	11,513.00
d)	Arbitration Matter	703.46	595.23
e)	Tariff Minimum Charges in respect of Akaltara	1,151.50	1,151.50
f)	Power wheeling charges etc. in respect of Units	43,209.12	38,724.06
g)	Others- Miscellaneous Cases	7,492.95	5,005.84
(ii)	Other money for which company is contingently liable	-	-
	Sub Total	**64,839.24**	**57,545.91**
B)	**Commitments**		
a)	Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital accounts and not provided for	88.24	674.25
	Sub Total	**88.24**	**674.25**
	Total (A+B)	**64,927.48**	**58,220.16**

Note:

Effect for cases lying in various courts for compensation/ Promotion/claims of employees for service matters etc. has not been given in the Books of Accounts and disclosed as Contingent Liabilities as the amount thereof is unascertainable.

Cement Corporation of India Limited
Notes to Financial Statements

(₹ In Lakh)

Particulars		Year ended March 31, 2025		Year ended March 31, 2024	
33	**Quantitative Details**				
1	**Actual Production**				
	Portland Cement				
	- Ordinary	357,965.00	M Tonnes	468,247.00	M Tonnes
	- Pozzolana	307,830.00	M Tonnes	381,423.00	M Tonnes
		665,795.00	M Tonnes	**849,670.00**	M Tonnes
2	**Clinker (A pre cement stage material & not an additional product)**				
	- Own manufactured	554,255.00	M Tonnes	829,980.00	M Tonnes
	- Purchased	-	M Tonnes	-	M Tonnes
3	**Cement Despatches**	672,639.57	M Tonnes	842,415.40	M Tonnes

		Quantity in M. Tonnes	Value In ₹ Lakh	Quantity in M. Tonnes	Value In ₹ Lakh
4	**Opening Stock**				
a)	Cement				
i)	Stock at Factory				
	- Cement OPC	17,208.92	790.47	12,507.14	495.51
	- Cement PPC	10,884.47	475.84	8,331.65	316.00
ii)	Stock at Dumps				
	- Cement OPC	491.85	25.27	663.30	34.41
	- Cement PPC	178.85	8.22	326.75	13.91
iii)	Stock in Transit				
	- Cement OPC	218.50	15.66	948.60	43.40
	- Cement PPC	334.50	10.41	870.80	34.56
iv)	Damaged Cement				
	- Cement OPC	595.60	-	2,515.95	-
	- Cement PPC	-	-	3,015.50	-
	Sub Total	**29,912.69**	**1,325.87**	**29,179.69**	**937.79**
b)	Clinker (Own manufactured)	212,215.33	6,328.71	173,355.68	4,006.87
	Clinker (Purchase)	-	-	-	-
	Sub Total	**212,215.33**	**6,328.71**	**173,355.68**	**4,006.87**

Cement Corporation of India Limited
Notes to Financial Statements

(₹ In Lakh)

Particulars		Year ended March 31, 2025		Year ended March 31, 2024	
5	**Net Sales including self consumption/ Transfer etc.**				
i)	Cement OPC	360,577.51	32,505.87	466,430.50	41,699.61
ii)	Cement PPC	312,044.42		377,456.20	
iii)	Cement used for testing	508.09	-	0.04	-
iv)	Cement shortage during transit	-	-	19.92	-
v)	Self Consumption OPC	79.75	3.86	16.25	0.99
vi)	Self Consumption PPC	270.20	12.05	78.24	4.91
		673,479.97	**32,521.78**	**844,001.15**	**41,705.51**
vii)	Clinker	-	-	-	-
6	**Closing Stock**				
a)	Cement				
i)	Stock at Factory				
	- Cement OPC	14,578.90	713.91	17,208.92	790.47
	- Cement PPC	6,669.93	291.23	10,884.47	475.84
ii)	Stock at Dumps				
	- Cement OPC	110.15	5.25	491.85	25.27
	- Cement PPC	123.15	5.53	178.85	8.22
iii)	Stock in Transit				
	- Cement OPC	75.00	4.02	218.50	15.66
	- Cement PPC	75.00	3.73	334.50	10.41
iv)	Damaged Cement				
	- Cement OPC	595.60	-	595.60	-
	- Cement PPC	-	-	-	-
	Sub Total	**22,227.73**	**1,023.67**	**29,912.69**	**1,325.87**
b)	Clinker (Own manufactured)	172,877.61	5,301.65	212,215.33	6,328.71
	Clinker (Purchase)	-	-	-	-
	Sub Total	**172,877.61**	**5,301.65**	**212,215.33**	**6,328.71**
7	**Others**				
i)	Clinker Transferred to /(from) other units	-	-	-	-
ii)	Cement Sold as Scrap /Cement discarded	-	-	4,935.85	-

Cement Corporation of India Limited
Notes to Financial Statements

(₹ In Lakh)

Particulars		Year ended March 31, 2025		Year ended March 31, 2024	
iii)	Clinker Sold as Scrap /Clinker discarded	12,166.72	91.73	17,593.35	192.20
	Total	**12,166.72**	**91.73**	**22,529.20**	**192.20**
8	**Clinker used for Cement Grinding**	581,426.00	24,380.46	773,527.00	30,066.16
9	**Raw Materials Consumed**				
i)	Limestone	802,509.65	2,754.04	1,205,548.92	3,760.28
ii)	Laterite	4,099.00	25.54	5,963.00	35.20
iii)	Iron Ore	15,466.00	422.30	22,885.00	597.76
iv)	Gypsum	17,052.00	509.64	24,713.00	726.00
v)	Shale	8,231.00	118.27	-	-
vi)	Fly Ash	68,868.00	854.41	60,935.00	528.67
vii)	Clinker (Purchase)	-	-	-	-
viii)	Burnt Clay	996.00	8.91	653.00	5.85
ix)	Others	23,085.00	13.43	17,203.00	8.82
	Total		**4,706.54**		**5,662.58**
10	**Value of Imports Calculated on CIF Basis in respect of:**				
i)	Raw Materials	-	-	-	-
ii)	Components and Spare Parts	-	-	-	-
iii)	Capital Goods	-	-	-	-
	Total		**-**		**-**
11	**Directly Imported and indigenously available Raw mateirals, Spare parts consumed and the percentage of each to the total consumption :**				
	Directly Imported	0.75%	48.79	0.75%	61.61
	Indigenously Available	99.25%	6,426.85	99.25%	8,139.77
		100.00%	6,475.64	100.00%	8,201.38

Cement Corporation of India Limited
Notes to Financial Statements

34 Notes Forming Part of Financial Statements

34.01 The claims/ counter claims lodged by the Corporation for ₹99,634.00 lakh (Previous year ₹99,634.00 lakh) are under arbitration/ pending in various Courts etc., and the outcome will be known only on award / decree etc. Hence effects are not given in the Accounts.

34.02 During assessment u/s 143(3) of the Income tax Act 1961 for A.Y. 2018-19, Assessing Officer has made addition of ₹183.14, lakh to the returned income of the Corporation thereby raising a demand of ₹73.36 lakh. Aggrieved with the said order of assessment, Corporation has filed an Appeal u/s 246A of the Income tax Act and the same is shown in contingent liability in the Financial Statements.

34.03 The contract of Bokajan Expansion, including Silchar Unit, had been awarded to M/s Promac Engineering Industries Limited, Bangalore (Contractor) in the year 2010 for ₹18,208 lakh. M/s Promac Engineering Industries Limited revoked the arbitration clause as per work order. CCI also lodged counter claim for loss/damage suffered due to non-execution of Bokajan Expansion work including Silchar for ₹93,013.28 lakh against the contractors claim of ₹11,513.00 lakh. Work Order issued to the party has been cancelled. In Silchar Unit case the learned arbitral tribunal has passed award against CCI dated 13.12.23, CCI has challenged award before Delhi High court, matter is under admission stage and in Bokajan unit case arguments are under progress.

34.04 Execution of title deeds for land of non operationg units are under process as MHI has given the direction for disinvestment and disposal of land of these Non-operating Units.

Delhi Development Authority (DDA) allotted land measuring 20.94 acres of lease hold land to CCI for setting up of a Grinding Unit and Railway siding.

DDA vide their letter dated 11.04.2017, suo moto transferred CCI's Lease hold land measuring 14.20 acres meant for setting up the Grinding Unit to South Delhi Municipal Corporation (SDMC). The cost of land of 14.20 acres is now shown as 'Recoverable from outside parties' as the same is recoverable from SDMC/DDA. Further, MCD vide letter dated 22.04.2024 has communicated handing over 9 acres of MCD land situated at Firozpur Kalan (Faridabad) to CCI in lieu of 14.20 acres of land. The action in this regard is under progress. Remaining 6.74 acres of land allotted for construction of Railway sidings for CCI was given to Railways to construct the Railway siding. Pending Construction of the railway siding work, the land along with siding is not yet handed over to CCI. Northern railway vide letter dated 01.01.2024 directed Delhi Division and construction organisation and has sought details in order to decide on the matter of CCI claim.

34.05 Mining lease is deemed to have been granted for all the Govt. Company as per Mineral (Mining by Govt. Co.) Rules 2015 dated 03.12.2015. Accordingly, mining leases of CCI are deemed to have been granted and is still valid.

34.06 The acquisition of Government lands outside the CCI, Adilabad Township and used as road from Pump house to National Highway No.7 measuring 32 guntas for which alienation orders are awaited from Revenue Department, Provision if any for this consideration is not made in the accounts.

34.07 The Office Building at Scope Complex, New Delhi, the cost thereof of ₹266.58 lakh excluding Electrical Installation of ₹5.70 lakh, is being amortized provisionally by way of depreciation, considering as a deemed owner.

34.08 A reference was made to Board of Industrial & Financial Reconstruction under section 15(1) of Sick Industrial Co. (SP) Act, 1985 vide letter No. SEC/84/96/513 dt. 25.04.1996. The Company was declared sick vide Hon'ble BIFR letter No. 501/96-BENCH IV SOL dt. 08.08.1996. Hon'ble BIFR in its hearing held on 21.03.2006 has approved the Rehabilitation Scheme prepared by M/s IFCI (OA) and approved by Govt. of India. The Sanctioned Scheme was circulated by Hon'ble BIFR on 03.05.2006 which inter alia envisaged settlement of secured and unsecured creditors and expansion/ technological upgradation of 3 operating plants and closure / sale of remaining 7 non-operating plants. As per sanctioned scheme closure has been made at seven units. MHI vide letter dated 09.02.2022 directed to sale plant and machinery, stores etc. of these non-operating units. Accordingly, Plant and machinery along with other assets of Aklatara, Charkhi Dadri, Kurkunta, Mandhar units were sold through M/s MSTC.

Further, pursuant to the outcome of MSTC E-Auction of Nayagaon Unit on dated 05.03.2025 and as per the related tender's terms and conditions, sale of Plant & Machinery along with dismantling , stores and spares on ""As is where is and clean sweep basis"" for an amount of ₹1,00,300 lakhs has been awarded to the Highest Bidder named M/s Manibhadra Sales Corporation. EMD amounting ₹440.00 lakhs in this regard is already received before March 31, 2025.

34.09 (i) Reliefs and concessions in respect of Creditors, State Governments, Other Govt. Departments and Agencies will be considered appropriately as and when such payments are made and such concessions/ reliefs become certain without any contingency attached to it or approval for the same is received, as the case may be.

(ii) Plan Loan from Government of India since 1975 (interest free) amounting to ₹15,090.07 lakh (Previous year: ₹15,090.07 lakh) will be repaid from the sale proceeds of seven non-operating units as per the sanctioned scheme dated 03.05.2006 of Hon'ble BIFR. Further, interest accrued amount of ₹12,385.27 lakh on Non Plan Loan provided by Govt. of India has been freezed with effect from 01.04.2011. The Company is in default in towards repayment to this extent. The interest will be paid out of sale proceeds of Non-operating Units.

34.10 Production at the following units has been discontinued from the dates mentioned against each unit:

Sl.	Unit Name	State	Discontinued from
i)	Mandhar	Chhattisgarh	Thursday, June 6, 1996
ii)	Charkhi Dadri	Haryana	Wednesday, August 14, 1996
iii)	Akaltara	Chhattisgarh	Monday, December 9, 1996
iv)	Nayagoan & Nayagaon Expansion	Madhya Pradesh	Monday, June 30, 1997
v)	Kurkunta	Karnataka	Sunday, November 1, 1998
vi)	Adilabad	Telengana	Thursday, November 5, 1998
vii) a	Delhi Grinding Unit	Delhi	Monday, February 8, 1999
vii) b	Bhatinda Grinding Unit	Punjab	Not Commissioned

The Draft Rehabilitation Scheme (DRS) prepared by IFCI (OA) was approved by Hon'ble BIFR in its hearing held on 21.03.2006 and sanctioned scheme circulated on 03.05.2006, envisaged settlement of secured and unsecured creditors and closure/sale of above 7 non-operating units. The market value of the assets in respect of the above 7 units as mentioned in the said scheme is higher than book value of Assets. Similarly, the market value of the Assets in respect of units

Bokajan, Rajban & Tandur are expected to be much more than the Book Value of the Assets. Hence, there is no indication of any potential impairment loss. Therefore, no provision for impairment loss has been considered in the Accounts.

34.11 During implementation of Rehabilitation Scheme, Non-cumulative Preference Share of ₹35,543.25 lakh was issued on 22.03.2007 for seven years, further extension for reissue of Preference Share has been sought from the Ministry after the end of term, response in this regard is yet to be received.

34.12 Deferred Tax Assets/ Liabilities are not recognized in the absence of virtual certainty of realization of the deferred tax assets within the allowable period under the Income Tax Act.

34.13 For classification of liabilities into current and non-current, the stipulations contained in the Sanctioned Scheme have been kept in view besides its nature.

34.14 Keeping in view the nature of business & Geographical status of the Corporation, the segment reporting under Accounting Standard-17 is not applicable.

34.15 In view of the directions of Ministry of Heavy Industries vide letter no. 1(1)/2017-PE-XII/ CPSE-III dated 09.02.2022, Gross Block of Property Plant Equipment amounting ₹ 386.84 lakhs and ₹ 5,227.17 lakhs of Nayagaon and Adilabad Unit respectively excluding township and Land are retired from active use and held for disposal in compliance with AS-10, Property, Plant and Equipment. Accordingly, working for depreciation is reviewed w.e.f from 2022-23 and necessary entries in this regard is made in the current financial year 2024-25 in compliance with the requirement of of AS-10.

34.16 Book profit for the current financial year as per the provisions of Section 115JB of Income Tax Act, 1961 is liable to MAT and the said amount is shown under Current Tax Expenses and MAT credit entitlement as well. MAT Credit being a Deferred Tax Assets, is shown in Note No.16.

34.17 Expenditure in foreign currency for royalty, knowhow, professional, consultation fee, interest and other matters ₹ 0 lakh (Previous year ₹ 0 lakh) Earning in foreign currency ₹ 0 lakh (Previous year ₹ 0 lakh)

34.18 The provisions of clause (87) of section 2 of the Act read with the Companies (Restriction on number of Layers) Rules, 2017 are not applicable to the Company as per Section 2(45) of the Companies Act, 2013.

34.19 The Company has not entered into any scheme of arrangement under sections 230 to 237 of the Companies Act, 2013.

34.20 As per information available, there are no transactions with respect to struck off companies as mentioned under section 248 of the Companies Act 2013 or section 560 of the Companies Act 1956.

34.21 As per the guidelines, 3rd Pay Revision for IDA employees has been issued by DPE on 29.05.2017. As per practice, the recommendation from 'Board of Directors' was sent to MHI for approval. The necessary approval from DHI was received and the same has been implemented. As per Presidential directives, Ministry has approved 3rd Pay revision for IDA employees w.e.f. April 01, 2023 without having arrears payable for earlier period. The provision for same in the books of accounts was reviewed during the year and based on the management's best assessment, said provision amounting to ₹1,986 lakhs is written back in the current financial year and disclosed as Contingent Liability in Note No.32 considering the ongoing proceedings in the case being pursued by Employee Union in Hon'ble Delhi High Court.

34.22 In case of Kurkunta unit, a security deposit amount of ₹ 530 lakhs pertains to PSN Medicare Private Limited (Bidder) is forfeited and disclosed as income in the books of accounts during F.Y. 2024-25, for non-fulfilment of the obligations as per relevant clauses of the tenders terms and

conditions in this regard. Arbitration clause has already been invoked in this case by the Bidder and the same is pending disposal as of date. Company is expecting favourable decision in this regard considering terms and conditions as stipulated in tender document.

34.23 During the year, management has made detailed review of old recoverable and payable balances outstanding in the books of accounts and accordingly made provisions for doubtful receivables and written back old balances along with all the documentations in this regard. Company has written back old liabilities which are no longer payable amounting ₹2,817.30 lakhs and made provision for doubtful receivables amounting ₹436.43 lakhs during the year 2024-25. The same has been appropriately disclosed in the Financial Statements.

34.24 The Company has not traded or invested in Crypto currency or Virtual Currency during the financial year.

34.25 Details of provision as per Accounting Standard-29, Refer Note 6 & 10.

Particulars	Opening Balance		Adjustment/Paid during the year		Addition during the year		Closing Balance	
	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
Capital work-in-progress	10.57	10.57	-	-	-	-	10.57	10.57
Other Provisions	4759.57	4182.34	3290.89	432.72	360.46	1009.94	1829.14	4759.56

34.26 Disclosure in respect of Micro and Small Enterprises as requried under Schedule-III of Companies Act, 2013 and MSMED Act, 2006.

(₹ In Lakh)

S. No	Description	Current Year	Previous Year
1	The principal amount remaining unpaid to supplier as at the end of accounting year.	645.39	924.99
2	The interest due thereon remaining unpaid to supplier at the end of accounting year.	295.32	405.24
3	The amount of interest paid in terms of Section 16 of MSMED Act, 2006 , along with the amount of payment made to the supplier beyond the appointed day during the year.	-	-
4	The amount of interest due and payable for the period of delay in making payment (which have been paid but beyond the appointed day during the year) but without adding the interest specified under MSMED Act, 2006.	-	-
5	The amount of interest accrued during the year and remaining unpaid at the end of the accounting year.	9.45	13.41
6	The amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding years, until such date when the interest dues as above are actually paid to the small enterprises for the purpose of disallowance as a deductible expenditure under Section 23 of MSMED Act, 2006.	295.32	405.24

34.27 Employee's Benefits as per Accounting Standard 15

The Corporation has adopted Accounting Standard 15 - Employees Benefits as per details given below:

i) Provident Fund

The Corporation pays fixed contribution of Provident Fund (P.F.) at pre-determined rates to a separate Trust which invests the funds in permitted securities. The Trust is required to pay a minimum rate of interest on contribution to the members of the Trust. Loss of the P.F. Trust, if any, is borne by the Corporation.

ii) Gratuity

The Corporation has a defined gratuity plan. Every employee is entitled to get gratuity as per provisions of the Gratuity Act. The liability for gratuity is recognized on the basis of actuarial valuation.

iii) Leave Encashment

Leave encashment is payable to the eligible employees who have accumulated Earned Leave (EL), Half Pay Leave (HPL) etc. The liability towards leave encashment is recognized on the basis of actuarial valuation.

iv) Other Defined Retirement Benefits

The Corporation has a Scheme for settlement at home town for employees and dependents at the time of Superannuation. This is recognized in the Statement of Profit & Loss on the basis of actuarial valuation.

The summary of various defined benefits recognised in the Statement of Profit & Loss and Balance Sheet are as follows:

A. Expenses recognized in Statement of Profit & Loss (₹ In Lakh)

S. No.	Particulars	Gratuity		Leave Encashment		Other Defined Retirement Benefits	
		31-03-25	31-03-24	31-03-25	31-03-24	31-03-25	31-03-24
a)	Current Service Cost	104.91	102.76	111.13	110.93	0.76	0.72
b)	Interest Cost	164.04	175.10	116.04	113.15	0.94	0.98
c)	Net actuarial (Gain)/Loss recognised in the year	(78.25)	83.25	130.87	67.24	(1.86)	(0.07)
d)	Expenses recognised in the Statement of Profit & Loss	190.69	361.11	358.04	291.32	(0.17)	1.63

B. Amounts recognized in Balance Sheet (₹ In Lakh)

S. No.	Particulars	Gratuity		Leave Encashment		Other Defined Retirement Benefits	
		31-03-25	31-03-24	31-03-25	31-03-24	31-03-25	31-03-24
a)	Present value of obligation as at the end of the period	2,065.29	2,275.16	1,544.95	1,609.43	12.83	13.00
b)	Funded status/Difference	(2,065.29)	(2,275.16)	(1,544.95)	(1,609.43)	(12.83)	(13.00)
c)	Net asset/(Liability) recognised in Balance Sheet*	(2,065.29)	(2,275.16)	(1,544.95)	(1,609.43)	(12.83)	(13.00)

* Above balance does not include YRO unit outstanding amount of gratuity ₹ 113.35 (P.Y. ₹ 113.35) and earned leave ₹ 14.74 (P.Y. ₹ 14.74, which not cover under acturial)

C. Change in present value obligation (₹ In Lakh)

S. No.	Particulars	Gratuity		Leave Encashment		Other Defined Retirement Benefits	
		31-03-25	31-03-24	31-03-25	31-03-24	31-03-25	31-03-24
a)	Present value of obligation as at the beginning of the year	2,275.16	2,375.91	1,609.43	1,535.26	13.00	13.16
b)	Current Service Cost	104.91	102.76	111.13	110.93	0.76	0.72
c)	Interest Cost	164.04	175.10	116.04	113.15	0.94	0.98
d)	Benefits Paid	(400.56)	(461.86)	(422.53)	(217.15)	-	(1.79)
e)	Actuarial (Gain)/Loss on obligation	(78.25)	83.25	130.87	67.24	(1.86)	(0.07)
f)	Present value of obligation as at the end of the year	2065.29	2275.16	1544.95	1609.43	12.83	13.00

D. Amount for the current period (₹ In Lakh)

S. No.	Particulars	Gratuity		Leave Encashment		Other Defined Retirement Benefits	
		31-03-25	31-03-24	31-03-25	31-03-24	31-03-25	31-03-24
a)	Present value of obligation as at the end of the year	2,065.29	2,275.16	1,544.95	1,609.43	12.83	13.00
b)	Surplus/(Deficit)	(2,065.29)	(2,275.16)	(1,544.95)	(1,609.43)	(12.83)	(13.00)

E. Actuarial Assumptions

S. No.	Description	As at 31 March 2025		As at 31 March 2024	
i)	Retirement age	60 years		60 years	
ii)	Age	***Withdrawal Rate***	***%age***	***Withdrawal Rate***	***%age***
		Upto 30 years	0%	Upto 30 years	0%
		From 31 to 44 years	1%	From 31 to 44 years	1%
		Above 44 years	1%	Above 44 years	1%
iii)	Discounting rate	6.79%		7.21%	
iv)	Future salary increase	6.00%		6.00%	
v)	Expected return on Plan Assets	Nil		Nil	

34.28 Ageing Schedule of Trade payables due for payment (Ref. Note No. 05 and 08 to Balance Sheet):

(₹ In Lakh)

S. No.	Particulars					
		Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	Total
i	**MSME**					
	-Current Year	500.10	59.58	-	54.86	614.54
	-Previous Year	792.93	1.73	-	99.48	894.14
ii	**Others**					
	-Current Year	1,987.63	106.19	114.88	1,940.50	4,149.20
	-Previous Year	1,311.12	543.27	122.73	2,727.95	4,705.07
iii	**Disputed dues - MSME**					
	-Current Year	-	30.85	-	-	30.85
	-Previous Year	30.85	-	-	-	30.85
iv	**Disputed dues - Others**					
	-Current Year	-	-	-	3.54	3.54
	-Previous Year	-	-	-	3.54	3.54

34.29 Ageing Schedule of Trade receivables outstanding (Ref. Note No. 16 to Balance Sheet):

(₹ In Lakh)

S. No.	Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment					Total
		Less than 6 months	6 months-1year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
i	**Undisputed Trade receivables -considered good**						
	-Current Year	-	-	-	-	-	-
	-Previous Year	-	-	-	-	-	-
ii	**Undisputed Trade Receivables-considered doubtful**						
	-Current Year	-	-	-	-	-	-
	-Previous Year	-	-	-	-	-	-
iii	**Disputed Trade Receivables-considered good**						
	-Current Year	-	-	-	-	-	-
	-Previous Year	-	-	-	-	-	-
iv	**Disputed Trade Receivables-considered doubtful**						
	-Current Year	-	-	-	-	-	-
	-Previous Year	-	-	-	-	-	-

34.30 Ageing Schedule of Trade receivables outstanding (Ref. Note No. 20 to Balance Sheet):

(₹ In Lakh)

S. No.	Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment					Total
		Less than 6 months	6 months-1year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
i	**(i) Undisputed Trade receivables -considered good**						
	-Current Year	332.15	1.09	2.66	1.95	67.54	405.39
	-Previous Year	367.47	1.40	20.32	7.83	63.95	460.97
ii	**(ii) Undisputed Trade Receivables-considered doubtful**						
	-Current Year	-	-	-	-	-	-
	-Previous Year	-	-	-	-	-	-
iii	**(iii) Disputed Trade Receivables-considered good**						
	-Current Year	-	-	-	-	47.06	47.06
	-Previous Year	-	-	-	-	47.06	47.06
iv	**(iv) Disputed Trade Receivables-considered doubtful**						
	-Current Year	-	-	-	-	-	-
	-Previous Year	-	-	-	-	-	-

34.31 Title deeds of Immovable Property not held in name of the Corporation as on 31.03.2025:

(₹ In Lakh)

S. No	Relevant line item in the Balance sheet	Description of item of property	Gross carrying value	Title deeds held in the name of	Whether title deed holder is a promoter, director or relative of promoter / director or employee of promoter / director	Property held since which date	Reason for not being held in the name of the company
i	PPE	Land	5.57	PSEB (Gurunanak dev Thermal Power station bhatinda)	No	Since 1995	Deemed ownership with CCI
		Building :					
		Office Building	266.58	Standing Conference of Public Enterprise	No	Since 1988	Deemed ownership with CCI
ii	Investment property	Land					
		Building					
iii	PPE retired from active use and held for disposal	Land					
		Building					
iv	others						

Gross carrying value of land where title deeds are yet to be executed as per note 34.04 (PPE retired from active use and held for disposal) is yet to be asertain, except 10.12 acres (Bhatinda Grinding Unit).

34.32 a) Ageing schedule of Capital-work-in progress as on 31.03.2025:

(₹ In Lakh)

S. No.	CWIP	Amount in CWIP for a period of				Total
		Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
	-Current Year					
	Projects in progress:					
i	Coal Shed	642.82	-	-	-	642.82
ii	Pollution control equipment	495.49	156.21	34.30	-	686.00
iii	Energy efficient motor and other's	26.86	-	45.40	-	72.26
iv	Hot Air Duct	94.93	22.79	-	-	117.72
v	Solar Power Plant	25.00	-	-	-	25.00
	Projects temporarily suspended:					
i	Plant capacity expansion including grinding.	-	-	-	3,140.99	3,140.99
ii	Plant and equipments	-	-	-	300.33	300.33
	Total	**1,285.09**	**179.00**	**79.70**	**3,441.32**	**4,985.12**
	-Previous Year					
	Projects in progress:					
i	Storage Silo	612.95	-	-	4.20	617.15
ii	Pollution control equipment	156.22	34.30	-	-	190.52
iii	Energy efficient motor and other's	77.26	45.40	-	-	122.66
iv	Hot Air Duct	22.79	-	-	-	22.79
v	Biometric machine	-	-	-	0.12	0.12
	Projects temporarily suspended:					
i	Plant capacity expansion including grinding.	-	-	-	3,140.99	3,140.99
ii	Plant and equipments	-	-	-	483.51	483.51
	Total	**869.22**	**79.70**	**-**	**3,628.83**	**4,577.75**

b) CWIP completion schedule for capital-work-in progress other than projects temporarily suspended, whose completion is overdue or has exceeded its cost compared to its original plan as on 31.03.2025:

(₹ In Lakh)

S. No.	CWIP	To be completed in			
		Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years
	Project 1				
	-Current Year	-	-	-	-
	-Previous Year	-	-	-	-
	Project 2				
	-Current Year	-	-	-	-
	-Previous Year	-	-	-	-

34.33 aa) Ageing schedule of Intangible assets under development as on 31.03.2025:

(₹ In Lakh)

S. No.	Intangible assets under development	Amount in CWIP for a period of				Total
		Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
	Projects in progress:					
i	Software Development					
	-Current Year	-	-	-	-	-
	-Previous Year	-	-	0.87	11.94	12.81
	Projects temporarily suspended:					
	-Current Year	-	-	-	-	-
	-Previous Year	-	-	-	-	-

b) Completion schedule for Intangible assets under development, whose completion is overdue or has exceeded its cost compared to its original plan, as on 31.03.2025:

(₹ In Lakh)

S. No.	CWIP	To be completed in			
		Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years
	Project 1				
	-Current Year	-	-	-	-
	-Previous Year	-	-	-	-
	Project 2				
	-Current Year	-	-	-	-
	-Previous Year	-	-	-	-

34.34 Details of Benami Property Held viz. Year of acquisition, Amount, beneficiaries, Proceedings if any : Nil

34.35 Timely filing of statutory returns in case of borrowings from banks or Financial Institutions on the basis of security of current assets. : Not Applicable

34.36 The Company has not revalued any of its Property, plant and equipment and intangible assets in current year and previous year.

34.37 The Company has not advanced or loaned or invested any fund to any entity (Intermediaries) with the understanding that the Intermediary shall lend or invest in party identified by or on behalf of the Company (Ultimate Beneficiaries). The Company has not received any fund from any party with the understanding that the Company shall whether, directly or indirectly lend or invest in other entities identified by or on behalf of the Company ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries.

34.38 The Company does not have any transaction which is not recorded in the books of accounts that has been surrendered or disclosed as income during the year in the tax assessments under the Income Tax Act, 1961

34.39 Details of declaration of wilful defaults of corporation by any bank or Financial Insititutions. : Not Applicable

34.40 Details and reasons of charges or satisfaction yet to be registered with registrar of companies beyond statutory period.

(₹ In Lakh)

S. No	Charge Holder Name	Amount	Reason
i	SYNDICATE BANK	460.00	Vacation of charge pending.
ii	STATE BANK OF HYDERABAD	1,230.00	Vacation of charge pending.
iii	LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA	300.00	Vacation of charge pending.
iv	GENERAL INSURANCE CORPORATION OF INDIA	300.00	Vacation of charge pending.

34.41 Key Financial Ratios:

S. No	Financial Ratios	Numerator/ Denominator	Year ended 31.03.2025	Year ended 31.03.2024	% Change	"Explanation for any change in the ratio by more than 25% as compared to the preceding year."
i	Current Ratio	Current Assets/ Current Liabilities	4.81	3.20	50.31%	Reduction in current liabilities over current assets during the year.
ii	Debt-Equity Ratio	Paid-up debt capital (Non current borrowings+Current borrowings)/ Shareholder's Equity (Total Equity)	0.60	0.68	-11.76%	-
iii	Debt Service Coverage Ratio	Profit for the year+Finance costs+ Depreciation and amortiation expenses + Exceptional items/ Finance Costs +lease payments + Scheduled principal repayments of non current borrowings	NA*	NA*	-	-
iv	Return on Equity Ratio	Profit for the year / Average Shareholder's Equity	13.09%	54.60%	-76.02%	Change in net income over Shareholder equity during the year.

S. No	Financial Ratios	Numerator/ Denominator	Year ended 31.03.2025	Year ended 31.03.2024	% Change	"Explanation for any change in the ratio by more than 25% as compared to the preceding year."
v	Inventory turnover ratio	Revenue from operations/Average Inventory	1.90	2.37	-19.83%	-
vi	Trade Receivables turnover ratio	Revenue from operations/Average trade receivables	68.05	100.66	-32.40%	Increase in Average trade receivables
vii	Trade payables turnover ratio	Total Purchase/ Operating expenses + Other expenses excluding non cash items) / Average Trade Creditors	12.33	18.12	-31.95%	Changes in Inventories of Finished Goods, Work-in-Progress and Stock in Trade leads to reduction of ratio.
viii	Net capital turnover ratio	Revenue from Operations/Working Capital+Current Maturities of Non current borrowings	0.92	1.20	-23.33%	-
ix	Net profit ratio	Profit / (Loss) after tax/Revenue from Operations	9.50%	22.74%	-58.22%	Change in net profit over net sales during the year.
x	Return on Capital employed	Earning Before interest and tax (EBIT)/ Capital Employed (Tangible net worth and total debt) - Deferred Tax Assets (net)	7.58%	25.53%	-70.31%	Change in PBIT over capital employed during the year.
xi	Return on investment	Investment Income/ Average Investment	NA*	NA*	-	-

*Not disclosed as either Numerator is zero or Denominator is zero/negative.

34.42 Balances shown under advances, trade payables and trade receivables, deposits to and from parties and other liabilities etc. are subject to confirmation/ reconciliation. These include certain old balances pending scrutiny for adjustment. Necessary effect would be given on completion of the same.

34.43 Mining lease of Tandur measuring Lime stone- 1516.07 acres is valid upto 31-03-2030. Renewal application for mining leases of Shale- 328.80 acres and Laterite- 102.32 acres are filed to Mining Department(Govt. of India Geology, Mines).

34.44 The special auditor appointed by SBI Caps, Merchant Bankers, as per the terms of the MOU/ Sale agreement in respect of Yerraguntala Unit had submitted their report. Pending reconciliation and confirmation with M/s India Cements Ltd., necessary liabilities as found accruing, on date of the sale has already been considered in the accounts.

34.45 The Expenditure incurred towards various activities under Corporate Social Responsibility (CSR) as per Companies Act, 2013 is given below. The total amount spent is shown in Note No. 30.

(₹ In Lakh)

S. No	Charge Holder Name	Year Ended 31-03-2025	Year Ended 31-03-2024
i)	Average net profit of Corporation for last three years	1645.91	2230.06
ii)	Prescribed CSR Expenditure (2% of the above under Companies Act, 2013)	32.92	44.60
iii)	Surplus arising out of CSR projects	2.77	4.39
iv)	Shortfall from previous year	-	-
v)	Total CSR obligation for the year [(ii)+(iii) -(iv)]	30.15	40.21
vi)	Total amount spent during the year as given below	31.45	42.98
vii)	Set off available for succeeding years	1.30	2.77
viii)	Amount unspent Closing (ii +ii-iv)	-	-

Details of the amount spent during the year

(₹ In Lakh)

S. No.	Particulars	Already paid		Yet to be paid		Total	
		Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
a)	Construction/Acquisition of any assets	-	-	-	-	-	-
b)	On purposes other than above						
	(i) Promoting Education	18.50	8.43	-	-	18.50	8.43
	(ii) Promoting Health Care	3.25	34.55	-	-	3.25	34.55
	(iii) Eradicating extreme hunger and poverty	1.70	-			1.70	
	(iv) Any other social expense	8.00	-			8.00	-
	Total	**31.45**	**42.98**	**-**	**-**	**31.45**	**42.98**

34.46 In accordance with Accounting Standard-18 'Related Party Disclosures' of the Companies (Accounting Standard) Rules, 2006, it is certified by the Management that no Related Party Transactions have been made during the year. The details of remuneration paid to Key Managerial Personnel are given below:

(₹ In Lakh)

S. No	Name of the Key Managerial Personnel	Designation	Year Ended 31-03-2025	Year Ended 31-03-2024
i)	Sh. Sanjay Banga	Chairman & Managing Director	55.37	51.71
ii)	Sh. Pradeep Kumar Chand	Director (Fin)	50.28	44.32
iii)	Sh. Ajay Kumar Sharma	Company Secretary	28.30	28.12

In addition, C&MD and full time Directors are also allowed to use company vehicle for non-duty journey upto 1,000 kms. per month on payment of ₹2,000/- per month.

34.47 The Earnings Per Share (EPS) of the company as per Accounting Standard-20 notified under Compnaies Act, 2013:

(₹ In Lakh)

S. No	Charge Holder Name	Year Ended 31-03-2025	Year Ended 31-03-2024
a)	Net Profit after tax for the year (₹ Lakh)	3,104.82	9,505.25
b)	Less: Extraordinary/Exceptional items (₹ Lakh)	-	9,942.13
c)	Less: Dividend on Non- Cumulative Preference Shares (₹ Lakh)	3.55	3.55
d)	Net Profit after tax attributable to Equity Share Holders (₹ Lakh)	3,101.27	(440.43)
e)	Number of Equity Shares outstanding during the year	4,559,749	4,559,749
f)	Face Value of Equity Share (₹)	1,000.00	1,000.00
g)	Basic Earnings Per Share (₹)	68.01	(9.66)
h)	Diluted Earnings Per Share (₹)	68.01	(9.66)

34.48 Figures of the previous year have been split up and regrouped, wherever necessary, so as to correspond to the current year figures.

For S K MEHTA & CO.
Chartered Accountants
FRN 000478N

Sd/-
(CA Rohit Mehta)
Partner
Membership No.091382

Date: 06.08.2025
Place: New Delhi

For and on behalf of Board of Directors

Sd/-
(Sanjay Banga)
Chairman & Managing Director
DIN : 09353339

Sd/-
(Ajay Kumar Sharma)
Company Secretary)

Sd/-
(Pradeep Kumar Chand)
Director (Finance)
DIN : 09711963

Sd/-
(Syed Shariq Hussain)
Sr. Manager (Finance)

कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा,
उद्योग एवं कॉर्पोरेट कार्य
ए.जी.सी.आर, भवन, आई.पी. एस्टेट,
नई दिल्ली–110 002

सत्यमेव जयते

OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT,
INDUSTRY AND CORPORATE AFFAIRS
A.G.C.R. BUILDING I.P. ESTATE,
NEW DELHI-110 002

संख्या: एएमजी-III/2(33)/वार्षिक लेखे/
सीसीआई(2024-25)/(2025-26)/299
दिनाँक: 01 OCT 2025

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,
कोर - 5, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, लोधी रोड,
नई दिल्ली – 110 003

विषय : **कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (b) के अधीन 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के वार्षिक लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।**

महोदय,

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (b) के अधीन 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के वार्षिक वित्तीय लेखों पर उपरोक्त विषय संबंधित संलगन पत्र अग्रेषित है।

भवदीय,

पवन 1/10/25

(डॉ. पवन कुमार कोंडा)
ओएसडी
(उद्योग एवं कारपोरेट कार्य)
नई दिल्ली

संलग्नक:- यथोपरि

दूरभाष / Phone : +91-11-23702357, फैक्स / Fax : +91-11-23702359, E-mail : pdaica@cag.gov.in

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6) (b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF CEMENT CORPORATION OF INDIA LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2025

The preparation of financial statements of Cement Corporation of India Limited for the year ended 31 March 2025 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the Company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under Section 139(5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 06 August 2025.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of Cement Corporation of India Limited for the year ended 31 March 2025 under section 143(6) (a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the Statutory Auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

On the basis of my supplementary audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to the statutory auditors' report under section 143(6)(b) of the Act.

For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

1/10/25

(Dr. Pawan Kumar Konda)
OSD
(Industry & Corporate Affairs)
New Delhi

Place: New Delhi
Date: 01 OCT 2025

Our Employees –Our Greatest Asset

In today's competitive market, retaining top talent is essential. For over 60 years, the Cement Corporation of India (CCI) has prioritized the growth and well-being of its employees—its most valuable asset—to foster a productive, committed, and engaged workforce.

CCI is powered by a skilled and motivated workforce that has been the cornerstone of its sustained progress. Despite a significant reduction in manpower over the years, the company's profitability remains unaffected—a testament to the efficiency and dedication of its employees. CCI has consistently evolved its HR policies to align with changing employee value propositions, fostering a supportive and dynamic work environment. A deeply rooted organizational culture and strong value system have not only shaped the behaviour and mind set of employees but also steered the overall direction of the business. These core elements serve as the lifeblood of the corporation, driving high performance, encouraging innovation, and enabling remarkable achievements. At CCI, employees are not just contributors—they are key stakeholders, whose efforts directly impact the company's success.

At CCI, employees are regarded as brand ambassadors and the true face of the organization. The corporation firmly believes that investing in its people is key to long-term success—driving productivity, loyalty, and meaningful outcomes.

To cultivate a culture of creativity, innovation, and cross-functional learning, CCI has institutionalized **Knowledge Sharing Sessions**, conducted virtually to strengthen inter-unit and inter-departmental collaboration and enhance overall efficiency.

Functional research initiatives are actively supported and closely monitored by the Chairman and Managing Director to ensure knowledge transfer across all organizational levels. Regular plant visits by the Chairman and Managing Director further reinforce employee engagement, encouraging open dialogue and strengthening workplace morale. CCI's approach to building an engaged workforce is rooted in key pillars such as talent management, strategic communication, workforce planning, employee recognition, and participative management—creating a dynamic and people-centric work environment.

CCI's journey toward excellence has been driven by the strength and quality of its human resources, as reflected in its current manpower profile. Nearly, 78% of the workforce comprises technically and professionally qualified individuals, including degree or diploma holders and management graduates. The organization also benefits from a dynamic and productive age profile, with approximately 64 % of employees falling within the 25 to 50 age group-contributing to high energy, adaptability, and operational efficiency.

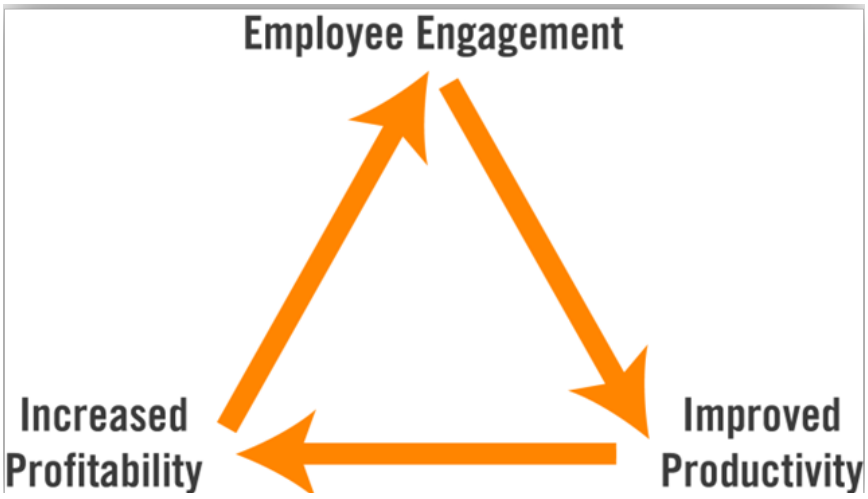

Professional Profile			
Sl No.	Particulars	No. of Employees	
		As on 31.03.2024	As on 31.03.2025
1	PHDs	1	1
2	Post Graduate Engineers	2	2
3	Graduate Engineers	68	61
4	MBAs	19	17
5	Professional Diploma Holders	15	13
6	Post Graduate	16	14
7	CA/ICWA/SAS/ACS	6	5
8	Engineer Diploma Holders	34	30
9	Graduate	37	33
10	ITI Certificate Holders	77	68
11	Others	71	66
	Total	**346**	**310**

The Age wise and category wise distribution of employees as on 31.03.2025									
Row Labels	**26-30**	**31-35**	**36-40**	**41-45**	**46-50**	**51-55**	**56-60**	**Grand Total**	**Average Age**
EXE.		4	25	21	7	13	23	93	47
SUP.	1	12	15	7	1	5	24	65	46
WORKER	6	16	40	30	12	15	33	152	45
Grand Total	**7**	**32**	**80**	**58**	**20**	**33**	**80**	**310**	**46**

CEMENT CORPORATION OF INDIA LIMITED														
	REPRESENTATION OF SCs/STs/OBCs.				No. of appointments made during the calender year(Regular)									
	(AS ON 01/01/2025)				By Direct Recruitment				By Promotion			By Deputation / Absorption		
Groups	Total No. of Employees	SCs	STs	OBCs	Total	SCs	STs	OBCs	Total	SCs	STs	Total	SCs	STs
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Group A-TOT	94	11	2	20	0	0	0	0	26	5	1	0	0	0
Group B-TOT	67	9	6	16	0	0	0	0	24	1	3	0	0	0
Group C-TOT	144	27	14	45	0	0	0	0	42	3	7	0	0	0
GROUP D-TOT	10	1	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	**315**	**48**	**25**	**84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**92**	**9**	**11**	**0**	**0**	**0**

CEMENT CORPORATION OF INDIA LIMITED					
	REPRESENTATION OF SCs/STs/OBCs.				
	(AS ON 01/01/2025)				
Groups	Total No. of Employees	SCs	STs	OBCs	PWD
1	2	3	4	5	6
Group A-TOT	93	11	2	18	1
Group B-TOT	65	9	6	16	1
Group C-TOT	147	27	16	47	1
GROUP D-TOT	5	1	1	1	0
Total	**310**	**48**	**25**	**82**	**3**

NAME OF THE UNIT	CCI LIMITED																	
Manpower strength of Physically Challanged employeess as on 01/01/2025																		
Group-wise manpower strength of Physically Challanged employees as on 01/01/2025																		
Groups	**NUMBER OF EMPLOYEES**				**DIRECT RECRUITMENT (DURING THE CALENDER YEAR)**							**PROMOTION**						
	(AS ON 01/01/2025)				**NO. OF VACANCIES RESERVED**			**NO. OF VACANCIES MADE (APPOINTED)**				**NO. OF VACANCIES RESERVED**			**NO. OF VACANCIES MADE (APPOINTED)**			
	Total	VH	HH	OH	VH	HH	OH	Total	VH	HH	OH	VH	HH	OH	Total	VH	HH	OH
Group A	**94**	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Group B	**67**	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Group C	**144**	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Group D	**10**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	**315**	**0**	**0**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Note: VH stands for Visually Handicapped (persons suffering from blindness or low vision)
ii) HH stands for Hearing Handicapped (persons suffering from hearing impairment)
iii) OH stands for orthopaedically Handicapped (persons suffering from locomotor disability or cerebral palsy)

Salient features of our Units

MANDHAR (Distt. Raipur, Chhattisgarh)

This is the first unit of the Corporation, which went into production in July, 1970 adopting the wet process and this was expanded to produce slag cement from November, 1978. The slag requirement is drawn from Bhillai Steel Plant.

Particulars	2024-25	2023-24	2022-23
Installed capacity (in lakh tonnes)	3.80	3.80	3.80
Production (in lakh tonnes)	-	-	-
Value of Production (in lakhs)	-	-	-
Profit/(Loss) (₹ in lakhs)	**503**	**4064**	**(131)**

As per MHi directions, The Plant & Machinery and other Assets was sold during F.Y. 2023-24

KURKUNTA (Distt. Gulbarga, Karnataka)

This is the second wet process unit which went into production from October, 1972.

Particulars	2024-25	2023-24	2022-23
Installed capacity (in lakh tonnes)	1.98	1.98	1.98
Production (in lakh tonnes)	-	-	-
Value of Production (in lakhs)	-	-	-
Profit/(Loss) (₹ in lakhs)	**688**	**4703**	**(157)**

As per MHi directions, The Plant & Machinery and other Assets was sold during F.Y. 2023-24

BOKAJAN (Distt. Karbi Anglong, Assam)

This unit is located in difficult area in Karbi Anglong Distt. of Assam, set up more from a socio economic point of view of serving the neighboring areas with cement, rather than only from normal economic consideration. Limestone for this unit is transported, by ropeway 18 Kms long, passing through difficult terrain. The unit went into production from1st April, 1977.

Particulars	2024-25	2023-24	2022-23
Installed capacity (in lakh tonnes)	1.98	1.98	1.98
Production (in lakh tonnes)	0.98	1.18	1.30
Value of Production (in lakhs)	6291	8391	8671
Profit/(Loss) (₹ in lakhs)	**217**	**503**	**431**

RAJBAN (Distt. Sirmur, Himachal Pradesh)

This is yet another unit located in a hilly and difficult area. In addition to normal communication being difficult, the unit is serviced for both inward movement of materials and outward movement of finished products by road transport for a considerable lead, as the Unit does not have nearby rail head. The entire

production of this factory has to be distributed by road. From the quarry situated in the hills, limestone is transported by a ropeway of 9 kms. The unit is in commercial production from April, 1980.

Particulars	2024-25	2023-24	2022-23
Installed capacity (in lakh tonnes)	2.48	2.48	2.48
Production (in lakh tonnes)	1.41	1.41	1.57
Value of Production (in lakhs)	7558	8474	9145
Profit/(Loss) (₹ in lakhs)	**182**	**109**	**605**

NAYAGAON (Distt. Mandsaur, Madhya Pradesh)

This unit with an annual installed capacity of 4 lakh tonnes went into commercial production from 1st March, 1982.

Particulars	2024-25	2023-24	2022-23
Installed capacity (in lakh tonnes)	4.00	4.00	4.00
Production (in lakh tonnes)	-	-	-
Value of Production (₹in lakhs)	-	-	-
Profit/(Loss) (₹ in lakhs)	**63**	**(49)**	**(195)**

Expansion project by another 10 lakh tonnes was undertaken on the concept of split location i.e. clinkerisation at Nayagaon and grinding of clinker at Delhi and Bhatinda. Clinkerisation plant at Nayagaon and grinding unit at Delhi have gone in to commercial production from 1.5.90.

NAYAGAON Expn. Including DGU & BGU

Particulars	2024-25	2023-24	2022-23
Installed capacity (in lakh tonnes)	5.00	5.00	5.00
Production (in lakh tonnes)	-	-	-
Value of Production (in lakhs)	-	-	-
Profit/(Loss) (₹ in lakhs)	**23**	**(62)**	**(89)**

AKALTARA (Distt. Bilaspur, Chhattisgarh)

This unit went into commercial production from 1st April, 1981.

Particulars	2024-25	2023-24	2022-23
Installed capacity (in lakh tonnes)	4.00	4.00	4.00
Production (in lakh tonnes)	-	-	-
Value of Production (in lakhs)	-	-	-
Profit/(Loss) (₹ in lakhs)	**245**	**504**	**4896**

As per MHi directions, The Plant & Machinery and other Assets was sold during F.Y. 2022-23

CHARKHI DADRI (Distt. Bhiwani, Haryana)

This was a sick unit taken over by the Government of India and vested with CCI in June, 1981. After rehabilitation within a short period, cement grinding was started by September, 1981 and clinker production started subsequently. Out of two streams, only one was capable of rehabilitation.

Particulars	2024-25	2023-24	2022-23
Installed capacity (in lakh tonnes)	1.74	1.74	1.74
Production (in lakh tonnes)	-	-	-
Value of Production (in lakhs)	-	-	-
Profit/(Loss) (₹ in lakhs)	**9**	**(43)**	**3017**

As per MHi directions, The Plant & Machinery and other Assets was sold during F.Y. 2022-23

ADILABAD (Distt. Adilabad, Telengana)

This unit went into commercial Production from April, 1984

Particulars	2024-25	2023-24	2022-23
Installed capacity (in lakh tonnes)	4.00	4.00	4.00
Production (in lakh tonnes)	-	-	-
Value of Production (in lakhs)	-	-	-
Profit/(Loss) (₹ in lakhs)	**47**	**(130)**	**(256)**

TANDUR (Distt. K. V. Ranga Reddy, Telengana)

This unit went into commercial production from 1st July, 1987

Particulars	2024-25	2023-24	2022-23
Installed capacity (in lakh tonnes)	10.00	10.00	10.00
Production (in lakh tonnes)	4.27	5.90	5.82
Value of Production (in lakhs)	17470	27642	26925
Profit/(Loss) (₹in lakhs)	**1128**	**(94)**	**1408**

विषय सूची

1

निगम सिंहावलोकन

निदेशक मंडल 3

प्रमुख पदाधिकारी 4

2

सांविधिक रिपोर्ट

अध्यक्ष का अभिभाषण 5

निदेशकगणों की रिपोर्ट 156

प्रबंधन के साथ चर्चा और विश्लेषण 201

निगम शासन 55

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट 63

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट 216

3

वित्तीय विवरणिका

वित्तीय विवरणिका 2024–25 87

नकदी प्रवाह विवरणिका 89

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां 140

4

अतिरिक्त सूचना

हमारे कर्मचारी – हमारी सबसे बड़ी परिसंपत्ति 291

हमारी इकाईयों की प्रमुख विषेशताएं 146

61वीं वार्षिक सामान्य बैठक में अध्यक्षीय अभिभाषण

अध्यक्ष का संदेश

सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऐसे बाजार में कार्य करता है जहां पर गलाकाट प्रतिस्पर्धा है और सीमेंट के विनिर्माण और बिक्री कार्य में लगा केन्द्र सरकार का एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (सीपीएसयू) है। हम उत्तर, दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में स्थित ग्राहकों को सेवा प्रदान करते हैं। भारतीय सीमेंट बाजार 2047 तक विकसित भारत बनने के भारत के दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण चालक है और घरों, सड़कों, पुलों, बहुमंजिला भवनों, बांधों और सुरंगों जैसी विभिन्न निर्माण गतिविधियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सीमेंट भी आठ प्रमुख उद्योगों में से एक है और इस प्रकार राष्ट्र निर्माण के लिए नितांत महत्वपूर्ण है। भारत चीन के बाद विष्व का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक भी है। सीसीआई की तीन प्रचालनरत इकाइयाँ हैं जो तेलंगाना के तांदूर, हिमाचल प्रदेश के राजबन और असम के बोकाजन में अवस्थित हैं। ये संयंत्र सत्तर और अस्सी के दशक में स्थापित किए गए थे ताकि भारत सीमेंट उत्पादन में आत्मनिर्भर बन सके।

वैश्विक दृष्टिकोण

वैश्विक अर्थव्यवस्था ने वर्ष 2024 में अपनी लचीलापन साबित किया और दो व्यापक युद्धों, मुद्रास्फीति के दबावों, दुविधाजनक व्यापार संबंधों और अन्य व्यवधानों के बावजूद 3.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। भू–राजनीतिक तनावों ने बाजार की अनिश्चितताओं को और बढ़ा दिया और प्रतिस्पर्धी प्रभाव क्षेत्रों द्वारा आकार ली गई खंडित विश्व अर्थव्यवस्था ने और जटिलताएँ बढ़ा दीं। ये आगामी वित्तीय वर्ष के लिए भी महत्वपूर्ण चुनौतियाँ बनी रहने की संभावना है।

नए टैरिफ और जवाबी कार्रवाई के उपाय वैश्विक व्यापार को नकारात्मक स्तर पर ला सकते हैं, तथापि वैश्वीकरण द्विपक्षीय व्यापार समझौतों को बढ़ावा दे रहा है जो आज के वैश्विक व्यापार के तौर–तरीकों को बदल सकते हैं। हालाँकि, यह भारत को बढ़ती संख्या में देशों के लिए एक विश्वसनीय व्यापारिक और रणनीतिक साझेदार के रूप में उभरने का अवसर भी प्रदान करता है।

भारतीय दृष्टिकोण

सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर लगभग 6.5 प्रतिशत रही। इसके अतिरिक्त, जनवरी–मार्च 2025 तिमाही में निर्माण, विनिर्माण और निरंतर पूंजीगत व्यय के कारण 7.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। जोखिम भी संतुलित हैं और खपत, विशेष रूप से घरेलू, में और वृद्धि होने की संभावना है। सार्वजनिक निवेश भारतीय विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता रहेगा। व्यक्तिगत आवास निर्माण अभी भी कुल सीमेंट खपत का लगभग दो–तिहाई हिस्सा है।

भारत का निर्यात भी 825 अरब अमेरिकी डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुँच गया और मुद्रास्फीति दर पिछले वित्त वर्ष के 5.4 प्रतिशत से घटकर 4.6 प्रतिशत रह गई। वित्त वर्ष 25–26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जिसमें घरेलू खपत और सार्वजनिक निवेश प्रमुख प्रेरक बने रहेंगे।

निर्माण सामग्री उद्योग का एक अभिन्न अंग होने के कारण, सीमेंट को गति शक्ति, किफायती आवास और विभिन्न बुनियादी ढाँचा विस्तार परियोजनाओं जैसी विभिन्न सरकारी पहलों से लाभ होगा। जहाँ वैश्विक वित्तीय बाजार में अस्थिरता, भू–राजनीतिक तनाव और व्यापार बाधाओं/शुल्कों के कारण नकारात्मक जोखिम उत्पन्न हो रहे हैं, वहीं भारत की सुदृढ़ व्यापक आर्थिक बुनियाद, सुदृढ़ वित्तीय क्षेत्र, बढ़ता मध्यम वर्ग और सतत विकास के प्रति प्रतिबद्धता भारत को वित्त वर्ष 25–26 में भी सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बने रहने की स्थिति में रखती है।

आपकी कंपनी का कार्य–निष्पादन

सीसीआई का सबसे बड़ा दस लाख टन क्षमता वाला सीमेंट संयंत्र तेलंगाना राज्य के तांदूर में अवस्थित है। दक्षिण भारत देश

का सीमेंट अधिशेष क्षेत्र रहा है और निरंतर बना हुआ है। हमारे आसपास के क्षेत्र में लगभग 3.5 करोड़ टन वार्षिक सीमेंट उत्पादन क्षमता उपलब्ध है। वर्ष 2024–25 में सीमेंट कंपनियों, विशेषकर अदानी और अल्ट्रा टेक, के बीच कीमतों को लेकर काफी उथल पुथल रही जिसके परिणामस्वरूप विलय और अधिग्रहण की बाढ़ सी आ गई। इससे कई बाजारों में लाभप्रद रूप से बिक्री करने की हमारी क्षमता प्रभावित हुई। तथापि, सीसीआई हमारे आस–पास के बाजारों में उपभोक्ताओं की पसंदीदा बनी रही, जो ब्रांड की मजबूती और ग्राहक संतुष्टि को दर्शाता है। उत्तर और दक्षिण भारत, दोनों में कीमतों पर भारी दबाव रहा। पूर्वोत्तर भारत में भी प्रतिस्पर्धा बढ़ी और कई उत्पादकों ने विस्तार किया।

बोकाजन इकाई को मणिपुर में दो समुदायों के बीच संघर्ष के कारण रसद संबंधी बाधाओं और निर्माण गतिविधियों में कमी की चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा, जो बोकाजन इकाई के लिए एक प्रमुख बाजार है। विभिन्न विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, राजबन इकाई, जो मुख्य रूप से उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश राज्यों को सीमेंट की आपूर्ति करती है, पिछले वित्त वर्ष की तुलना में अपनी बिक्री लगभग बनाए रखने में सक्षम रही। इन चुनौतियों के कारण, वित्त वर्ष 24–25 के दौरान सीसीआई की वार्षिक बिक्री 6.73 लाख मीट्रिक टन रही, जबकि वित्त वर्ष 23–24 के दौरान यह 8.43 लाख मीट्रिक टन थी।

तथापि, एक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाते हुए, हमने तांदूर इकाई से कंक्रीट स्लीपर प्लांट के लिए कुछ ही सीमेंट कंपनियों द्वारा उत्पादित एक विशेष ग्रेड सीमेंट, आईआरएस टी–40 का उत्पादन और बिक्री पुनः शुरू कर दी है। व्यापार क्षेत्र में, हम पोर्टलैंड पॉजोलोना सीमेंट (पीपीसी) की बिक्री पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, लेकिन सभी इकाइयों में साधारण पोर्टलैंड सीमेंट (ओपीसी) भी उपलब्ध है।

आगे चलकर, मूल्य स्थिति स्थिर हो सकती है क्योंकि अधिकांश उद्योग मूल्य निर्धारण में चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और विलय एवं अधिग्रहण का दौर समाप्त होने के बाद, उद्योग की गतिशीलता बदल सकती है। हालाँकि, दक्षिण भारत सीमेंट अधिशेष वाला क्षेत्र बना रहेगा और क्षमता उपयोग पर दबाव बना रहेगा।

विकास संबंधी पहलें

सीमेंट उत्पादन स्वाभाविक रूप से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में एक प्रमुख योगदानकर्ता होने के बावजूद, सीसीआई अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम तीनों सीमेंट इकाइयों में सौर संयंत्रों की स्थापना पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। राजबन और बोकाजन इकाइयों में एक–एक मेगावाट के सौर संयंत्र पहले ही चालू हो चुके हैं, जबकि तांदूर इकाई में 6 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के प्रयास चल रहे हैं।

हम अपशिष्ट ऊष्मा पुनर्प्राप्ति प्रणालियाँ भी स्थापित कर रहे हैं और राजबन तथा बोकाजन इकाइयों में ऐसी इकाइयाँ पहले ही चालू हो चुकी हैं। तांदूर इकाई में एक फ्लाई ऐश हैंडलिंग प्रणाली भी चालू की गई है जिससे क्लिंकर रूपांतरण कारक में वृद्धि हुई है और पर्यावरण–अनुकूल सीमेंट का उत्पादन भी बढ़ा है। सूखी फ्लाई ऐश अब ताप विद्युत संयंत्रों से प्राप्त की जा रही है।

हमारा उत्तरदायित्व आस–पास के समुदायों तक भी फैली हुई है जहाँ सीसीआई शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसी विभिन्न बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करता है और हमारा प्रयास होगा कि हम सार्वजनिक क्षेत्रों से जुड़े मानवीय दृष्टिकोण को जारी रखें।

कारपोरेट सामाजिक उत्तरादायित्व

सीएसआर नीति बोर्ड द्वारा अनुमोदित है तथा इस नीति को कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों तथा सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार निगम में क्रियान्वित किया जा रहा है।

कारपोरेट से संबंधित शासन प्रणाली

कंपनी का मानना है कि कंपनी के सभी हितधारकों के साथ नैतिक और पारदर्शी व्यावसायिक व्यवहार कॉर्पोरेट प्रशासन के मानदंडों का पालन करने की कुंजी है। आपकी कंपनी इसी प्रतिबद्धता को दोहराती है। मुझे आपको यह बताते हुए अपार प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि आपकी कंपनी कॉर्पोरेट शासन के संबंध में ''उत्कृष्ट रेटिंग'' प्राप्त करने में निरंतर सफल रही है। कंपनी द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक मूल्य के किसी भी निविदा से उत्पन्न होने वाली किसी भी शिकायत की निगरानी और समाधान के लिए स्वतंत्र बाहरी अनुवीक्षक (आईईएम) नियुक्त किए गए हैं। मैं आपका ध्यान निदेशकों की रिपोर्ट की ओर आकर्षित करना चाहूँगा, जिसमें कारपोरेट शासन के अंतर्गत एक अलग खंड सम्मिलित है।

आभार

यह आपका निरंतर समर्थन और विश्वास ही है जो हमें उत्कृष्टता के लिए नए प्रयास करने के प्रति निरंतर प्रेरित करता है और मैं, आपकी कंपनी के निदेशक मंडल की ओर से, आपको और भारत सरकार, विशेष रूप से भारी उद्योग मंत्रालय को हमारे सभी प्रयासों में उनके मार्गदर्शन और समर्थन के लिए हार्दिक धन्यवाद देना हूँ।

मैं सीसीआई के उत्पादों को निरंतर समर्थन देने के लिए सरकारी और निजी क्षेत्र के हमारे सम्मानित ग्राहकों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं।

मैं भारत सरकार, राज्य सरकारों, सीएजी, हमारे बैंकरों, सांविधिक लेखा परीक्षकों, प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा, उद्योग और कॉर्पोरेट कार्य और अन्य सभी प्राधिकरणों और एजेंसियों के अपार सहयोग के लिए भी आभार व्यक्त करता हूं।

अंत में, मैं निगम के समग्र विकास और वृद्धि में कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शित प्रतिबद्धता, भागीदारी और समर्पण के प्रति कृजज्ञता व्यक्त करता हूं।

आप सभी का पुनः धन्यवाद,,

जय हिंद,

ह/–
(संजय बंगा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिनांकः 9 अक्तूबर, 2025
स्थानः नई दिल्ली

निदेशकगणों की रिपोर्ट

सेवा में,

सदस्यगण,

आपकी कंपनी के निदेशक मंडल की ओर से, मुझे 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लेखापरीक्षित लेखाओं के साथ आपकी कंपनी की 61वीं वार्षिक रिपोर्ट, लेखापरीक्षक रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अपार प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है।

1. वित्तीय कार्य–निष्पादन

गत वर्ष के आंकड़ों के साथ वर्ष 2024–25 के लिए कंपनी का वित्तीय निष्पादन इस प्रकार है:

(₹ in Crore)

क्र. सं.	विवरण	वर्ष 2024–25 को समाप्त वर्ष के लिए	वर्ष 2023–24 को समाप्त वर्ष के लिए
1	प्रचालन से निवल आय	326.81	418.04
2	अन्य आय	114.61	56.32
3	मूल्यह्रास एवं ब्याज से भिन्न कुल आय	396.21	465.58
4	असाधारण आय / (व्यय)	0.00	99.42
5	पीबीडीआईटी	45.21	108.20
6	घटाएं: वित्तीय लागत	0.53	0.00
7	पीबीडीटी	44.68	108.20
8	घटाएं: मूल्यह्रास	13.63	13.15
9	कर पूर्व लाभ / (हानि)	31.05	95.05
10	घटाएं: आय कर	2.60	16.61
11	जोडें: एमएटी क्रेडिट पात्रता	2.60	16.61
12	करोपरांत निवल लाभ	31.05	95.05

1.1 निगम ने गत वर्ष में 95.05 करोड़ रुपए के निवल लाभ के सापेक्ष वर्ष 2024–25 में 31.05 करोड़ रुपये का निवल लाभ अर्जित किया। इसके अतिरिक्त गत वर्ष की 8.50 लाख मीट्रिक टन के सापेक्षे इस वर्ष 6.66 लाख मीट्रिक टन सीमेंट का उत्पादन हुआ है।

2. लाभांश

कंपनी को वित्त वर्ष के दौरान घाटा हुआ है। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए कोई लाभांश घोषित नहीं किया जाएगा।

3. कारोबारी प्रचालन और भविष्य की संभावनाओं की समीक्षा

आपके निदेशक वर्ष 2024–25 के दौरान किए गए कारोबारी प्रचालन का विवरण प्रस्तुत करना चाहते हैं:–

क. प्रचालन

(i) इकाइयों का कार्य–निष्पादन–

अलग–अलग और सामूहिक रूप से परिचालन इकाइयों की क्षमता का उपयोग सीमेंट (प्रतिशत), क्लिंकर उत्पादन (मीट्रिक टन), सीमेंट उत्पादन (मीट्रिक टन) और सीमटें का प्रेषण (मीट्रिक टन) इस प्रकार है –

विवरण	यूओएम	बोकाजन		राजबन		तांदूर		कुल प्रचालनरत संयत्र	
		24-25	23-24	24-25	23-24	24-25	23-24	24-25	23-24
सीमेंट का उपयोग	%	49.37	59.72	56.64	57.02	42.73	59.00	46.02	58.76
क्लिंकर उत्पादन	मीट्रिक टन	85250	121250	119005	127370	350000	581360	554255	829980
सीमेंट उत्पादन	मीट्रिक टन	97750	118250	140775	141420	427270	590000	665795	849670
प्रेषण	मीट्रिक टन	101351	112652	139331	140047	431958	589720	672640	842419

(ii) गुणवत्ता:

सीसीआई विभिन्न प्रकार के सीमेंट जैसे पोर्टलैंड पॉजोलाना सीमेंट (पीपीसी), साधारण पोर्टलैंड सीमेंट (ओपीसी) का निर्माण विभिन्न ग्रेडों जैसे 43, 53 और 53एस (भारतीय रेलवे के लिए स्लीपरों के निर्माण हेतु विशेष ग्रेड सीमेंट) के साथ सुदृढ गुणवत्ता नियंत्रण के अंतर्गत सीसीआई सीमेंट के ब्रांड नाम से करता है।

परियोजनाओं की स्थिति का उल्लेख नीचे किया गया है:

क) बोकाजन विस्तार परियोजना की स्थिति

मैसर्स प्रोमैक इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड (प्रोमैक), बैंगलोर को कार्य आदेश संख्या 46/10/6(6)/10–एमएमओ/196 दिनांक 30.09.2010 के अंतर्गत बोकाजन इकाई को 1200 टीपीडी तक बढ़ाने के लिए दिनांक 24.09.2010 को 18 माह की पूर्णता अवधि पर 142.40 करोड़ रुपये की लागत पर कार्यादेश प्रदान किया गया था। यह परियोजना लगभग 7 वर्षों तक अधर में लटकी रही। अतः सीसीआई ने दिनांक 06.03.2019 को मैसर्स प्रोमैक के साथ यह संविदा समाप्त कर दी।

यह मामला मध्यस्थ अधिकरण के समक्ष मध्यस्थता के अधीन है।

ख) सिलचर ग्राइंडिंग यूनिट की स्थिति

मैसर्स प्रोमैक इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड (प्रोमैक) को कार्य आदेश संख्या 47/10/6(7)/10–एमएमओ/206 दिनांक 30.09.2010 के अंतर्गत सिलचर (असम) में टर्नकी आधार पर 12 माह की पूर्णता अवधि पर 50 टीपीएच सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट की स्थापना के लिए कार्यादेश जारी किया गया था।

संविदात्मक दायित्वों के उल्लंघन पर, सीसीआई ने दिनांक 06.03.2019 का यह कार्यादेश समाप्त कर दिया।

मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।

ग) प्रौद्योगिकी उन्नयन

i) 132 केवी स्विचिंग के लिए एमओसीबी ब्रेकर को एसएफ6 ब्रेकर से प्रतिस्थापित करना।

ii) 132/6.6 केवी पावर ट्रांसफार्मर के पुराने पारंपरिक रिले को नए माइक्रो प्रोसेस्ड रिले से प्रतिस्थापित करना।

iii) सीमेंट मिलों के लिए 01 न. 2000 किलोवाट उच्च दक्षता मोटर स्थापित की गई।

iv) जीएलआर पंप हाउस के लिए 04 न. ऊर्जा दक्षता पंप स्थापित किए गए।

v) कोयला मिल ईएसपी के लिए पुराने रेक्टिफायर ट्रांसफार्मर को उच्च कुशल ईएसपी ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर से प्रतिस्थापित करना।

गैर–प्रचालनरत इकाइयों का विवरण:

कंपनी ने एमएचआई के पत्र संख्या 1(1)/2017–पीई–XII/सीपीएसई–III दिनांक 09.02.2022 के अनुसार, ''जहाँ है जैसा है'' के आधार पर अपनी गैर–प्रचालनरत इकाइयों की निष्क्रिय परिसंपत्तियों का निपटान आरंभ कर दिया है। एमएसटीसी द्वारा खुली ई–नीलामी के माध्यम से 7 एनओयू में से 6 एनओयू की बिक्री संपन्न हो गई है।

गैर–प्रचालनरत इकाइयों के संयंत्र एवं मशीनरी, स्टोर एवं स्पेयर्स आदि की बिक्री की स्थिति इस प्रकार रही:

क्र.सं.	इकाई की अवस्थिति	स्थिति
1	चरखी दादरी, हरियाणा	पूर्ण
2	अकलतरा, छत्तीसगढ़	
3	मांढर, छत्तीसगढ़	
4	भटिंडा, पंजाब	
5	नयागांव, मध्य प्रदेश	बिक्री आदेश जारी कर दिया गया है। कार्य प्रगति पर है।
6	कुरकुंटा, कर्नाटक	बिक्री आदेश जारी कर दिया गया है। मध्यस्थता प्रक्रिया चल रही है।
7	आदिलाबाद, तेलंगाना	पुनर्नीलामी प्रक्रिया चल रही है।

ख. लाभप्रदता

कंपनी ने पिछले वर्ष 95.05 करोड़ रुपये के सापेक्ष वर्ष 2024–25 के दौरान 31.05 करोड़ रुपये का निवल लाभ अर्जित किया।

माननीय मंत्री श्री एच.डी. कुमारस्वामी (एमएचआई) ने श्री संजय बंगा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए

4. पूंजी संरचना

इस वित्तीय वर्ष के दौरान निगम को भारत सरकार से इक्विटी के रूप में कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है और वर्ष के अंत में कंपनी की शेयर पूंजी 811.41 करोड़ रुपये थी, जिसमें 455. 98 करोड़ रुपए की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी और 355.43 करोड़ रुपए के चुकता गैर–संचयी प्रतिदेय अधिमानी शेयर सम्मिलित हैं।

5. मानव संसाधन प्रबंधन

अपने स्थापना के 60 वर्षों की महत्वपूर्ण अवधि में सीसीआई अपनी सबसे बड़ी ताकत – अपने लोगों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। कंपनी में समर्पित कार्यबल है जिसमें लगभग 310 नियमित कर्मचारी और 1,184 संविदा कर्मचारी सम्मिलित हैं, जो विविध कौशल, योग्यताएं और विशेषज्ञता रखते हैं। सीसीआई का दृढ़ विश्वास है कि कर्मचारी विकास कंपनी के समग्र विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रमुख संस्थानों के सहयोग से, कंपनी ज्ञान, तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाने और अपने कर्मचारियों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने पर केंद्रित कार्यक्रम संचालित करती रहती है।

सुरक्षा जागरूकता सत्रः

6. औद्योगिक संबंधः

कंपनी ने वित्त वर्ष 2024–2025 के दौरान एक अनुकूल और सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध माहौल को बढ़ावा दिया। सीसीआई ने सरकारी दिशानिर्देशों के अनुरूप सभी लागू श्रम कानूनों का भी पालन किया, जिसके परिणामस्वरूप श्रम विवादों के कारण मानव दिवसों का नुकसान नहीं हुआ। सीसीआई के पास विभिन्न स्तरों पर ट्रेड यूनियनों और कर्मचारियों के साथ बातचीत और चर्चा के माध्यम से संरचित तरीके से समस्यायाओं का निवारण करने एक अच्छी प्रथा विद्यमान है।

हैदराबाद स्थित फैक्ट्री उप–मुख्य निरीक्षक श्रीमती एन.जी. वैदेही ने सीसीआई तांदूर सीमेंट फैक्ट्री का सांविधिक निरीक्षण के दौरान प्रचालन की समीक्षा और संयंत्र के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संयंत्र से संबंधित मामलों पर चर्चा करती हुई

7. मानव संसाधन विकास:

आज के ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकसित होते युग में, काम एक अनुभव से कहीं ज़्यादा है, एक ऐसा अनुभव जो संगठन अपने कर्मचारियों के लिए बना सकते हैं। आज कार्यस्थल पर लचीलेपन, कल्याण, विविधता, समानता और समावेशिता के प्रति प्राथमिकताओं में व्यापक बदलाव आ रहा है। इस बदलाव के पीछे, सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के मानव संसाधन विकास विभाग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह निगम के मिशन और विजन को ध्यान में रखते हुए, कर्मचारियों को बेहतर ढंग से जोड़ने, उन्हें स्वस्थ और पारदर्शी कार्य संस्कृति बनाए रखने के लिए प्रेरित करने और उच्च उत्पादकता प्राप्त करने के साथ–साथ किसी भी अप्रत्याशित चुनौती का सामना करने के लिए प्रभावशाली कर्मचारी अनुभव रणनीतियाँ बनाने का प्रयास करता है।

कार्यबल के प्रबंधन और नेतृत्व के दशकों पुराने तरीके को पीछे छोड़ते हुए, सीसीआई ने बदलते नौकरी परिदृश्य, आर्थिक परिवर्तनों और जनशक्ति के विकास के साथ अनुकूलन के परिप्रेक्ष्य में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काफी प्रगति की है। सीसीआई ने भर्ती और ऑनलाइन निष्पादन प्रबंधन प्रणाली जैसी विभिन्न प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया है, जिसका उद्देश्य थकाऊ भौतिक भर्ती प्रक्रिया की तुलना में उम्मीदवारों तक तेजी से पहुंचने की प्रक्रिया को आसान बनाना है, साथ ही समय लेने वाले मैनुअल मूल्यांकन पत्रों को समाप्त करना है।

जब उद्योग निरंतर परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हों, तो मानव संसाधन किसी संगठन के सतत विकास को समर्थन देने वाला अत्यंत महत्वपूर्ण अंग होता है। अभूतपूर्व परिवर्तनों के इस दौर में, किसी भी संगठन की जीवनरेखा माने जाने वाले कार्यबल को व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए वास्तविक क्षमता को उजागर करने की आवश्यकता है, इसलिए, सीसीआई के मानव संसाधन ने यह सुनिश्चित किया है कि कार्यबल हमेशा स्वस्थ रहे और व्यवसाय की निरंतरता बनाए रखने के लिए कर्मचारी कल्याण और सहभागिता को प्राथमिकता देते हुए सुचारू रूप से कार्य करता रहे। इसलिए, सीसीआई में एक सौहार्दपूर्ण कार्यस्थल बनाने, ऊर्जा में सुधार करने पर केंद्रित तथा उत्पादकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, सीसीआई के मानव संसाधन विभाग ने विभिन्न टीम निर्माण गतिविधियों, स्वच्छता अभियान (स्वच्छता पखवाड़ा), खेल गतिविधियों, योग दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस, संविधान दिवस, सुरक्षा सप्ताह, विश्व पर्यावरण दिवस आदि का आयोजन किया है।

उपरोक्त कार्यकलापों के अतिरिक्त, सीसीआई ने जीवन रक्षक कार्यक्रम भी आयोजित किए, जैसे कि कर्मचारियों/इकाइयों के स्कूलों के लिए स्वास्थ्य जागरूकता सत्र और इकाइयों के आस–पास के गाँवों में चिकित्सा शिविर, ताकि वंचितों को चिकित्सा सहायता प्रदान की जा सके। सीसीआई का मानव संसाधन विभाग कॉर्पोरेट कार्यालय और इकाइयों में विभिन्न

गतिविधियों का आयोजन करता रहा है, जिनका विवरण इस प्रकार है:

बोकाजन इकाई में नए प्रशिक्षुओं के सर्वांगीण विकास और कैरियर विकास पर केंद्रित अभिमुखीकरण सत्र का

राजबन इकाई में प्रशिक्षु प्रशिक्षुओं के लिए प्रभावी कैरियर मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करते हुए युवा पेशेवरों को सशक्त पर केन्द्रित कैरियर परामर्श सत्र का आयोजन

बोकाजन सीमेंट फैक्ट्री, असम में बीकेओ सब डिवीजन, कार्बी आंगलोंग में टीबी के रोगियों को प्रधान मंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत पोषण किट/खाद्य सामग्री का वितरण

सीसीआई बोकाजन इकाई में गुवाहाटी से आए एनडीआरएफ विशेषज्ञों के नेतृत्व में एक सूचनात्मक आपदा प्रबंधन सत्र का आयोजन जिसमें टीम ने कई जीवन रक्षक तकनीकों के बारे में बताया और उनका प्रदर्शन किया

असम के श्रम कल्याण मंत्री श्री रूपेशगोवाला और विधानसभा उपाध्यक्ष श्री एन. मोम ने सीसीआई की बोकाजन इकाई का दौरा किया, जिसमें संयंत्र की क्षमता, कार्य निपादन, उत्पादन और श्रम कल्याण संबंधी उपायों की समीक्षा की गई, साथ उन्होंने इकाई के कर्मचारियों से चर्चा परिचर्चा की और कंपनी के प्रयासों की सराहना की।

माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री, भारत सरकार एवं ग्रामीण विकास मंत्री, श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा सीसीआई, बोकाजन इकाई का दौरा कार्यक्रम जिसमें उन्होंने संयंत्र की उत्पादन क्षमता, विनिर्माण प्रक्रियाओं और कच्चे माल की आपूर्ति की समीक्षा की और भारत की औद्योगिक क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में टीम के समर्पित प्रयासों की सराहना की।

सीसीआई राजबन इकाई में टीबी उन्मूलन के भारत के मिशन के अंतर्गत आदर्श कॉलोनी में एक निःशुल्क टीबी शिविर और गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों के लिए निःशुल्क टीकाकरण शिविर का आयोजन

सीसीआई तांदूर इकाई में औद्योगिक प्रचालन में ऊर्जा दक्षता बढ़ाने पर केंद्रित अपशिष्ट ऊष्मा को बढ़ावा देने पर जागरूकता सत्र का आयोजना

सीसीआई तांदूर इकाई में ईपीएफओ के सहयोग से ठेका मजदूरों के लिए पीएफ शिविर का आयोजन जिसका मुख्य उद्देश्य पीएफ से संबंधित विभिन्न मामलों का निराकरण करना था।

सीसीआई तांदूर इकाई में हमारे सुरक्षा अधिकारियों और सीसीआई अग्निशमन सुरक्षा टीम के नेतृत्व में एक व्यापक अग्निशमन सुरक्षा कार्यक्रम का आयोजन

सीसीआई तांदूर में प्राथमिक चिकित्सा सुरक्षा कार्यक्रम जो हमारी टीम को जीवन रक्षक कौशल से परिचित कराने पर केन्द्रित था।

सीसीआई बोकाजन में अपने कर्मचारियों की कल्याण को प्राथमिकता देने के लिए स्वास्थ्य, स्वच्छता और अग्निशमन पर एक व्यापक प्रशिक्षण का आयोजन

सीसीआई ने जनवरी माह में नववर्ष और अपना स्थापना दिवस मनाया

सीसीआई स्थापना दिवस के अवसर पर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सीसीआई माननीय भारी उद्योग मंत्री से मुलाकात करते हुए

सीसीआई के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सीसीआई के 61वें स्थापना दिवस पर कर्मचारियों को संबोधित करते हुए

बोकाजन इकाई ने 61वां स्थापना दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया

राजबन इकाई ने 61वां स्थापना दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया

तांदूर इकाई ने 61वां स्थापना दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया

सीसीआई बोकाजन ने असम के कार्बी जातीय महोत्सव में सहभागिता की

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर, सीसीआई द्वारा योग की आदत विकसित करने के उद्देश्य से अपनी इकाइयों में योग सत्र का आयोजन किया।

आईईएम सीसीआई श्री ओटेम दाई ने निदेशक (एफ) श्री पी.के. चंद के साथ तांदूर इकाई में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस गतिविधियों में सहभागिता की

निगम में स्वच्छता पखवाड़ा के अवसर पर "विकसित भारत का रोडमैप" विषय पर निबंध लेखन प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता आदि जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं के आयोजन की झलक

कारपोरेट कार्यालय में कविता पाठ प्रतियोगिता

कारपोरेट कार्यालय में पोस्टर प्रतियोगिता

स्वच्छता पखवाड़ा पर पुरस्कार वितरण समारोह

विशेष अभियान 4.0

सरकारी मामलों में लंबित मामलों को कम करने के उद्देश्य से, स्वच्छता और लंबित मामलों के निपटान हेतु विशेष अभियान 4.0 को संस्थागत रूप दिया गया है। विशेष अभियान 4.0 की शुरुआत गतिविधियों की पहचान, कबाड़ निपटान से प्राप्त राजस्व, स्वच्छता और कार्यालय कबाड़ निपटान के सफल समापन, भौतिक और डिजिटल फाइलों के साथ हुई। लंबित मामलों को कम करने के लक्ष्य के साथ, सीसीआई ने माननीय अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री संजय बंगा के मार्गदर्शन में अनेक पहल कीं, जो स्वच्छता, स्वास्थ्य, कबाड़ निपटान और स्थान संवर्धन पर केंद्रित हैं।

पहले

बाद में

आयोजन

100 दिवसीय टीबी अभियान 2025–

भारत सरकार के 100–दिवसीय टीबी अभियान (विश्व टीबी दिवस 2025) के अंतर्गत सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की पहल

भारत सरकार के 100–दिवसीय टीबी अभियान के अनुरूप और **विश्व टीबी दिवस 2025** के उपलक्ष्य में, सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (सीसीआई) ने **टीबी मुक्त भारत** की दिशा में जागरूकता बढ़ाने और प्रयासों में तेजी लाने के उद्देश्य से कई सक्रिय पहल की हैं। इस अभियान ने जन स्वास्थ्य और सामुदायिक कल्याण के प्रति सीसीआई की प्रतिबद्धता प्रदर्शित की। इस अभियान के दौरान आयोजित प्रमुख गतिविधियाँ इस प्रकार हैं+

- **कारपोरेट कार्यालय में जागरूकता सत्रः**

  कारपोरेट कार्यालय के कर्मचारियों के लिए 100–दिवसीय टीबी अभियान के उद्देश्यों, रणनीतियों और महत्व पर एक सूचनात्मक सत्र आयोजित किया गया। इस सत्र में टीबी का शीघ्र पता लगाने, रोकथाम और उन्मूलन के सामूहिक लक्ष्य पर जोर दिया गया।

- **इकाई–स्तरीय पहल (राजबन, तांदूर, बोकाजन):**

  सीसीआई की सभी परिचालन इकाइयों ने अपने–अपने महाप्रबंधकों के सहयोग से टीबी जागरूकता कार्यक्रम, स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित करके और निःशुल्क दवाइयाँ वितरित करके सक्रिय रूप से भाग लिया। इसके अतिरिक्त, आस–पास के गाँवों में विशेष ''टीबी मुक्त भारतः जागरूकता अभियान भी संचालित किए गए।

  - **बोकाजन इकाईः** चिकित्सा शिविर आयोजित करने, निशुल्क दवाइयां वितरित करने और स्थानीय ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए नागरिक स्वास्थ्य केंद्र के साथ साझेदारी की।

  - **तांदूर इकाईः** सीसीआई स्वास्थ्य केंद्र में टीबी की रोकथाम और उन्मूलन रणनीतियों पर केंद्रित समर्पित जागरूकता सत्र आयोजित किया गया।

इन प्रयासों के माध्यम से, सीसीआई ने तपेदिक से निपटने के लिए एक एकीकृत और दयालु दृष्टिकोण का प्रदर्शन किया और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशनों का समर्थन करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दर्शाई है।

कारपोरेट कार्यालय

राजबन इकाई

तांदूर इकाई

8. प्रशिक्षण और विकास:

सीसीआई की प्रशिक्षण एवं विकास नीति की समीक्षा की जाती है और बदलते व्यावसायिक परिवेश के अनुसार निरंतर पुनर्संरचना की जाती है। इस प्रतिस्पर्धी व्यावसायिक परिवेश में सफलता प्राप्त करने के लिए, व्यावसायिक आवश्यकताओं की बेहतर समझ के साथ–साथ कर्मचारियों को उस सामाजिक–आर्थिक परिवेश के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है जिसमें कंपनी कार्य करती है। मानव संसाधन विकास के एक हिस्से के रूप में, सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने सदैव सभी स्तरों पर निरंतर प्रशिक्षण और विकास की संस्कृति को बढ़ावा देकर सीसीआई के मानव संसाधन पेशेवरों ने ऐसे कार्यस्थलों को आकार दिया है जो व्यक्तियों को आगे बढ़ने में सशक्त बनाते हैं, जिससे व्यक्तिगत उत्थान और संगठनात्मक समृद्धि दोनों को बढ़ावा मिलता है। वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान, कर्मचारियों को उनके संबंधित कार्य में कौशल को निखारने के लिए आंतरिक या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा आयोजित विभिन्न ऑनलाइन ऑफलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं और सेमिनारों के लिए नामांकित किया गया था।

दैनिक प्रशिक्षण के अलावा, सीसीआई ने संगठित ज्ञान–साझाकरण सत्रों की एक संस्कृति शुरू की है, जिसमें विभिन्न इकाइयों और कार्यालयों के कर्मचारी भाग लेते हैं। इन सत्रों से सामूहिक ज्ञान में वृद्धि होती है और कर्मचारी बहुमूल्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तथा बेहतर उत्पादकता प्रदान कर सकते हैं।

ज्ञान साझाकरण सत्र:

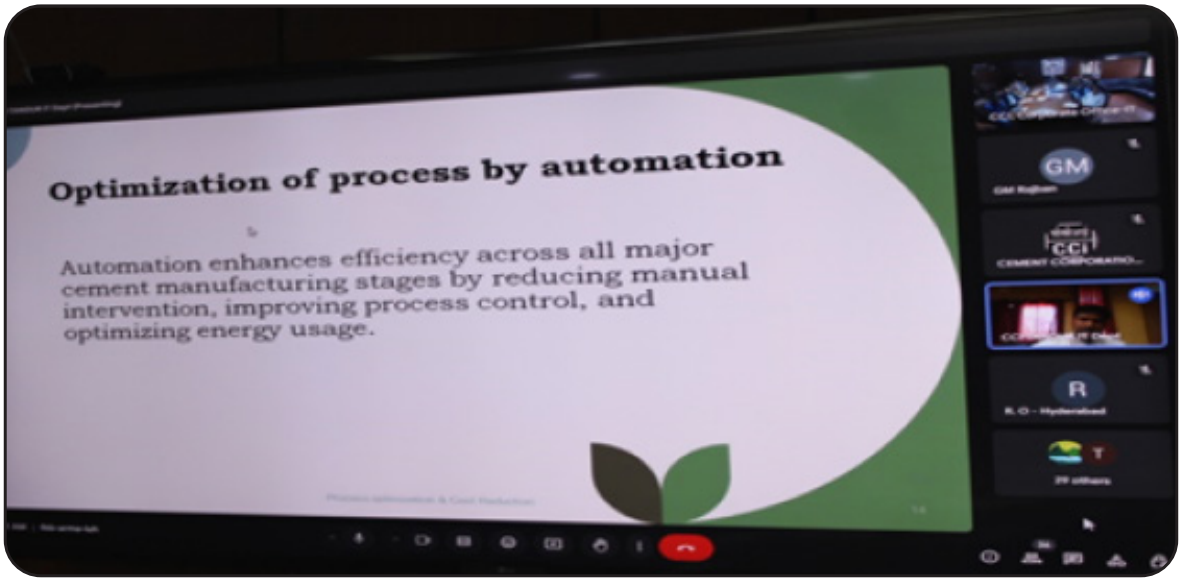

9. राजभाषा कार्यान्वयनः

निगम ने भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुरूप हिंदी के प्रगतिशील प्रयोग को निरंतर बढ़ावा दिया है। प्रगति की समीक्षा और भविष्य के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए राजभाषा कार्यान्वयन समिति की नियमित बैठकें आयोजित की जाती हैं। निगम समिति द्वारा आयोजित गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेता है। सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को और बढ़ावा देने के लिए, कर्मचारियों को अपने दैनिक कार्यों में हिंदी को अधिकाधिक अपनाने के लिए प्रेरित करने हेतु प्रतिवर्ष हिंदी सप्ताह/पखवाड़ा मनाया जाता है।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति दीमापुर राजभाषा शील्ड योजना के अंतर्गत सीसीआई बोकाजन इकाई को राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में सराहनीय कार्य के लिए सम्मानित किया गया।

10. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्वः

सीमेंट निर्माण के व्यवसाय के अलावा, सीसीआई का मुख्य उद्देश्य समुदाय को सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक लाभ प्रदान करके समाज को कुछ वापस देना है जिसमें यह कार्य करता है। स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं के संवर्धन और कौशल विकास के क्षेत्र में सीएसआर पहल आरंभ की गई है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान, सीसीआई इकाइयों ने विभिन्न विषयगत क्षेत्रों में योगदान दिया है, जिनमें शामिल हैं:

- बोकाजन सिविल हेल्थ सेंटर, बोकाजन में केबल सहित एक मल्टी क्लीन 60 लीटर सेमी–ऑटोमैटिक स्क्रबर ड्रायर की स्थापना और मरीजों के लिए व्हील चेयर उपलब्ध कराना। दिल्लई स्टेट डिस्पेंसरी में भी मरीजों के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था की गई।
- देवपानी दुर्गा मंदिर और बोकाजन पुलिस स्टेशन में आरओ प्यूरीफायर के साथ वाटर कूलर की स्थापना ताकि जनता को सुरक्षित और शुद्ध पेयजल सुनिश्चित किया जा सके।
- सरकारी एल.पी. स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र, बोकाजन में शौचालय, कक्षाओं आदि की मरम्मत और रखरखाव का कार्य।
- बोकाजन सीमेंट फैक्ट्री द्वारा सरकारी एल.पी. स्कूल, सुखंजन, सरकारी प्रोजेक्ट एल.पी. स्कूल, बोकाजन और सरकारी अपर ओ.के. केहाई एल.पी. स्कूल, दिल्लई के स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए पोषण आहार पैकेट का वितरण।
- भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा शुरू किए गए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान (निक्षय मित्र पहल) के तहत टीबी रोगियों को पोषण और स्वास्थ्य सहायता प्रदान करने के लिए 6 महीने के लिए टीबी रोगियों के लिए खाद्य पदार्थ की टोकरी का वितरण।
- तांदूर सीमेंट फैक्ट्री द्वारा ईसीजी मशीन, दूरबीन माइक्रोस्कोप, मूत्र विश्लेषक आदि की स्थापना।
- तांदूर सीमेंट फैक्ट्री द्वारा वोल्टास प्यूरीफायर, वाटर डिस्पेंसर और रेफ्रिजरेटर की स्थापना।
- सीसीआई तांदूर टाउनशिप, करनकोट में पोषण किट का वितरण।

- राजकीय प्राथमिक विद्यालय, राजबन और राजकीय माध्यमिक विद्यालय, मनाल में छत का काम, सफेदी और शौचालयों का नवीनीकरण और खिड़कियों की मरम्मत।
- सीसीआई राजबन सीमेंट फैक्ट्री द्वारा फैक्ट्री के निकट आदर्श कॉलोनी और माइंस क्षेत्र के निकट कादो गांव में चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें दवाइयां भी वितरित की गईं।

सीएसआर 2024–25 के लिए, कंपनी ने अपैरल मेड–अप्स एवं होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल (एएमएचएसएससी) के माध्यम से कौशल विकास कार्यक्रम में भी योगदान दिया है। सीएसआर परियोजना का प्रभाव मूल्यांकन किया गया।

माननीय मंत्री श्री एच. डी. कुमारस्वामी (एमएचआई) ने दिनांक 21.09.2024 को बोंकजान सी.एम.सी. का दौरा किया और बोंकजान, हरबी आंगलोंग, असम में मरीजों को स्वास्थ्य पैकेट वितरित किए।

कांडो गांव में, राजबन इकाई ने बच्चों के स्वास्थ्य और समग्र विकास के लिए शारीरिक गतिविधि के महत्व को समझते हुए, एक पथरीले स्कूल प्रांगण को मिट्टी से भरकर खेल के मैदान में बदल दिया।

राजबन सीमेंट फैक्ट्री ने फैक्ट्री की धूल और क्रशर से बुरी तरह प्रभावित तीन स्कूलों का जीर्णोद्धार किया। जीर्णोद्धार में छात्रों पर धूल के प्रभाव को कम करने के लिए खिड़कियाँ और झूठी छतें लगाना और बेहतर स्वच्छता के लिए शौचालयों का उन्नयन शामिल था।

वित्तीय वर्ष 24–25 के लिए सीएसआर गतिविधियों के अंतर्गत सरकारी जिला अस्पताल, तांदूर में विधायक, तांदूर और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में सीसीआई के सीएमडी द्वारा मूत्र विश्लेषक, ईसीजी मशीन, मल्टी पैरा मॉनिटर, दूरबीन माइक्रोस्कोप और रेफ्रिजरेटर जैसी सर्जिकल वस्तुओं का वितरण किया गया।

सीसीआई स्वास्थ्य केंद्र में सीसीआई के सीएमडी श्री संजय बंगा द्वारा वित्तीय वर्ष 24–25 के लिए सीएसआर गतिविधियों के अंतर्गत निकटवर्ती गांवों में रहने वाले टीबी रोगियों को टीबी किट का वितरण किया गया।

सीसीआई के सीएमडी द्वारा सीसीआई स्वास्थ्य केंद्र में वित्तीय वर्ष 24–25 के लिए सीएसआर गतिविधियों के तहत पंचायत अधिकारियों, करनकोट को रेफ्रिजरेटर और वाटर कूलर का वितरण

सीसीआई तांदूर द्वारा वित्तीय वर्ष 24–25 के लिए सीएसआर कार्यकलापों के अधीन स्वच्छ जल की सुविधा के लिए तांदूर प्रभाग के अंतर्गत गौतमपुर चेंग्शपुर, चेगुल, येलमकना, नारायणपुर, अल्लाहपुर गांवों में पंचायत और चौकी के लिए एडीसी तांदूर और डिप्टी एसपी तांदूर को 6 वाटर डिस्पेंसर का वितरण किया गया।

11. महिला कल्याणः

कंपनी ने सक्रिय रूप से समानता की संस्कृति विकसित की है जो संगठन के सभी पहलुओं में महिलाओं की भागीदारी को प्रेरित और समर्थन करती है। इस प्रगतिशील वातावरण ने परिवर्तनकारी मानसिकता को प्रोत्साहित किया है, जिससे महिलाओं को अधिक आत्मविश्वास और प्रभाव के साथ भूमिकाएं निभाने का अधिकार मिला है – जिससे वे अपने स्वयं के विकास और संगठन की वृद्धि में सार्थक योगदान दे रही हैं। निगम की सभी इकाइयों और कार्यालयों में महिला कर्मचारियों को सभी वैधानिक और अतिरिक्त लाभ समान रूप से प्रदान किए जाते हैं। सीसीआई मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 (2017 में संशोधित) के प्रावधानों का पूर्णतः अनुपालन करता है। इस अधिनियम के अंतर्गत लाभ स्थायी और संविदा दोनों प्रकार की कर्मचारियों को प्रदान किए जाते हैं, जिससे सभी पात्र महिला कर्मचारियों को व्यापक सहायता और सुरक्षा सुनिश्चित होती है।

सुरक्षित और समावेशी कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए, सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यौन उत्पीड़न निवारण (पीओएसएच) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार एक समिति का गठन किया है।यह समिति यौन उत्पीड़न से संबंधित किसी भी मुद्दे का समाधान करने, कंपनी की नीतियों की समय–समय पर समीक्षा करने और कर्मचारियों को अधिनियम के अंतर्गत उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करने के लिए उत्तरदायी है। उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम के तहत कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

इसके अतिरिक्त, सीसीआई इकाइयों में समर्पित महिला क्लब हैं, जो महिलाओं के लिए विभिन्न सामाजिक, मनोरंजक और कल्याणकारी गतिविधियों के आयोजन के लिए मंच के रूप में कार्य करते हैं। ये क्लब इकाई स्तर पर महिलाओं से जुड़ी चिंताओं का सक्रिय रूप से समाधान करते हैं और कंप्यूटर साक्षरता तथा मातृ–शिशु स्वास्थ्य सेवा जैसे व्यावसायिक कार्यक्रमों के माध्यम से सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हैं। निगम महिला कर्मचारियों के समग्र कल्याण और विकास हेतु इन पहलों को सुगम बनाने के लिए बुनियादी ढाँचागत और वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

यौन उत्पीड़न की रोकथाम (पोश)

क. वर्ष के दौरान प्राप्त यौन उत्पीड़न की शिकायतों की संख्या– 00 (शून्य)

ख. वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या – 00 (शून्य)

ग. नब्बे दिनों से अधिक समय से लंबित मामलों की संख्या – 00 (शून्य)

*कॉर्पोरेट कार्यालय में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस उत्साह और नई प्रतिबद्धता के साथ मनाया गया। इस अवसर पर **POSH** अधिनियम पर एक जागरूकता सत्र आयोजित किया गया और पोश विशेषज्ञ सुश्री रिया कुमारी द्वारा प्रेरक कहानियाँ साझा की गईं*

अगस्त माह में महिला समानता दिवस के उपलक्ष्य में, महिलाओं की उपलब्धियों का सम्मान करने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए

राजबन

बोकाजन

तांदूर

12. शिकायत निवारण तंत्र

एक प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली कर्मचारी संतुष्टि बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे उत्पादकता में सुधार होता है। इसी विचार को ध्यान में रखते हुए, सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अपने कॉर्पोरेट कार्यालय और परिचालन इकाइयों में एक मजबूत और उत्तरदायी शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया है।

कर्मचारियों को वेतन, कार्य–स्थितियों, छुट्टियों, कार्य–आबंटन, कल्याणकारी सुविधाओं और अन्य संबंधित मामलों से संबंधित किसी भी समय अपनी शिकायतें दर्ज कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। प्रत्येक शिकायत की प्रकृति के आधार पर, नामित समिति अक्सर अनौपचारिक और रचनात्मक बातचीत के माध्यम से समय पर और विचारशील समाधान सुनिश्चित करती है।

सीसीआई की शिकायत निवारण प्रणाली व्यापक, सुव्यवस्थित और अनुकूलनीय है – जो कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच सकारात्मक और सामंजस्यपूर्ण संबंध को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

13. पारिश्रमिक नीति

सीसीआई में, अधिकारियों के लिए वेतन और अन्य हितलाभ भारी उद्योग मंत्रालय और सार्वजनिक उद्यम विभाग के माध्यम से जारी राष्ट्रपति के निर्देशों पर आधारित हैं।

दिनांक 01.01.2017 से प्रभावी सीपीएसई के बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर से नीचे के अधिकारियों और गैर संघीकृत पर्यवेक्षकों के वेतन संशोधन के संबंध में सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या डब्ल्यू 2/0028/2017 डीपीई (डब्ल्यूसी)–जीएल–XXX/17 दिनांक 03.08.2017, कार्यालय ज्ञापन संख्या डब्ल्यू 2/0028/2017 डीपीई (डब्ल्यूसी)–जीएल–XIV/17 दिनांक 04.08.2017 एवं कार्यालय ज्ञापन संख्या डब्ल्यू 2/0028/2017 डीपीई (डब्ल्यूसी)–जीएल–XVI/17 दिनांक दिनांक 07.09.2017 दिशानिर्देशों के अनुसार भारी उद्योग मंत्रालय ने दिनांक 01.09.2023 को दिनांक 01.01.2017 से वेतन संशोधन को काल्पनिक रूप से प्रभावी करने और दिनांक 01.04.2023 से वास्तविक रूप से कार्यान्वित करने के लिए महामहिम राष्ट्रपति के निर्देश जारी किए हैं। उक्त आदेश (महामहिम राष्ट्रपति के निर्देश) को लागू कर दिया गया है।

14. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन, विदेशी मुद्रा आय और व्यय

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(3) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (एम) के अंतर्गत ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण, विदेशी मुद्रा आय और व्यय से संबंधित जानकारी अनुबंध में दी गई है और इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

निगम द्वारा आरंभ की गई हरित पहल और ऊर्जा बचत परियोजनाओं का विवरण इस प्रकार है:

श्री एच.डी. कुमारस्वामी, माननीय भारी उद्योग और इस्पात मंत्री दिनांक 21–09–2024 को बोकाजन, कार्बी आंगलोंग, असम में भारी उद्योघ मंत्रालय के अधीनस्थ सीपीएसई, सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हॉट गैस उपयोग परियोजना का उद्घाटन करते हुए

श्री एच.डी. कुमारस्वामी, माननीय भारी उद्योग और इस्पात मंत्री दिनांक 21–09–2024 को भारी उद्योग मंत्रालय के अधीनस्थ सीपीएसई, सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, बोकाजन, कार्बी आंगलोंग, असम में 1 मेगावाट ग्रिड से जुड़े सौर पीवी संयत्र की आधारशिला रखते हुए

माननीय अध्यक्ष्य एवं प्रबंध निदेशक, सीसीआई, तांदूर सीमेंट फैक्ट्री में कोल शेड का उद्घाटन करते हुए

माननीय अध्यक्ष्य एवं प्रबंध निदेशक, सीसीआई, तांदूर फैक्ट्री में ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड (ईईएसएल) द्वारा ऊर्जा दक्षता परियोजना (डीईईपी) के प्रदर्शन के अंतर्गत ऊर्जा कुशल कंप्रेसर का उद्घाटन करते हुए

तांदूर में कोयला शेड (कोयला खपत में कमी/संयंत्र प्रचालन में सुधार)

15. कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीति के विकास और कार्यान्वयन से संबंधित विवरण

जोखिम प्रबंधन प्रणाली निगम और प्रचालन उद्देश्यों के साथ एक एकीकृत और संरेखित प्रणाली है। जोखिम प्रबंधन निर्धारित समय पर एक अलग कार्य के रूप में न करके सामान्य व्यावसायिक अभ्यास के भाग के रूप में किया जाता है।

16. कंपनी द्वारा अपनी कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहल पर विकसित और कार्यान्वित नीति का विवरण

आपकी कंपनी ने हमेशा अपने सीएसआर दर्शन के एक भाग के रूप में अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन किया है जिससे कारोबार और समाज विकास के लिए भागीदार बन सकते हैं। आपकी कंपनी ने गतिविधियों की रूपरेखा अपने कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अनुरूप बनाई है और विभिन्न पहलें आरंभ की हैं।

17. सतर्कता विभाग की गतिविधियाँ एवं उपलब्धियाँ

1) वर्ष के दौरान, सतर्कता विभाग ने संगठन में सभी स्तरों पर अपने कर्मचारियों के बीच सतर्कता जागरूकता पैदा की है और कार्य वातावरण में ईमानदारी, दक्षता और पारदर्शिता की संस्कृति को बढ़ावा दिया है। सीवीसी के मार्गदर्शन में 28 अक्टूबर 2024 से 3 नवंबर, 2024 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया, जिसका विषय ''सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि'' था। सप्ताह के दौरान, कॉर्पोरेट कार्यालय और परिचालन इकाइयों ने सेमिनार, वाद–विवाद, कार्यशालाएं, निबंध लेखन/स्लोगन आदि पर प्रतियोगिताएं आयोजित कीं। कदाचार में लिप्त होने की गुंजाइश को समाप्त करने के उद्देश्य से निवारक सतर्कता पर व्याख्यान भी आयोजित किए गए।

2) सीवीसी के दिशा–निर्देशों के अनुसार, सीसीआई में तीन महीने का अभियान आयोजित किया गया, जिसमें निम्नलिखित निवारक सतर्कता उपायों पर ध्यान केंद्रित किया गया:

   क) क्षमता निर्माण कार्यक्रम.

   ख) प्रणालीगत सुधार उपायों की पहचान और कार्यान्वयन।

   ग) परिपत्रों/दिशानिर्देशों/मैनुअलों का अद्यतन।

   घ) 30.06.24 से पहले प्राप्त शिकायतों का निपटान

   ङ) गतिशील डिजिटल उपस्थिति

   दिनांक 04.10.2024 को कॉर्पोरेट कार्यालय, नई दिल्ली में क्षमता निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत **''नैतिकता एवं शासन तथा सीडीए नियम''** पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें

इकाइयों के अधिकारियों ने भी वर्चुअल माध्यम से सहभागिता की।

3) सीसीआई में नियमित निवारक सतर्कता गतिविधियां की गईं, जैसे भ्रष्टाचार से ग्रस्त क्षेत्रों की पहचान, संवेदनशील पदों की पहचान और संवेदनशील पदों पर अधिकारियोंध्कर्मचारियों का आवधिक रोटेशन, औचक निरीक्षण, अचल संपत्ति रिटर्न की जांच और सहमत एवं ओडीआई सूचियों की तैयारी आदि।

4) मानव संसाधन विभाग से प्राप्त कर्मचारियों के 20–30 प्रतिशत वार्षिक संपत्ति रिटर्न की त्रैमासिक आधार पर जांच की जा रही है।

5) तिमाही कार्य'निष्पादन रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट और तिमाही प्रगति रिपोर्ट निर्धारित समय–सीमा के भीतर समय–समय पर केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) को भेजी जा रही हैं।

निगम ने क्षमता निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत वीएडब्ल्यू अभियान 2024 के अंतर्गत एक सत्र का आयोजन किया, जिसमें नैतिकता, शासन और आचार संहिता पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसका नेतृत्व वीरेंद्र एस. रावल ने किया। तीनों इकाइयों की सक्रिय भागीदारी के साथ, संगठन के भीतर नैतिक आचरण के महत्व पर बल दिया गया।

18. ई–खरीद/सत्यनिष्ठा अनुबंध

संगठन में ई–प्रोक्योरमेंट सुविधा पहले से ही उपलब्ध है। मेसर्स एनआईसी (राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र), नई दिल्ली, जीईएम पोर्टल के अलावा ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल के लिए सेवा प्रदाता है, जहाँ सरकारी नीतियों के अनुसार खरीद को बढ़ावा दिया जा रहा है।

इसके अलावा, 50,000/– (पचास हजार) रुपये से अधिक की निविदाएं एनआईसी/जीईएम पोर्टल पर जारी ई–निविदा के माध्यम से आमंत्रित की जा रही हैं।

संगठन में सत्यनिष्ठा अनुबंध लागू कर कर दिया गया है। एक आईईएम 10 लाख रुपये से अधिक की सभी निविदाओं के लिए सत्यनिष्ठा संधि के कार्यान्वयन की निगरानी भी करता है। आईईएम द्वारा नियमित रूप से सत्यनिष्ठा अनुबंध समीक्षा बैठकें भी आयोजित की जाती हैं।

19. एमएसएमई खरीद

सभी खरीद गतिविधियों में भारत सरकार की एमएसएमई नीति का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) से खरीद कुल खरीद मूल्य के उल्लेखनीय 82 प्रतिशत तक पहुँच गई है। सरकार एमएसएमई संबंध पोर्टल के माध्यम से एमएसएमई खरीद की प्रगति की भी निगरानी कर रही है, जहाँ मासिक आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है। एससी/एसटी और महिला एमएसएमई के माध्यम से खरीद की भी निगरानी की जा रही है और खरीद प्रक्रिया में उनकी भागीदारी बढ़ाने के प्रयास जारी हैं।

20. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

अपने व्यवसाय का सुव्यवस्थित और कुशल संचालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है, जिसमें कंपनी की नीतियों का पालन करना, अपनी परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी की रोकथाम, सटीक और त्वरित वित्तीय रिपोर्टिंग, और अच्छे कॉर्पोरेट के लिए जोखिम प्रबंधन की प्रभावशीलता में सुधार करना शामिल है। कंपनी में मुख्य रूप से निम्नलिखित आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली विद्यमान है:–

–स्वतंत्र सनदी लेखाकार फर्मों द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा।

बाहरी आंतरिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति खुली निविदा/सूचीबद्धता के आधार पर लेखा परीक्षा समिति की अनुशंसा और कंपनी के निदेशक मंडल के अनुमोदन के बाद की जाती है। महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षों वाली रिपोर्टें समय–समय पर कंपनी के प्रबंधन और लेखा परीक्षा समिति को प्रस्तुत की जाती हैं। आंतरिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर, संबंधित क्षेत्रों में सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है और इस प्रकार नियंत्रण को मजबूत किया जाता है।

कंपनी के पास प्रबंधन द्वारा जारी विभिन्न कोड, मैनुअल और प्रक्रियाओं के रूप में पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण उपाय हैं, जो सभी महत्वपूर्ण गतिविधियों को कवर करते हैं, जैसे मार्केटिंग मैनुअल, खरीद और कार्य मैनुअल, सामग्री, स्टोर, लेखा और व्यक्तिगत मैनुअल आदि। मार्केटिंग मैनुअल को अद्यतन किया गया है और प्रबंधन ने बेहतर जांच और नियंत्रण के लिए समय–समय पर अन्य सभी मैनुअल को अद्यतन करने के लिए कदम उठाए हैं।

21. ऋण, गारंटी या निवेशों का ब्यौरा

वर्ष 2024–25 के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत कोई सरकारी ऋण, गारंटी या निवेश नहीं किया गया है।

22. लेखापरीक्षकों और प्रेक्टिस करनेवाले कंपनी सचिव द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गई अर्हताओं, छिपावों, प्रतिकूल टिप्पणियों या अस्वीकरण पर स्पष्टीकरण या टिप्पणियां:

सांविधिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट और सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर प्रबंधन का उत्तर निदेशकों की रिपोर्ट का हिस्सा है।

23. संबंधित पक्षकारों के साथ की गई संविदाओं या करारों का ब्यौरा:

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के अंतर्गत यथा परिभाषित संबधित पक्षकारों के साथ कोई संविदा या करार नहीं किए गये थे।

24. निदेशकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक के भुगतान और उनके कर्तव्यों के निर्वहन से संबंधित कंपनी की नीति:

सीसीआई केन्द्र सरकार का सार्वजनिक उद्यम (सीपीएसई) है जहां निदेशकों की नियुक्ति, उनको देय पारिश्रमिक और भत्तों से संबंधित नीति भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है।

25. वार्षिक विवरणी

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12 के साथ पठित धारा 92 के प्रावधानों के अनुसार वार्षिक विवरणी के सार इस रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं। वार्षिक विवरणी का सार कंपनी की वेबसाइट https://www.cciltd.in/page.php?id=29 पर भी उपलब्ध है।

26. समीक्षाधीन वर्ष में आयोजित बोर्ड बैठकों की संख्या

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024–25 में बोर्ड की पांच (8) बैठकें अर्थात् 15.05.2024, 29.07.24, 13.08.2024, 21.08.2024,

30.09.2024, 25.10.2024, 31.12.2024 एवं 10.03.2024 को आयोजित की।

27. प्रबंधन के साथ चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

प्रबंधन के साथ चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है और यह कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।

28. निदेशकों के उत्तरदायित्व का कथन

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड एतद्वारा अपने उत्तरदायित्व का कथन प्रस्तुत करता है:–

(क) वार्षिक लेखाओं को तैयार करने में लागू लेखाकरण मानकों का पालन किया गया था और साथ ही सामग्री प्रेषण के संबंध में उचित स्पष्टीकरण दिया गया था;

(ख) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन कर उन्हें सतत रूप से लागू किया था और ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए जो उचित और विवेकसम्मत हैं ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति और उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ या हानि के बारे में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया जा सके;

(ग) निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्ति की सुरक्षा करने और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखाकरण अभिलेखों के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल की है;

(घ) निदेशकों ने वार्षिक लेखे लाभकारी कारबार वाले संस्थान के आधार पर तैयार किये हैं तथा

(ङ) निदेशकों ने कंपनी द्वारा पालन किये जानेवाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए थे और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं। आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ कंपनी द्वारा अपने कारोबारके सुव्यवस्थित और कुशल संचालन सुनिश्चित करने के उद्देष्य से अपनाई गई नीतियों और प्रक्रियाओं से है, जिसमें कंपनी की नीतियों का पालन, उसकी सपंत्ति की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाना, लेखाकरण अभिलेखोंकी सटीकता और पूर्णता और समय पर विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की तैयारी शामिल है।

(च) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली विकसित की थी और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त थीं और प्रभावी ढंग से काम कर रही थीं।

29. अनुशंगी कंपनियां, संयुक्त उद्यम और सहायक कंपनियां

कंपनी की कोई अनुषंगी, संयुक्त उद्यम या सहायक कंपनी नहीं है।

30. जमाराशि

कंपनी ने वर्ष 2024–25 के दौरान न तो कोई जमा स्वीकार किया है और न ही उसका नवीनीकरण किया है।

31. नदेशकगण

डॉ. रेणुका मिश्रा, आर्थिक सलाहकार, भारी उद्योग मंत्रालय ने अंशकालिक शासकीय निदेशक (सरकार द्वारा नामित) के रूप में बोर्ड में दिनांक 22.07.2024 से कार्यभार ग्रहण किया।

श्री अरुण कुमार सरकार, उप सचिव, भारी उद्योग मंत्रालय, ने दिनांक 30.09.2024 बोर्ड में अंशकालिक आधिकारिक निदेशक (सरकार द्वारा नामित) के रूप कार्य ग्रहण किया।

– सुश्री मुक्ता शेखर, संयुक्त सचिव, भारी उद्योग मंत्रालय दिनांक 22.07.2024 से कंपनी के बोर्ड से अंशकालिक आधिकारिक निदेशक (सरकार द्वारा नामित) के पद से मुक्त हो गईं। कंपनी उनके कंपनी से जुड़े रहने के दौरान उनके मार्गदर्शन और बहुमूल्य योगदान के लिए कृतज्ञता व्यक्त करती है।

– श्री जोसेफ अतुल टी. बारला, निदेशक, भारी उद्योग मंत्रालय,दिनांक 26.09.2024 से कंपनी के बोर्ड से अंशकालिक आधिकारिक निदेशक (सरकार द्वारा नामित) के पद से मुक्त हो गए हैं। कंपनी उनके कंपनी से जुड़े रहने के दौरान उनके मार्गदर्शन और बहुमूल्य योगदान के लिए कृतज्ञता व्यक्त करती है।

– डॉ. रवींद्र शिवशंकर अरली दिनांक 01.11.2024 से कंपनी के बोर्ड से गैर–शासकीय स्वतंत्र निदेशक के रूप में पदमुक्त हो गए हैं। कंपनी उनके कंपनी से जुड़े रहने के दौरान दौरान उनके मार्गदर्शन और बहुमूल्य योगदान के लिए कृतज्ञता व्यक्त करती है।

– डॉ. मंजू बघेल दिनांक 01.11.2024 से कंपनी के बोर्ड से गैर–शासकीय स्वतंत्र निदेशक के पद से मुक्त हो गईं। कंपनी उनके कंपनी से जुड़े रहने के दौरान उनके मार्गदर्शन और बहुमूल्य योगदान के लिए कृतज्ञता व्यक्त करती है।

32. स्वतंत्र निदेशकों की घोषणा

वर्ष 2024–25 के दौरान, सीसीआई के गैर–आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक डॉ. रवींद्र शिवशंकर अरली और डॉ. मंजू बघेल ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (7) के प्रावध

ानों के अंतर्गत अपनी–अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की है।

33. डिजिटलीकरण, ई–खरीद, बिल ट्रैकिंग, ईआरपी, ऑनलाइन बिक्री मॉड्यूल, ऑनलाइन भविष्य निधि मॉड्यूल, ऑनलाइन कार्य–निष्पादन मूल्यांकन पोर्टल, साइबर सुरक्षा ऑडिट आदि।

सीसीआई में डिजिटलीकरण:

- सीसीआई ने पारदर्शिता बढ़ाने और दक्षता में सुधार करने के लिए कई पहल की हैं, जैसे कार्यों, वस्तुओं और सेवाओं की ई–खरीद, ई–ऑफिस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समाधान आदि।
- कंपनी द्वारा किए गए नवीनतम अद्यतन और जानकारी कंपनी की वेबसाइट: https://www.cciltd.in पर देखी जा सकती है, जिसमें कंपनी प्रोफाइल/ सीसीआई का संगठनात्मक इतिहास, विजन और मिशन, वार्षिक रिपोर्ट, नवीनतम निविदाएं, चित्र दीर्घा, संयंत्र/ सीसीआई कार्यालय, एचआरएम/एचआरडी आदि सम्मिलित हैं।

ई–खरीद पोर्टल:

सीसीआई वस्तुओं, सेवाओं और कार्यों की खरीद के लिए जेम (गवर्नमेंट ई–मार्केट प्लेस) पोर्टल का उपयोग कर रहा है। हालाँकि, जेम पोर्टल पर उपलब्धता न होने की स्थिति में भारत सरकार जीईपीएनआईसी सीपीपी ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल का उपयोग किया जाता है। जीईपीएनआईसी ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल एक सुरक्षित और पारदर्शी खरीद प्रणाली है।

ई–मेल:

इलेक्ट्रॉनिक मेल की बेहतर सुरक्षा के लिए, CCI ने अपने मेल सर्वर एनआईसी (भारत सरकार) को स्थानांतरित कर दिए हैं। अब ईमेल एक्सेस करने के लिए email.gov.in पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है, जिसमें दोहरी प्रमाणीकरण सुविधा है।

रिकार्ड का डिजिटलीकरण:

सरकारी दस्तावेजों के बेहतर रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए रिकार्ड के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया आरंभ की गई है।

विक्रेता के लिए बिल ट्रैकिंग प्रणाली:

सीसीआई ने विक्रेताओं की सहायता के लिए "ऑनलाइन बिल ट्रैकिंग सिस्टम" के लिए सीसीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर एक लिंक उपलब्ध कराया है।

ईआरपी:

सूचना प्रणालियों और डेटा सुरक्षा के बेहतर प्रबंधन हेतु टैली ईआरपी 9 से एसएपी बिजनेस वन ईआरपी प्रणाली में स्थानांतरण की परियोजना आरंभ की गई है। यह प्रणाली परीक्षण चरण में है।

ऑनलाइन बिक्री मॉड्यूल:

सीसीआई की वेबसाइट पर ऑनलाइन बिक्री मॉड्यूल उपलब्ध है, जिसमें ग्राहक सीधे संयंत्रों से सीमेंट खरीदने का अनुरोध कर सकता है।

ऑनलाइन भविष्य निधि मॉड्यूल:

सीसीआई ने कर्मचारियों की सुविधा के लिए इंट्रानेट वेबसाइट में पीएफ ऑनलाइन मॉड्यूल शुरू किया।

ऑनलाइन कार्य–निष्पादन मूल्यांकन पोर्टल:

पारदर्शिता और सुव्यवस्थितीकरण के लिए ऑनलाइन निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है।

साइबर सुरक्षा ऑडिट:

ऑनलाइन पोर्टलों में आईटी सुरक्षा भेद्यता को कम करने के लिए साइबर सुरक्षा ऑडिट भी शुरू किया गया है। पैरामीटर स्तर की सुरक्षा के लिए सीसीआई–तांदूर इकाई में केंद्रीकृत फायरवॉल स्थापित किया गया है।

34. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

आपकी कंपनी ने सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 का अक्षरशः क्रियान्वयन करने का सदैव प्रयास किया है। कंपनी ने आरटीआई अधिनियम की धारा 5 और धारा 19(1) के अंतर्गत जन सूचना अधिकारी (पीआईओ), अपीलीय प्राधिकारी और पारदर्शिता अधिकारी नियुक्त किए हैं। कंपनी के सभी संयंत्रों और इकाइयों द्वारा अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन किया जा रहा है।

एक विशेष आरटीआई कॉर्नर विकसित किया गया है जिसका लिंक कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। प्राधिकरणों, जन सूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी और पारदर्शिता अधिकारी का विवरण भी कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है।

35. विदेशी मुद्रा में अर्जन और व्यय:

समय–समय पर विभिन्न पक्षकार हमसे निर्यात संबंधी पूछ. ताछ करते रहे हैं। हमारे संयंत्रों के समुद्री बंदरगाहों से दूर के स्थानों पर होने के कारण, संयंत्रों से निकटवर्ती समुद्री बंदरगाहों तक अंतर्देशीय माल भाड़ा अधिक पड़ता है। इसी कारण हमारे एफओबी मूल्य प्रतिस्पर्धी नहीं होते हैं। निर्यात के मोर्चे पर कड़ी निगरानी की जा रही है, ताकि उचित अवसर मिलने पर इसका लाभ उठाया जा सके। सीमेंट का पूरा उत्पादन घरेलू बाजार में बेचा जा रहा है।

36. लेखापरीक्षकः

सांविधिक लेखापरीक्षक

वर्ष 2024–25 के लिए मैसर्स एस के मेहता एंड कंपनी, सनदी लेखाकार, नई दिल्ली को प्रधान सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया था और मैसर्स के पी शारदा एंड कंपनी एवं मैसर्स कार्वी एंड कंपनी को शाखा लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया था। सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट एवं तत्संबंधी उत्तर एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां इस रिपोर्ट में संलग्न हैं।

लागत लेखापरीक्षक

मैसर्स के जी गोयल एंड एसोसिएट्स को वर्ष 2024–25 के लिए निगम का मुख्य लागत लेखापरीक्षक के अलावा राजबन का लागत लेखापरीक्षक, नियुक्त किया गया था। बोकाजन इकाई के लिए मैसर्स बंद्योपाध्याय भौमिक एंड कंपनी एवं तांदूर इकाई के लिए मैसर्स एस ढल एंड कंपनी को लागत लेखाकार नियुक्त किया गया था।

सचिवीय लेखापरीक्षक

कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के साथ पठित अधिनियम की धारा 204 के प्रावधानों के अनुसार, बोर्ड ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए आपकी कंपनी का सचिवीय लेखापरीक्षा करने के लिए मैसर्स अमित अग्रवाल एडं एसोसिएट्स, कंपनी सचिव, नई दिल्ली को सचिवीय लेखापरीक्षक नियुक्त किया है। सचिवीय लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट अनुबंध के रूप में संलग्न है। 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सचिवीय लेखापरीक्षकों द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों के संबंध में, आपके निदेशकों ने निम्नानुसार स्पष्टीकरण दिया हैः (क) दोनों स्वतंत्र निदेशक, अर्थात् डॉ. रवींद्र शिवशंकर अरली और डॉ. मंजू बघेल, दिनांक 01.11.2024 से सीसीआई के गैर–आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक के पद से कार्यमुक्त हो गए। तदनुसार, स्वतंत्र निदेशकों के अभाव में लेखा परीक्षा समिति और अन्य समितियों का पुनर्गठन नहीं किया जा सका। तथापि, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए समय–समय पर प्रशासनिक मंत्रालय को अनुरोध पत्र भेजे गए हैं।

37. लेखापरीक्षा समिति की संरचना का प्रकटीकरण और सतर्कता तंत्र प्रदान करना

कंपनी की लेखापरीक्षा समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल हैं:

क. डॉ. रवीन्द्र शिवशंकर अरली, स्वतंत्र निदेशक – अध्यक्ष

ख. डॉ. मंजू बघेल, स्वतंत्र निदेशक – सदस्य

ग. श्री अरुण कुमार सरकार, निदेशक (सरकार द्वारा नामित) सदस्य

कंपनी की सचेतक (व्हिसल ब्लोअर) नीति निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित है। कंपनी ने अपनी चिंताओं को व्यक्त करने वाले कर्मचारियों और निदेशकों के उत्पीड़न के विरुद्ध पर्याप्त सुरक्षा उपाय प्रदान किए हैं। कंपनी ने लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष को भी सीधी पहुंच प्रदान की है, जो कंपनी की सचेतक (व्हिसल ब्लोअर) नीति के अधीन कर्मचारियों और कंपनी के हितों से संबंधित मुद्दों की रिपोर्टिंग पर सक्षम प्राधिकारी हैं। सचेतक नीति (व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी) कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट www.cciltd.in पर भी उपलब्ध है।

दिनांक 01.11.2024 से सीसीआई के बोर्ड से दोनों स्वतंत्र निदेशकों की सदस्यता समाप्त हो जाने के कारण लेखा परीक्षा समिति का प्रभाव समाप्त हो गया।

38. आभार

बोर्ड भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार से आपके निगम को प्राप्त समर्थन और मार्गदर्शन और रेल मंत्रालय, पीईएसबी, वित्तीय संस्थानों, बैंकरों और अन्य केन्द्रीय और राज्य सरकार के विभागों द्वारा दिये गये समर्थन और सहयोग के प्रति आभार प्रकट करता है। हम सीसीआई के उत्पादों को निरंतर भारी समर्थन देने के लिए सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में अपने सम्मानित ग्राहकों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं।

कंपनी के निदेशक मैसर्स एस के मेहता एंड कंपनी, सनदी लेखाकार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक और प्रधान निदेशक, लेखापरीक्षा, उद्योग एवं कारपोरेट कार्य के भी आभारी हैं। निदेशकगण निगम के कर्मचारियों के समर्पण के लिए हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करते हैं।

कृते एवं बोर्ड की ओर से

ह./–
(संजय बंगा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन सं: 09353339

दिनांक : 09, अक्टूबर, 2025
स्थान : नई दिल्ली

कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 8(3) के अंतर्गत यथापेक्षित निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत विवरण।

क. ऊर्जा संरक्षण

i) ऊर्जा संरक्षण के प्रति उठाए गए कदम अथवा प्रभाव:

- ऊर्जा का नुकसान कम करने के लिए अकुशल मोटरों को उच्च ऊर्जा कुशल मोटरों जैसे प्रीहीटर पंखों, कूलर पंखों की मोटरों से बदला गया।
- कॉलोनी और संयंत्र में पारंपरिक बल्बों/ट्यूबों को चरणबद्ध तरीके से एलईडी लैंपों से बदला जा रहा है।
- इंटरलॉकिंग प्रदान करके उपकरणों के निष्क्रिय संचालन में कमी।
- पावर फैक्टर में सुधार के लिए एपीएफसी पैनल और कैपेसिटर की स्थापना।
- एलटी मोटर्स के कनेक्शन को डेल्टा से स्टार में परिवर्तित करना तथा वीएफडी पैनल और मोटर्स स्थापित करना।
- बरसात के मौसम में भट्ठे के सुचारू संचालन और अतिरिक्त कोयले की खपत से बचने के लिए कोल शेड की स्थापना पूरी हो गई है।
- कोयले की खपत को संरक्षित करने के लिए कोयले को सुखाने के लिए प्रीहीटर फैन आउटलेट से अपशिष्ट गर्म गैसों को कोयला मिल इनलेट में मोड़ना।
- समान रेटिंग के सिंक्रोनस इंडक्शन मोटर के स्थान पर 1200 किलोवाट, 11 केवी, 750 आरपीएम स्लिप–रिंग इंडक्शन मोटर की स्थापना
- जल पम्पिंग के लिए ऊर्जा कुशल टरबाइन ड्यूटी पंप की स्थापना

ii) ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग के लिए कंपनी द्वारा उठाए गए कदम:

- सीसीआई–राजबन इकाई में रेस्को मॉडल के अंतर्गत 1 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है।
- सीसीआई–बोकाजन में रेस्को मॉडल के अंतर्गत 1 मेगावाट पीक सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना प्रगति पर है और वित्त वर्ष 25–26 की पहली छमाही में पूरा होने की उम्मीद है।
- भट्ठा गर्म होने के दौरान डीजल के विकल्प के रूप में पेट्रो–पॉलिमर ईंधन का उपयोग।

iii) ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूंजी निवेश

सीसीआई ने दक्षता में सुधार और हानियों को कम करने के लिए विभिन्न ऊर्जा संरक्षण उपायों को अपनाने के लिए 289.73 लाख रुपये का निवेश किया है।

ख) प्रौद्योगिकी समावेशन

(i) प्रौद्योगिकी समावेशन के प्रति निम्नलिखित प्रयास किए गए:

क) विभागों के एकीकरण और वास्तविक समय डेटा पहुंच द्वारा बेहतर नियंत्रण के लिए ईआरपी एसएपी स्थापित किया गया है।

ख) मोशन सेंसर युक्त एलईडी स्ट्रीट लाइटें स्थापित की गईं।

ग) 132 वोल्टेज स्तर के लिए एमओसीबी के स्थान पर एसएफ6 प्रकार के स्विचिंग ब्रेकर स्थापित किए गए।

घ) ईएसपी की जगह पल्स जेट बैग हाउस स्थापित किया गया। इससे हवा में पदार्थों की बर्बादी कम हुई है और प्रदूषण का स्तर भी कम हुआ है।

ङ) मैकेनिकल पैकर के स्थान पर नए इलेक्ट्रॉनिक पैकर की स्थापना।

(ii) उत्पाद सुधार, लागत में कमी, उत्पाद विकास या आयात प्रतिस्थापन जैसे लाभ प्राप्त हुए।

(क) थर्मल पावर प्लांट के अपशिष्ट पदार्थों के उपयोग के लिए फ्लाई ऐश की मात्रा बढ़ाने और उत्पादन लागत को कम करने के लिए ड्राई फ्लाई ऐश फीडिंग सिस्टम की स्थापना

(iii) आयातित प्रौद्योगिकी के मामले में (वित्तीय वर्ष के आरंभ से गणना करते हुए पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित): शून्य

(क) आयातित प्रौद्योगिकी का ब्यौरा: लागू नहीं

(ख) आयात का वर्ष: लागू नहीं

(ग) क्या प्रौद्योगिकी पूरी तरह से समावेषित हो गई है: लागू नहीं

(घ) यदि पूर्णतः समावेशित नहीं हुआ है, तो वे क्षेत्र जहां समावेशन नहीं हुआ है, तथा उसके कारणय तथा: लागू नहीं

(iv) अनुसंधान एवं विकास पर किया गया व्ययः लागू नहीं

सीसीआई राजबन को उत्कृष्ट खान पर्यावरण एवं खनिज संरक्षण सप्ताह के लिए समग्र रूप से तीसरा स्थान मिलाः

21वां उत्तर पूर्व धातुयुक्त खान सुरक्षा सप्ताह

अनुबंध क

सीएसआर गतिविधियाँ

1. सीसीआई की सीएसआर एवं स्थिरता नीति की परिकल्पना **''स्थायी आधार पर, अधिमानतः उन परियोजना क्षेत्रों में जहां यह संचालित हो रही है, समुदायों और हितधारकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाकर अपने सामाजिक दायित्वों को पूरा करने की प्रतिबद्धता'' के रूप में की गई है।**

   सीसीआई अपनी सीएसआर और स्थिरता नीतियां और गतिविधियां, कंपनी अधिनियम, 2013 की सातवीं अनुसूची और भारत सरकार के सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार सुझाई गई क्रियाकलापों को ध्यान में रखते हुए अपने लक्ष्यों, योजनाओं और रणनीतियों के साथ एकीकृत कर उनके अनुरूप बनाता हैं।

2. (i) निवल मूल्य– 252.66 करोड़ रुपये

   (ii) कारोबार– 325.22 करोड़ रुपये

   (iii) निवल लाभ–31.05 करोड़ रुपये

   (iv) सीएसआर प्रयोज्यता का शुद्ध लाभ – 5 करोड़ से अधिक करने वाले मापदंड

3. क) (i) क्या सीएसआर समिति गठित की गई है– **हां (पहले सीएसआर समिति गठित की गई थी, तथापि, दिनांक 01.11.2024 से दोनों स्वतंत्र निदेशकों के कार्यकाल समाप्त होने के उपरांत, सीएसआर समिति भी प्रभावी नहीं रही)**

   (ii) सीएसआर समिति में निदेशकों की संख्या–**03**

   (iii) वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या–**01**

क्र.सं.	डीआईएन	निदेशक का नाम	संवर्ग	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या जिसमें उपस्थिति रही
1.	07392367	डॉ. रवीन्द्र शिवशंकर अरली	स्वतंत्र निदेशक	01
2.	09391340	डॉ.मंजू बघेल	स्वतंत्र निदेशक	01
3.	10795153	श्री जोसेफ अतुल टी. बरला	निदेशक (सरकार द्वारा नामित)	01

(ख) (i) क्या कंपनी की कोई वेबसाइट है – **जी, हाँ**

   (ii) यदि हाँ, तो वेब–लिंक उपलब्ध कराएं – ***https://www.cciltd.in***

   (iii) क्या कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के नियम 9 के अनुसरण में कंपनी की वेबसाइट पर निम्नलिखित का प्रकटन किया गया है:

   - सीएसआर समिति की संरचना– **जी, हाँ** (दिनांक 01.11.2024 तक)
   - सीएसआर नीति– **जी, हाँ**
   - बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाएँ–**जी, हाँ**

(ग) (i) क्या सीएसआर परियोजनाओं का प्रभाव मूल्यांकन कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के उप–नियम (3) के अनुसरण में किया जाता है, यदि लागू हो – जी, हाँ

   (ii) यदि हां, तो क्या इसका प्रकटन बोर्ड रिपोर्ट में किया गया है– जी, हां

   (iii) यदि कोई हो तो वेब–लिंक उपलब्ध कराएं –***https://www.cciltd.in***

(घ) (i) क्या कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के नियम 7 के उप–नियम (3) के अनुसरण में कोई राशि सेट ऑफ के लिए उपलब्ध है? जी, हाँ

   (ii) यदि हां, तो ब्यौरा दें:

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	सेट–ऑफ के लिए उपलब्ध राशि (रुपये में)	वित्तीय वर्ष में सेट–ऑफ की राशि, यदि कोई हो (रुपये में)	शेष राशि (रुपये में)
1.	2021-22	--	--	--
2.	2022-23	--	--	--
3.	2023-24	2,76,595	2,76,595	--
	कुल	--	--	--

4. (क) क्या कंपनी ने अपने निगमन के बाद से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि पूरी कर ली है –**जी, हाँ।**

(ख) यदि नहीं, तो वित्तीय वर्षों की संख्या बताएँ निगमन के बाद से पूरा हुआ –**लागू नही**

(ग) विगत तीन वित्तीय वर्षों के लिए निवल लाभ एवं अन्य विवरण :

क्र.सं.	विवरण	राशि (करोड़ रुपये में)		
		वित्तीय वर्ष-1 (2021-22)	**वित्तीय वर्ष-2 (2022-23)**	**वित्तीय वर्ष-3 (2023-24)**
1.	कर पूर्व लाभ	40.20	95.29	95.05
2.	धारा 198 के अधीन संगणित निवल लाभ	40.20	13.55	(4.37)
3.	सीएसआर नीति नियमावली 2014 के नियम 2(1)(एच) के अनुसार समायोजित कुल राशि	0	0	0
4.	धारा 135 (2–3) के लिए कुल निवल लाभ	40.20	13.55	(4.37)

(घ) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत निवल लाभ – 1646 लाख रुपये

5. (क) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का 2 प्रतिशत – 32.92 लाख रुपये

(ख) विगत वित्तीय वर्ष की सीएसआर परियोजनाओं/कार्यक्रमों अथवा गतिविधियों से सृजित अधिशेष, यदि कोई है –शून्य

(ग) वित्तीय वर्ष के लिए सैट ऑफ की जाने योग्य राशि, यदि कोई हो – **2,76,595 रुपये**

(घ) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व (5क+5ख+5ग) – **30,15,405 रुपये**

6. (क) क्या वित्तीय वर्ष के लिए सीएसआर राशि खर्च की जा चुकी है – जी, हां।

ख) यदि हां, तो सीएसआर राशि किस पर खर्च की गई है :

- चालू परियोजनाएँ– **लागू नहीं।**
- चालू परियोजनाओं से भिन्न– **लागू नहीं**
- दोनों (चालू और चालू परियोजनाओं से भिन्न)– लागू नहीं

(i) वित्तीय वर्ष के लिए चालू परियोजनाओं पर खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण:

वित्तीय वर्ष के लिए चालू परियोजनाओं की संख्या

क्र. सं.	प्रोजेक्ट आईडी	अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	परियोजना का नाम	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना अवधि (मासं)	वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपये में)	कार्यान्वयन की विधि– प्रत्यक्ष (हाँ/नहीं)	कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वयन की विधि	
					राज्य	जिला				सीएसआर पंजीकरण संख्या	नाम
1	–	अनुसूची VII (ii)	परिधान कौशल प्रशिक्षण	नहीं	उत्तर प्रदेश	कानपुर	12 मास	5,06,260	नहीं	CSR00000393	अपैरल, मेड–अप्स और होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल
							योग	5,06,260			

(ii) वित्तीय वर्ष के लिए चालू परियोजनाओं से भिन्न अन्य पर खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण: 26,39,063 रुपये

वित्तीय वर्ष के लिए चालू परियोजनाओं से भिन्न परियोजनाओं की संख्या

क्र. सं.	अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	परियोजना का नाम	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं)	परियोजना का स्थान		वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपये में)	कार्यान्वयन की विधि– प्रत्यक्ष (हाँ/नहीं)	कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वयन की विधि	
				राज्य	जिला			सीएसआर पंजीकरण संख्या	नाम
1	अनुसूची VII (i)	स्वास्थ्य और पोषण	जी, हां	तेलंगाना	के.वी. रंगारेड्डी	12,28,584	निदेशक	–	–
2	अनुसूची VII (i)	स्वास्थ्य और पोषण आदि	जी, हां	असम	कार्बी आंगलोंग	5,49,930	निदेशक	–	–
3	अनुसूची VII (ii)	स्वच्छता एवं शिक्षा आदि	जी, हां	असम	कार्बी आंगलोंग	2,00,122	निदेशक	–	–
4	अनुसूची VII (i)	स्वास्थ्य और पोषण	जी, हां	हिमाचल प्रदेश	सिरमौर	6,60,427	निदेशक	–	–
					योग	26,39,063			

(ग) प्रशासनिक ऊपरिरीर्श के अंतर्गत व्ययित राशि – **शून्य**

(घ) प्रभाव मूल्यांकन पर व्ययित राशि, यदि कोई हो – **शून्य**

(ङ) वित्तीय वर्ष के लिए व्ययित कुल राशि – **31,45,323 रुपये**

(च) वित्तीय वर्ष के लिए व्ययित राशि/(अधिक) [5(क)–. 6(ङ)] चालू परियोजनाओं के लिए अव्ययित – **1,29,918 रुपये**

(छ) धारा 135(6) के अनुसार वित्तीय वर्ष के लिए अव्ययित सीएसआर लेखा में अंतरणा हेतु योग्य राशि (समायोजन से पूर्व) – शून्य

(ज) वित्तीय वर्ष के लिए अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि में अंतरित की जाने योग्य राशि (यदि वित्त वर्ष के लिए कुल अव्ययित राशि चालू परियोजनाओं के लिए अव्ययित राशि से अधिक है) – शून्य

7. वित्तीय वर्ष के लिए अव्ययित सीएसआर राशि के अंतरण के विवरण:

(क) अव्ययित सीएसआर राशि में धारा 135(6) क अनुसार अंतरण

अव्ययित सीएसआर लेखा में अंतरित की जाने वाली राशि	अव्ययित सीएसआर लेखा में वास्तव में अंतरित की गई राशि	अंतरण की तिथि	कमी, यदि कोई हो
--	--	--	--

(ख) वित्तीय वर्ष के लिए धारा 135(5) के द्वितीय परंतुक के अनुसार अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि में अंतरण

अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि में अंतरित की जाने वाल राशि	अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि में अंतरित की गई वास्तविक राशि	अंतरण की तिथि	कमी, यदि कोई हो
--	--	--	--

8. यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है, तो कारण बताएं : लागू नहीं

9. क्या पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों की कोई अव्ययित राशि वित्तीय वर्ष में खर्च की गई है : नहीं

(क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों से संबंधित वित्तीय वर्ष में खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण :

क्र. सं.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा 135(6) के अधीन अव्ययित सीएसआर लेखा में अंतरित राशि (रुपये में)	धारा 135(6) के अधीन अव्ययित सीएसआर लेखा में शेष राशि (रुपये में)	वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपये में)	धारा 135(5) के क्षितीय परंतुक के अनुसार अनुसूची VII के अधीन निर्दिष्ट निधि में अंतरित राशि, यदि कोई हो		उत्तरवर्ती वित्तीय वर्षों में खर्च की योग्य शेष राशि (रुपये में)	कमी, यदि कोई हो
					राशि(रुपये में)	अंतरण तिथि		
1	2021-22	--	--	--	--	--	--	--
2	2022-23	--	--	--	--	--	--	--
3	2023-24	--	--	--	--	--	--	--

(ख) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष (वर्षों) की चालू परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में व्ययित सीएसआर राशि का विवरण:

चालू परियोजनाओं की संख्या : लागू नहीं

क्र. सं.	प्रोजेक्ट आईडी	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना आरंभ की गई	वित्तीय वर्ष के आरंभ में परियोजना पर खर्च की गई राशि (रुपये में)	वित्तीय वर्ष में खच की गई राशि (रुपये में)	वित्तीय वर्ष के अंत में व्यय की गई संचयी राशि (रुपये में)	पूर्ण हो चुकी/चालू परियोजना की स्थिति
1	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--
3	--	--	--	--	--	--	--

(ग) (i) विगत तीन वित्तीय वर्षों से संबंधित अव्ययित राशि से वित्तीय वर्ष में क्या कोई नई सीएसआर परियोजना संचालित की गई है : नहीं

(ii) यदि हां, तो नई सीएसआर परियोजना(ओं) की प्रकृति है:

- चालू परियोजना : लागू नहीं
- चालू परियोजना(ओं) से भिन्न – लागू नहीं
- दोनों (चालू और चालू परियोजनाओं से भिन्न) – लागू नहीं

(iii) वित्त वर्ष में नई चालू सीएसआर परियोजनाओं पर खर्च की गई राशि का विवरण:

चालू परियोजनाओं की संख्या : लागू नहीं

क्र. सं.	प्रोजेक्ट आईडी	वह वित्तीय वर्ष जिससे नई परियोजना संबंधित है	अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से आइटम	परियोजना का नाम	स्थानीय क्षेत्र (हाँ / नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना अवधि (मास)	वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपये में)	कार्यान्वयन की विधि– प्रत्यक्ष (हाँ / नहीं)	कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वयन की विधि	
						राज्य	जिला				सीएसआर पंजीकरण संख्या	नाम
1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
								योग				

(iv) वित्तीय वर्ष में चालू परियोजनाओं से भिन्न नई परियोजनाओं पर खर्च की गई राशि का विवरण

चालू परियोजनाओं से भिन्न अन्य की संख्या : लागू नहीं

क्र. सं.	वह वित्तीय वर्ष जिससे नई परियोजना संबंधित है	अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से आइटम	परियोजना का नाम	स्थानीय क्षेत्र (हाँ / नहीं)	परियोजना का स्थान		वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपये में)	कार्यान्वयन की विधि– प्रत्यक्ष (हाँ / नहीं)	कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वयन की विधि	
					राज्य	जिला			सीएसआर पंजीकरण संख्या	नाम
1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
						योग				

10. क्या वित्तीय वर्ष में खर्च की गई सीएसआर राशि से कोई पूंजीगत परिसंत्ति का सृजन अथवा अधिग्रहण किया गया है : **नहीं**

यदि हां, तो सृजित / अधिग्रहित पूंजीगत परिसंपत्ति की संख्या दर्ज करें: **लागू नहीं**

क्र. सं.	संपत्ति या परिसंपत्तियों का संक्षिप्त विवरण [संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित]	संपत्ति या परिसंपत्ति(यों) का पिन कोड	सृजन की तिथि	सीएसआर की खर्च की गई राशि	संस्था / प्राधिकरण / लाभार्थी या पंजीकृत स्वामी का विवरण		
					सीएसआर पंजीकरण संख्या, यदि लागू हो	नाम	पंजीकृत पता
	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
			योग				

ह / –
(प्रदीप कुमार चंद)
मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ)

ह / –
(संजय बंगा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

वित्तीय वर्ष 2024–25 के वार्षिक लेखाओं पर दिनांक 06–08–2025 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में निर्धारित टिप्पणियों पर प्रबंधन के उत्तर इस प्रकार हैं:

क्र.सं.	योग्यता का आधार	प्रबंधन का उत्तर
1	**संपत्ति संयंत्र एवं उपस्कर** क) कंपनी के पक्ष में कुछ इकाइयों की भूमि के स्वामित्व और पट्टा विलेखों का निष्पादन अभी भी लंबित है और गैर–प्रचालनरत इकाइयों में रखी गई भूमि के संबंध में भूमि विवरण समाधोधन के अधीन हैं। इसके अलावा, डीडीए ने 11 अप्रैल 2017 को स्वतः संज्ञान लेते हुए 14.20 एकड़ जमीन एसडीएमसी को हस्तांतरित कर दी थी, जिसकी कीमत 321.29 लाख रुपये है और इसे ''बाहरी पक्षों से वसूली योग्य'' दर्शाया गया है। इसके अलावा, साइडिंग निर्माण के लिए रेलवे को दी गई 6.74 एकड़ जमीन का भौतिक कब्जा अभी तक कंपनी को नहीं सौंपा गया है। आगे, एमसीडी ने दिनांक 22.04.2024 के पत्र द्वारा 14.20 एकड़ भूमि, जिसका कब्जा अभी भी लंबित है, के बदले में फिरोजपुर कलां (फरीदाबाद) स्थित एमसीडी की 9 एकड़ भूमि कंपनी को सौंपने की सूचना दी है। उत्तर रेलवे ने दिनांक 01.01.2024 के पत्र के माध्यम से दिल्ली मंडल और निर्माण संगठन को निर्देश दिया है और सीसीआई के दावे के मामले पर निर्णय लेने के लिए विवरण मांगा है। (वित्तीय विवरणों के नोट 34.04 देखें)। उपरोक्त मामलों के परिणाम लंबित रहने के कारण, वित्तीय विवरणों पर प्रभाव का वर्तमान में आकलन नहीं किया जा सका। ख) सीसीआई के आदिलाबाद टाउनशिप के बाहर पंप हाउस से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 तक 32 गुंटा लंबाई की सड़क के रूप में सरकारी भूमि के अधिग्रहण और उपयोग के कारण वसूली योग्य राशि का कोई लेखा–जोखा नहीं रखा गया है, जिसके हस्तांतरण आदेश की प्रतीक्षा है। (वित्तीय विवरणों की टिप्पण संख्या 34.06 देखें)। वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव का आकलन नहीं किया जा सका।	क) स्थिति का टिप्पण संख्या 34 में संगत बिंदु संख्या 04 में पर्याप्त रूप से उल्लेख किया गया है, जो वार्षिक लेखाओं का हिस्सा है। ख) स्थिति का टिप्पण संख्या 34 में संगत बिंदु संख्या 06 में पर्याप्त रूप से उल्लेख किया गया है, जो वार्षिक लेखाओं का हिस्सा है।

क्र.सं.	योग्यता का आधार	प्रबंधन का उत्तर
	ग) गैर–प्रचालनरत इकाइयों मंधार, चरखी दादरी, अकालतारा, नयागांव और नयागांव विस्तार, दिल्ली ग्राइंडिंग इकाई, कुरकुंटा, आदिलाबाद, भटिंडा ग्राइंडिंग इकाई (सामूहिक रूप से ''गैर–प्रचालनरत इकाइयां'' के रूप में संदर्भित) में रखी गई संपत्ति, संयंत्र और उपकरण वस्तुओं की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट चालू वर्ष और पिछले वर्ष में आयोजित नहीं की गई है, जिसका शुद्ध मूल्य 31 मार्च, 2025 तक 2777.37 लाख रुपये (फ्रीहोल्ड और लीजहोल्ड भूमि के संबंध में 1441.67 लाख रुपये सहित) है और इसके अभाव में, हम वित्तीय विवरणों में दर्शाए गए ऐसे मदों के भौतिक अस्तित्व और वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव पर टिप्पणी करने में सक्षम नहीं हैं। घ) विभिन्न गैर–प्रचालनरत इकाइयों में धारित पट्टाधृत भूमि, जिसका 31 मार्च, 2025 तक 324.82 लाख रुपये का अवमूल्यन मूल्य है, के लिए चालू वर्ष में परिशोधन व्यय दर्ज नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, चालू वर्ष के दौरान, वित्तीय वर्ष 2022–23 और वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए आदिलाबाद लीजहोल्ड भूमि के संबंध में 76.50 लाख रुपये का परिशोधन व्यय इस आधार पर वापस कर दिया गया है कि ये संपत्तियाँ सक्रिय उपयोग से हटा दिए गये हैं और बिक्री के लिए रखी गई हैं। इस भूमि के संबंध में वर्ष के लिए 38.25 लाख रुपये का परिशोधन व्यय का प्रावधान नहीं किया गया है। हमारी राय में, यह लेखा मानक (एएस)–10 ''संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर'' के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है, यह देखते हुए कि ऐसी भूमि आज तक बिक्री/निपटान के लिए नहीं रखी गई है। इसके परिणामस्वरूप, वर्ष के लिए करोपरांत लाभ और 31 मार्च 2025 तक शेयरधारकों की निधि 114.75 लाख रुपये का अधिक उल्लेख हुआ है। अन्य पट्टा–भूमि के संबंध में, वित्तीय विवरणों पर परिशोधन प्रभार न लगाने का प्रभाव का आकलन नहीं किया जा सका।	ग) आदिलाबाद इकाई को छोड़कर सभी गैर–प्रचालनरत इकाइयों के सभी संयंत्र एवं मशीनरी, कच्चा माल, भंडार और चूना पत्थर को छोड़कर अन्य पुर्जे एमएसटीसी ई–नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से बेचे गए हैं। इस संबंध में मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भौतिक मूल्यांकन अर्थात आंतरिक सीसीआई समिति मूल्यांकन, स्वतंत्र सरकारी मूल्यांकनकर्ता, और सीधे मंत्रालय को प्रस्तुत किए गए सीलबंद लिफाफे में मूल्यांकन किया गया है। सभी इकाइयों में केवल टाउनशिप, गैर–संयंत्र भवन और चूना पत्थर ही उपलब्ध है। घ) स्थिति का टिप्पण संख्या 34 में संगत बिंदु संख्या 15 में पर्याप्त रूप से उल्लेख किया गया है, जो वार्षिक लेखाओं का हिस्सा है।
2	**चालू पूंजीगत कार्य** दिल्ली ग्राइंडिंग यूनिट में पूंजीगत योजना के लिए 285.00 लाख रुपये का पूंजीगत कार्य लंबे समय से लंबित है, जिसे छोड़ दिया गया है। ऐसी परिसंपत्तियों के नवीनतम वसूली योग्य मूल्य से संबंधित जानकारी उपलब्ध न होने के कारण, हम इस पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं कि क्या इस संबंध में मूल्य में हानि के लिए कोई प्रावधान किया जाना अपेक्षित है।	स्थिति का टिप्पण संख्या 34 में संगत बिंदु संख्या 10 में पर्याप्त रूप से उल्लेख किया गया है, जो वार्षिक लेखाओं का हिस्सा है।

क्र.सं.	योग्यता का आधार	प्रबंधन का उत्तर
3	**मालसूचियां** क) गैर–प्रचालनरत इकाइयों में 2254.07 लाख रुपये (कमी के प्रावधानों को घटाकर) की इन्वेंट्री है, जिसे पिछले कई वर्षों से लेखाहियों में आगे बढ़ाया गया है। संबंधित मालसूची मदों की प्रकृति और भौतिक सत्यापन रिपोर्ट के अभाव में, इस मालसूची के मूल्य में काफी कमी हो सकती है, जिसका वित्तीय विवरणों पर वर्तमान में मात्रात्मक प्रभाव नहीं है।	क) आदिलाबाद इकाई को छोड़कर सभी गैर–प्रचालनरत इकाइयों के सभी संयंत्र एवं मशीनरी, कच्चा माल, भंडार और चूना पत्थर को छोड़कर अन्य पुर्जे एमएसटीसी ई–नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से बेचे गए हैं। इस संबंध में मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भौतिक मूल्यांकन अर्थात आंतरिक सीसीआई समिति मूल्यांकन, स्वतंत्र सरकारी मूल्यांकनकर्ता, और सीधे मंत्रालय को प्रस्तुत किए गए सीलबंद लिफाफे में मूल्यांकन किया गया है। सभी इकाइयों में केवल टाउनशिप, गैर–संयंत्र भवन और चूना पत्थर ही उपलब्ध है।
	ख) राजबन इकाई में रखे गए 317.70 लाख रुपये मूल्य के उन भंडारों और अतिरिक्त वस्तुओं के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है जिन्हें तीन वर्षों से अधिक समय से स्थानांतरित नहीं किया गया है। ऐसी वस्तुओं की विस्तृत समीक्षा और विश्लेषण के अभाव में, हम इस पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं कि क्या इस संबंध में मूल्य में हानि के लिए कोई प्रावधान किया जाना अपेक्षित है।	(ख) सभी संबंधित वस्तुएं उपयोग योग्य हैं तथा उनका मूल्य ऐसा है जो उपयोग के संदर्भ में कम नहीं होता।
	ग) राजबन इकाई में रखे क्लिंकर के अर्ध–तैयार स्टॉक का मूल्य 31 मार्च, 2025 तक 1747.50 लाख रुपये है, जिसे उचित रूप से टैग या लेबल नहीं किया गया है और अधिकांश स्टॉक खुले मैदान में बिखरा पड़ा है, जिससे नुकसान/क्षति हो रही है और परिणामस्वरूप, हम इस पर टिप्पणी करने में सक्षम नहीं हैं कि 31 मार्च, 2025 तक उक्त मालसूची के मूल्य में कोई गिरावट आई है।	ग) बिंदु को नोट कर लिया गया है और यदि कोई आवश्यक कार्रवाई होगी तो इकाई स्तर पर की जाएगी।
	घ) तांदूर इकाई के संबंध में, शाखा लेखा परीक्षक कुछ स्पेयर पार्ट्स और स्टोर की मौजूदगी और स्थिति की पुष्टि नहीं कर पाए क्योंकि उन पर पर्याप्त लेबल या टैग नहीं लगे थे। कुछ स्पेयर पार्ट्स खुले मैदान में बिखरे पड़े थे जिससे जंग लग गई और उन्हें नुकसान पहुँचा। परिणामस्वरूप, वे इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर पा रहे हैं कि 31 मार्च, 2025 तक उक्त मालसूची के मूल्य में कोई हानि या उसका उपयोग में लाना समाप्त हो गया है।	घ) बिंदु को नोट कर लिया गया है और यदि कोई आवश्यक कार्रवाई होगी तो इकाई स्तर पर की जाएगी।

क्र.सं.	योग्यता का आधार	प्रबंधन का उत्तर
4	**निवेश** कंपनी ने आंध्र प्रदेश गैस पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के इक्विटी शेयरों के माध्यम से 227.96 लाख रुपये का निवेश किया है। 31 मार्च, 2021 के बाद की अवधि के लिए निवेशित कंपनी का वित्तीय विवरण कंपनी के पास उपलब्ध नहीं है। नवीनतम वित्तीय जानकारी/वित्तीय विवरण की उपलब्धता के अभाव में, हम इस पर टिप्पणी करने में सक्षम नहीं हैं कि 31 मार्च, 2025 तक ऐसे निवेश के मूल्य में कोई हानि हुई है।	एएस–13 के पैरा 17 के अनुसार, ''...दीर्घकालिक निवेश आमतौर पर लागत पर रखे जाते हैं। तथापि, जब किसी दीर्घकालिक निवेश के मूल्य में अस्थायी के अलावा कोई गिरावट आती है, तो गिरावट को ध्यान में रखते हुए वहन राशि कम कर दी जाती है...'' एपीजीपीसीएल प्रभावी रूप से प्रचालन में आने की प्रक्रिया में है और उनके पास सकारात्मक निवल परिसंपत्ति मूल्य, अधिशेष आरक्षित निधि और धनात्मक निवल मूल्य भी है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, उक्त निवेश को लागत पर मान्यता दी गई है और उसी के अनुसार दर्शाया गया है। हम प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि पर इसकी समीक्षा करेंगे और तदनुसार एएस–13 के लागू पैरा का अनुपालन करेंगे।
5	व्यापार प्राप्य, ऋण और अग्रिम, व्यापार देय, जमा और अन्य देयताएं क) व्यापारिक प्राप्य, ऋण और अग्रिम, व्यापारिक देय, पक्षकारों को और पक्षकारों से जमा राशियाँ तथा अन्य देयताएँ पुष्टि और समाषोधन के अधीन हैं। शेष राशि के समाषोधन/पुष्टि न होने से उद्भूत वित्तीय प्रभाव, यदि कोई हो, का आकलन नहीं किया जा सका। (वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पण सं. 34.42 देखें) ख) गैर–प्रचालनरत इकाइयों में 1060.15 लाख रुपये, राजबन इकाई में 124.10 लाख रुपये और कॉर्पोरेट कार्यालय में 30.10 लाख रुपये की कुछ वसूली योग्य शेष राशि बकाया है, जो लंबे समय से वसूल/समायोजित नहीं हुई है और ऐसी बकाया राशि की कोई पुष्टि/समाषोधन नहीं हुआ है। इसके अभाव में, हम ऐसी राशियों की वसूली पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। ग) खनन संबंधी देय और न्यूनतम खनन किराये से भिन्न अविवादित सांविधिक देयों पर 31 मार्च 2025 तक देय ब्याज के लिए प्रावधान लागू कानून के प्रावधानों के अनुसार नहीं किए गए हैं। इन अविवादित बकाया राशि पर अपेक्षित प्रावधानों की मात्रा का आकलन नहीं किया जा सका चूंक कंपनी के पास संबंधित विवरण उपलब्ध नहीं हैं। प्रबंधन इस संबंध में संबंधित सांविधिक प्राधिकारियों से ब्याज में छूट की अपेक्षा कर रहा है। इसके अतिरिक्त, आदिलाबाद इकाई के संबंध में वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए संपत्ति कर का प्रावधान नहीं किया गया है, जबकि वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए 12.68 लाख रुपये का प्रावधान किया गया था, जो प्रबंधन की राय में देय नहीं है। विस्तृत जानकारी के अभाव में, वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव का आकलन नहीं किया जा सका।	क) स्थिति को टिप्पण संख्या 34 में संगत बिंदु संख्या 42 में पर्याप्त रूप से उल्लेख किया गया है, जो वार्षिक लेखाओं का हिस्सा है। ख) स्थिति को टिप्पण संख्या 34 में संगत बिंदु संख्या 42 में पर्याप्त रूप से उल्लेख किया गया है, जो वार्षिक लेखाओं का हिस्सा है। ग) स्थिति को टिप्पण संख्या 34 में संगत बिंदु संख्या 02 में पर्याप्त रूप से उल्लेख किया गया है, जो वार्षिक लेखाओं का हिस्सा है।

क्र.सं.	योग्यता का आधार	प्रबंधन का उत्तर
	घ) तांदूर इकाई के शाखा लेखा परीक्षक ने रिपोर्ट किया है कि एमएसएमई विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को उक्त अधिनियम में निर्धारित तिथियों के बाद कुछ राशि देय है। तथापि, इकाई 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष की लेखा बहियों में ब्याज की गणना और प्रावधान नहीं कर रही है, सिवाय उन पक्षकारों के जो बीआईएफआर के अंतर्गत आते हैं। वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव का वर्तमान में आकलन नहीं किया जा सका।	घ) टिप्पण संख्या 34 के संगत बिंदु संख्या 26 और 28 में स्थिति को पर्याप्त रूप से उल्लेख किया गया है, जो तांदूर इकाई के वार्षिक लेखाओं का हिस्सा है। इसके अतिरिक्त, ये विवादित बकाया राशि और/या संबंधित कार्य आदेशों और निविदा दस्तावेजों में दिए गए नियमों और शर्तों के अनुसार रोके गए भुगतानों के कारण हैं, जिन पर दोनों पक्षकारों द्वारा विधिवत सहमति व्यक्त की गई है। इस प्रकार एमएसएमईडी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विवादों/मुद्दों के समाधान तक इन राशियों का भुगतान देय नहीं है।
	ङ) तांदूर इकाई में, 333.23 लाख रुपये के दीर्घकालिक व्यापारिक देयों के वर्गीकरण के संबंध में, इकाई के शाखा लेखा परीक्षक को यह बताने का कोई औचित्य नहीं दिया गया है कि वित्तीय विवरणों में इसे दीर्घकालिक के रूप में क्यों वर्गीकृत किया गया है, साथ ही प्रत्येक पक्षकार के लिए भुगतान की नियत तिथि भी नहीं बताई गई है। विस्तृत जानकारी के अभाव में, वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव का आकलन नहीं किया जा सका।	ङ) इस अर्हता पर आगामी वर्ष में इकाई स्तर पर ध्यान रखा जाएगा।
	च) गैर–प्रचालनरत इकाइयों के संबंध में, अन्य पक्षकारों से वसूली योग्य कुछ राशियाँ, जिन्हें वित्तीय विवरणों में दीर्घकालिक प्राप्य के रूप में दर्शाया गया है, 974.20 लाख रुपये हैं, जिनके लिए हमें कोई औचित्य नहीं दिया गया है कि इन्हें वित्तीय विवरणों में दीर्घकालिक के रूप में क्यों वर्गीकृत किया गया है, साथ ही प्रत्येक पक्षकार के लिए भुगतान की नियत तिथि भी नहीं बताई गई है। विस्तृत जानकारी के अभाव में, वित्तीय विवरणों पर इनके प्रभाव का आकलन नहीं किया जा सका।	च) इस अर्हता पर आगामी वर्ष में एनओयू स्तर पर ध्यान रखा जाएगा।
6	**आयकर** क) कंपनी ने वित्तीय विवरणों में 2309.68 लाख रुपये की वसूली योग्य शेष राशि दर्शाई है, जिसमें एमएटी क्रेडिट पात्रता के संबंध में पिछले वर्षों से आगे ले जाए गए 2029.94 लाख रुपये की शेष राशि शामिल है। प्रबंधन की राय में, इसे भविष्य में समायोजित किया जाएगा, तथापि, इस बात के निर्णायक प्रमाण के अभाव में कि कंपनी सामान्य आयकर का भुगतान करेगी और आयकर अधिनियम 1961 में निर्दिष्ट समयावधि के दौरान ऐसे एमएटी क्रेडिट को समायोजित करने में सक्षम होगी, हम यह टिप्पणी करने में असमर्थ हैं कि क्या ऐसी परिसंपत्ति की मान्यता उचित है।	क) स्थिति को टिप्पण संख्या 34 में संगत बिंदु संख्या 16 में पर्याप्त रूप से उल्लेख किया गया है, जो वार्षिक लेखाओं का हिस्सा है।

क्र.सं.	योग्यता का आधार	प्रबंधन का उत्तर
	ख) कंपनी ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115 जेबी के प्रावधानों के अनुसार देय आयकर का 12.28 लाख रुपये का कम प्रावधान किया है और तदनुसार कर के लिए प्रावधान की देयता और वित्तीय विवरणों में एमएटी क्रेडिट पात्रता के रूप में परिसंपत्ति के रूप में मान्यता प्राप्त राशि का उसी सीमा तक कम उल्लेख हुआ है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने वित्तीय विवरणों में अग्रिम कर भुगतान में 5.39 लाख रुपये की कमी पर देय ब्याज का विवरण नहीं दिया है जिसके परिणामस्वरूप, वर्ष के लिए करोपरांत लाभ और 31 मार्च 2025 तक शेयरधारकों की निधि का 5.39 लाख रुपये अधिक उल्लेख हुआ हैं	ख) आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत देय अंतिम कर राशि कर गणना आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44 एबी के अंतर्गत कर लेखापरीक्षा की नियत तिथि को या उससे पहले की जाएगी तथा तदनुसार उसका निस्तारण किया जाएगा तथा उसके प्रभाव को तदनुसार लेखाबद्ध किया जाएगा।
7	**शेयर पूंजी** कंपनी ने 22 मार्च, 2007 को भारत सरकार को 7 (सात) वर्षों के लिए 35543.25 लाख रुपये मूल्य के 1,000/– रुपये मूल्य के 3554325 गैर–संचयी मोचनीय अधिमाानी शेयर जारी किए थे। निर्गम की शर्तों के अनुसार, उपरोक्त अधिमानी शेयरों का मोचन 22 मार्च, 2014 से पहले किया जाना था और इनका मोचन निर्गम की शर्तों के अनुरूप नहीं किया गया। प्रबंधन ने सूचित किया है कि अधिमानी शेयरों के पुनः निर्गम की अवधि बढ़ाने के लिए मंत्रालय से आगे की कार्रवाई हेतु निदेष देने का अनुरोध किया गया है तथा इस संबंध में अभी तक मंत्रालय का प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। (वित्तीय विवरणों की टिप्पण सं. 34.11 देखें)।	स्थिति का टिप्पण संख्या 34 में संगत बिंदु संख्या 11 में पर्याप्त रूप से उल्लेख किया गया है, जो वार्षिक लेखाओं का हिस्सा है।
8	**आकस्मिक देयताएं** क) आकस्मिक देयता राशि में 1623.17लाख रुपये के कुछ विवादित मामले सम्मिलित हैं, जिनमें मध्यस्थता/निचने न्याायलयों में कंपनी के विरुद्ध निर्णय दिया गया था और जिनके विरुद्ध कंपनी ने उच्च न्यायालयों में अपील दायर की है और इन मामलों के विरुद्ध, कंपनी ने उच्च न्यायालयों/पक्षकारों के पास 1402.33 लाख रुपये की राशि जमा की है। प्रबंधन की राय में, जो कानूनी दृष्टिकोण से समर्थित है, कंपनी उच्च न्यायालय में अनुकूल निर्णय की अपेक्षा कर रही है और तदनुसार, ऐसे विवादित मामलों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। ऐसे मामलों के अंतिम निर्णय तक, वित्तीय विवरणों पर इनके प्रभाव का वर्तमान में आकलन नहीं किया जा सका। (ख) पर्याप्त दस्तावेज के अभाव में, हम गैर–प्रचालनरत इकाइयों से संबंधित चालू और विगत वित्तीय वर्ष में आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाई गई 5119.71 लाख रुपये की राशि के कुछ विवादित मामलों की सत्यता को सत्यापित करने में असमर्थ हैं।	स्थिति का टिप्पण संख्या 01 में महत्वपूर्ण लेखांकन नीति में संगत बिंदु संख्या 16 में तथा टिप्पण संख्या 32 में पर्याप्त रूप से उल्लेख किया गया है, जो वार्षिक लेखाओं का हिस्सा है।
9	**अन्य** वर्ष 1998 में बेची गई येरागुंटला इकाई के संबंध में विशेष लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इंगित विसंगतियों के प्रभाव पर लंबित समाषोधन के कारण विचार नहीं किया गया है। वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव का आकलन नहीं किया जा सका। (वित्तीय विवरण की टिप्पण संख्या 34.44 देखें)	टिप्पण संख्या 34 में संगत बिंदु संख्या 44 में स्थिति को पर्याप्त रूप से उल्लेख किया गया है, जो वार्षिक लेखा का हिस्सा है।

प्रबंधन के साथ चर्चा और विश्लेषण

1. आर्थिक परिदृश्य

मौजूदा और उभरती अनिश्चितताओं के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था में व्यापार और राजकोषीय नीतियों को लेकर गंभीर जोखिम उत्पन्न हो रहे हैं। अतः अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2.8 प्रतिशत से 3 प्रतिशत की मध्यम वैश्विक आर्थिक वृद्धि का अनुमान लगाया है। व्यापार प्रतिबंध, शुल्क और रूस–यूक्रेन तथा इजराइल–गाजा युद्ध के कारण भू–राजनीतिक तनाव, जो अपने चौथे वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं, प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। इन प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए, देश द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत कर रहे हैं।

इस वैश्विक परिदृश्य के बीच, भारत की जीडीपी में वित्तीय वर्ष 25–26 के दौरान लगभग 6.5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज होने की उम्मीद है और मजबूत घरेलू मांग, निरंतर निजी खपत और बुनियादी ढांचे और विकास पर सरकार के जोर से भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। खरीफ फसल का रिकॉर्ड उत्पादन, अनुकूल मानसून और कच्चे तेल की गिरती कीमतों ने इसे बल दिया क्योंकि भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरत का लगभग 85 प्रतिशत आयात करता है। भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रास्फीति को 3.5 प्रतिशत –4.0 प्रतिशत के दायरे में सीमित रखने और मुद्रास्फीति नियंत्रण के साथ विकास की आवश्यकता को संतुलित करने के लिए सहायक राजकोषीय नीतियाँ अपनाने की संभावना है। पिछले एक दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था ने उल्लेखनीय लचीलापन और विकास दिखाया है, जो भारत सरकार द्वारा विभिन्न नीतिगत सुधारों के कार्यान्वयन और निरंतर निवेश जैसे कई कारकों से प्रेरित है।

वित्तीय वर्ष 24–25 के दौरान, अधिक प्रयोज्य आय और शहरी मांग में सुधार के कारण खपत में वृद्धि हुई। कुल मिलाकर, मजबूत घरेलू मांग, नियंत्रणीय मुद्रास्फीति और रणनीतिक नीतिगत उपायों के साथ भारत का आर्थिक दृष्टिकोण सका. रात्मक बना हुआ है। सीमेंट उद्योग पर वर्ष की पहली तिमाही के दौरान 2024 के आम चुनावों का प्रभाव पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप सीमेंट की मांग में कमी आई और वित्तीय वर्ष 24–25 की पहली छमाही के दौरान समग्र सीमेंट मांग कम रही, लेकिन बाद में इसमें सुधार हुआ।

2. दृष्टिकोण

आर्थिक सर्वेक्षण में भारत की दीर्घकालिक विकास संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रणालीगत विनियमन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है, ताकि 2047 तक, जब हम स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे करेंगे, उस समय तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

इसके लिए 8 प्रतिशत की सतत वार्षिक वृद्धि दर की आवश्यकता है, जिसके लिए सरकार ''व्यापार सुगमता में सुधार करने का प्रयास कर रही है और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से एमएसएमई क्षेत्र को समर्थन भी दे रही है क्योंकि यह बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान करता है। मजबूत घरेलू माँग, शहरी और निजी खपत में वृद्धि, बेहतर कृषि उत्पादन और बेहतर बुनियादी ढाँचे के विकास के कारण वित्तीय वर्ष 25–26 के दौरान भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 6.5 प्रतिशत की मामूली वृद्धि दर्ज होने की उम्मीद है। तथापि, विभिन्न देशों के बीच व्यापार तनाव और विभिन्न वैश्विक भू–राजनीतिक तनाव वैश्विक और भारतीय आर्थिक परिदृश्य दोनों के लिए संभावित जोखिम पैदा करते हैं।

3. सीमेंट उद्योग

भारतीय सीमेंट उद्योग विष्व में दूसरे स्थान पर बना हुआ है और देश के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने और निर्माण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आवास अभी भी कुल सीमेंट खपत का लगभग 65% है, जबकि बुनियादी ढांचे और वाणिज्यिक का क्रमशः लगभग 25% और 10% हिस्सा है। आवास क्षेत्र को शहरीकरण और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी किफायती आवास योजनाओं ने प्रेरित किया है। दो सीमेंट कंपनियों– अल्ट्राटेक और अदानी सीमेंट द्वारा विलय और अधिग्रहण के निरंतर अभियान के कारण उद्योग में वित्तीय वर्ष 24–25 के दौरान कीमतों में गिरावट देखी गई। वित्तीय वर्ष 25–26 के केंद्रीय बजट में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए रिकॉर्ड 11.21 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। शहरी परियोजनाओं में तेजी लाने और शहरी विकास को गति देने के लिए, एक लाख करोड़ रुपये के शहरी चुनौती कोष और 15,000 करोड़ रुपये के एसडब्लूएएमआईएच कोष जैसी प्रमुख पहलें की गईं।

भारतीय सीमेंट उद्योग ने भी वित्तीय वर्ष 24–25 के दौरान लगभग 30 मिलियन टन की नई क्षमता जोड़ी और वार्षिक सीमेंट मांग लगभग 435 मिलियन टन तक पहुँच गई। चुनौतियों से निपटने और अवसरों का लाभ उठाने की इस क्षेत्र की क्षमता इसकी निरंतर सफलता के लिए महत्वपूर्ण बनी हुई है।

4. गो ग्रीन पहल

52 सीमेंट कंपनियों को संरचनात्मक लागत में कमी का लाभ मिलने की उम्मीद है क्योंकि वे नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने, अपशिष्ट ऊष्मा पुनर्प्राप्ति प्रणालियों और वैकल्पिक ईंधन के

उपयोग जैसी अधिक टिकाऊ प्रथाओं की ओर बढ़ रही हैं। सीसीआई ने स्वच्छ ऊर्जा के अपने अभियान के तहत राजबन और बोकाजन दोनों इकाइयों में 1 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र भी स्थापित किए हैं और तांदूर स्थित अपने 10 लाख टन वार्षिक क्षमता वाले सीमेंट संयंत्र के लिए 6 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना भी स्थापित करने की प्रक्रिया में है। इकाइयों में अपशिष्ट ऊष्मा पुनर्प्राप्ति प्रणालियाँ भी स्थापित की गई हैं। तांदूर इकाई में एक फ्लाई ऐश हैंड. लिंग प्रणाली भी चालू की गई है जिससे क्लिंकर रूपांतरण कारक में वृद्धि हुई है और इस पर्यावरण–अनुकूल पोर्टलैंड पॉजोलोना सीमेंट का उत्पादन भी बढ़ा है।

5. सीमेंट की बिक्री

वर्ष, विशेष रूप से दक्षिण भारत में, जहाँ सीसीआई के पास सबसे बड़ी दस लाख टन वार्षिक सीमेंट उत्पादन सुविधा है, सीमेंट कंपनियों के बीच कीमतों को लेकर जबरदस्त जंग देखी गई। कुल सीमेंट बिक्री वित्तीय वर्ष 24–25 के दौरान 6.73 लाख मीट्रिक टन रही, जो वित्तीय वर्ष 23–24 के दौरान 8.43 लाख मीट्रिक टन थी। बिक्री में सबसे ज़्यादा नुकसान तांदूर इकाई से हुआ, जहाँ मौजूदा कम सीमेंट कीमतों के कारण कई बाजारों में सीमेंट बेचना घाटे का सौदा था।

राजबन इकाई ने विगत वित्तीय वर्ष की अपनी बिक्री को लगभग बरकरार रखा, जबकि बोकाजन इकाई की बिक्री में कुछ गिरावट आई, जिसका कारण हमारे नियंत्रण से बाहर के विभिन्न बाहरी कारक थे, जैसे कि मणिपुर की स्थिति, जो बोकाजन इकाई के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार था।

आपकी कंपनी ने सक्रिय दृष्टिकोण अपनाते हुए अपनी तांदूर इकाई से कंक्रीट स्लीपर प्लांट के लिए विशेष ग्रेड सीमेंट, आईआरएस टी–40 का उत्पादन पुनः शुरू कर दिया है। यह एक विशिष्ट बाजार है और बहुत कम सीमेंट निर्माण संयंत्र इस ग्रेड का सीमेंट बनाते हैं।

तथापि, आगे चलकर, दक्षिण भारत में मूल्य स्थिति में सुधार होने की उम्मीद है क्योंकि वित्तीय वर्ष 24–25 के दौरान अधिकांश सीमेंट उद्योग के लिए मूल्य निर्धारण की स्थिति अव्यवहारिक थी। विलय और अधिग्रहण का चरण पूरा होने और उद्योग की गतिशीलता के पुनर्निर्धारण के बाद कीमतों में भी स्थिरता आने की संभावना है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि दक्षिण भारत में सीमेंट उत्पादन क्षमता से अधिक है और अखिल भारतीय आंकड़ों की तुलना में उद्योग के लिए औसत क्षमता उपयोग कम है।

चेतावनी

''प्रबंधन के साथ चर्चा एवं विश्लेषण'' में कंपनी के उद्देश्यों, अनुमानों और प्रक्कलनों का वर्णन करने वाले कथन भविष्योन्मुखी और लागू सुरक्षा कानूनों एवं विनियमों के अर्थ में प्रगतिशील हैं। वास्तविक परिणाम आर्थिक स्थितियों, सरकारी नीतियों और अन्य कारकों के आधार पर व्यक्त या निहित परिणामों से भिन्न हो सकते हैं।

ऋषिकेश, रुड़की और हरिद्वार के लिए सीसीआई की डीलर मीट अत्यंत सफल रहा। श्री संजय बंगा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने हमारी विकास में डीलरों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला।

सीसीआई ने गुलबर्गा में डीलर्स मीट का आयोजन किया, जिसमें निदेशक (वित्त), सीसीआई ने वित्तीय वर्ष 24–25 के कार्य निपादनकर्ताओं को भी सम्मानित किया गया।

कारपोरेट शासन पर रिपोर्ट

1. शासन संहिता पर कंपनी का दर्शनः

कारपोरेट शासन के संबंध में कंपनी का दृष्टिकोण सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआई) वित्तीय विवेक, ग्राहकों की संतुष्टि, पारदर्शिता, जवाबदेही और हितधारकों के प्रति प्रतिबद्धता में विश्वास करना है। सीसीआई की कार्यप्रणाली उन दिशानिर्देशों पर आधारित है जो भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए जाते हैं और सीसीआई को सभी हितधारकों अर्थात शेयरधारकों, ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं, लेनदारों, भारत सरकार, राज्य सरकारों, सरकारी एजेंसियों/विभागों और बड़े पैमाने पर समाज के लिए मूल्य बढ़ाने में एक लंबा सफर तय करना है।

2. निदेशक मंडलः

i. **बोर्ड का गठन :**

सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के अनुसार एक सरकारी कंपनी है। कंपनी के अंतर्नियमों के अनुसार, निदेशकों को नियुक्त करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है। बोर्ड में 3 निदेशकों से कम और 12 से अधिक नहीं होंगे।

ii. **बोर्ड की संरचनाः**

31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार सीसीआई के बोर्ड में चार (4) निदेशक थे जिनमें से दो कार्यकारी निदेशक, दो अंशकालिक शासकीय निदेशक, जो प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा नामित हैं और दो गैर–शासकीय स्वतंत्र निदेशक हैं।

निदेशकों के नाम और संवर्ग, वर्ष के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठक और पिछली वार्षिक सामान्य बैठक में उनकी उपस्थिति सहित निदेशक पद और समिति (लेखा परीक्षा समिति) के पदों की संख्या तालिका 1 में दी गई है।

तालिका 1 : निदेशकों की श्रेणियां और उनके द्वारा धारित निदेशक पद और समिति

क्र.सं.	निदेशकों का नाम	निदेशकों के कार्यकाल के दौरान आयोजित बोर्ड बैठक	बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति	वार्षिक सामान्य बैठक (25.10.2024 को आयोजित) में उपस्थिति	31.03.2025 की स्थिति के अनुसार निदेशकता की संख्या (सीसीआई सहित)	31.03.2025 की स्थिति के अनुसार अन्य कंपनियों में समिति सदस्यता की संख्या
कार्यकारी निदेशकः						
1.	श्री संजय बंगा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक*	8	8	हां	1	शून्य
2.	श्री प्रदीप कुमार चंद, निदेशक (वित्त)	8	8	हां	1	शून्य
सरकार द्वारा नामित निदेशकः						
3.	सुश्री मुक्ता शेखर** (22.07.2024 तक)	1	1	लागू नहीं	9	शून्य
4.	डॉ. रेणुका मिश्रा** (22.07.2024 से)	7	7	लागू नहीं	10	शून्य
5.	श्री जोसेफ अतुल टी. बरला*** (26.09.2024 तक)	4	1	हां	3	शून्य

6.	श्री अरुण कुमार सरकार*** (30.09.2024 से)	4	4	हां	2	शून्य
स्वतंत्र निदेशक:						
7.	डॉ. रवीन्द्र शिवशंकर अरली**** (01.11.2024 तक)	6	6	लागू नहीं	1	3
8.	डॉ. मंजू बघेल (01.11.2024 तक)	6	6	हां	1	शून्य

*भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय के दिनांक 21 फरवरी, 2024 के आदेश संख्या 1(1)/2020–पीई–XII/सीपीएसई– III के अनुसरण में, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड (ईपीआईएल) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री शिवेंद्र नाथ को 07 जून, 2024 (अपराह्न) से सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआई) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वे यह कार्यभार सीसीआई के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री संजय बंगा के अमेरिका की निजी विदेश यात्रा पर जाने के कारण अनुपस्थित रहने की अवधि के दौरान ग्रहण करेंगे।

श्री संजय बंगा ने दिनांक 08.07.2024 (अपराह्न) से सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआई) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का कार्यभार पुनः ग्रहण कर लिया है, तदनुसार, श्री शिवेन्द्र नाथ, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड (ईपीआईएल) दिनांक 08.07.2024 (अपराह्न) से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सीसीआई पद से कार्यमुक्त हो गए हैं।

**डॉ. रेणुका मिश्रा, आर्थिक सलाहकार, भारी उद्योग मंत्रालय को दिनांक 22.07.2024 से सीसीआई के बोर्ड में अंशकालिक आधिकारिक निदेशक (सरकार द्वारा नामित) के रूप में नियुक्त किया गया। वे भारी उद्योग मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुश्री मुक्ता शेखर का स्थान पर कार्य करेंगी।

***श्री अरुण कुमार सरकार, उप सचिव, भारी उद्योग मंत्रालय को दिनांक 30.09.2024 से सीसीआई के बोर्ड में अंशकालिक आधिकारिक निदेशक (सरकार द्वारा नामित) के रूप में नियुक्त किया गया। वे भारी उद्योग मंत्रालय के निदेशक श्री जोसेफ अतुल टी. बारला के स्थान पर कार्य करेंगे।

****निम्नलिखित एलएलपी में पदाभिहित भागीदार:

- हेल्थ पॉइंट मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल एलएलपी, सांगली, महाराष्ट्र
- सिनर्जी मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल एलएलपी, सांगली, महाराष्ट्र
- सांगली अर्बन को–ओपरेटिब बैंक, सांगली

कंपनी ने वर्ष 2024–25 के दौरान दिनांक 15.05.2024, 29.07.2024, 13.08.2024, 21.08.2024, 30.09.2024, 25.10.2024, 31.12.2024 और 10.03.2025 को बोर्ड की आठ (08) बैठकें आयोजित की गईं।

iii. बोर्ड/समिति की बैठकों के लिए कार्यसूची के मदों की सूची का निर्धारण और चयन:

- बोर्ड/समिति के अध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत उचित नोटिस देकर बैठकें बुलाई जाती हैं। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/निदेशक मंडल समिति की बैठकों की तारीख और स्थान विनिश्चित करते हैं। बैठक के दौरान सार्थक, सूचित और केंद्रित निर्णयों को सुविधाजनक बनाने के लिए सदस्यों के बीच विस्तृत एजेंडा नोट्स, प्रबंधन रिपोर्ट और अन्य व्याख्यात्मक बयान अग्रिम रूप से परिचालित किए जाते हैं। जब आवश्यक मुद्दों को संबोधित करने की आवश्यकता होती है, तो बैठकें कम समय की पूर्व सूचना पर बुलाई जाती हैं या अधिनियम या इसके लेखों में उल्लिखित लागू प्रावधानों के सम्यक अनुपालन में परिचालन द्वारा संकल्प पारित किए जाते हैं।
- जहां कहीं किसी दस्तावेज को उसकी गोपनीय प्रकृति के कारण एजेंडा नोट्स में संलग्न करना व्यावहारिक नहीं है, या विशेष और असाधारण परिस्थितियों में, अतिरिक्त या पूरक मदों के कागजात बैठक में पटल पर रखे जाते हैं।
- कार्यकारी निदेशक/अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत कार्यसूची कागजात परिचालित किये जाते हैं।
- बोर्ड/समितियों की बैठकों में वित्त, संचालन, मानव संसाधन आदि से संबंधित मामलों पर प्रस्तुतीकरण दिया जाता है ताकि सदस्यों को जब भी अपेक्षित हो, सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाया जा सके।
- कंपनी की सभी जानकारी तक बोर्ड के सदस्यों की पूरी पहुंच है। बोर्ड ऐसे किसी भी मुद्दे की संस्तुति करने के लिए भी स्वतंत्र है जिसे वह एजेंडा में शामिल करने के लिए

महत्वपूर्ण मानता है। बोर्ड द्वारा चर्चा की जा रही वस्तुओं के लिए अतिरिक्त सूचनाउपलब्ध कराने के लिए, जब भी अपेक्षित हो, वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों को बुलाया जाता है।

iv. बोर्ड/समिति की बैठकों के कार्यवृत्तों का अभिलेखनः

प्रत्येक बोर्ड/समिति की बैठक की कार्यवाही के कार्यवृत्त को कार्यवृत्त पुस्तक में विधिवत दर्ज किया जाता है। बोर्ड की प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त को बोर्ड के सदस्यों के बीच उनकी संपुष्टि के लिए आगामी बोर्ड बैठक में परिचालित किया जाता है। बोर्ड की उप–समिति के कार्यवृत्त भी जानकारी के लिए बोर्ड के समक्ष रखे जाते हैं।

v. अनुवर्ती तंत्रः

बोर्ड/समिति के सदस्यों के महत्वपूर्ण निर्णयों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर)को एटीआर एजेंडा प्राप्त होने पर प्रस्तुत किया जाता है। यह एक प्रभावी अनुवर्ती, समीक्षा और रिपोर्ट प्रक्रिया के रूप में कार्य करता है।

vi. अनुपालनः

हमने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि एजेंडा नोट्स तैयार करते समय कानून, नियमों और दिशानिर्देशों के सभी लागू प्रावधानों का पालन हो। कंपनी, कंपनी अधिनियम के सभी लागू प्रावधानों और विभिन्न कानूनों के अंतर्गत विभिन्न अन्य सांविधिकअपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करती है। बोर्ड को अपेक्षित सूचना नियमित रूप से निम्नानुसार उपलब्ध कराई जाती हैः–

- समझौता ज्ञापन (एमओयू), बड़ी संविदाएं प्रदान करने की सूचना।
- लेखा परीक्षा समिति और बोर्ड की अन्य समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त।
- कारण बताओ, मांग, अभियोजन नोटिस, और दंड नोटिस, यदि कोई हो, जो तात्विक से महत्वपूर्ण हैं।
- घातक या गंभीर दुर्घटनाएं, खतरनाक घटनाएं।
- प्रमुख निवेश, अनुषंगी कंपनियों का गठन, संयुक्त उद्यम और कार्यनीतिक गठबंधन।
- निदेशकों द्वारा अन्य कंपनियों/फर्मों आदि में उनके द्वारा अधिग्रहित निदेशकों और समिति पदों के बारे में अभिरुचि का प्रकटीकरण।
- कानून और डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार अन्य मदें।
- संविधिक प्रावधानों का त्रैमासिक अनुपालन प्रमाण पत्र।
- बोर्ड द्वारा समय–समय पर वांछित अन्य विषय।

vii. गैर–कार्यकारी निदेशकों का मुआवजा और प्रकटनः

कंपनी सरकार द्वारा नामित निदेशकों को बैठक शुल्क का भुगतान नहीं करती है। तथापि, स्वतंत्र निदेशकों को प्रति बोर्ड बैठक 15,000/– (पंद्रह हजार रुपये मात्र) और समिति की बैठकों के लिए 12,000/– (बारह हजार रुपये मात्र) की दर से बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है। स्वतंत्र निदेशकों को निदेशक मंडल और उसकी समितियों की बैठकों में उपस्थित होने के लिए किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति भी की जाती है।

viii. निदेशक मंडल द्वारा अन्य कंपनियों की समिति में धारित निदेशक पद और सदस्यता (31.03.2025) की स्थिति के अनुसार

क्र.सं.	निदेशकों का नाम	संवर्ग	अन्य कंपनियों में निदेशक पद/ प्रकटीकरण (2024–25)
कार्यकारी निदेशकः			
1.	श्री संजय बंगा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	कार्यकारी निदेशक	शून्य
2.	श्री प्रदीप कुमार चंद निदेशक (वित्त)	कार्यकारी निदेशक	शून्य

सरकार द्वारा नामित निदेशकः			
3.	डॉ. रेणुका मिश्रा (दिनांक 22.07.2024 से)	सरकार द्वारा नामित निदेशक	1. एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड 2. एचएमटी लिमिटेड 3. एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड 4. एचएमटी वॉचेस लिमिटेड 5. नेपा लिमिटेड 6. राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड 7. ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड 8. इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड
4.	श्री अरुण कुमार सरकार	सरकार द्वारा नामित निदेशक	1. हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड

ix. बोर्ड के सदस्यों का प्रशिक्षण

सीसीआई अपने बोर्ड के सदस्यों को सीसीआई की रूपरेखा, व्यवसाय आदि के बारे में प्रशिक्षित करने के लिए पहल करता है। सीसीआई के प्रबंधन द्वारा निदेशकों को समय–समय पर सीसीआई के कामकाज से संबंधित सभी प्रासंगिक मुद्दों और महत्वपूर्ण घटनाक्रमों की जानकारी दी जाती है।

x. आचार संहिता

कंपनी अपने व्यवसाय को व्यावसायिक नैतिकता के उच्चतम मानकों के अनुसार संचालित करने और सभी लागू कानूनों, नियमों और विनियमों का पालन करने के प्रतिबद्ध है। यह पुष्टि की जाती है कि बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने वर्ष 2024–25 के दौरान आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

xi. जोखिम मूल्यांकन और न्यूनीकरण के लिए नीतियां

जोखिम प्रबंधन प्रणाली एक एकीकृत हिस्सा है और कारपोरेट और प्रचालनात्मक उद्देश्यों के अनुरूप है। जोखिम प्रबंधन निर्धारित समय पर एक अलग कार्य के रूप में न करके सामान्य व्यावसायिक अभ्यास के हिस्से के रूप में किया जाता है।

3. लेखा परीक्षा समिति

कंपनी की लेखा परीक्षा समिति में निम्नलिखित निदेशक सम्मिलित थेः–

1. **डॉ. रविन्द्र शिवशंकर अरली, स्वतंत्र निदेशक – अध्यक्ष**
2. **डॉ. मंजु बघेल, स्वतंत्र निदेशक – सदस्य**
3. **श्री जोसेफ अतुल टी. बरला, निदेशक (सरकार द्वारा नामित)**

दोनों स्वतंत्र निदेशक दिनांक 01.11.2024 से सीसीआई के बोर्ड से कार्यमुक्त हो गए हैं, तदनुसार, स्वतंत्र निदेशकों के अभाव के कारण कंपनी की लेखा परीक्षा समिति का पुनर्गठन नहीं किया जा सका।

लेखा परीक्षा समिति के पास कंपनी अधिनियम, 2013 और सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी कारपोरेट शासन पर दिशानिर्देशों के अनुसार शक्तियां, भूमिका और विचारार्थ विषय होते हैं।

वर्ष 2024–25 के दौरान, लेखा परीक्षा समिति की 10.05.2024, 28.06.2024, 26.07.2024, 09.08.2024, 20.08.2024, 27.09.2024 और 25.10.2024 को सात बैठकें आयोजित की गईं जिनमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुएः–

नाम	निदेशकों के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठक में उपस्थिति
1. डॉ. रविन्द्र शिवशंकर अरली	7	7
2. डॉ. मंजु बघेल	7	7
3. श्री अरुण कुमार सरकार	1	1

4. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

सरकारी कंपनी होने के नाते, निदेशकों को देय पारिश्रमिक और भत्ते और उनकी नियुक्ति/अनुबंध की शर्तों के अनुसार सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। यद्यपि, लोक उद्यम विभाग ने निर्देश दिया है कि प्रत्येक सीपीएसई अंशकालिक गैर–शासकीय निदेशक की अध्यक्षता में एक नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन करेगा जो कर्मचारियों में इसके वितरण के लिए वार्षिक बोनस/परिवर्तनीय वेतन नीति निर्धारित करेगी।

कंपनी की नामांकन और पारिश्रमिक समिति में निम्नलिखित निदेशक सम्मिलित हैं:

1. **डॉ. मंजु बघेल, स्वतंत्र निदेशक – अध्यक्ष**
2. **डॉ. रविन्द्र शिवशंकर अरली, स्वतंत्र निदेशक – सदस्य**
3. **श्री अरुण कुमार सरकार, निदेशक (सरकार द्वारा नामित) – सदस्य**

दोनों स्वतंत्र निदेशक दिनांक 01.11.2024 से सीसीआई के बोर्ड से कार्यमुक्त हो गए हैं, तदनुसार, स्वतंत्र निदेशकों के अभाव के कारण कंपनी की नामांकन और पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन नहीं किया जा सका।

वर्ष 2024–25 के दौरान, पारिश्रमिक समिति की 10.04.2024, 24.04.2024, 26.07.2024 और 16.10.2024 को चार बैठकें आयोजित की गईं जिनमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए:–

नाम	निदेशकों के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठक में उपस्थिति
1. डॉ. मंजु बघेल	4	4
2. डॉ. रविन्द्र शिवशंकर अरली	4	4
3. श्री अरुण कुमार सरकार	1	1

निदेशकागणों/केएमपी को प्रदत्त पारिश्रमिक का विवरण:

कंपनी के निदेषकगणों/केएमपी को वर्ष 2024–25 के लिए प्रदत्त पारिश्रमिक के विवरण नीचे दिए गए हैं:–

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	नाम	डीए और एचआरए सहित वेतन	अन्य हितलाभ	कार्य–निष्पादन प्रोत्साहन	अनुलाभ की राशि	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	पीएफ और अन्य निधि में अंशदान	कुल
1.	श्री संजय बंगा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	34.08	6.97	0.00	9.47	0.77	4.09	55.37
2.	श्री प्रदीप कुमार चंद, निदेशक (वित्त)	29.52	10.92	0.00	5.69	0.61	3.54	50.28
3.	श्री अजय कुमार शर्मा, कंपनी सचिव	21.08	4.31	0.00	0.00	0.37	2.53	28.30
	योग	**84.68**	**22.20**	**0.00**	**15.16**	**1.75**	**10.16**	**133.95**

5. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के लिए कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का होना अपेक्षित है। कंपनी की कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति में निम्नलिखित निदेशक सम्मिलित हैं:–

1) **डॉ. रवीन्द्र शिवशंकर अरली, स्वतंत्र निदेशक–अध्यक्ष**

2) **डॉ. मंजू बघेल, स्वतंत्र निदेशक–सदस्य**

3) **श्री अरुण कुमार सरकार, निदेशक (सरकार द्वारा नामित) – सदस्य**

दोनों स्वतंत्र निदेशक दिनांक 01.11.2024 से सीसीआई के बोर्ड से कार्यमुक्त हो गए हैं, तदनुसार, स्वतंत्र निदेशकों के अभाव के कारण कंपनी की कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) का पुनर्गठन नहीं किया जा सका।

वर्ष 2024–25 के दौरान, एक कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति की बैठक दिनांक 16.10.2024 को आयोजित की गई जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए:–

नाम	निदेशकों के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठक में उपस्थिति
1. डॉ. रविन्द्र शिवशंकर अरली	1	1
2. डॉ. मंजु बघेल	1	1
3. श्री अरुण कुमार सरकार	1	1

6. हितधारक संबंध समिति

सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एक गैर–सूचीबद्ध सरकारी कंपनी है और इसकी संपूर्ण शेयर पूंजी भारत के माननीय राष्ट्रपति और उनके द्वारा नामित व्यक्तियों के पास निहित है। इस प्रकार ऐसी किसी समिति के गठन की आवश्यकता नहीं है।

7. अनुशंगी कंपनियाँ

कंपनी की कोई अनुषंगी कंपनी नहीं है।

8. वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम)

विगत तीन वर्षो की वार्षिक सामान्य बैठक के विवरण निम्नानुसार हैं:–

एजीएम	58वीं एजीएम	59वीं एजीएम	60वीं एजीएम
तारीख एवं समय	28 सितंबर, 2022 पूर्वाह्न 11:30 बजे	29 सितंबर, 2023 पूर्वाह्न 11:00 बजे	25 अक्तूबर, 2024 अपराह्न 04:00 बजे
स्थान	स्कोप कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003	स्कोप कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003	स्कोप कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003
पारित किए गए विशेष संकल्प	हां	नहीं	हां

9. प्रकटन

I. संबंधित पक्षकार लेनदेन:

कंपनी ने निदेशकों या उनके रिश्तेदारों (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के अनुसार निदेशकों द्वारा व्यक्तिगत रूप से किया गया प्रकटन) के साथ कोई ऐसा महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेनदेन नहीं किया है, जिनका कंपनी के साथ संभावित हित निहित हो।

II. विधिक अनुपालन:

कंपनी ने मई 2010 में सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी कारपोरेट शासन दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए कदम उठाए हैं।

निदेशक मंडल के लिए संविदात्मक दायित्वों के रूप में नियुक्ति की शर्तों के अनुसार किए गए खर्च के अलावा कोई व्यक्तिगत खर्च नहीं किया है।

III. लेखांकन समाधान:

कंपनी ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए तैयार वित्तीय विवरण के लिए अपनी रिपोर्ट में सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा दी गई टिप्पणियों और पर्यवेक्षणों के अधीन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा निर्धारित लेखांकन मानकों का पालन किया।

IV. राष्ट्रपति के निर्देशः

कंपनी को वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान महामहिम राष्ट्रपति का कोई निदेश प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, उद्योग एवं भारी मंत्रालय ने दिनांक 01.09.2023 को वेतन संशोधन को दिनांक 01.01.2017 से काल्पनिक रूप से और 01.04.2023 से वास्तविक रूप से लागू करने के लिए राष्ट्रपति निदेष जारी किए हैं। उक्त आदेश (महामहिम राष्ट्रपति निदेशों) को लागू कर दिए गए हैं।

10. सतर्कता

सीसीआई, एक पीएसयू होने के नाते, कंपनी के अभिलेख भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा और सतर्कता द्वारा निरीक्षण के लिए खुले हैं। सीसीआई में सीवीओ की अध्यक्षता में सर्तकता विभाग विद्यमान है।

11. संचार के माध्यम

कंपनी के वार्षिक वित्तीय निष्पादन कंपनी की वेबसाइट www.cciltd.in पर डाले जाते हैं। कंपनी समय–समय पर कारपोरेट संबंधी महत्वपूर्ण निर्णयों और क्रियाकलापों पर आधिकारिक समाचार वेबसाइट पर भी डालती है।

12. सचेतक नीतिः

कंपनी ने कर्मचारियों द्वारा अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी या नीति के उल्लंघन के बारे में चिंता की रिपोर्ट करने के लिए एक तंत्र स्थापित किया है। कर्मचारियों की सीएमडी और अध्यक्ष, लेखा परीक्षा समिति तक सीधी पहुंच है जो कंपनी की सचेतक नीति के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी हैं। सचेतक नीति कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट www.cciltd.in पर भी उपलब्ध है।

13. अनुपालन प्रमाण पत्रः

सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अंतर्गत निर्धारित कारपोरेट शासन की शर्तों के साथ उनकी टिप्पणियों और पर्यवेक्षण के अधीन अनुपालन की पुष्टि करने वाला मैसर्स अमित अग्रवाल एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव का प्रमाण पत्र जो वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है, इसके साथ संलग्न है।

कृते एवं बोर्ड की ओर से

ह/–
(संजय बंगा)
अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक
डीआईएन सं: 09353339

दिनांक : 09 अक्टूबर 2025
स्थान : नई दिल्ली

अमित अग्रवाल एंड एसोसिएट्स

कंपनी सचिव

कार्यालय : एच–63,विजय चौक, लक्ष्मी नगर, दिल्ली–110092, भारत
फोन : +91–11–49423788, 43019289, मोबाइलः +91–9811272307
ईमेल : amitagcs@gmail.com; amit2kas@yahoo.com

कारपोरेट शासन पर प्रमाणपत्र

सेवा में,
सदस्यगण
सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,
कोर–5, स्कोप कॉम्प्लेक्स 7–लोधी रोड
नई दिल्ली– 110003
सीआईएनः यू74899डीएल1965जीओआई004322

हमने केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के लिए कारपोरेट शासन पर दिशानिर्देश, 2010 मूल रूप से दिनांक 22.06.2007 को जारी अधिसूचना सं. 18(8)/2005–जीएम देखें, एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा, मई, 2010 को यथा संशोधित जारी उसके अंतर्गत उल्लखित अनुलग्नक (इसमें 'दिशानिर्देश' के रूप में संदर्भित) के दिशा–निर्देशों में यथा निर्धारित दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय कोर–5, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7 लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 में स्थित है, द्वारा कारपोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

कारपोरेट शासन का अनुपालन प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारी जांच कारपोरेट शासन की उपरोक्त उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने में कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उसके कार्यान्वयन तक ही सीमित थी। यह न तो लेखा परीक्षा है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरण पर मत की अभिव्यक्ति है।

हमारे मत और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनसुार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम यह प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने निम्नलिखित को छोड़कर उपर्युक्त डीपीई दिशा निर्दशों में निर्धारित कारपोरेट शासन की शर्तों का अनुपालन किया है:

क. कंपनी में लेखा परीक्षा समिति का समुचित संघटन विद्यमान नहीं है।
हम आगे कथन करते हैं कि इस तरह का अनुपालन न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है, न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता का जिससे प्रबंधन ने कंपनी के कार्य संचालित किए हैं।

दिनांक : 25.08.2025
वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए

कृते अमित अग्रवाल एंड एसोसिएट्स
(कंपनी सचिव)

सीएस अमित अग्रवाल
(सहभागी या पार्टनर)
सदस्यता सं.: एफ5311ए
सी.पी. सं. : 3647
यूडीआईएनः एफ00531जीओ001078328

स्थानः दिल्ली

कारपोरेट शासन प्रमाणपत्र के अधीन पर्यवेक्षण पर प्रबंधन का उत्तर

वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए कारपोरेट शासन पर मैसर्स अमित अग्रवाल एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज, नई दिल्ली से प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें बताया गया है कि ''कंपनी में लेखा परीक्षा समिति का उचित संघटन नहीं है''। इस संबंध में प्रबंधन का उत्तर इस प्रकार है:

दोनों स्वतंत्र निदेशक, अर्थात् डॉ. रवींद्र शिवशंकर अरली और डॉ. मंजू बघेल, दिनांक 01.11.2024 से सीसीआई से गैर–षासकीय स्वतंत्र निदेशक के पद से कार्यमुक्त हो गये हैं। तदनुसार, स्वतंत्र निदेशकों की कमी के कारण लेखा परीक्षा समिति और अन्य समितियों का पुनर्गठन नहीं किया जा सका। तथापि, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए प्रशासनिक मंत्रालय को समय–समय पर अनुरोध पत्र भेजे जाते रहे हैं।

अमित अग्रवाल एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव
कार्यालय : एच–63,विजय चौक, लक्ष्मी नगर, दिल्ली–110092, भारत
फोन : +91–11–49423788, 43019289, मोबाइलः +91–9811272307
ईमेल : amitagcs@gmail.com; amit2kas@yahoo.com

प्रपत्र सं. एमआर–3

31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

[कंपनीअधिनियम, 2013 की धारा 204(1) औरकंपनी (कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम संख्या 9 के अनुसरण में]

सेवामें,
सदस्यगण,
सीमेन्ट कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
कार्यालय : कोर 5, स्कोप कॉम्प्लैक्स 7, लोधीरोड
नई दिल्ली–110003 भारत
सीआईएनः यू74899डीएल1965जीओआई004322

हम रिपोर्ट करते हैं किः

हमने **सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड** (इसके पश्चात 'कंपनी' कहा गया है) द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और उचित कारपोरेट प्रथाओं के पालन के लिए सचिवीय लेखा परीक्षा की है। यह सचिवीय लेखा परीक्षा इस रीति में की गई थी जो हमें कारपोरेट आचरण/सांविधिक अनुपालनों का मूल्यांकन करने और उस पर हमारा मत व्यक्त करने के लिए उचित आधार प्रदान करे।

कंपनी का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन और निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत सचिवीय रिकॉर्ड के रखरखाव और कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों के अनुपालन के लिए जिम्मेदार हैं। इसके अलावा कंपनी का प्रबंधन और निदेशक मंडल लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की पहचान, निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप पर्याप्त प्रणाली और प्रक्रिया की स्थापना और रखरखाव के लिए भी उत्तरदायी हैं।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व कथन

हमारा उत्तरदायित्व केवल परीक्षण के आधार पर अनुपालन की जांच और सत्यापन करना है और हमारे लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय अभिलेखों पर राय व्यक्त करना है।

हमने सचिवीय रिकॉर्ड की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है। सत्यापन परीक्षण के आधार पर यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि सचिवीय रिकॉर्ड में सही तथ्य परिलक्षित हों। हमारा मानना है कि हमने जिन प्रक्रियाओं और प्रथाओं का पालन किया है, वे हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करती हैं।

हमने कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड और लेखा पुस्तकों की शुद्धता और उपयुक्तता को सत्यापित नहीं किया है। जहां भी आवश्यक हो, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं के घटित होने आदि के बारे में प्रबंधन का अभ्यावेदन प्राप्त किया है।

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है, न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता का जिससे प्रबंधन ने कंपनी के कार्य संचालित किए हैं।

बाध्यताएं

आंतरिक, वित्तीय और परिचालन नियंत्रण सहित लेखापरीक्षा की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, अपरिहार्य जोखिम है कि कुछ मिथ्याकथन या तात्विक गैर–अनुपालन का पता नहीं लगाया जा सकता है, भले ही लेखापरीक्षा सुनियोजित और इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (आईसीएसआई) द्वारा यथा निर्धारित सचिवीय लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की गई हो।

इसके अलावा, हमने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त कंपनी आदि पर लागू कानूनों से संबंधित कार्यवृत्तों, दस्तावेजों, पंजिकाओं, अन्य अभिलेखों और विवरणी सहित सचिवीय अभिलेख की जांच करते हुए सचिवीय लेखापरीक्षा की है। प्रबंधन ने पुष्टि की है कि हमें प्रस्तुत किए गए अभिलेख सत्य और सही हैं। हमने कुछ क्षेत्रों के लिए कंपनी के प्रबंधन द्वारा दिए गए अभ्यावेदन पर भी भरोसा किया है, जिसके लिए भौतिक सत्यापन की आवश्यकता होती है।

मत का आधार

हमने लेखा परीक्षा प्रथाओं, सचिवीय लेखापरीक्षा मानकों और प्रक्रियाओं का पालन किया है जो सचिवीय रिकॉर्ड की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लागू और उपयुक्त थे। कुछ मामलों में सत्यापन परीक्षण के आधार पर यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्य परिलक्षित हों। हमारा मानना है कि हमने जिन प्रक्रियाओं और प्रथाओं का पालन किया है, वे हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करती हैं। हम यह भी मानते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

सचिवीय रिकॉर्ड और उसके अनुपालन पर रिपोर्ट

कंपनी की बहियों, कागजात, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, फाइल किए गए ई–प्रपत्रों और विवरणी तथा कंपनी द्वारा अनुरक्षित अन्य अभिलेखों और इसके अतिरिक्त कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा सचिवीय लेखा परीक्षा के दौरान प्रदान की गई जानकारी के हमारे सत्यापन के आधार पर, हम एतद्द्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारे मतानुसार,, कंपनी ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष को समाहित करने वाली लेखापरीक्षा अवधि के दौरान इसके अंतर्गत सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी में उस सीमा तक, जिस सीमा तक इसके उपरांत किए गए प्रतिवेदन की रीति में और अधीन समुचित बोर्ड–प्रक्रियाएं और अनुपालन–तंत्र विद्यमान हैं:

हमने **31 मार्च, 2025** को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए **मैसर्स सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड** द्वारा अनुरक्षित बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं,, फाइल किए गए ई–प्रपत्रों और विवरणियों तथा अन्य अभिलेखों की निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार जांच की है:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;

(ii) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक

(iii) अन्य लागू कानून विशेष रूप से कंपनी पर अर्थात्:

क) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीण उपबंध अधिनियम, 1952

ख) उपदान संदाय अधिनियम, 1972

ग) न्यूनतम मजदूरी संदाय अधिनियम, 1948

घ) प्रसूति प्रसुविधा लाभ अधिनियम, 1961

ङ) कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध और निवारण अधिनियम), 2013

च) बोनस संदाय अधिनियम, 1965

छ) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948

ज) भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 अपने कर्मचारियों के लिए पीएफ प्रयोजनों के लिए सृजित

झ) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986

ञ) खाद्य सुरक्षा और भारतीय मानक अधिनियम, 2011

ट) कारखाना अधिनियम, 1948

ठ) रिक्ति की अनिवार्य अधिसूचना अधिनियम 1959

ड) मजदूरी संदाय अधिनियम

ढ़) कर्मकार और मुआवजा अधिनियम

ण) उपदान अधिनियम

त) समान पारिश्रमिक अधिनियम

थ) औद्योगिक विवाद अधिनियम

ध) बाल नियोजन अधिनियम

न) भारतीय स्टाम्प अधिनियम

प) चूना पत्थर और डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1972

हालाँकि, समीक्षाधीन अवधि के दौरान, निम्नलिखित विनियमों के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं थे क्योंकि खंड (I) कंपनी ने निगमन के बाद से कोई एफडीआई और ईसीबी नहीं लिया गया है और निम्नलिखित (II) और (III) खंड के लिए कंपनी असूचीबद्ध कंपनी है। इस प्रकार, इन खंडों के संबंध में टिप्पणी करना अपेक्षित नहीं है:

I. विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके तहत बनाए गए नियम और विनियम विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाहरी वाणिज्यिक उधार की सीमा तक।

II. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम') के अंतर्गत निर्धारित नियम, विनियम और दिशानिर्देश।

III. किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीयन करार।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने ऊपर वर्णित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन निम्नलिखित अवलोकन के अधीन किया है:

क. कंपनी में लेखा परीक्षा समिति का समुचित संघटन विद्यमान नहीं है। तथापि, बोर्ड की स्वीकृति से, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए भारी उद्योग मंत्रालय को अनेक पत्र भेजे गए हैं। कंपनी के निदेशक मंडल का गठन विधिवत रूप से किया गया है, जिसमें गैर–कार्यकारी निदेशकों और महिला निदेशकों का उचित संतुलन है।

सभी निदेशकों को बोर्ड मीटिंग की अनुसूचियों का पर्याप्त नोटिस दिया जाता है, एजेंडे एवं एजेंडे पर विस्तृत नोट्स कम से कम सात दिन पूर्व भेजे गए थे, और बैठक से पूर्व एजेंडा मदों पर और जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने तथा बैठक में सार्थक सहभागिता के लिए प्रणाली विद्यमान है।

इसके अलावा, कंपनी पर 4 शुल्क हैं जो कंपनी रजिस्ट्रार के पास प्रपत्र 17 (कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन प्रपत्र सीएचजी–4) फाइल न करने के कारण एमसीए पोर्टल पर दिखाए गए हैं, तथापि संबंधित बैंक/वित्तीय संस्थानों के साथ एकमुश्त निपटान (ओटीएस) के अनुसार वर्षों पहले इनका भुगतान कर दिया गया था।

निर्णय बहुमत के आधार पर लिया गया है जबकि संतुष्ट न होने वाले सदस्यों के विचारों को नोट किया जाता है और कार्यवृत्त के भाग के रूप में अभिलिखित किया जाता है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी में लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप पर्याप्त प्रणाली और प्रक्रियाएं विद्यमान हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर कानूनों जैसे लागू वित्तीय कानूनों के अनुपालन और वित्तीय रिकॉर्ड और लेखा बहियों के रखरखाव की समीक्षा इस लेखापरीक्षा में नहीं की गई है क्योंकि यह अन्य अभिहित पेशेवर द्वारा की गई सांविधिक वित्तीय लेखापरीक्षा की समीक्षा के अधीन है। ।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, उपर्युक्त निर्दिश कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में कोई ऐसी विशिष्ट घटनाएं/कारपोरेट कार्रवाई नहीं हुई, जिसका कंपनी के कार्यों पर बड़ा प्रभाव पड़ा हो।

कृते अमित अग्रवाल एंड एसोसिएट्स
(कंपनी सचिव)

ह/–

सीएस अमित अग्रवाल
(पार्टनर)
सदस्यता सं.: एफ5311ए
सी.पी. सं. : 3647

यूडीआईएनः यूडीआईएनः एफ00531जीओ001078328

स्थानः दिल्ली
दिनांक : 02.09.2025

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,

सदस्यगण,

सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

योग्य राय

हमने सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ('कंपनी') के संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है जिसमें 31 मार्च 2025 को तुलन पत्र और उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ–हानि, नकदी प्रवाह विवरण एवं वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां की गई हैं जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं (इसके पष्चात वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित) का सारांश शामिल है, जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा चार इकाइयां (तंदूर वाईआरओ, बोकाजान और सिलचर ग्राइंडिंग यूनिट) की लेखापरीक्षा की गई हैं।

हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के आधार पर और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, योग्य मत हेतु आधार अनुच्छेद में वर्णित मामलों के प्रभाव/संभावित प्रभाव को छोड़कर, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा अपेक्षित सूचना इस रीति में देती है जो 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार इकाई के कार्यों की स्थिति और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए उसके लाभ व हानि और उसके नकदी प्रवाह के संबंध में भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखाकरण सिद्धातों के अनुरूप अपेक्षित है तथा सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं।

योग्य मत हेतु आधार

1. संपत्ति संयंत्र एवं उपस्कर

क) कंपनी के पक्ष में कुछ इकाइयों की भूमि के स्वामित्व और पट्टा विलेखों का निष्पादन अभी भी लंबित है और गैर–प्रचालनरत इकाइयों में रखी गई भूमि के संबंध में भूमि विवरण समाशोधन के अधीन हैं।

इसके अलावा, डीडीए ने 11 अप्रैल 2017 को स्वतः संज्ञान लेते हुए 14.20 एकड़ जमीन एसडीएमसी को हस्तांतरित कर दी थी, जिसकी कीमत 321.29 लाख रुपये है और इसे ''बाहरी पक्षों से वसूली योग्य'' दर्शाया गया है। इसके अलावा, साइडिंग निर्माण के लिए रेलवे को दी गई 6.74 एकड़ जमीन का भौतिक कब्जा अभी तक कंपनी को नहीं सौंपा गया है। आगे, एमसीडी ने दिनांक 22.04.2024 के पत्र द्वारा 14.20 एकड़ भूमि, जिसका कब्जा अभी भी लंबित है, के बदले में फिरोजपुर कलां (फरीदाबाद) स्थित एमसीडी की 9 एकड़ भूमि कंपनी को सौंपने की सूचना दी है। उत्तर रेलवे ने दिनांक 01.01.2024 के पत्र के माध्यम से दिल्ली मंडल और निर्माण संगठन को निर्देश दिया है और सीसीआई के दावे के मामले पर निर्णय लेने के लिए विवरण मांगा है। (वित्तीय विवरणों के नोट 34.04 देखें)। उपरोक्त मामलों के परिणाम लंबित रहने के कारण, वित्तीय विवरणों पर प्रभाव का वर्तमान में आकलन नहीं किया जा सका।

ख) सीसीआई के आदिलाबाद टाउनशिप के बाहर पंप हाउस से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 तक 32 गुंटा लंबाई की सड़क के रूप में सरकारी भूमि के अधिग्रहण और उपयोग के कारण वसूली योग्य राशि का कोई लेखा–जोखा नहीं रखा गया है, जिसके हस्तांतरण आदेश की प्रतीक्षा है। (वित्तीय विवरणों की टिप्पण संख्या 34.06 देखें)। वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव का आकलन नहीं किया जा सका

ग) गैर–प्रचालनरत इकाइयों मंधार, चरखी दादरी, अकालतारा, नयागांव और नयागांव विस्तार, दिल्ली ग्राइंडिंग इकाई, कुरकुंटा, आदिलाबाद, भटिंडा ग्राइंडिंग इकाई (सामूहिक रूप से ''गैर–प्रचालनरत इकाईयों'' के रूप में संदर्भित) में रखी गई संपत्ति, संयंत्र और उपकरण वस्तुओं की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट चालू वर्ष और पिछले वर्ष में आयोजित नहीं की गई है, जिसका शुद्ध मूल्य 31 मार्च, 2025 तक 2777.37 लाख रुपये (फ्रीहोल्ड और लीजहोल्ड भूमि के संबंध में 1441.67 लाख रुपये सहित) है और इसके अभाव में, हम वित्तीय विवरणों में दर्शाए गए ऐसे मदों के भौतिक अस्तित्व और वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव पर टिप्पणी करने में सक्षम नहीं हैं।

घ) विभिन्न गैर–प्रचालनरत इकाइयों में धारित पट्टाधृत भूमि, जिसका 31 मार्च, 2025 तक 324.82 लाख रुपये का अवमूल्यन मूल्य है, के लिए चालू वर्ष में परिशोधन व्यय दर्ज नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, चालू वर्ष के दौरान, वित्तीय वर्ष 2022–23

और वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए आदिलाबाद लीजहोल्ड भूमि के संबंध में 76.50 लाख रुपये का परिशोधन व्यय इस आधार पर वापस कर दिया गया है कि ये संपत्तियाँ सक्रिय उपयोग से हटा दिए गये हैं और बिक्री के लिए रखी गई हैं। इस भूमि के संबंध में वर्ष के लिए 38.25 लाख रुपये का परिशोधन व्यय का प्रावधान नहीं किया गया है। हमारी राय में, यह लेखा मानक (एएस)–10 ''संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर'' के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है, यह देखते हुए कि ऐसी भूमि आज तक बिक्री/निपटान के लिए नहीं रखी गई है। इसके परिणामस्वरूप, वर्ष के लिए करोपरांत लाभ और 31 मार्च 2025 तक शेयरधारकों की निधि 114.75 लाख रुपये का अधिक उल्लेख हुआ है।

अन्य पट्टा–भूमि के संबंध में, वित्तीय विवरणों पर परिशोधन प्रभार न लगाने का प्रभाव का आकलन नहीं किया जा सका।

2. चालू पूंजीगत कार्य

दिल्ली ग्राइंडिंग यूनिट में पूंजीगत योजना के लिए 285.00 लाख रुपये का पूंजीगत कार्य लंबे समय से लंबित है, जिसे छोड़ दिया गया है। ऐसी परिसंपत्तियों के नवीनतम वसूली योग्य मूल्य से संबंधित जानकारी उपलब्ध न होने के कारण, हम इस पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं कि क्या इस संबंध में मूल्य में हानि के लिए कोई प्रावधान किया जाना अपेक्षित है।

3. मालसूचियां

क) गैर–प्रचालनरत इकाइयों में 2254.07 लाख रुपये (कमी के प्रावधानों को घटाकर) की इन्वेंट्री है, जिसे पिछले कई वर्षों से लेखाहियों में आगे बढ़ाया गया है। संबंधित मालसूची मदों की प्रकृति और भौतिक सत्यापन रिपोर्ट के अभाव में, इस मालसूची के मूल्य में काफी कमी हो सकती है, जिसका वित्तीय विवरणों पर वर्तमान में मात्रात्मक प्रभाव नहीं है।

ख) राजबन इकाई में रखे गए 317.70 लाख रुपये मूल्य के उन भंडारों और अतिरिक्त वस्तुओं के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है जिन्हें तीन वर्षों से अधिक समय से स्थानांतरित नहीं किया गया है। ऐसी वस्तुओं की विस्तृत समीक्षा और विश्लेषण के अभाव में, हम इस पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं कि क्या इस संबंध में मूल्य में हानि के लिए कोई प्रावधान किया जाना अपेक्षित है।

ग) राजबन इकाई में रखे क्लिंकर के अर्ध–तैयार स्टॉक का मूल्य 31 मार्च, 2025 तक 1747.50 लाख रुपये है, जिसे उचित रूप से टैग या लेबल नहीं किया गया है और अधिकांश स्टॉक खुले मैदान में बिखरा पड़ा है, जिससे नुकसान/क्षति हो रही है और परिणामस्वरूप, हम इस पर टिप्पणी करने में सक्षम नहीं हैं कि 31 मार्च, 2025 तक उक्त मालसूची के मूल्य में कोई गिरावट आई है।

घ) तांदूर इकाई के संबंध में, शाखा लेखा परीक्षक कुछ स्पेयर पार्ट्स और स्टोर की मौजूदगी और स्थिति की पुष्टि नहीं कर पाए क्योंकि उन पर पर्याप्त लेबल या टैग नहीं लगे थे। कुछ स्पेयर पार्ट्स खुले मैदान में बिखरे पड़े थे जिससे जंग लग गई और उन्हें नुकसान पहुँचा। परिणामस्वरूप, वे इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर पा रहे हैं कि 31 मार्च, 2025 तक उक्त मालसूची के मूल्य में कोई हानि या उसका उपयोग में लाना समाप्त हो गया है।

4. निवेश

कंपनी ने आंध्र प्रदेश गैस पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के इक्विटी शेयरों के माध्यम से 227.96 लाख रुपये का निवेश किया है। 31 मार्च, 2021 के बाद की अवधि के लिए निवेशित कंपनी का वित्तीय विवरण कंपनी के पास उपलब्ध नहीं है। नवीनतम वित्तीय जानकारी/वित्तीय विवरण की उपलब्धता के अभाव में, हम इस पर टिप्पणी करने में सक्षम नहीं हैं कि 31 मार्च, 2025 तक ऐसे निवेश के मूल्य में कोई हानि हुई है।

5. व्यापार प्राप्य, ऋण और अग्रिम, व्यापार देय, जमा और अन्य देयताएं

क) व्यापारिक प्राप्य, ऋण और अग्रिम, व्यापारिक देय, पक्षकारों को और पक्षकारों से जमा राशियाँ तथा अन्य देयताएँ पुष्टि और समाषोधन के अधीन हैं। शेष राशि के समाशोधन/पुष्टि न होने से उद्भूत वित्तीय प्रभाव, यदि कोई हो, का आकलन नहीं किया जा सका। (वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पण सं. 34.42 देखें)

ख) गैर–प्रचालनरत इकाइयों में 1060.15 लाख रुपये, राजबन इकाई में 124.10 लाख रुपये और कॉर्पोरेट कार्यालय में 30.10 लाख रुपये की कुछ वसूली योग्य शेष राशि बकाया है, जो लंबे समय से वसूल/समायोजित नहीं हुई है और ऐसी बकाया राशि की कोई पुष्टि/समाशोधन नहीं हुआ है।

इसके अभाव में, हम ऐसी राशियों की वसूली पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

ग) खनन संबंधी देय और न्यूनतम खनन किराये से भिन्न अविवादित सांविधिक देयों पर 31 मार्च 2025 तक देय ब्याज के लिए प्रावधान लागू कानून के प्रावधानों के अनुसार नहीं किए गए हैं। इन अविवादित बकाया राशि पर अपेक्षित प्रावधानों की मात्रा का आकलन नहीं किया जा सका क्योंकि कंपनी के पास संबंधित विवरण उपलब्ध नहीं हैं। प्रबंधन इस संबंध में संबंधित सांविधिक प्राधिकारियों से ब्याज में छूट की अपेक्षा कर रहा है। इसके अतिरिक्त, आदिलाबाद इकाई के संबंध में वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए संपत्ति कर का प्रावधान नहीं किया गया है, जबकि वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए 12.68 लाख रुपये का प्रावधान किया गया था, जो प्रबंधन की राय में देय नहीं है। विस्तृत जानकारी के अभाव में, वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव का आकलन नहीं किया जा सका।

घ) तांदूर इकाई के शाखा लेखा परीक्षक ने रिपोर्ट किया है कि एमएसएमई विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को उक्त अधिनियम में निर्धारित तिथियों के बाद कुछ राशि देय है। तथापि, इकाई 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष की लेखा बहियों में ब्याज की गणना और प्रावधान नहीं कर रही है, सिवाय उन पक्षकारों के जो बीआईएफआर के अंतर्गत आते हैं। वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव का वर्तमान में आकलन नहीं किया जा सका।

ङ) तांदूर इकाई में, 333.23 लाख रुपये के दीर्घकालिक व्यापारिक देयों के वर्गीकरण के संबंध में, इकाई के शाखा लेखा परीक्षक को यह बताने का कोई औचित्य नहीं दिया गया है कि वित्तीय विवरणों में इसे दीर्घकालिक के रूप में क्यों वर्गीकृत किया गया है, साथ ही प्रत्येक पक्षकार के लिए भुगतान की नियत तिथि भी नहीं बताई गई है। विस्तृत जानकारी के अभाव में, वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव का आकलन नहीं किया जा सका।

च) गैर–प्रचालनरत इकाइयों के संबंध में, अन्य पक्षकारों से वसूली योग्य कुछ राशियाँ, जिन्हें वित्तीय विवरणों में दीर्घकालिक प्राप्य के रूप में दर्शाया गया है, 974.20 लाख रुपये हैं, जिनके लिए हमें कोई औचित्य नहीं दिया गया है कि इन्हें वित्तीय विवरणों में दीर्घकालिक के रूप में क्यों वर्गीकृत किया गया है, साथ ही प्रत्येक पक्षकार के लिए भुगतान की नियत तिथि भी नहीं बताई गई है। विस्तृत जानकारी के अभाव में, वित्तीय विवरणों पर इनके प्रभाव का आकलन नहीं किया जा सका।

6. आयकर

क) कंपनी ने वित्तीय विवरणों में 2309.68 लाख रुपये की वसूली योग्य शेष राशि दर्शाई है, जिसमें एमउएटी क्रेडिट पात्रता के संबंध में पिछले वर्षों से आगे ले जाए गए 2029.94 लाख रुपये की शेष राशि शामिल है। प्रबंधन की राय में, इसे भविष्य में समायोजित किया जाएगा, तथापि, इस बात के निर्णायक प्रमाण के अभाव में कि कंपनी सामान्य आयकर का भुगतान करेगी और आयकर अधिनियम 1961 में निर्दिष्ट समयावधि के दौरान ऐसे एमएटी क्रेडिट को समायोजित करने में सक्षम होगी, हम यह टिप्पणी करने में असमर्थ हैं कि क्या ऐसी परिसंपत्ति की मान्यता उचित है।

ख) कंपनी ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115 जेबी के प्रावधानों के अनुसार देय आयकर का 12.28 लाख रुपये का कम प्रावधान किया है और तदनुसार कर के लिए प्रावधान की देयता और वित्तीय विवरणों में एमएटी क्रेडिट पात्रता के रूप में परिसंपत्ति के रूप में मान्यता प्राप्त राशि का उसी सीमा तक कम उल्लेख हुआ है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी ने वित्तीय विवरणों में अग्रिम कर भुगतान में 5.39 लाख रुपये की कमी पर देय ब्याज का विवरण नहीं दिया है जिसके परिणामस्वरूप, वर्ष के लिए करोपरांत लाभ और 31 मार्च 2025 तक शेयरधारकों की निधि का 5.39 लाख रुपये अधिक उल्लेख हुआ है।

7. शेयर पूंजी

कंपनी ने 22 मार्च, 2007 को भारत सरकार को 7 (सात) वर्षों के लिए 35543.25 लाख रुपये मूल्य के 1,000/– रुपये मूल्य के 3554325 गैर–संचयी मोचनीय अधिमाानी शेयर जारी किए थे। निर्गम की शर्तों के अनुसार, उपरोक्त अधिमानी शेयरों का मोचन 22 मार्च, 2014 से पहले किया जाना था और इनका मोचन निर्गम की शर्तों के अनुरूप नहीं किया गया। प्रबंधन ने सूचित किया है कि अधिमानी शेयरों के पुनः निर्गम की अवधि बढ़ाने के लिए मंत्रालय से आगे की कार्रवाई हेतु निदेश देने का अनुरोध किया गया है तथा इस संबंध में अभी तक मंत्रालय का प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। (वित्तीय विवरणों की टिप्पण सं. 34.11 देखें)।

8. आकस्मिक देयताएं

क) आकस्मिक देयता राशि में 1623.17 लाख रुपये के कुछ विवादित मामले सम्मिलित हैं, जिनमें मध्यस्थता/निचने न्यायालयों में कंपनी के विरुद्ध निर्णय दिया गया था और जिनके विरुद्ध कंपनी ने उच्च न्यायालयों में अपील दायर की है और इन मामलों के विरुद्ध, कंपनी ने उच्च न्यायालयों/पक्षकारों के पास 1402.33 लाख रुपये की राशि जमा की है। प्रबंधन की राय में, जो कानूनी दृष्टिकोण से समर्थित है, कंपनी उच्च न्यायालय में अनुकूल निर्णय की अपेक्षा कर रही है और तदनुसार, ऐसे विवादित मामलों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। ऐसे मामलों के अंतिम निर्णय तक, वित्तीय विवरणों पर इनके प्रभाव का वर्तमान में आकलन नहीं किया जा सका।

(ख) पर्याप्त दस्तावेज के अभाव में, हम गैर–प्रचालनरत इकाइयों से संबंधित चालू और विगत वित्तीय वर्ष में आकस्मिक देयता के रूप में दर्षाई गई 5119.71 लाख रुपये की राशि के कुछ विवादित मामलों की सत्यता को सत्यापित करने में असमर्थ हैं।

9. अन्य

वर्ष 1998 में बेची गई येरागुंटला इकाई के संबंध में विशेष लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इंगित विसंगतियों के प्रभाव पर लंबित समाधान के कारण विचार नहीं किया गया है। वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव का आकलन नहीं किया जा सकता है। (वित्तीय विवरणों की टिप्पण संख्या 34.44 देखें)।

योग्य राय के आधार में उल्लिखित बिंदुओं के संबंध में, 1(घ) में उल्लिखित बिंदुओं के अलावा, जिनका प्रभाव आंशिक रूप से आकलन किया जा सकता है और ऊपर बिंदु संख्या 6(ख) में उल्लिखित बिंदुओं के संबंध में, वित्तीय विवरणों पर अन्य बिंदुओं के प्रभाव का आकलन नहीं किया जा सका।

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षण (एसए) के मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। उन मानकों के अंतर्गत हमारी उत्तरदायित्वों का आगे हमारी रिपोर्ट की वित्तीय विवरण खंड के लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व में उल्लेख किया गया है। हम भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के साथ–साथ उन नैतिक अपेक्षाओं के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं जो कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाये गए नियमों के अधीन वित्तीय विवरणिकाओं की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं और हमने इन अपेक्षाओं और आचार संहिता के अनुसार अपने अन्य नैतिक उत्तदायित्वों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किये हैं वह हमारे मत का आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और यथोचित हैं।

महत्वपूर्ण मामले

हम वित्तीय विवरण में निम्नलिखित टिप्पणियों पर ध्यान आकर्षित करते हैं।

क) कंपनी को माननीय बीआईएफआर के पत्र संख्या 501/96–बीईएनसीएच IV एसओएल दिनांक 08.08.96 के माध्यम से रुग्ण कंपनी घोषित किया गया था। माननीय बीआईईएफआर ने दिनांक 21–03–2006 को की गई अपनी सुनवाई में मैसर्स आईएफसीआई (ओए) द्वारा तैयार की गई और भारत सरकार द्वारा अनुमोदित पुनरुद्धार योजना अनुमोदित की। स्वीकृत योजना को माननीय बीआईईएफआर द्वारा दिनांक 03–05–2006 को परिचालित की गई थी, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ प्रतिभूत और अप्रतिभूत लेनदारों के निपटान और 3 प्रचालन संयंत्रों के विस्तार/तकनीकी उन्नयन और शेष 7 गैर प्रचालनरत संयंत्रों को बंद करने/बेचने की परिकल्पना की गई थी। स्वीकृत योजना के अनुसार 7 इकाइयों को बंद कर दिया गया है। एमएचआई ने दिनांक 09.02.2022के पत्र के माध्यम से इन गैर–संचालन इकाइयों के संयंत्र और मशीनरी, स्टोर आदि को बेचने का निर्देश दिया। तदनुसार, अकालतारा, चरखी दादरी, कुरकुंटा और मंधार इकाइयों की संयंत्र, मशीनरी तथा अन्य परिसंपत्तियां मैसर्स एमएसटीसी के माध्यम से बेची जा चुकी हैं (वित्तीय विवरणा की टिप्पण संख्या 34.08 देखें)

ख) कंपनी की सात उत्पादन इकाइयाँ हैं, जिनका प्रचालन वर्ष 1996 से वर्ष 1999 के बीच बंद कर दिया गया था और भटिंडा (पंजाब) में एक ग्राइंडिंग इकाई है, जिसे चालू नहीं किया गया। प्रबंधन के अनुसार, अधिनियम के तहत अधिसूचित लेखा मानक–28 के अंतर्गत परिसंपत्तियों की हानि के लिए किसी प्रावधान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपेक्षित वसूली योग्य मूल्य परिसंपत्तियों के बही मूल्य से अधिक है। (वित्तीय विवरण की टिप्पण–34.10 देखें)।

ग) दिशानिर्देशों के अनुसार, आईडीए कर्मचारियों के लिए तीसरा वेतन संशोधन डीपीई द्वारा 29.05.2017 को जारी किया गया है। प्रथा के

अनुसार, 'निदेशक मंडल की सिफारिश को एमएचआई के पास अनुमोदन के लिए भेजा गया था। डीएचआई से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त हुआ और इसे लागू कर दिया गया है। राष्ट्रपति के निर्देशों के अनुसार, मंत्रालय ने आईडीए कर्मचारियों के लिए तीसरे वेतन संशोधन को 01 अप्रैल, 2023 से पहले की अवधि के लिए देय बकाया के बिना मंजूरी दे दी है। वर्ष के दौरान लेखा बहियों में उसी के लिए प्रावधान की समीक्षा की गई और प्रबंधन के सर्वोत्तम आकलन के आधार पर, 1,986 लाख रुपये के प्रावधान चालू वित्त वर्ष में प्रतिलिखित है और माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में कर्मचारी संघ द्वारा किए जा रहे मामले में चल रही कार्यवाही को ध्यान में रखते हुए टिप्पण संख्या 32 में आकस्मिक देयता के रूप में इसका प्रकटन किया गया है।

घ) कुरकुंटा इकाई के मामले में, पीएसएन मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड (बोलीदाता) से संबंधित 530 लाख रुपये की सुरक्षा जमा राशि जब्त कर ली गई है और वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान लेखा पुस्तकों में आय के रूप में दर्शाई गई है, क्योंकि इस संबंध में निविदा के नियमों और शर्तों के संगत खंडों के अनुसार दायित्वों को पूरा नहीं किया गया है। इस मामले में बोलीदाता द्वारा मध्यस्थता खंड का पहले ही उपयोग किया जा चुका है और आज की तिथि तक उसका निपटान लंबित है। कंपनी निविदा दस्तावेज में निर्धारित नियमों और शर्तों पर विचार करते हुए इस संबंध में अनुकूल निर्णय की अपेक्षा कर रही है (वित्तीय विवरण की टिप्पण संख्या 34.22 देखें)।

ङ) वर्ष के दौरान, कंपनी ने वित्तीय विवरणों में पिछले वर्ष की 2817.30 लाख रुपये की राशि की विभिन्न देनदारियों को इस आधार पर प्रतिलिखित कर दिया गया है कि ऐसी राशि देय नहीं है जिसके लिए ऐसी देनदारियों को प्रतिलिखित करने के लिए आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किया गया हो। (वित्तीय विवरण की टिप्पण संख्या 34.23 देखें)।

उपरोक्त मामलों के संबंध में हमारी राय में संशोधन नहीं किया गया है।

वित्तीय विवरणिकाओं और उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट से अन्य सूचना

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल सूचना, जिसमें बोर्ड की रिपोर्ट के अनुलग्नक भी सम्मिलित है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट सम्मिलित नहीं है, जो हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी मत में अन्य सूचना सम्मिलित नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारा उत्तरदायित्व अन्य सूचनाएं पढ़ना है और ऐसा करने में, इस बात पर विचार करना कि क्या अन्य सूचना एकल वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से या हमारी लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त सूचना हमारे ज्ञान में असंगत है या अन्यथा महत्वपूर्ण रूप से मिथ्याकथन प्रतीत होता है।

यदि, हमारे द्वारा निष्पादित कार्य के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य सूचना का तात्विक मिथ्याकथन है, तो हमें उस तथ्य को रिपोर्ट करना आवश्यक है, हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन एवं शासन के उन व्यक्तियों का उत्तरदायित्व जिन्हें प्रभार दिया गया है

कंपनी का निदेशक मंडल इन वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में वर्णित मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं, जिसमें यथा संशोधित कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अधीन निर्दिष्ट लेखांकन मानक भी सम्मिलित हैं। इस दायित्व में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों का रखरखाव, लेखांकन नीतियों के उचित कार्यान्वयन और रखरखाव का चयन, उपयोग, उचित एवं विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान लगाना, पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक लेखांकन अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे, और सही एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं तथा धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण होने वाले भौतिक गलत बयानों से मुक्त हैं।

वित्तीय विवरण तैयार करते समये निदेशक मंडल कंपनी की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रखने की क्षमता का आकलन करने यथा लागू प्रकटीकरण, लाभकारी कारबार वाले

संस्थान से संबधित मामलों और लेखाकरण में चालू व्यवसाय आधार का उपयोग करने के लिए उत्तरदायी है, जब तक कि निदेशक मंडल कंपनी के या तो परिसमापन या प्रचालन बंद करने आशय नहीं करता है, या ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प न हो।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी के लिए भी उत्तरदायी है।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के संबंध में उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि वित्तीय विवरण किसी धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण समग्र रूप से तात्विक मिथ्या कथन से मुक्त हैं, और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारे मत शामिल हैं। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह इस बात की गारंटी नहीं है कि एसएएस के अनुसार की गई लेखापरीक्षा तात्विक मिथ्या कथन मौजूद होने पर सदैव उसका पता लगाएगी। मिथ्याकथन धोखाधड़ी से या त्रुटिवष हो सकते हैं और यदि, अलग–अलग या समग्र रूप से, इन वित्तीय विवरणिकाओं के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की युक्तियुक्त अपेक्षा होती है तो इन्हें तात्विक माना जाता है।

एसए के अनुसार लेखा परीक्षा के एक भाग के रूप में हम पेशेवर निर्णय का उपयोग करते हैं और हमारी लेखा परीक्षा के दौरान पेशेवर अविष्वास बनाए रखते हैं, हम निम्नलिखित भी करते हैं:

- वित्तीय विवरणों के तात्विक नित्य कथन के जोखिम का पता लगाना और उसका निर्धारण करना चाहे यह कपट या त्रुटि, डिजाइन के कारण हो और इन जोखिमों के अनुरूप लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं करते हैं तथा ऐसा लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय का आधार बनने के लिए पर्याप्त और समुचित हो फुल षष्प किसी त्रुटि के परिणाम स्वरूप तांत्रिक विद्या कथन का पता ना लगाने का जोखिम उच्च जोखिम से अधिक है जो किसी त्रुटि के परिणाम स्वरूप होता है क्योंकि किसी कपट में मिलीभक्त, कपट, जानबूझकर भूल, मिथ्या कथन या आंतरिक नियंत्रण को और प्रभावी करना सम्मिलित होता है।

- आंतरिक नियंत्रण पर एक समझ प्राप्त करना जो ऐसी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं का डिजाइन करने के लिए सुसंगत हैं जो परिस्थितियों में समुचित हो। कंपनी अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अनुसार हम इस पर भी अपनी राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदाई हैं कि कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हैं और ऐसे नियंत्रण की परिचालन प्रभावषीलता क्या है।

- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का और लेखांकन आकलनों की तर्कसंगतता तथा प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटनो का मूल्यांकन करना।

- प्रबंधन के चालू समुत्थान के आधार पर उपयुक्तता का निष्कर्ष और अभी प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर कि क्या घटनाओं या स्थितियों से अनिष्चितता विद्यमान है जो कंपनी की चालू संविधान के आधार पर योग्यता पर कोई महत्वपूर्ण आक्षेप करती है। हम निष्कर्ष निकालते हैं कि तात्विक अनिष्चितता विद्यमान है, हमसे हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर ध्यान दिलाने की आवश्यकता है जो एक कल वित्तीय विवरणों में प्रकटन से संबंधित है, या यदि ऐसा प्रकट अपर्याप्त है तो हमारे मत को अंतरित किया जाना है। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखा साक्ष्यों पर आधारित है। तथापि भावी घटनाएं या स्थितियां कंपनी को एक चालू व्यवसाय के रूप में बने रहने को समाप्त कर सकती हैं।

- वित्तीय विवरणों जिसके अंतर्गत प्रकटन है के समग्र प्रस्तुतीकरण ढांचे और अंतर्वस्तु का मूल्यांकन और क्या वित्तीय विवरण किए गए संभावनाओं को और घटनाओं को ऐसी रीति में दर्शाते हैं जिससे उचित प्रस्तुतीकरण हासिल किया जा सके।

वित्तीय विवरणों में नित्य कथनों की मात्रा व्यष्टिक रूप से यह समग्र रूप से तात्विक है, इस बात को संभाव्या बनाती है कि वित्तीय विवरणों की युक्ति युक्त सूचना रखने वाले उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय को प्रभावित किया जा सकता है। हम गुणात्मक तत्वों और गुणात्मक कारकों पर (i) हमारी लेखा परीक्षा के कार्यक्षेत्र की योजना बनाने और हमारे कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करनेय और (ii) वित्तीय विवरणों में पहचाने गए मिथ्याकथनों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए विचार करते हैं।

हम उन लोगों के साथ संपर्क करते हैं जिनके ऊपर अन्य विषयों के साथ लेखा परीक्षा के योजना बनाए गए इसको और समय तथा महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्ष, जिसके अंतर्गत आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण कमी है जिसकी हमने अपनी लेखा परीक्षा के दौरान पहचान की है कि प्रषासन के लिए उत्तरदायित्व है।

हम उनको, जो प्रशासन के लिए उत्तरदायी हैं, एक विवरण प्रस्तुत करते हैं जो हमने सुसंगत नैतिक अपेक्षाओं के साथ स्वतंत्रता के संबंध में तैयार किया है और हम उनके साथ

सभी नातेदारी और अन्य विषयों के साथ संपर्क करते हैं जिसका हमारी स्वतंत्रता पर युक्तियुक्त प्रभाव पड़ता है और जहां लागू हो संबंधित सुरक्षोपाय करते हैं।

अन्य मामले

1. हमने कंपनी के वित्तीय विवरणों में शामिल 4 (चार) इकाइयों के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा नहीं की है, जिनके वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचनाओं में 31 मार्च, 2025 तक कुल 33527.91 लाख रुपये की परिसंपत्ति और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए 29412.12 लाख रुपये की कुल आय शामिल है। इन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है, जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है, और जहाँ तक इन इकाइयों के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरणों का संबंध है, हमारी राय पूरी तरह से ऐसे शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

2. 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा कंपनी के पूर्ववर्ती लेखा परीक्षक द्वारा की गई थी, जहां उन्होंने ऐसे वित्तीय विवरणों पर 21 अगस्त, 2024 की अपनी रिपोर्ट के माध्यम से योग्य राय व्यक्त की थी।

उपरोक्त मामलों के संबंध में हमारी राय में संशोधन नहीं किया गया है।

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. जैसा कि अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (11) के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी कपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") द्वारा यथापेक्षित और कंपनी की बहियों और अभिलेखों के ऐसी जाच के आधार पर जैसा हमने उचित समझा और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम उक्त आदेश के अनुच्छेद 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर 'अनुबंध क' में, विवरण देते हैं।

2. हम भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक जारी निदेशों/उप–निदेशों पर अधिनियम की धारा 143 (5) के निबंधनानुसार, कंपनी के बहियों और रिकार्डों की ऐसी जांच जो हमने उचित समझी, के आधार पर और हमें प्रदान की सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार अनुबंध (i) में अपनी रिपोर्ट संलग्न कर रहे हैं।

3. जैसा कि अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा अपेक्षित है, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

   क) हमने वह सब सूचना और स्पष्टीकरण मांगे हैं और प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजनों हेतु आवश्यक थे।

   ख) हमारी राय में, योग्य राय के आधार पैराग्राफ में वर्णित मामलों के प्रभाव/संभावित प्रभावों और कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11(जी) के अधीन रिपोर्टिंग पर नीचे पैराग्राफ (vi) में वर्णित मामलों को छोड़कर, कंपनी द्वारा विधि द्वारा यथा अपेक्षित उचित लेखा बहियां रखी हैं जहां तक उन बहियों की हमारी जाच से प्रतीत होता है

   ग) हमारी राय में, उपरोक्त योग्य राय के आधार पैराग्राफ में वर्णित मामलों का कंपनी के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

   घ) शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा अधिनियम की धारा 143(8) के अंतर्गत लेखापरीक्षित कंपनी की इकाइयों के लेखाओं पर रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है तथा इस रिपोर्ट को तैयार करते समय हमारे द्वारा उचित रूप से कार्यवाही की गई है।

   ङ) योग्य राय के आधार पैराग्राफ में वर्णित मामलों के प्रभावों/संभावित प्रभावों को छोड़कर, इस रिपोर्ट में प्रस्तुत तुलन पत्र, लाभ और हानि का विवरण, और नकदी प्रवाह विवरण, लेखा बहियों के अनुरूप हैं।

   च) योग्य राय के आधार पैराग्राफ में वर्णित मामलों के प्रभावों/संभावित प्रभावों को छोड़कर, हमारी राय में, उपरोक्त वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के अधीन निर्धारित लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।

   छ) सरकारी कंपनी होने के नाते, भारत सरकार के कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार, अधिनियम की धारा 164 की उप–धारा (2) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

   ज) लेखाओं के रखरखाव और उससे संबंधित अन्य मामलों से संबंधित योग्यताएं योग्य राय के आधार पैराग्राफ में और अधिनियम की धारा 143(3) के अधीन रिपोर्टिंग पर उपरोक्त पैराग्राफ (ख) में वर्णित हैं और कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11(जी) के अधीन रिपोर्टिंग पर नीचे पैराग्राफ (ख) में भी वर्णित हैं।

झ) वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, कृपया 'अनुबंध ग'में हमारी अलग रिपोर्ट देखें। हमारी यह रिपोर्ट वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर एक संशोधित राय व्यक्त करती है।

ञ) सरकारी कंपनी होने के नाते कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना संख्या 463(ई) दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार, अधिनियम की धारा 197 के प्रावधान, कंपनी पर लागू नहीं होते हैं और तदनुसार, अधिनियम की धारा 197(16) के प्रावधानों की अपेक्षाओं के अनुसार रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

ट) कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसारः

i. आकस्मिक देनदारियों से संबंधित पैराग्राफ के तहत योग्य राय के आधार में वर्णित मामलों के प्रभावों/संभावित प्रभावों को छोड़कर, कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का प्रकटन किया है – वित्तीय विवरण की टिप्पण संख्या 32 देखें।

ii. कंपनी की व्युत्पन्न संविदाओं सहित कोई दीर्घाकालिक संविदाएं नहीं हैं जिनके लिए कोई महत्वपूर्ण पूर्वाभासी हानियां होती।

iii. ऐसी कोई धनराशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम, और नियम क प्रांसगिक प्रावधानों के अनुसार ऐसी कोई निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित किया जाना अपेक्षित हो।

iv. क) प्रबंधन ने यह दर्शाया है कि उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, लेखाओं के टिप्पण में गई सूचना के अतिरिक्त, कंपनी द्व ारा किसी अन्य व्यक्ति(यो) अथवा संस्था(ओं) को, जिसमें विदेशी संस्थाएं ('मध्यस्थ') शामिल हैं, कोई भी निधि अग्रिम, ऋण या निवेश अथवा उधार ली गई निधि से या शेयर प्रीमियम से या किसी अन्य स्रोत या निधि के प्रकार से) नहीं दी गई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं ('अंतिम लाभार्थी') को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा;

ख) प्रबंधन ने यह दर्शाया है कि, उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, लेखाओं के टिप्पण में दर्शाई गई सूचना के अतिरिक्त, कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति या संस्था (संस्थाओ) से, जिसमें विदेशी संस्थाएं ('वित्तपोषण पार्टी) शामिल हैं, कोई भी निधि प्राप्त नहीं की गई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज की गई हो या अन्यथा, कि कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वित्त पोषण पक्ष ('अंतिम लाभार्थी') द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगी या निवेश करेगी अथवा अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगीय तथा

ग) ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें हमने परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना है, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जिससे उन्हें विश्वास हो कि उप–खण्ड (i) और (iv) (ख) के अंतर्गत प्रस्तुत अभ्यावेदन में कोई भी भौतिक गलत कथन निहित है।

v. कंपनी ने वर्ष के दौरान लाभांश का भुगतान नहीं किया है या घोषणा नहीं की है।

vi. हमारी जांच के आधार पर, जिसमें नमूना जांच भी शामिल है, कंपनी ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अपने लेखा बहियों का अनुरक्षण करने में लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (संपादन लॉग) सुविधा रिकॉर्ड करने की

सुविधा है और यह सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए पूरे वर्ष कार्य कर रहा था सिवाय इसके कि:

क) कारपोरेट कार्यालय और गैर–प्रचालनरत इकाइयों के लिए, जहां एसएपी प्रणाली को क्रमशः 22 फरवरी, 2025 और 19 फरवरी, 2025 को चालू किया गया था, जिसमें माइग्रेशन की तारीख तक के लेनदेन के लिए थोक डेटा एसएपी सिस्टम में पोस्ट किया गया है, जिसके लिए ऑडिट ट्रेल के अस्तित्व का सबूत उपलब्ध नहीं कराया गया है।

ख) इसके अलावा, कंपनी की लेखा बहियों अनुरक्षण करने के लिए उपयोग किए जाने वाले लेखांकन सॉफ्टवेयर के लिए किसी भी प्रत्यक्ष डेटा परिवर्तन को लॉग करने के लिए ऑडिट ट्रेल (लॉग संपादित करें) सुविधा रिकॉर्ड करने की सुविधा डेटाबेस स्तर पर उपलब्ध नहीं थी।

हमारी लेखारीक्षा के दौरान, हमें ऑडिट ट्रेल फीचर के साथ छेड़छाड़ का कोई मामला नहीं मिला। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने रिकॉर्ड रखने की सांविधिक अपेक्षाओं के अनुसार ऑडिट ट्रेल को सुरक्षित रखा है।

कृते एस.के. मेहता एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएनः 00478छ

ह/–
रोहित मेहता
पार्टनर
सदस्यता सं. 091382
यूडीआईएनः 25091382बीएमआईएक्सडीएस5781
स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 06 अगस्त, 2025

अनुबंध–'क'

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुबंध

(31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लेखाओं पर सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सदस्यों को हमारी सम तारीख की रिपार्ट के 'अन्य विधिक और नियामक अपेक्षाआएं' पर रिपोर्ट' के अंतर्गत अनुच्छंद 1 में संदर्भित)

i)

क) अपनी संपत्ति, संयंत्र, उपस्कर और अमूर्त परिसंपत्तियों के संबंध में:

क. कंपनी ने गैर प्रचालनरत इकाइयों (आदिलाबाद, अकालतारा, चरखी दादरी, कुरकुंटा, मंधार, नयागांव और नयागांव विस्तार, दिल्ली ग्राइंडिंग इकाई और भटिंडा ग्राइंडिंग इकाई) को छोड़कर संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दर्शाने वाले अभिलेख उचित रूप से अनुरक्षित किए गए हैं।

ख. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी अमूर्त परिसंपत्तियों का पूरा विवरण दर्शाने वाले अभिलेख उचित रूप से अनुरक्षित किए गए हैं।

ख) जैसा कि हमें बताया गया है, प्रबंधन द्वारा अंगीकृत चरणबद्ध सत्यापन कार्यक्रम के अनुसार, वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों का भौतिक सत्यापन किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत बोकाजन, सिलचर, राजबन और तांदूर में स्थित इकाइयों के लिए उचित अंतराल पर सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का भौतिक सत्यापन किया जाता है, जो हमारी राय में इकाइयों के आकार और उनकी परिसंपत्तियों की प्रकृति को देखते हुए उचित है। गैर प्रचालनरत इकाइयों (आदिलाबाद, अकालतारा, चरखी दादरी, कुरकुंटा, मंधार, नयागांव और नयागांव विस्तार, दिल्ली ग्राइंडिंग इकाई और भटिंडा ग्राइंडिंग इकाई) के संबंध में संपत्ति, संयंत्र और उपस्कारों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है।

हमारी राय में और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, भौतिक सत्यापन के दौरान पाई गई विसंगतियां भौतिक नहीं थीं और उनका लेखाबहियों में उचित रूप से लेखाबद्ध किया गया है।

ग) अचल संपत्तियों के स्वामित्व विलेख कंपनी के नाम पर हैं, सिवाय उन गैर प्रचालनरत इकाइयों के जहाँ अचल संपत्तियों से संबंधित उचित विवरण उपलब्ध नहीं हैं और इसके अभाव में, हम इस पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं कि क्या इन इकाइयों के पास फ्रीहोल्ड भूमि के मामले में उचित स्वामित्व विलेख हैं और लीजहोल्ड भूमि के संबंध में वैध पट्टा विलेख हैं। अन्य मामलों का विवरण, जहाँ कंपनी की भूमि और अन्य संपत्तियों के निम्नलिखित स्वामित्व विलेख अभी तक निष्पादित नहीं हुए हैं, (वित्तीय विवरण की टिप्पणं सं 34.31 देखें))

क्र. सं.	संपत्ति का विवरण	सकल रखाव मूल्य (लाख रुपये में)	जिसके नाम पर धारित है	क्या प्रवर्तक, निदेशक या उनके रिश्तेदार या कर्मचारी हैं	धारण अवधि – जहां उपयुक्त हो, वहां सीमा सीमा उपदर्शित करें	कंपनी के नाम पर न धारित किए जाने का कारण
1.	भटिंडा में भूमि	5.57	पीएसईबी (गुरुनानक देव थर्मल पावर स्टेशन भटिंडा)	नहीं	वर्ष 1985 से	सीसीआई के पास मानद स्वामित्व
2.	मुख्यालय भवन	266.58	सार्वजनिक उद्यम का स्थायी सम्मेलन	नहीं	वर्ष 1988 से	सीसीआई के पास मानद स्वामित्व

इसके अलावा, तांदूर इकाई के संबंध में, इकाई के शाखा लेखा परीक्षक ने रिपोर्ट दी है कि 628 एकड़ और 31 गुंटा के संबंध में भूमि और भवन के स्वामित्व विलेख उपलब्ध नहीं हैं।

घ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जाँच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर या अमूर्त आस्तियों या दोनों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(i)(घ) के प्रावधानों के अधीन रिपोर्टिंग लागू नहीं होती।

ङ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 (2016 में संशोधित) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन कंपनी के विरुद्ध कोई भी बेनामी संपत्ति रखने के लिए कोई कार्यवाही आरंभ नहीं की गई या लंबित नहीं है।

ii) मालसूची के संबंध में:

(क) जैसा कि हमें बताया गया है, बोकाजन, राजबन और तांदूर स्थित इकाइयों के लिए प्रबंधन द्वारा वर्ष के अंत में मालसूची का भौतिक सत्यापन किया गया था, सिवाय इसके कि राजबन और तांदूर इकाइयों में अनुरक्षित भंडार और पुर्जों की मालसूची का भौतिक सत्यापन रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसके अलावा, वर्ष के दौरान गैर प्रचालनरत इकाइयों (आदिलाबाद, अकालतारा, कुरकुंटा, मंधार, नयागांव और नयागांव विस्तार) में पड़ी मालसूची का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया।

हमारी राय में, इकाइयों के आकार और उनके व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, मालसूची के ऐसे भौतिक सत्यापन की आवृत्ति उचित है और प्रबंधन द्वारा ऐसे सत्यापन का कवरेज और प्रक्रियाएँ उचित हैं, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहाँ मालसूची का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है और जहाँ भौतिक सत्यापन रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हैं। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, भौतिक स्टॉक और बही रिकॉर्ड के बीच सत्यापन में कोई विसंगति नहीं देखी गई जो मालसूची के प्रत्येक वर्ग के कुल योग में 10 प्रतिशत से अधिक थी।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों तथा कंपनी के रिकार्ड की हमारी जाँच के आधार पर, कंपनी के पास चालू परिसंपत्तियों की प्रतिभूति के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कुल मिलाकर पाँच करोड़ रुपये से अधिक की स्वीकृत कार्यशील पूँजी सीमा नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (ii) (ख) के प्रावधानों के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती।

iii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जाँच के आधार पर, वर्ष के दौरान, कंपनी ने कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता साझेदारियों या किसी अन्य पक्ष को कोई निवेश नहीं किया है, कोई गारंटी या प्रतिभूति प्रदान नहीं की है, या ऋण या अग्रिम राशि, प्रत्याभूत या अप्रत्याभूत, प्रदान नहीं की है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(iii)(क) से (च) के प्रावधानों के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती।

iv) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने किए गए निवेशों के संबंध में अधिनियम की धारा 185 और 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है। कंपनी ने अधिनियम की धारा 185 और 186 के अधीनआने वाले पक्षकारों को कोई ऋण नहीं दिया है, या कोई गारंटी या प्रभूति प्रदान नहीं की है।

v) कंपनी ने जमा राशि या जमा मानी जाने वाली राशि स्वीकार नहीं की है। इसलिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश और अधिनियम की धारा 73 से 76 के प्रावधान या अधिनियम के अन्य प्रासंगिक प्रावधान और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम कंपनी पर लागू नहीं होते।

vi) हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार, जहाँ भी लागू हो, कंपनी द्वारा अनुरक्षित लागत रिकार्ड की व्यापक समीक्षा की है और हमारा मानना है कि प्रथम दृष्टया निर्धारित लागत रिकार्ड अनुरक्षित किए गए हैं और जहाँ भी लागू हो, उन्हें अनुरक्षित किया गया है। तथापि, हमने यह निर्धारित करने के लिए इन रिकार्डों की विस्तृत जाँच नहीं की है कि वे सटीक या पूर्ण हैं या नहीं।

vii) सांविधिक बकाया के संबंध में:

(क) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी नियमित रूप से निर्विवाद वैधानिक बकाया राशि जमा कराती है, जिसमें माल एवं सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई), आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और अन्य कोई भी सांविधिक बकाया राशि शामिल है, जो नीचे बताए गए मामलों को छोड़कर, उचित प्राधिकरण के पास जमा कराती है।

हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, 31 मार्च 2025 तक निम्नलिखित तालिका को छोड़कर कोई भी अविवादित सांविधिक बकाया राशि, ऐसी नहीं थी जो उनके देय होने की तिथि से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया थी:

संविधि का नाम*	देय का स्वरूप	राशि (लाख रुपये में)	अवधि जिससे राशि संबंधित है*	नियत तारीख*	भुगतान की तिथि*	टिप्पणी, यदि कोई हो*
खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर अधिनियम)	खनन किराया	37.10				
खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर अधिनियम)	रॉयल्टी	639.57				
खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर अधिनियम)	अधिभार और अतिरिक्त कर	4.18				
	पथ कर	4.92				
	वृत्ति कर	3.03				
छत्तीसगढ़ प्रवेश कर, 1976	प्रवेश कर	12.08				
	प्रवेश कर	1.69				
छत्तीसगढ़ मूल्य वर्धित बिक्री कर अधिनियम	बिक्री कर	1,279.45				
हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम	बिक्री कर	283.54				
हिमाचल प्रदेश सामान्य बिक्री कर अधिनियम	बिक्री कर	0.66				
मध्य प्रदेश सामान्य विक्रय कर अधिनियम	बिक्री कर	2.04				
	उपकर	16.79				
योग		**2285.05**				

* कंपनी के पास उपलब्ध आवश्यक जानकारी/उचित रिकॉर्ड के अभाव में, आईसीएआई द्वारा जारी कंपनी लेखा परीक्षक रिपोर्ट आदेश (सीएआरओ) 2020 पर मार्गदर्शी टिप्पण की अपेक्षाओं के अनुसार आवश्यक विवरण इस खंड के अधीन प्रदान नहीं किया गया है।

ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कुछ विवादित निम्नलिखित सांविधिक देय हैं जो 31 मार्च 2025 तक जमा नहीं किए गए हैं:

संविधि का नाम #	देय का स्वरूप	सकल विवादित राशि (लाख रुपये में)	विरोधध्अपील के अधीन जमा की गई राशि (लाख रुपये में)	वह अवधि जिससे राशि संबंधित है (वर्ष)	वह फोरम जहाँ विवाद लंबित है #	टिप्पणी, यदि कोई हो #
केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क अधिनियम	उत्पाद शुल्क	184.24		2009	संबंधित राज्यों के न्यायालय	
केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क अधिनियम	उत्पाद शुल्क	100.76	-			
केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क अधिनियम	सेवा कर	33.75		2016	अपीलीय आधिकरण	
वाणिज्यिक कर विभाग, तेलंगाना	बिक्री कर	8.98	-		उच्च न्यायालय, तेलंगाना	
छत्तीसगढ़ मूल्य वर्धित बिक्री कर अधिनियम,	बिक्री कर	184.72	-			
वाणिज्यिक कर विभाग – तेलंगाना	बिक्री कर	120.33		1985-86	उच्च न्यायालय, तेलंगाना	
हिमाचल प्रदेश सामान्य बिक्री कर अधिनियम	बिक्री कर	13.21	-			
आयकर अधिनियम, 1961	बिक्री कर	84.56	84.56	AY- 2006-07	निर्धारण अधिकारी	
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	73.55	73.55	AY- 2018-19	सीआईटी (ए)	
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	20.87			निर्धारण अधिकारी	विभिन्न वर्षों की टीडीएस मांग
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	0.76			आयकर आयुक्त	
वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	2.29	-			
जीएसटी अधिनियम, 2017	जीएसटी	62.52		2024	सहायक आयुक्त कार्यालय	
जीएसटी अधिनियम, 2017	जीएसटी	6.36	-			
खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर अधिनियम)	रॉयल्टी	56.87	-			
	नाला कर	51.13	-			
	पंचायत कर	6.02	-			
	संपत्ति कर	290.04	-			
उपदान संदाय अधिनियम, 1972	उपदान	220.70	-			
असम बिक्री कर (संशोधन) अधिनियम, 1961	बिक्री कर	174.24				
योग		**1695.90**	**158.11**			

कंपनी द्वारा अपेक्षित जानकारी/उचित अभिलेखों के अभाव में, आईसीएआई द्वारा जारी कंपनी लेखा परीक्षक रिपोर्ट आदेश (सीएआरओ) 2020 पर मार्गदर्षी टिप्पण के अनुसार आवश्यक विवरण उपलब्ध कराए गए सीमा तक प्रदान किए गये हैं।

इसके अलावा, बोकाजन इकाई के संबंध में, शाखा लेखा परीक्षक का रिपोर्ट है कि विभिन्न विभागों से विभिन्न कर निर्धारण आदेशों की अनुपलब्धता के कारण वे विवादित देयता की सटीक राशि का पता लगाने में सक्षम नहीं हैं।

viii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के रिकार्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने कर निर्धारण में किसी भी ऐसे लेनदेन को अभ्यर्पित या प्रकट नहीं किया है, जो पहले लेखा बहियों में आय के रूप में नहीं दर्शाया गया था। आयकर अधिनियम, 1961 के तहत वर्ष के दौरान आय के रूप में। तदनुसार, आदेश के खंड 3(viii) के प्रावधानों के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

ix)

(क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने ऋण की मूल राशि और उस पर ब्याज के भुगतान में चूक की है, जिसका विवरण नीचे इस प्रकार है –

ऋण प्रतिभूतिं सहित उधार की प्रकृति	ऋणदाता का नाम	देय तिथि को अप्रदत्त राशि (लाख रुपये में)	मूलधन या ब्याज	विलंबित या अप्रदत्त दिनों की संख्या	टिप्पणी
ब्याज मुक्त ऋण	भारत सरकार	15,090.07	प्रधानाचार्य	वर्ष 2011 से यानि 5113 दिन	अप्रदत्त
गैर योजना ऋण	भारत सरकार	12,385.27	ब्याज	वर्ष 2011 से यानि 5113 दिन	अप्रदत्त
योग		**27,475.34**			

(ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के रिकार्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

(ग) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई अवधि ऋण नहीं लिया है और तदनुसार, आदेश के खंड 3(पग)(ग) के प्रावधानों के अधीन रिपोर्टिंग अपेक्षाएं कंपनी पर लागू नहीं होती।

(घ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों तथा कंपनी के रिकार्ड की समस्त जाँच के अनुसार, वर्ष के दौरान कोई अल्पावधि निधि नहीं जुटाई गई। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (ix) (घ) के प्रावधानों के अधीन रिपोर्टिंग अपेक्षाएं कंपनी पर लागू नहीं होती।

(ङ) कंपनी की कोई अनुषंगी कंपनी, सहयोगी कंपनी या संयुक्त उद्यम नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (ix) (ङ) के प्रावधानों के अधीन रिपोर्टिंग अपेक्षाएं कंपनी पर लागू नहीं होती।

(च) कंपनी की कोई सहायक कंपनी, सहयोगी कंपनी या संयुक्त उद्यम नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (ix) (च) के प्रावधानों के अधीन रिपोर्टिंग अपेक्षाएं कंपनी पर लागू नहीं होती।

x)

(क) कंपनी ने वर्ष के दौरान आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या आरभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण लिखत सहित) के माध्यम से धन नहीं जुटाया है और इसलिए आदेश के खंड 3(x) (क) के प्रावधानों के अधीन रिपोर्टिंग अपेक्षाएं कंपनी पर लागू नहीं होती।

(ख) वर्ष के दौरान, कंपनी ने शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूर्णतः, आंशिक रूप से या वैकल्पिक रूप से) का कोई अधिमानी आवंटन या निजी नियोजन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(x)) (ख) के प्रावधानों के अधीन रिपोर्टिंग अपेक्षाएं कंपनी पर लागू नहीं होती।

xi) (क) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी की बहियों और

किया गया है।

(ख) कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र एडीटी–4 में हमारे द्वारा अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (12) के अधीन कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है।

(ग) जैसा कि प्रबंधन द्वारा हमें बताया गया है, वर्ष के दौरान कंपनी को सचेतक शिकायत प्राप्त नहीं हुई। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xi)(ग) के प्रावधानों के अधीन रिपोर्टिंग अपेक्षाएं कंपनी पर लागू नहीं होती।

xii) कंपनी निधि कंपनी नहीं है और निधि नियम, 2014 इस पर लागू नहीं है क्योंकि आदेश के खंड 3 (xii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते।

xiii) हम दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, संबंधित पक्षकारों के साथ सभी लेनदेन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 क अनुपालन में हैं, वित्तीय विवरण में लेखाकंन मानक (एएस) 18, से संबधित पक्षकार प्रकटीकरण के अंतर्गत अधिनियम की धारा 133, कंपनी (लेखा) नियम, 2014 क नियम 7 के साथ पठित राज्य नियंत्रित संस्थाओं पर लागू सीमा तक अपेक्षित प्रकटीकरण किया गया है।

xiv)

(क) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हमारी राय में, कंपनी के पास अपने कारोबार के आकार और प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली है।

(ख) हमने अपनी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने के लिए लेखापरीक्षा वर्ष के लिए आज तक जारी कंपनी की आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर विचार किया है।

xv) कंपनी ने अपने निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर–नकद लेन–देन नहीं किए हैं। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xv) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते।

xvi) (क) कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45–आईए के अधीन पंजीकृत कराया जाना अपेक्षित नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xvi) (क) के प्रावधानों के अधीन रिपोर्टिंग अपेक्षाएं कंपनी पर लागू नहीं होती।

(ख) कंपनी ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक से पंजीकरण के वैध प्रमाण पत्र के बिना कोई गैर–बैंकिंग वित्तीय या आवास वित्त गतिविधियाँ संचालित नहीं की हैं। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xvi) (ख) के प्रावधानों के अधीन रिपोर्टिंग अपेक्षाएं कंपनी पर लागू नहीं होती।

(ग) कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए विनियमों में परिभाषित कोर निवेश कंपनी (सीआईसी) नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xvi)(ग) के प्रावधान रिपोर्टिंग पर लागू नहीं होते।

(घ) हमारी राय में, समूह के अधीन कोई मूल निवेश कंपनी नहीं है (जैसा कि मूल निवेश कंपनियां (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2016 में परिभाषित है)। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xvi)(घ) के प्रावधान रिपोर्टिंग पर लागू नहीं होते।

xvii) कंपनी की लेखा बहियों और रिकार्डं की हमारी जाँच के आधार पर, कंपनी को इस वित्तीय वर्ष और उसके ठीक पिछले वित्तीय वर्ष में कोई नकद हानि नहीं हुई है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xvii) के प्रावधान रिपोर्टिंग पर लागू नहीं होते।

xviii) वर्ष के दौरान किसी सांविधिक लेखा परीक्षक ने त्यागपत्र नहीं दिया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xviii) के प्रावधान रिपोर्टिंग पर लागू नहीं होते।

xix) वित्तीय अनुपातों, वित्तीय परिसंपत्तियों की प्राप्ति और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की आयु और अपेक्षित तिथियों, वित्तीय विवरणों के साथ दी गई अन्य जानकारी और निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारे ज्ञान और मान्यताओं का समर्थन करने वाले साक्ष्य की हमारी जांच के आधार पर, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें विश्वास हो कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि पर कोई भी भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, जो यह दर्शाती हो कि कंपनी तुलन पत्र की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर अपनी मौजूदा देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है।

हालाँकि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे यह भी स्पष्ट करते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग ऑडिट रिपोर्ट की तिथि तक के तथ्यों पर आधारित है और हम

न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि तुलन पत्र की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय सभी देनदारियाँ कंपनी द्वारा देय होने पर चुका दी जाएंगी।

xx) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अधिनियम की धारा 135 के प्रावधानों के अनुसार कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अधीन खर्च किया है और ऐसी कोई भी राशि नहीं है जिसका अंतरण अधिनियम की धारा 135(5) और 135(6) के अनुसार किया जाना हो।

कृते एस.के. मेहता एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएनः 000478एन

ह/–
रोहित मेहता
भागीदार
सदस्यता सं..091382
यूडीआईएनः 25091382बीएमआईएक्सडीएस5781

स्थानः नई दिल्ली
तारीखः 6 अगस्त, 2025

अनुबंध – 'ख' स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के लिए

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सदस्यों को दी गई हमारी सम तारीख की रिपोर्ट के ''अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट'' खंड के अधीन पैराग्राफ 2 में संदर्भित।

क्र.सं.	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अधीन निदेश	निदेशों पर की गई कार्रवाई पर लेखा परीक्षक का उत्तर	वित्तीय विवरणों पर प्रभाव
1.	क्या कंपनी में सभी लेखाकरण लेनदेन को आईटी प्रणाली के माध्यम से सांधित करने के लिए प्रणाली विद्यमान है? यदि हाँ, तो आईटी प्रणाली के बाहर के लेखांकन संव्यवहार की प्रोसेसिंग के वित्तीय प्रभावों के साथ–साथ लेखों की अखंडता पर प्रभाव, यदि कोई हो, का उल्लेख करें।	आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए कंपनी की अपनी प्रणाली विद्यमान है। हमने ऐसा कोई भी लेखांकन संव्यवहार नहीं पाया है जिसे आईटी प्रणाली के बाहर संसाधित किया गया हो।	शून्य
2.	क्या कंपनी की ऋण चुकानें में असमर्थता के कारण मौजूदा ऋण की कोई पुनर्रचना कर गई है या ऋणदाता द्वारा कपनी को ऋण/उधार/ब्याज आदि का अधित्याग करने/बट्टे खाते में डालने के मामले हैं? यदि हाँ, तो इसके वित्तीय प्रभाव के बारे में उल्लेख करें। क्या ऐसे मामलों की समुचित रूप से लेखांकित गया गया है। (यदि ऋणदाता सरकारी कंपनी है तो यह निदेश ऋणदाता कंपनी के सांवधिक लेखापरीक्षक के लिए भी लागू है)।	वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण मौजदा ऋण की कोई पुनर्रचना नहीं की गई है या ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए ऋणों/उधार/ब्याज आदि का अधित्याग करने/बट्टे खाते में डालने के मामले नहीं हैं।	शून्य
3.	क्या केंद्र/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियों को इसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखा/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	प्रक्रियाओं के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान केंद्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए कोई धनराशि (अनुदान/सब्सिडी आदि) प्राप्त नहीं हुई है, इसके अलावा, रिपोर्टिंग डेटा के अनुसार केंद्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए कोई धनराशि (अनुदान/सब्सिडी आदि) प्राप्त नहीं है।	शून्य

कृते एस.के. मेहता एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएनः 000478एन

ह/–
रोहित मेहता
भागीदार
सदस्यता सं..091382
यूडीआईएनः 25091382बीएमआईएक्सडीएस5781

स्थानः नई दिल्ली
तारीखः 6 अगस्त, 2025

अनुबंध – 'ग' स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के लिए

31–मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सदस्यों को हमारी सम तारीख की रिपोर्ट के ''अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट'' खंड के अधीन पैराग्राफ 3(i) में संदर्भित

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उपधारा 3 क खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने कंपनी के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए **सीमेंट कॉरपारेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड** ("कंपनी") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शी टिप्पणी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मापदंडों के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक नियंत्रणों को स्थापित और अनुरक्षित करने के लिए उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में कंपनी की परिसम्पत्तियों के संरक्षण के लिए और धोखाधड़ियों तथा अन्य अनियमितताओं के निवारण और पहचान करने समीचीन लेखाकरण नीतियों के चयन और इन्हें लागू करने ऐसे निर्णय और प्राक्कलन करने जो कि औचित्यपूर्ण और विवेकपूर्ण हों और पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों का आरेखन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण करने के लिए, जो लेखाकरण अभिलेखों की सटीकता और सक्षमता को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से काम कर रही हों, जैसा कि अधिनियम के अधीन अपेक्षित है।

लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा दायित्व अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर मत व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखा परीक्षा आईसीएआई द्वारा जारी और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अधीन निर्धारित किए जाने के लिए मानद, लेखा परीक्षा पर मानकों और वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर मार्गदर्शी टिप्पणी दोनों आंतरिक नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर लागू और दों भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी हैं, के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा की है। इन मानकों और मार्गदर्शी टिप्पणी में अपेक्षित है कि हम इस बारे में, कि क्या वित्तीय रिपोर्ट पर पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण स्थापित और अनुरक्षित किए गए और यदि ऐसा है तो सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में ऐसे नियंत्रण प्रभावी रूप से प्रचालित थे, औचित्यपूर्ण आष्वस्ति प्राप्त करने के लिए नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करेंगे और लेखा परीक्षा नियोजित और निष्पादित करेंगे।

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और इनकी प्रचानिक प्रभावोत्पादकता के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियां निष्पादित करना निहित था। वित्तीय रिपोर्ट पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का बोध प्राप्त करना, इस जोखिम का आकलन करना कि कोई महत्वपूर्ण दुर्बलता विद्यमान थी, और आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की प्रभावोत्पादकता को प्रचालित करना और इसके आरेखन का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल था। चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षक की निर्णय पर निर्भर हैं, जिसमें वित्तीय विवरणओं के महत्वपूर्ण मिथ्या कथन का आकलन शामिल है, चाहे वह प्रवंचना से हुआ हो या त्रुटि से।

हमारा विष्वास है कि जो लेखा परीक्षा साक्ष्य हमने प्राप्त किया है वह वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर हमारे लेखा परीक्षा संबंधी मत के लिए आधार मुहैया कराने के लिए पर्याप्त और समीचीन है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाह्य उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ और प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो (1) उन अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित हैं जो उचित विवरण में, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और निपटान को सटीक और निष्पक्ष रूप

से दर्शाते हैंय (2) उचित आश्वासन प्रदान करते हैं कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति देने के लिए लेनदेन को आवश्यक रूप से दर्ज किया जाता है, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकारियों के अनुसार किए जा रहे हैं, और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करते हैं, जिसका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएँ

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें नियंत्रणों के टकराव या अनुपयुक्त प्रबंधन अधिरोहण की संभावना सम्मिलित है, से त्रुटि या प्रवंचना की वजह से, महत्वपूर्ण मिथ्या कथन उत्पन्न हो सकता है और इसका परिचयन नहीं हो सकता है। साथ ही, वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के मूल्यांकन की भविष्य की अवधियों पर प्रत्याशाएं स्थितियों में परिवर्तनों के कारण अपर्याप्त हो सकती हैं, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन के स्तर का क्षय हो सकता है।

योग्य राय का आधार

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, 31 मार्च, 2025 तक निम्नलिखित भौतिक कमजोरियों की पहचान की गई है:

सम्पत्ति, संयत्र तथा उपस्कर

1. प्रबंधन द्वारा चालू वर्ष और पिछले वर्ष में गैर–प्रचालनरत इकाइयों में रखी गई संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर मदों की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट नहीं की है।

2. गैर प्रचालनरत इकाइयों में स्थित अचल संपत्तियों के संबंध में स्वामित्व विलेख/पट्टा विलेख से संबंधित उचित रिकॉर्ड का अनुरक्षाण ठीक से नहीं किया गया है।

3. गैर प्रचालनरत इकाइयों के संबंध में संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाने वाले उचित रिकॉर्ड अनुरक्षित नहीं किए गय हैं।

मालसूचियां

1. गैर प्रचालनरत इकाइयों में पड़ी हुई मालसूची का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है, जिसे पिछले कई वर्षों से बहियों में आगे बढ़ाया गया है और साथ ही, राजबन और तांदूर इकाई में रखे गए स्टोर और स्पेयर्स के भौतिक सत्यापन रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। इसके अलावा, गैर प्रचालनरत इकाइयों में रखी गई मालसूची का उचित रिकॉर्ड अनुरक्षित नहीं किया गया है।

2. राजबन इकाई में रखे गए क्लिंकर के अर्ध–तैयार स्टॉक पर उचित लेबल या टैग नहीं लगाया गया है और प्रमुख स्टॉक खुले मैदान में बिखरे पड़े हैं, जिससे नुकसान/क्षय हो रहा है।

3. तांदूर इकाई के संबंध में, शाखा लेखा परीक्षक कुछ स्पेयर पार्ट्स और स्टोर की मौजूदगी और स्थिति को सत्यापित करने में असमर्थ था क्योंकि उन पर पर्याप्त लेबल या टैग नहीं थे और कुछ स्पेयर पार्ट्स और स्टोर खुले मैदान में बिखरे पड़े थे जिससे जंग लग गया और क्षति हुई।

सांविधिक देय

1. अविवादित वैधानिक बकाया राशि के लिए उचित रिकॉर्ड जैसे भुगतान की देय तिथि, भुगतान न करने के कारण और यथा लागू देय ब्याज/जुर्माना राशि, उपलब्ध नहीं हैं।

2. गैर प्रचालनरत इकाइयों में विवादित सांविधिक देय जैसे विवाद का वर्ष, फोरम जहां विवाद लंबित हैं, सकल विवादित राशि और विवाद के अधीन प्रदत्त राशि आदि के लिए उचित रिकॉर्ड अनुरक्षित नहीं किए गए हैं।

3. बोकाजन इकाई के शाखा लेखा परीक्षक ने रिपोर्ट किया है कि विभिन्न विभागों से विभिन्न कर निर्धारण आदेश उपलब्ध न होने के कारण वे विवादित देयता की सटीक राशि का पता लगाने में सक्षम नहीं हैं।

अन्य

1. व्यापार प्राप्यों, ऋणों और अग्रिमों, व्यापार देय, पक्षकारों को और पक्षकारों से जमा तथा अन्य देयताओं के संबंध में शेष राशि की पुष्टि और समाशोधन प्राप्त करने की प्रणाली में काफी सुधार की आवश्यकता है।

2. गैर–प्रचालनरत इकाइयों में आकस्मिक देयताओं के लिए उचित रिकॉर्ड अनुरक्षित नहीं किए गए हैं।

योग्य राय

हमारी राय में, हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, नियंत्रण मानदंडों के उद्देश्यों की प्राप्ति पर योग्य राय अनुच्छेद के आधार में वर्णित भौतिक कमजोरी के संभावित प्रभावों को छोड़कर, कंपनी के पास सभी भौतिक मामलों में वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हैं और वित्तीय विवरणों के संदर्भ में ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2025 तक प्रभावी रूप से काम कर रहे थे, जो कि कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आईसीएआई द्वारा जारी मार्गदर्षी टिप्पण में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार कर रहे थे।

हमने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में लागू लेखापरीक्षा परीक्षणों की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने में ऊपर पहचानी गई और रिपोर्ट की गई भौतिक कमजोरियों पर विचार किया है और इन भौतिक कमजोरियों ने कंपनी के वित्तीय विवरणों पर हमारी राय को प्रभावित किया है और हमने वित्तीय विवरणों पर योग्य राय जारी की है।

अन्य मामले

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और प्रचालन प्रभावोत्पादकता पर अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अधीन हमारी उपरोक्त रिपोर्ट, जहां तक यह शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित इकाइयों/शाखाओं से संबंधित है, शाखा लेखा परीक्षकों की संबंधित रिपोर्ट पर आधारित है।

कृते एस.के. मेहता एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएनः 000478एन

ह/–
रोहित मेहता
भागीदार
सदस्यता सं..091382
यूडीआईएनः 25091382बीएमआईएक्सडीएस5781
स्थानः नई दिल्ली
तारीखः 6 अगस्त, 2025

सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

31 मार्च, 2025 को तुलन पत्र

(राशि लाख रुपये में)

	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार
इक्विटी एवं देनदारियां			
शेयरधारकों निधि			
(क) शेयर पूंजी	**02**	81,140.74	81,140.74
(ख) भंडार एवं अधिशेष	**03**	(55,74.55)	(58,979.37)
		25,266.19	**22,161.37**
गैर चालू देनदारियां			
(क) दीर्घाकालिक उधारियां	**04**	15,090.07	15,090.07
(ख) अन्य दीघावधिक उधारियां	**05**	23,071.23	24,829.12
(ग) दीर्घाकालिक प्रावधान	**06**	3,873.46	4,093.86
		42,034.76	**44,013.05**
चालू देनदारियां			
(क) अल्पावधि उधारियां	**07**	-	-
(ख) व्यापार संदेय	**08**		
(i) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों का कुल बकाया देय	**08**	573.07	825.50
(ii) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों से भिन्न अन्य लेनदारों का कुल बकाया देय	**08**	2,209.69	1,927.37
(ग) अन्य चालू देनदारियां	**09**	4,731.49	8,012.45
(घ) अल्पाावधि प्रावधान	**10**	1,807.03	4,970.70
		9,321.28	**15,736.02**
योग		**76,622.23**	**81,910.44**
परिसंपत्तियां			
गैर चालू परिसंपत्तियां			
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर और अमूर्त परिसंपत्ति			
(i) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर	**11A**	17,043.10	16,198.21
(ii) अमूर्त परिसंपत्ति	**11B**	39.92	1.11
(iii) चल रहे पूंजीगत कार्य	**12**	4,985.12	4,577.74
(iv) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	**13**	-	12.81
(ख) गैर चालू निवेश	**14**	227.98	227.98
(ग) दीर्घाकालिक ऋण एवं अग्रिम	**15**	2,334.29	2,439.76
(घ) अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां	**16**	5,306.68	6,046.43
(ङ) अपरिशोधित व्यय	**17**	1,896.13	1,977.47
		31,833.22	**31,481.51**
चालू परिसंपत्तियां			
(क) चालू निवेश	**18**	-	-
(ख) मालसूचियां	**19**	16,205.45	18,189.11
(ग) कारोबारी प्राप्य	**20**	452.45	508.03
(घ) नकद और नकद समतुल्य			
(i) नकद और नकद समतुल्य	**21(i)**	641.39	1,222.02
(ii) अन्य बैंक शेष	**21(ii)**	22,331.02	25,422.70
(ङ) अल्पकालिक ऋण और अग्रिम	**22**	3,473.10	3,206.09

(च) अन्य चालू परिसंपत्तियां	23	1,685.60	1,880.98
		44,789.01	50,428.93
योग		**76,622.23**	**81,910.44**

महत्वपूर्ण लेखाकंन नीतियां एवं वित्तीय विवरणिकाओं पर टिप्पणियां **1 to 34**
उपरोक्त उल्लिखित टिप्पणियां इस तुलन पत्र का अभिन्न हिस्सा हैं।

यह सम तिथि की हमारी रिपोर्ट में संदर्भित तुलन पत्र है।

कृते एस के मेहता एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएनः. 000478एन

ह/–
(सीए रोहित मेहता)
भागीदार
सदस्यता सं. 091382

तारीखः 06/08/2025
स्थानः नई दिल्ली

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

ह/–
(संजय बंगा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 09353339

ह/–
(प्रदीप कुमार चंद)
निदेशक (वित्त)
डीआईएनः 09711963

ह/–
(अजय कुमार शर्मा)
कंपनी सचिव

ह/–
(सैय्यद शारिक हुसैन)
वरिष्ठ प्रबंधक (वित्त)

सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ–हानि विवरण

(राशि लाख रुपये में)

	विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
	आय			
I	**प्रचालनों से राजस्व**			
	(क) उत्पादों की बिक्री		32,521.78	41,705.51
	(ख) अन्य प्रचालनरत राजस्व		159.55	98.76
	प्रचालनों से कुल राजस्व		**32,681.33**	**41,804.27**
II	**अन्य आय**	**24**	11,460.72	5,631.96
	कुल आय		**44,142.05**	**47,436.23**
	व्यय			
	(क) उपभोग की गई सामग्रियों की लागत	**25**	4,706.54	5,662.58
	(ख) तैयार माल की सूचियों में परिवर्तन, चल रहे कार्य एवं बिक्री माल	**26**	1,202.89	(2,586.32)
	(ग) कर्मचारी लाभ व्यय	**27**	5,507.77	5,609.92
	(घ) वित्त लागत	**28**	52.83	16.59
	(ङ) मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	**29**	1,363.16	1,314.90
	(च) अन्य व्यय	**30**	28,204.04	37,855.44
	कुल व्यय		**41,037.23**	**47,873.11**
	असाधारण/असाधारण मदों से पूर्व लाभ/(हानि)		**3,104.82**	**(436.88)**
	असाधारण मदें आय/(व्यय)	**31AA**	-	9,942.13
	असाधारण मद एवं कर पूर्व लाभ/(हानि)		**3,104.82**	**9,505.25**
	असाधारण मदें आय/(व्यय)	**31 AB**	-	-
	कर पूर्व लाभ/(हानि)		**3,104.82**	**9,505.25**
	कुल व्यय			
	चालू कर		259.62	1,660.76
	घटाएं: एमएटी क्रेडिट पात्रता		(259.62)	(1,660.76)
	चालू प्रचालनों से लाभ/(हानि)		1,527.61	518.06
	रोके गए प्रचालनों से लाभ/(हानि)	**31C**	1,577.21	8,987.19
	रोके गए प्रचालनों के कर संबंधी व्यय		-	-
	रोके गए प्रचालनों से लाभ/(हानि) (करोपरांत)		1,577.21	8,987.19
	वर्ष के दौरान लाभ/(हानि)		**3,104.82**	**9,505.25**
	प्रति शेयर आय (रुपये में)	**34.47**		
	(1000 रुपये प्रति इक्विटी शेयर मान मूल्य)			
	बुनियाद		**68.01**	**(9.66)**
	पतला		**68.01**	**(9.66)**
	महत्वपूर्ण लेखाकंन नीतियां एवं वित्तीय विवरणिकाओं पर टिप्पणियां	**1 to 34**		

उपरोक्त उल्लिखित टिप्पणियां इस तुलन पत्र का अभिन्न हिस्सा हैं।

यह सम तिथि की हमारी रिपोर्ट में संदर्भित तुलन पत्र है।

कृते एस के मेहता एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएनः. 000478एन

ह/–
(सीए रोहित मेहता)
भागीदार
सदस्यता सं. 091382

तारीखः 06/08/2025
स्थानः नई दिल्ली

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर स

ह/–
(संजय बंगा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 09353339

ह/–
(अजय कुमार शर्मा)
कंपनी सचिव

ह/–
(प्रदीप कुमार चंद)
निदेशक (वित्त)
डीआईएनः 09711963

ह/–
(सैय्यद शारिक हुसैन)
वरिष्ठ प्रबंधक (वित्त)

सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ–हानि विवरण

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	प्रचालनरत		अप्रचालनरत		कुल	
	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
क. प्रचालनरत गतिविधियों से नकदी प्रवाहः						
कर पूर्व निवल लाभ/(हानि)	1,527.60	518.06	1,577.22	8,987.19	3,104.82	9,505.25
समायोजनः						
मूल्यह्रास एवं परिषोधन व्यय	1,349.41	1,757.08	13.89	82.70	1,363.30	1,839.78
वित्तीय लागत	52.83	16.59	-	-	52.83	16.59
मूल्यह्रास प्रतिलेखन	(131.33)	-	(137.76)	-	(269.09)	-
ब्याज एवं अन्य आय	(4,526.39)	(4,008.41)	(691.74)	(621.80)	(5,218.13)	(4,630.21)
संपत्ति, संयत्र और उपस्कर के निस्तारण पर लाभ	-	(18.30)	-	(188.78)	-	(207.08)
निवेष की बिक्री पर लाभ		-		-		-
आवष्यक नहीं रहे प्रतिलेखन के प्रति प्रावधान	(5,481.77)	(192.43)	(38.44)	(35.50)	(5,520.21)	(227.93)
संदिग्ध प्राप्यों के लिए प्रावधान	458.66	-	-	-	458.66	-
अपलिखित अपरिशोधित व्यय	268.82	338.18	-	-	268.82	338.18
असाधारण (आय)/व्यय	-	-	-	(9,942.13)	-	(9,942.13)
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पूर्व प्रचालनरत लाभ	**(6,482.17)**	**(1,589.23)**	**723.17**	**(1,718.32)**	**(5,759.00)**	**(3,307.55)**
कार्यशील पूंजी में परिवर्तनः						
व्यापार देयों में बढ़/(घट)	(446.15)	595.30	476.04	-	29.89	595.30
अन्य देनदारियों में बढ़/(घट)	2,389.17	(274.46)	(1,907.79)	567.84	481.38	293.38
प्रावधानों में बढ़/(घट)	(2,558.84)	(127.02)	(825.23)	767.92	(3,384.07)	640.90
व्यापार प्राप्यों में घट/बढ़)	(403.08)	(185.47)	-	-	(403.08)	(185.47)
मालसूचियों में घट/बढ़)	1,978.88	(2,059.14)	4.78	916.44	1,983.66	(1,142.70)
ऋण एवं अग्रिमों में बढ़/(घट)	32.95	(1,247.01)	(194.49)	(1,040.93)	(161.54)	(2,287.94)
अन्य परिसंपत्तियों में घट/बढ़)	1,536.49	1.91	(84.77)	692.65	1,451.72	694.55
खर्च किया गया अपरिषोधित व्यय	(187.49)	(447.18)	-	-	(187.49)	(447.18)
प्रचालनों से सृजित नकदी	**(4,140.24)**	**(5,332.30)**	**(1,808.29)**	**185.60**	**(5,948.53)**	**(5,146.71)**
करो का संदाय (निवल)	(438.92)	(1,570.52)	-	-	(438.92)	(1,570.52)
प्रचालनरत गतिविधियों से/(में प्रयुक्त) निवल नकदी	**(4,579.16)**	**(6,902.82)**	**(1,808.29)**	**185.60**	**(6,387.45)**	**(6,717.22)**
ख. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह						
संपत्ति, संयत्र और उपस्कर का क्रय	(2,109.24)	(5,591.09)	-	(2.58)	(2,109.24)	(5,593.67)
ब्याज एवं अन्य आय	4,580.05	4,693.08	829.49	621.80	5,409.54	5,314.88
चल रहे पूंजीगत कार्य	(577.77)	1,638.38	183.19	26.70	(394.58)	1,665.08
संपत्ति, संयत्र और उपस्कर की प्राप्तियां	-	24.34	(137.75)	14,144.25	(137.75)	14,168.59
निवेश गतिविधियों से निवल नकदी	**1,893.04**	**764.71**	**874.93**	**14,790.17**	**2,767.97**	**15,554.88**
ग. वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाहः						
प्रदत्त ब्याज एवं अन्य उधारी लागत	(52.83)	(16.59)	-	-	(52.83)	(16.59)
इकाइयों के बीच अंतरित निधि	(933.66)	14,962.00	933.66	(14,962.00)	-	-

वित्तपोषण गतिविधियों से निवल नकदी	**(986.49)**	**14,945.41**	**933.66**	**(14,962.00)**	**(52.83)**	**(16.59)**
नकद एवं नकद समतुल्य में निवल बढ़/(घट)	**(3,672.61)**	**8,807.30**	**0.30**	**13.77**	**(3,672.31)**	**8,821.07**
प्रारंभिक नकदी एवं समतुल्य	26,620.45	17,813.15	24.27	10.50	26,644.72	17,823.65
अंतिम नकदी एवं समतुल्य	**22,947.84**	**26,620.45**	**24.57**	**24.27**	**22,972.41**	**26,644.72**

टिप्पण:

1 अंतिम नकदी एवं समतुल्य मिलाकर शेष:

नकदी (टिप्पण संख्या 21 देखें)	0.87	0.80	0.03	0.03	0.90	0.83
बैंक में शेष:						
. चालू खाते (टिप्पण संख्या 21 देखें)	536.94	996.93	24.54	24.24	561.48	1,021.17
. जमा खाते (टिप्पण संख्या 21 देखें)	22,410.03	25,622.72	-	-	22,410.03	25,622.72
योग	**22,947.84**	**26,620.45**	**24.57**	**24.27**	**22,972.41**	**26,644.72**

2 उपरोक्त नकदी प्रवाह विवरणिका केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित कंपनी (लेखाकंन मानक), नियम, 2021 के अधीन लेखाकंन मानक 3 'नकदी प्रवाह विवरणिका' में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत तैयार की गई है।

3 सावधि जमा में 1701.52 रुपये (गत वर्ष 1357.23 रुपये) की जमा राशि शामिल है, जो बयाना राशि जमा/प्रतिभूजि जमा/विभागों/नियामकों आदि के लेखा में ग्राहक/अन्य के पास बैंक गारंटी/साख पत्र के सापेक्ष मार्जिन मनी के रूप में रखी गई है।

4 अतिरिक्त कार्यशील पूंजी, जब भी अपेक्षित हो, अपने स्वयं के नकद संसाधनों से पूर्ति किये जाने का प्रस्ताव किया जाता है।

5 गत वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के वर्गीकरण की पुष्टि करने के लिए जहां कहीं आवश्यक हो, पुनर्समूहित/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

यह सम तिथि की हमारी रिपोर्ट में संदर्भित तुलन पत्र है।

कृते एस के मेहता एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएनः. 000478एन

ह/–
(सीए रोहित मेहता)
भागीदार
सदस्यता सं. 091382

तारीखः 06/08/2025
स्थानः नई दिल्ली

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर स

ह/–
(संजय बंगा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 09353339

ह/–
(अजय कुमार शर्मा)
कंपनी सचिव

ह/–
(प्रदीप कुमार चंद)
निदेशक (वित्त)
डीआईएनः 09711963

ह/–
(सैय्यद शारिक हुसैन)
वरिष्ठ प्रबंधक (वित्त)

सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
वित्तीय विवरणिकाओं पर टिप्पण

01 महत्वपूर्ण लेखाकंन नीतियां

01.01 तैयारी का आधार

निम्नलिखित मदों को छोड़कर जिन्हें नकदी आधार पर लेखाबद्ध किया गया है, ये वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अधीन कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 एवं कंपनी अधिनियम, 2013 के सुसंगत प्रावधान के साथ पठित लागू लेखाकंन मानकों के अनुपालन में, बीमांकिक आधार पर, ऐतिहासिक लागत परिपारटी के अंतर्गत तैयार की गई हैं।

(क) रेलवे और बीमा दावों के अतिरिक्त अन्य परिसमाप्त क्षतियों/दंडों/दावों की वसूली पर लेखांकित जाता है और विविध आय में सम्मिलित किया जाता है।

(ख) स्टोर एवं स्पेयर्स के अधिशेष/धीमी गति से चलने वाली/न चलने वाली वस्तु आदि पर लाभ/हानि, यदि कोई हो, को उस वर्ष में लेखाबद्ध किया जाता है जिस वर्ष में उनका निस्तारण किया जाता है।

01.02 प्राक्कलन का उपयोग

सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए, प्रबंधन को जहाँ कहीं आवश्यक हो, अनुमान और धारणाएँ बनाने की आवश्यकता होती है जो वित्तीय विवरण की तिथि पर परिसंपत्तियों, देनदारियों और आकस्मिक देनदारियों की रिपोर्ट की गई राशि और उस अवधि के दौरान राजस्व और व्यय की रिपोर्ट की गई राशि को प्रभावित करती हैं। वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच अंतर उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिस अवधि में परिणाम आते हैं।

01.03 प्रचालन चक्र

सभी परिसंपत्तियों एवं देनदारियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में निर्धारित कंपनी के प्रचालन चक्र और अन्य मानदंडों के अनुसार चालू या गैर–चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है। प्रचालन की प्रकृति के आधार पर, कंपनी ने परिसंपत्ति और देनदारियों के चालू/गैर–चालू वर्गीकरण के प्रयोजनार्थ अपने प्रचालन चक्र को बारह महीने के रूप में आकलन किया गया है।

01.04 राजस्व की मान्यता

''राजस्व को उस सीमा तक मान्यता दी जाती है, जहां तक उसे विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है और यह संभावना होती है कि आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेगा।

(क) "माल की बिक्री

बिक्री तब मानी जाती है जब स्वामित्व के सभी महत्वपूर्ण जोखिम और लाभ क्रेता को अंतरित कर दिए जाते हैं और कंपनी अंतरित माल पर उस सीमा तक कोई प्रभावी नियंत्रण नहीं रखती जो आमतौर पर स्वामित्व से जुड़ी होती है। राजस्व की मान्यता रिटर्न, छूट और रियायत आदि को घटाकर की जाती है, और इसमें माल एवं सेवा कर भी शामिल नहीं होता है।''

(ख) "सेवाओं की बिक्री

प्रदान की गई सेवाओं से प्राप्त राजस्व को तब मान्यता दी जाती है जब संबंधित पक्षकारों के साथ कारारों/व्यवस्थाओं के आधार पर सेवा प्रदान की जाती है।''

(ग) "अन्य आय

ब्याज आय समय के आधार पर, बकाया मूलधन के संदर्भ में तथा लागू प्रभावी ब्याज दर पर अर्जित की जाती है।"

01.05 भूमि और परिशोधन

(क) राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क दी गई भूमि का मूल्यांकन अंकित लागत पर या इसके अधिग्रहण पर किए गए आकस्मिक व्यय के आधार पर किया जाता है।

(ख) खदान में उत्खनन पट्टे के अधीन फ्री होल्ड भूमि और 99 वर्ष से कम के पट्टे वाले भूमि पट्टे पर संबंधित इकाई के वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख से दस वर्ष की अवधि के भीतर परिशोधन किया जाता है।

01.06 निवेश

(क) दीर्घावधिक निवेश का उल्लेख लागत पर किया

गया है। ऐसे निवेशों के मूल्य में स्थायी गिरावट को मान्यता दी जाती है और इसके लिए प्रावधान किया जाता है।

(ख) चालू निवेश का उल्लेख सबसे कम लागत और उद्धृत/उचित मूल्य पर किया जाता है। गैर–उद्धृत चालू निवेश का उल्लेख लागत पर किया जाता है।

01.07 उधार लागत

योग्य परिसंपत्तियों के अधिग्रहण या निर्माण या उत्पादन के कारण होने वाली उधार लागतों को ऐसी परिसंपत्तियों की लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। योग्य परिसंपत्ति वह परिसंपत्ति होती है जो अपने अभीष्ट उपयोग के लिए तैयार होने में आवश्यक रूप से पर्याप्त समय लेती है। अन्य सभी उधार लागतों को उस अवधि में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसमें वे खर्च की जाती हैं।

01.08 संपत्ति, संयंत्र और उपसकर और अमूर्त संपत्ति

(क) संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर का विवरण अधिग्रहण लागत पर, संचित मूल्यह्रास और संचित क्षति हानियों, यदि कोई हो, को घटाकर दिया गया है। लागत में क्रय मूल्य और परिसंपत्ति को उसके इच्छित उपयोग के लिए कार्यशील स्थिति में लाने हेतु कोई अन्य देय लागत शामिल है।

(ख) अमूर्त आस्तियों का विवरण अधिग्रहण लागत पर, संचित परिशोधन और संचित क्षति हानियों, यदि कोई हो, को घटाकर दिया जाता है। लागत में क्रय मूल्य और आस्तियों को उसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार करने पर होने वाला कोई अन्य देय व्यय शामिल होता है।

01.09 मूल्यह्रास/परिशोधन

(क) मूल्यह्रास का प्रावधान परिसंपत्ति के पूर्ण रूप से तैयार होने और उपयोग के लिए उपलब्ध होने के बाद किया जाता है। स्थायी परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुसार परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन के आधार पर सीधी रेखा के आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है और लागत का 95 प्रतिशत परिसंपत्ति के अपेक्षित उपयोगी जीवन के दौरान बट्टे खाते में डाला जाता है।

(ख) वर्ष के दौरान जोड़ी गई परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास उनके पूंजीकृत किए जाने की तारीख से और उन्हें त्यागने/बेचने/ध्वस्त करने/नष्ट करने की तिथि के यथानुपात दर्शाया जाता है।

(ख) कोई भी व्यक्तिगत संपत्ति जिसका लिखित मूल्य वर्ष के आरंभ में 5000/– रुपये या उससे कम है, उसका वर्ष के दौरान अवशिष्ट मूल्य को बनाए रखे बिना पूरी तरह से मूल्यह्रास किया जाता है क्योंकि इसे महत्वहीन माना जाता है।

(ग) वर्ष के दौरान खरीदी गई 5000/– रुपये तक की किसी भी व्यक्तिगत संपत्ति को सकल ब्लॉक में ले जाया जाता है और उसी वर्ष पूरी तरह से मूल्यह्रास किया जाता है।

(घ) पट्टाकृत भूमि को पट्टे की अवधि में परिशोधित किया जाता है।

(ङ) अमूर्त संपत्तियों को उनके अपेक्षित उपयोगी जीवन के आधार पर सीधी रेखा के आधार पर निम्नलिखित रूप से परिशोधित किया जाता है:

कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को पांच साल की अवधि में परिशोधित किया जाता है।

01.10 मालसूचियां

(क) स्टोर, स्पयेर्स और कच्चे माल, जैसा कि नीचे (ख) में दर्शाया गया है, का उल्लेख भारित औसत लागत पर किया जाता है। अप्रचलित/अनुपयोगी भंडार और पुर्जे जब अवधारित किए जाते हैं, तो उन्हें स्क्रैप के रूप में माना जाता है और निवल वसूली योग्य मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है।

(ख) क्लिंकर और अन्य अर्द्ध–तैयार माल का उल्लेख वर्क बैक फॉर्मूले के आधार पर इकाई की भारित औसत लागत या निवल वसूली योग्य मूल्य से कम पर किया जाता है। हालांकि, नकारात्मक मूल्यांकन के मामले में इसका उल्लेख शून्य मूल्य पर किया जाता है।

(ग) कारखानों/परियोजनाओं में तैयार माल/माल के ढेरों में या माल के मार्गस्थ ढेर का उल्लेख इकाई भारित औसत लागत या वसूली योग्य मूल्य से कम पर किया जाता है। विभिन्न ढ़रों पर पड़े तैयार माल के मूल्य में ढेर तक बिक्री व्यय में शामिल भाड़ा भी शामिल होता है।

(घ) प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर विभिन्न स्क्रैप मदों की कुल मात्रा का मूल्यांकन संबंधित मदों के लिए नवीनतम बिक्री आदेशों के अनुसार उपलब्ध दरों के अनुसार किया जाता है। हालांकि, जहां पहली बार स्क्रैप से उत्पन्न होने या पहले निपटान नहीं होने के कारण ऐसी कोई दरें उपलब्ध न हों तो मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ ऐसे स्क्रैप मद के निपटान के लिए निर्धारित आरक्षित मूल्य अंगीकृत किया जाता है।

(ङ) ढीले उपकरण और रस्से तीन वर्ष की अवधि में बट्टे खाते में डाले जाते हैं।

01.11 अपरिशोधित व्यय

(क) पूर्वेक्षण और बोरिंग पर व्यय को अशोधित व्यय माना जाता है तथा इकाइयों के वाणिज्यिक उत्पादन में आने के तीन से पांच वर्ष बाद इसे काट लिया जाता है।

(ख) खदानों में ओवरबर्डन आदि को हटाने पर किया गया व्यय, जिसका उपयोग सड़कें बिछाने, स्टॉकयार्ड, क्रशर रैंप आदि जैसे पूंजीगत कार्यों के लिए किया जाता है, पूंजीकृत किया जाता है। उपरिभार आदि को हटाने पर किए गए शेष व्यय को प्रारंभ में ''अपरिषोधित व्यय'' माना जाता है और उस अवधि में दर्शाया जाता है, जिसके लिए खदान विकास से निकला चूना पत्थर दोहन के लिए उपलब्ध रहता है।

(ग) किराये के भवनों में आंतरिक विभाजन और अन्य फिक्सचर की लागत स्थापना के वर्ष में ही सीधे काट ली जाती है, लेकिन यदि लागत एक लाख रुपये से अधिक है, तो उसे अशोधित व्यय के रूप में माना जाता है और तीन से पांच वर्षों में काट लिया जाता है।

घ) किसी इकाई के व्यावसायिक उत्पादन आरंभ होने के बाद, हाई–क्रोम ग्राइंडिंग मीडिया का प्रारंभिक पूर्ण प्रभार अशोधित व्यय माना जाता है और तीन वर्षों की अवधि में बट्टे खाते में डाल दिया जाता है। हालाँकि, क्षतिपूर्ति प्रभार लाभ–हानि विवरण में जोड़े जाते हैं।

ङ) यदि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) के लिए कोई अप्रयुक्त अनुदान/सब्सिडी नहीं है, तो वीआरएस भुगतान से संबंधित अंतिम लाभ, सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए डेढ़ महीने के वेतन या सेवा की शेष अवधि के वेतन के बराबर, जो भी कम हो और नोटिस अवधि के वेतन के बराबर, व्यक्ति की शेष सेवा अवधि के दौरान या अधिकतम 5 वर्षों की अवधि में, जो भी कम हो, स्थगित और भारमुक्त कर दिए जाएँगे। हालाँकि, 01/04/2003 को या उसके बाद वीआरएस/वीएसएस पर किए गए किसी भी व्यय को व्यय के रूप में मान्यता दी जाएगी, जब वह उसी वर्ष में पूरी तरह से व्यय और भारमुक्त हो।

01.12 पूर्वावधि मदें

किसी विशेष वर्ष से संबंधित व्यय/ध्राप्तियाँ, जो लेखाबंदी होने के पष्चात, अर्थात् कट–ऑफ तिथि के बाद ध्यान में आती हैं, अगले वर्ष के व्यय/प्राप्ति के संबंधित शीर्ष के अंतर्गत दर्ज की जाती हैं। यदि राशि 10,000/– से अधिक है, तो उनका वित्तीय विवरणों में पूर्वावधि मदों के रूप में प्रकटन किया जाता है।

01.13 आय पर कर

चालू कर और आस्थगित कर सहित अवधि के लिए कर व्यय को वर्ष के लिए निवल लाभ/(हानि) निर्धारित करने में सम्मिलित किया जाता है।

क) वर्तमान आयकर के लिए प्रावधान, लागू दोहरे कराधान परिहार करार के प्रावधानों पर विचार करने के बाद आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

(ख) कर योग्य आय और लेखा आय के बीच ''समय के अंतर'' से उदभूत आस्थगित कर का निर्धारण, कर दरों और कर कानूनों के आधार पर किया जाता है जो तुलन पत्र की तिथि तक अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित हो चुके हैं। आस्थगित कर परिसंपत्तियों को उस सीमा तक आगे ले जाया जाता है जहाँ तक यह यथोचित/वस्तुतः निश्चित हो कि भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा, जिसके सापेक्ष ऐसी आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वसूली की जा सकती है।

(ग) एमएटी क्रेडिट पात्रता को मान्यता दी जाती है और उसे उस सीमा तक आगे बढ़ाया जाता है, जहां तक यह यथोचित/वस्तुतः निश्चित है कि भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा, जिसके सापेक्ष एमएटी क्रेडिट प्राप्त किया जा सकता है।

01.14 विदेशी मुद्रा विनिमय लेनदेन का लेखा–जोखा

विदेशी ऋण देनदारियों का रूपांतरण बाजार बंदन होने के विनिमय दरों पर किया जाता है। लेन–देन

के निपटान पर लाभ या हानि (क) परियोजना अवधि के दौरान लिखत की प्रासंगिक लागत में क्रेडिट/डेबिट की जाती है, जो पुर्जों और सेवा से संबंधित हैं उन्हें निर्माण के दौरान आकस्मिक व्यय (आईईडीसी) में क्रेडिट/डेबिट किया जाता है, (ख) परियोजना में वाणिज्यिक उत्पादन होने के उपरांत, लाभ/हानि को लिखत की प्रासंगिक लागत में क्रेडिट/डेबिट किया जाता है, लेकिन, जो पुर्जों और सेवाओं से संबंधित होते हैं उन्हें लाभ–हानि विवरण में दर्शाया जाता है। स्थायी परिसंपत्तियों के इस तरह के समायोजन पर मूल्यह्रास को संभावित रूप से समायोजित किया जाता है।

01.15 सरकारी अनुदान/सब्सिडी

(क) विनिर्दिष्ट स्थायी परिसंपत्तियों से संबंधित सरकारी अनुदान/सब्सिडी को संबंधित परिसंपत्तियों के सकल मूल्य से उनके बही मूल्य निकालने में घटाया जाता है। जहां विनिर्दिष्ट स्थायी परिसंपत्तियों से संबंधित अनुदान परिसंपत्ति की पूरी या वस्तुतः पूरी लागत के बराबर होता है वहां परिसंपत्ति का मूल्यांकन अंकित मूल्य पर या इसके अधिग्रहण/स्थापना पर किए गए आकस्मिक व्यय के आधार पर किया जाता है।

(ख) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अनुदान, परिवहन सब्सिडी और अन्य राजस्व अनुदान संबंधित व्यय से काटे जाते हैं।

(ग) केंद्रीय निवेश सब्सिडी योजना के अंतर्गत प्राप्त सरकारी अनुदान, पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों के लिए केंद्र सरकार के प्रोत्साहन में शामिल हैं और राज्य सरकारों से प्राप्त अन्य समान अनुदान, जहां उनके संबंध में आमतौर पर कोई पुनर्भुगतान की उम्मीद नहीं है, अनुदान को पूंजीगत आरक्षित निधि के रूप में का लेखा कंपनी अधिनियम 2013 के तहत अधिसूचित माना जाता है।

(घ) ऊपर विनिर्दिष्ट से अन्य, पूंजी/राजस्व अनुदान/सब्सिडी, लेखांकन मानक –12 के अनुसार किया जाते हैं।

01.16 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

(क) प्रावधानों को उन देनदारियों के लिए मान्यता दी जाती है जिन्हें पर्याप्त मात्रा में प्राक्कलन लगाकर आंकलित जा सकता है, यदिः

(i) कंपनी पर किसी पूर्व घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व है;

ii) दायित्व के निपटान के लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के संभावित बहिर्वाह की अपेक्षा की जाती है और

(iii) दायित्व की राशि का विश्वसनीय रूप से प्राक्कलन किया जा सकता है।

ख) आकस्मिक देयता का खुलासा निम्नलिखित मामलों में किया जाता हैः

(iv) किसी भूतकालीन घटना से उत्पन्न वर्तमान दायित्व, जब यह सम्भावना न हो कि दायित्व के निपटान के लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बहिर्गमन की आवश्यकता होगी।

(v) संभावित दायित्व, जब तक कि निपटान में बहिर्वाह की संभावना दूर न हो।

(ग) आकस्मिक परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरणों में न तो मान्यता दी जाती है और न ही उनका खुलासा किया जाता है।

01.17 परिसंपत्तियों की क्षीणता

प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर यह आकलन किया जाता है कि क्या किसी परिसंपत्ति/नकदी उत्पादक इकाई के क्षतिग्रस्त होने का कोई संकेत मौजूद है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो लेखा पुस्तकों में क्षतिग्रस्तता हानि दर्ज की जाती है, अर्थात वह राशि जिससे किसी परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है। वसूली योग्य राशि, परिसंपत्तियों के निवल विक्रय मूल्य और उपयोग मूल्य में से जो अधिक हो, होती है।

01.18 कंपनी के दावे

(क) जहां खाते में भुगतान प्राप्त हुआ है वहां बीमा दावों को सर्वेक्षक की रिपोर्ट के आधार पर और/या दर्ज किए गए दावों के आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है तथापि, जहां 31 मार्च तक हुई हानि की घटनाओं के लिए सर्वेक्षक की रिपोर्ट लेखाबंदी से पूर्व प्राप्त नहीं होती है, उसके प्रभाव का प्रकटीकरण लेखाओं पर टिप्पण के रूप में किया जाता है।

(ख) रेलवे के दावों को दावा दर्ज करने पर लेखाबद्ध किया जाता है।

01.19 जमा कार्य

चल रहे जमा कार्यों के संबंध में, इसे निगम के चल रहे पूंजीगत कार्य के रूप में माना जाता है और निर्माण अवधि के दौरान आकस्मिक व्यय को स्वामित्व के हस्तांतरण और पूंजीकृत होने पर जमा कार्य में आनुपातिक रूप से जोड़ा जाता है।

01.20 कर्मचारी हितलाभ

(क) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में सेवारत सभी कर्मचारियों के संबंध में उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के अंतर्गत उपदान और कंपनी की अपनी ही उपदान योजना का प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार किया जाता है।

(ख) सेवारत कर्मचारियों के संबंध में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति या मृत्यु पर भुनाया जा सकने वाले अर्जित छुट्टी /अर्ध वेतन छुट्टी आदि का प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार किया जाता है।

(ग) सेवानिवृत्ति पर गृहनगर की यात्रा पर व्यय के लिए प्रावधान को वर्ष के अंत में किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

(घ) भविष्य निधि और पारिवारिक पेंशन योजना में अंशदान को व्यय के रूप में मान्यता दी गई है और इसे लाभ–हानि विवरण में दर्शाया जाता है।

ङ) बोनस के लिए देनदारी का प्रावधान बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के प्रावधानों के अनुसार इकाईवार आधार पर किया जाता है, न कि संपूर्ण निगम के रूप में। कारपोरेट कार्यालय के लिए बोनस की देनदारी का प्रावधान उस दर पर किया जाता है जो अन्य इकाइयों के लिए प्रावधान किए गए बोनस की दरों का औसत होता है।

(च) बीमांकिक मूल्यांकन से उत्पन्न लाभ और हानि को लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

01.21 डिबेंचर के मोचन पर प्रीमियम

डिबेंचर के मोचन पर देय प्रीमियम को लाभ हानि विवरणिका/ आईईडीसी लेखा में ऐसी समान किश्तों में लगाया जाता है जो उस वर्ष से आरंभ होने वाली डिबेंचर की अवधि होती है जिसमें डिबेंचर आवंटित किए जाते हैं।

01.22 पूर्वदत्त व्यय

बाद के वर्ष (वर्षों) के अग्रिम में किए गए 10,000/– या उससे कम राशि के व्यय के प्रत्येक मामले को चालू वर्ष के व्यय के रूप में प्रभारित किया जाता है।

01.23 अशोध्य और संदिग्ध प्राप्यों/ऋणों/अग्रिमों आदि का लेखाकंन

(क) संदिग्ध प्राप्यों/ऋणों और अग्रिमों के लिए प्रावधान तब किया जाता है जब उन्हें वसूली के लिए संदिग्ध माना जाता है लेकिन वसूली की संभावना बनी रहती है।

(ख) राशियां तब बट्टे खाते में डाली जाती हैं, जब वसूली के प्रयास या तो विधिक प्रक्रिया के कारण विफल हो जाते हैं या जहां यह माना जाता है कि मुकदमेबाजी माना जाता है, फलदायी नहीं होगी और वसूली संभव नहीं है।

01.24 इंटर यूनिट/जोन/कारपोरेट कार्यालय अंतरण

(क) इकाइयों द्वारा अंतरित तैयार माल का मूल्यांकन आरंभ में प्रेषण योजना दरों पर किया जाता है और फिर बेची गई मात्रा का जोनों द्वारा वास्तविक निवल वसूली योग्य मूल्य पर निपटारा किया जाता है।

(ख) स्थायी परिसंपत्तियों के इंटर यूनिट/जोन/कारपोरेट कार्यालय अंतरण आदि को बही मूल्य पर लेखाबद्ध किया जाता है।

(ग) क्लिंकर के इंटर यूनिट अंतरण को उसकी वसूली योग्य दरों पर (सीमेंट से वर्क बैक मेथड द्वारा) लेखाबद्ध किया जाता है और इसकी मार्गस्थ हानि को प्राप्त करने वाली इकाई द्वारा लागत में समावेशित किया जाता है।

(घ) इंटर यूनिट/जोन/कारपोरेट कार्यालय की शेष राशि का नियमित रूप से समाशोधन किया जाता है और शेष राशि की पुष्टि प्राप्त की जाती है।

01.25 व्यय का वर्गीकरण

(क) स्थायी परिसंपत्तियों की मरम्मत और रखरखाव पर किए गए व्यय, जिसमें स्टोर और स्पएर्स की लागत सम्मिलित है, को छोड़कर, जैसा कि नीचे (ख) में दिखाया गया है, लाभ हानि विवरण में दर्शाये जाते हैं।

(ख) स्टोर और स्पेयर्स की लागत सहित संपत्ति, संयत्र

और उपस्करं की मरम्मत और रखरखाव पर किए गए व्यय, जो मौजूदा परिसंपत्तियों से भविष्य के लाभ इसके निष्पादन के पहले से निर्धारित मानक (जैसे क्षमता में वृद्धि) से अधिक बढ़ाते हैं, को पूंजीकृत किया जाता है।

(ग) वेतन और मजदूरी:

संयंत्र और मशीनरी, भवन आदि की मरम्मत और रखरखाव पर होने वाले वेतन और मजदूरी को सीधे वेतन और मजदूरी लेखा में प्रभारित किया जाता है।

(घ) अन्य फुटकर व्यय:

पार्कों पर व्यय, वृक्षारोपण और तंबू और तिरपाल आदि की खरीद को राजस्व व्यय के रूप में प्रभारित किया जाता है।

01.26 मौजूदा संयंत्र से सटे क्षेत्र की विस्तार परियोजनाओं/नई परियोजनाओं पर अप्रत्यक्ष व्यय

मौजूदा संयंत्रों द्वारा किए गए प्रशासन, पर्यवेक्षण आदि पर होने वाले सामान्य खर्च को मौजूदा संयंत्रों से सटे विस्तार परियोजना/नई परियोजनाओं के लिए नहीं दर्शाया जाता है।

01.27 कॉर्पोरेट कार्यालय व्यय का आवंटन

कारपोरेट कार्यालय का निवल राजस्व व्यय/आय को प्रबंधन द्वारा उनके सर्वोत्तम मूल्यांकन और निर्णय के अनुसार विभिन्न इकाइयों या परियोजनाओं से संबंधित संभावित लाभों या संबंधित अनुमानों के आधार पर निर्माणाधीन सभी इकाइयों और परियोजनाओं को आवंटित किया जाता है।

सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
वित्तीय विवरणों पर टिप्पण

(राशि लाख रुपये में)

		31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार
02	**शेयर पूंजी प्राधिकृत**		
	1000/– रुपये मूल्य के 50,00,000 (31 मार्च, 2024: 50,00,000) इक्विटी शेयर	50,000.00	50,000.00
	1000/– रुपये मूल्य के 40,00,000 (31 मार्च, 2024: 40,00,000) अधिमानी शेयर	40,000.00	40,000.00
	योग	**90,000.00**	**90,000.00**
	निर्गमित, अभिदत्त एवं प्रदत्त		
	1000/– रुपये मूल्य के पूर्णतया प्रदत्त 45,59,749 (31 मार्च, 2024: 45,59,749) इक्विटी शेयर	45,597.49	45,597.49
	1000/– रुपये मूल्य के पूर्णतया प्रदत्त 35,54,325 (31 मार्च, 2024: 35,54,325) अधिमानी शेयर	35,543.25	35,543.25
	योग	**81,140.74**	**81,140.74**

02.1 शेयरों के प्रत्येक वर्ग के संबंध में अधिकार, प्राथमिकताएं और प्रतिबंध

कंपनी में शेयरों के दो वर्ग हैं जिन्हें इक्विटी शेयर और अधिमानी शेयर के रूप में उल्लिखित किया गया है, जिनका मूल्य 1000/– रुपये प्रति शेयर है। इक्विटी शेयर का प्रत्येक धारक प्रति शेयर एक वोट का हकदार है। अधिमानी शेयरधारक केवल अपने अधिमानी शेयरों से जुड़े अधिकारों को सीधे प्रभावित करने वाले प्रस्तावों पर मतदान करने का पात्र है।

02.2 बकाया शेयरों की संख्या का समाशोधन

	31 मार्च, 2025		31 मार्च, 2024	
इक्विटी शेयर	**शेयर की संख्या**	**राशि (लाख रुपये में)**	**शेयर की संख्या**	**राशि (लाख रुपये में)**
वर्ष के आरंभ में शेष	4,559,749	45,597.49	4,559,749	45,597.49
जोड़ें: निर्गमित शेयर	-	-	-	-
वर्ष के अंत में शेष	4,559,749	45,597.49	4,559,749	45,597.49

0.01 प्रतिशत गैर संचयी प्रतिदेय अधिमानी भोयर	**शेयर की संख्या**	**राशि (लाख रुपये में)**	**शेयर की संख्या**	**राशि (लाख रुपये में)**
वर्ष के आरंभ में शेष	3,554,325	35,543.25	3,554,325	35,543.25
जोड़ें: निर्गमित शेयर	-	-	-	-
वर्ष के अंत में शेष	3,554,325	35,543.25	3,554,325	35,543.25

02.3 निगम में 5 प्रतिशत से अधिक की शेयरधारिता वाले प्रत्येक शेयरधारक द्वारा धारित शेयरों का विवरण:

	31 मार्च, 2025		31 मार्च, 2024	
शेयरधारक का नाम	**शेयरों की संख्या**	**शेयरधारिता का प्रतिशत**	**शेयरों की संख्या**	**शेयरधारिता का प्रतिशत**
इक्विटी शेयर:				
भारत सरकार	4,559,749	100%	4,559,749	100%
0.01 प्रतिशत गैर संचयी प्रतिदेय अधिमानी शेयर:				
भारत सरकार	3,554,325	100%	3,554,325	100%

02.4 निगम में प्रवर्तकों की शेयरधारिता का विवरण:

	31 मार्च, 2025			31 मार्च, 2024		
प्रवर्तक का नाम	**शेयरों की संख्या**	**शेयरधारिता का प्रतिशत**	**वर्ष के दौरान परिवर्तन का प्रतिशत**	**शेयरों की संख्या**	**शेयरधारिता का प्रतिशत**	**वर्ष के दौरान परिवर्तन का प्रतिशत**
इक्विटी शेयर:						
भारत सरकार	4,559,749	100%	0%	4,559,749	100%	0%
0.01 प्रतिशत गैर संचयी प्रतिदेय अधिमानी शेयर:						
भारत सरकार	3,554,325	100%	0%	3,554,325	100%	0%

टिप्पण:

वित्तीय वर्ष 2024–25 और 2023–24 के दौरान निगम में प्रवर्तकों की प्रतिशत शेयरधारिता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

0.01 प्रतिशत गैर–संचयी प्रतिदेय अधिमानी शेयरों से संबंधित टिप्पण संख्या 34.11 देखें।

सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
वित्तीय विवरणों पर टिप्पण

(राशि लाख रुपये में)

		31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
03	**आरक्षिति एवं अधिशेष**		
	लाभ–हानि विवरण में अधिषेष / (घाटा)		
	वर्ष के आरंभ में शेष	(58,979.37)	(68,484.62)
	जोड़ें: वर्ष हेतु निवल लाभ / (हानि)	3,104.82	9,505.25
	वर्ष के अंत में शेष	(55,874.55)	(58,979.37)

(राशि लाख रुपये में)

		31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
04	**दीर्घाकालिक उधारियां**		
	अप्रतिभूत:		
	भारत सरकार से ब्याज मुक्त योजना ऋण	15,090.07	15,090.07
	योग	**15,090.07**	**15,090.07**
	' टिप्पण: टिप्पण संख्या 34.09 देखें।		

(राशि लाख रुपये में)

		31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
05	**अन्य दीर्घाकालिक देनदारियां**		
	कारोबारी संदेय		
	सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों का कुल बकाया देय	72.32	99.49
	सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों से भिन्न अन्य लेनदारों का कुल बकाया देय	1,943.05	2,781.25
	प्राप्त की गई प्रतिभूति एवं धरोहर राशि	2,599.14	2,659.82
	ग्राहकों से अग्रिम	446.33	445.13
	संदेय जीएसटी / बिक्री कर	80.16	80.34
	संदेय विद्युत बकाया	1,169.71	1,169.71
	संदेय रॉयल्टी	65.31	65.31
	उधारियों–सरकारी ऋण पर उपचित एवं देय ब्याज '	12,385.27	12,385.27
	अन्य संदेय	4,309.94	5,142.80
	योग	**23,071.23**	**24,829.12**

* टिप्पण: टिप्पण संख्या 34.09 देखें।

सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
वित्तीय विवरणों पर टिप्पण

(राशि लाख रुपये में)

		31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
06	**दीर्घावधिक प्रावधान**		
	कर्मचारी हितलाभ हेतु प्रावधानः		
	उपदान	1,700.32	1,871.45
	अर्जित छुट्टी	1,254.45	1,295.18
	पूंजीगत कार्य हेतु प्रावधान	10.57	10.57
	अन्य प्रावधान	908.12	916.66
	योग	**3,873.46**	**4,093.86**

(राशि लाख रुपये में)

		31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
07	**अल्पावधिक उधारियां**		
	बैंकों से	-	-
	योग	**-**	**-**

(राशि लाख रुपये में)

		31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
08	**व्यापार देय**		
	सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों का कुल बकाया देय	573.07	825.50
	सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों से भिन्न अन्य लेनदारों का कुल बकाया देय	2,209.69	1,927.37
	योग	**2,782.76**	**2,752.87**

(राशि लाख रुपये में)

		31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
09	**अन्य चालू देनदारियां**		
	ग्राहकों से अग्रिम	791.36	991.53
	प्राप्त की गई प्रतिभूति एवं धरोहर राशि	909.99	3,631.23

संदेय जीएसटी/बिक्री कर	781.72	975.20
संदेय विद्युत बकाया	799.69	998.85
कर्मचारियों का बकाया	299.24	455.22
संदेय रॉयल्टी	17.59	15.82
अन्य संदेय	1,131.90	944.60
योग	**4,731.49**	**8,012.45**

(राशि लाख रुपये में)

		31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
10	**अल्पावधिक प्रावधान**		
	कर्मचारी हितलाभ हेतु प्रावधानः		
	उपदान	478.32	517.06
	अर्जित छुट्टी	305.24	328.99
	अन्य प्रावधान	921.02	3,842.90
	बोनस	7.96	7.96
	कराधान के लिए प्रावधान	94.49	273.79
	योग	**1,807.03**	**4,970.70**

सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
वित्तीय विवरणों पर टिप्पण
11 क: संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(राशि लाख रुपये में)

	विवरण	सकल ब्लॉक / मूल लागत				मूल्यह्रास / परिशोधन				निवल ब्लॉक	
		1 अप्रैल, 2024 को	परिवर्धन / समायोजन	अपमार्जन / समायोजन	31 मार्च, 2025 तक	1 अप्रैल, 2024 को	परिवर्धन / समायोजन	अपमार्जन / समायोजन	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
		(क)	(ख)	(ग)	(घ) = (क) +(ख)-(ग)	(ङ)	(च)	(छ)	(झ) = (ङ) +(च)-(छ)	(ञ) = (घ) - (झ)	(ट) = (क) - (ङ)
क)	**कार्य**										
1	फ्री होल्ड भूमि	1,336.92	-	-	1,336.92	146.07	-	-	146.07	1,190.85	1,190.85
2	पट्टाधृत भूमि	2,003.78	-	-	2,003.78	1,633.63	14.26	207.83	1,440.06	563.72	370.15
3	सड़क एवं पुलिया	903.79	-	-	903.79	808.24	11.91	-	820.15	83.64	95.55
4	संयत्र भवन	6,800.84	-	-	6,800.84	6,456.08	4.12	5.10	6,455.10	345.74	344.76
5	गैर संयत्र भवन	711.14	-	-	711.14	529.62	7.57	-	537.19	173.95	181.52
6	जल आपूर्ति, जल निकास एवं सीवरेज	994.33	-	-	994.33	868.32	1.76	-	870.08	124.25	126.01
7	रेलवे साइडिंग	4,999.41	-	-	4,999.41	2,092.08	221.94	-	2,314.02	2,685.39	2,907.33
8	विद्युत संस्थापन	2,450.23	353.66	21.91	2,781.98	1,720.00	116.18	20.03	1,816.15	965.83	730.23
9	संयत्र एवं मशीनरी	47,615.55	1,494.28	19.33	49,090.50	38,293.02	895.84	74.37	39,114.49	9,976.01	9,322.53
10	हवाई रज्जु मार्ग	706.04	24.58	-	730.62	672.33	1.23	-	673.56	57.06	33.71
11	रेलवे रॉलिंग स्टॉक	348.41	-	-	348.41	333.99	-	-	333.99	14.42	14.42
12	खदान उपस्कर	1,399.34	-	-	1,399.34	1,330.86	3.41	-	1,334.27	65.07	68.48
13	वाहन	274.26	-	5.30	268.96	229.94	5.18	5.03	230.09	38.87	44.32
14	कार्यालय उपस्कर	495.13	2.04	91.43	405.74	447.38	14.48	91.43	370.43	35.31	47.75
15	फर्नीचर एवं फिक्सचर	242.46	7.04	41.56	207.94	230.80	2.68	41.56	191.92	16.02	11.66
16	विविध उपकरण	851.76	40.89	43.17	849.48	698.99	33.12	43.17	688.94	160.54	152.77
17	5000 रुपये तक की लागत वाले संयत्र एवं मशीनरी	59.64	1.99	0.08	61.55	59.64	1.99	0.08	61.55	-	-
	कुल वर्क	**72,193.03**	**1,924.48**	**222.78**	**73,894.73**	**56,550.99**	**1,335.67**	**488.60**	**57,398.06**	**16,496.67**	**15,642.04**

	विवरण	सकल ब्लॉक / मूल लागत				मूल्यह्रास / परिशोधन				निवल ब्लॉक	
		1 अप्रैल, 2024 को	परिवर्धन / समायोजन	अपमार्जन / समायोजन	31 मार्च, 2025 तक	1 अप्रैल, 2024 को	परिवर्धन / समायोजन	अपमार्जन / समायोजन	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
		(क)	(ख)	(ग)	(घ) = (क) +(ख)-(ग)	(ङ)	(च)	(छ)	(झ) = (ङ) +(च)-(छ)	(ञ) = (घ) - (झ)	(ट) = (क) - (ङ)
ख)	**टाउनशिप**										
1	भूमि फ्रीहोल्ड	15.72	-	-	15.72	-	-	-	-	15.72	15.72
2	भूमि लीजहोल्ड	32.65	-	-	32.65	0.32	-	-	0.32	32.33	32.33
3	सड़कें और पुलिया	39.01	-	-	39.01	36.99	0.08	-	37.07	1.94	2.02
4	आवासीय और कल्याणकारी भवन	1,743.45	-	-	1,743.45	1,273.23	17.74	-	1,290.97	452.48	470.22
5	जल आपूर्ति, जल निकासी और सीवरेज	185.35	-	-	185.35	156.34	0.87	-	157.21	28.14	29.01
6	विद्युत स्थापना	39.96	-	-	39.96	38.96	-	-	38.96	1.00	1.00
7	वाहन	88.83	9.79	-	98.62	85.53	0.79	-	86.32	12.30	3.30
8	कार्यालय उपकरण	3.83	-	-	3.83	3.75	-	-	3.75	0.08	0.08
9	फर्नीचर और फिक्सचर	16.48	-	-	16.48	15.20	-	-	15.20	1.28	1.28
10	विविध उपकरण	16.15	-	-	16.15	14.94	0.05	-	14.99	1.16	1.21
	कुल टाउनशिप	**2,181.43**	**9.79**	**-**	**2,191.22**	**1,625.26**	**19.53**	**-**	**1,644.79**	**546.43**	**556.17**
	कुल कार्य और टाउनशिप	**74,374.46**	**1,934.27**	**222.78**	**76,085.95**	**58,176.25**	**1,355.21**	**488.60**	**59,042.85**	**17,043.10**	**16,198.21**
	पिछला वर्ष	**72,230.24**	**5,633.57**	**3,489.35**	**74,374.46**	**59,650.40**	**1,839.50**	**3,313.65**	**58,176.25**	**16,198.21**	

11 खः अमूर्त संपत्ति

	विवरण	सकल ब्लॉक / मूल लागत				मूल्यह्रास / परिशोधन				निवल ब्लॉक	
		1 अप्रैल, 2024 को	परिवर्धन / समायोजन	अपमार्जन / समायोजन	31 मार्च, 2025 तक	1 अप्रैल, 2024 को	परिवर्धन / समायोजन	अपमार्जन / समायोजन	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
		(क)	(ख)	(ग)	(घ) त्र (क) .(ख) .(ग)	(ङ)	(च)	(छ)	(झ) = (ङ) (च) . (छ)	(ञ) = (घ) . (झ)	(ट) = (क) . (ङ)
1	**कंप्यूटर सॉफ्टवेयर**	1.90	46.90	-	48.80	0.79	8.09	-	8.88	39.92	1.11
	योग	**1.90**	**46.90**	**-**	**48.80**	**0.79**	**8.09**	**-**	**8.88**	**39.92**	**1.11**
	गत वर्ष	**0.81**	**1.09**	**-**	**1.90**	**0.51**	**0.28**	**-**	**0.79**	**1.11**	

सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
वित्तीय विवरणों पर टिप्पण

(राशि लाख रुपये में)

	विवरण	1 अप्रैल, 2024 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान पूंजीकृत	31 मार्च, 2025 तक
12	**चल रहे पूँजीगत कार्य (मूर्त)**				
	यांत्रिक परमर्शी सेवा	154.16	94.94	-	249.10
	सिविल अभियांत्रिकी कार्य	2,042.47	-	4.20	2,038.27
	प्रतीक्षित प्रतिस्थापन सहित संयत्र एवं मशीनरी	2,433.96	1,650.99	1,250.12	2,834.83
	संयत्र एवं मशीनरी का प्रतिस्थापन व्यय	77.79	-	77.25	0.54
	प्रासंगिक व्यय जिनका आबंटन किया जाना है'	138.19	-	-	138.19
	पूंजीगत भंडार	6.98	-	6.98	-
	अन्य	160.16	-	-	160.16
	उप योग	**5,013.71**	**1,745.93**	**1,338.55**	**5,421.09**
	अनुपयोगी सीडब्ल्यूआईपी के लिए प्रावधान	435.97	-	-	435.97
	योग	**4,577.74**	**1,745.93**	**1,338.55**	**4,985.12**
	टिप्पणः सीडब्ल्यूआईपी से संबंधित टिप्पण संख्या 34.32 देखें।				
	प्रासंगिक व्यय का आबंटन नहीं किया गया।				
	बिजली	0.21			0.14
	विविध व्यय	0.68			1.14
	विधिक व्यय	0.11			0.00
	प्रतिभूति व्यय	10.78			10.49
	मूल्यह्रास	0.14			0.14
	योग	**11.92**			**11.91**
	अंतरित	11.92			11.91
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	-			-
	योग	**-**			**-**
13	**चल रहे पूँजीगत कार्य (अमूर्त)**				
	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	14.91	-	14.91	-
	उप योग	**14.91**	**-**	**14.91**	**-**
	प्रावधान	2.10	-	2.10	-
	योग	**12.81**	**-**	**12.81**	**-**

टिप्पण – विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों की आयु से संबंधित टिप्पण संख्या 34.33 देखें।

(राशि लाख रुपये में)

विवरण		की स्थिति के अनुसार बाजार मूल्य	स्थिति के अनुसार बही मूल्य	स्थिति के अनुसार बही मूल्य	की स्थिति के अनुसार बाजार मूल्य	स्थिति के अनुसार बही मूल्य	स्थिति के अनुसार बही मूल्य
		31.03.2025	31.03.2025	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2024	31.03.2024
14	**गैर चालू निवेश (गैर व्यापार)**						
क	**लागत पर इक्विटी शेयर (पूर्णतया प्रदत्त): उद्धरित**						
i)	आंध्र सीमेंट कंपनी लिमिटेड के ₹10/- प्रति शेयर के 31 इक्विटी शेयर। एनएसई पर बाजार मूल्य ₹48.88 प्रति शेयर (पिछले वर्षरू ₹78.04 प्रति शेयर)	0.02		*	0.02		*
ii)	एसीसी लिमिटेड के ₹10/- प्रति शेयर के 280 इक्विटी शेयर (180 बोनस शेयर सहित) (नीचे नोट 1) एनएसई पर बाजार मूल्य @ ₹1942.65 प्रति शेयर (पिछले वर्षरू ₹2491.70 प्रति शेयर)	5.44		0.01	6.98		0.01
	उप योग			**0.01**			**0.01**
ख	**लागत पर इक्विटी शेयर (पूर्णतया प्रदत्त): अनुद्धरित**						
i)	असम बंगाल सीमेंट कं. लि. का 10 रुपये का 1 इक्विटी शेयर(नीचे टिप्पण 2)			*			*
ii)	जयपुर उद्योग लि. के 10 रुपये के प्रति इक्विटी शेयर के 79 इक्विटी शेयर			0.01			0.01
iii)	स्टोन वैली सीमेंट कं. लि. के 5 रुपये के प्रति इक्विटी शेयर के 40 इक्विटी शेयर			*			*
iv)	ए पी गैस पॉवर कारपोरेटशन लि. के 2315520 बोनस शेयर सहित 10 रुपये के प्रति इक्विटी शेयर के 55,31,250 इक्विटी शेयर		322.00			322.00	
	घटाएं: 1,34,000 बोनस शेयर सहित बेचे गये 16,10,680 शेयर		94.04			94.04	
	21,81,520 बोनस शेयर सहित शेष 39,20,570 शेयर			227.96			227.96
	उप योग			**227.97**			**227.97**
	योग (क+ख)			**227.98**			**227.98**

विवरण		की स्थिति के अनुसार बाजार मूल्य	स्थिति के अनुसार बही मूल्य	स्थिति के अनुसार बही मूल्य	की स्थिति के अनुसार बाजार मूल्य	स्थिति के अनुसार बही मूल्य	स्थिति के अनुसार बही मूल्य
		31.03.2025	31.03.2025	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2024	31.03.2024
	कुल उद्धरित निवेश						
	लागत			0.02			0.02
	बाजार मूल्य	5.45			7.00		
	कुल अनुद्धरित निवेश						
	लागत			227.96			227.96
	योग			**227.98**			**227.98**

टिप्पण:

1) 100 रुपये प्रति शेयर के 28 शेयरों से परिवर्तित। नए शेयर प्रमाणपत्र की प्रतीक्षा है।

2) शेयर अभी निगम के नाम में अंतरित किए जाने हैं।

* राशि 0.01 लाख रुपये से कम है।

सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
वित्तीय विवरणों पर टिप्पण

(राशि लाख रुपये में)

		31 मार्च, 2025 तक		31 मार्च, 2024 तक	
15	**दीर्घावधिक ऋण एवं अग्रिम**				
क)	**अग्रिम पूंजी**				
	प्रतिभूत, अच्छे माने गए	-		-	
	अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	207.20		207.20	
	संदिग्ध	18.59		18.59	
	घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिम हेतु अनुमतियां	18.59		18.59	
	उप योग		**207.20**		**207.20**
ख)	**संविदाकार एवं आपूर्तिकर्ता**				
	प्रतिभूत, अच्छे माने गए	-		-	
	अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	326.99		77.04	
	संदिग्ध	496.74		470.63	
	घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिम हेतु अनुमतियां	496.74		470.63	
	उप योग		**326.99**		**77.04**
ग)	**सरकारी विभागों में शेष**				
	सरकारी विभागों में शेष	0.38		0.38	
	प्रतिभूत, अच्छे माने गए	80.19		80.19	
	अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	151.20		151.20	
	घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिम हेतु अनुमतियां	151.20		151.20	
	उप योग		**80.57**		**80.57**
घ)	**बीमा एवं अन्य दावे**				
	प्रतिभूत, अच्छे माने गए	7.52		7.52	
	अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	14.44		12.91	
	संदिग्ध	134.01		133.84	
	घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिम हेतु अनुमतियां	134.01		133.84	
	उप योग		**21.96**		**20.43**
ङ)	**कर्मचारियों को ऋण एवं अग्रिम**				
	प्रतिभूत, अच्छे माने गए	-		3.16	
	अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	0.14		0.60	
	संदिग्ध	3.53		0.37	
	घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिम हेतु अनुमतियां	3.53		0.37	

		31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
	उप योग	**0.14**	**3.76**
च)	**वसूली योग्य दावे – रेलवे**		
	प्रतिभूत, अच्छे माने गए	-	-
	अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	13.44	13.44
	संदिग्ध	406.06	406.06
	घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिम हेतु अनुमतियां	406.06	406.06
	उप योग	**13.44**	**13.44**
छ)	**वसूली योग्य उत्पाद शुल्क राहत**		
	प्रतिभूत, अच्छे माने गए	-	-
	अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	27.55	79.71
	संदिग्ध	132.38	80.21
	घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिम हेतु अनुमतियां	132.38	80.21
	उप योग	**27.55**	**79.71**
ज)	**कर्मचारियों से वसूली योग्य**		
	प्रतिभूत, अच्छे माने गए	0.03	0.31
	अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	0.05	0.10
	संदिग्ध	7.94	7.51
	घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिम हेतु अनुमतियां	7.94	7.51
	उप योग	**0.08**	**0.41**
झ)	**बाहरी पक्षकारों से वसूली योग्य**		
	प्रतिभूत, अच्छे माने गए	-	-
	अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	1,656.36	1,957.20
	संदिग्ध	949.52	673.94
	घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिम हेतु अनुमतियां	949.52	673.94
	उप योग	**1,656.36**	**1,957.20**
ञ)	**जांच लंबित होने से कमी, हानियां**		
	प्रतिभूत, अच्छे माने गए	-	-
	अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	-	-
	संदिग्ध	589.52	589.52
	घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिम हेतु अनुमतियां	589.52	589.52
	उप योग	**-**	**-**
	योग	**2,334.29**	**2,439.76**

सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
वित्तीय विवरणों पर टिप्पण (राशि लाख रुपये में)

विवरण		31 मार्च, 2025 तक		31 मार्च, 2024 तक	
16	**अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियां**				
	दीर्घावधिक व्यापार प्राप्यः				
	प्रतिभूत, अच्छे माने गए	-		-	
	अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	-		-	
	संदिग्ध	1,514.52		1,514.52	
	घटाएं: संदिग्ध प्राप्यों हेतु अनुमतियां	1,514.52		1,514.52	
	उप योग		**-**		**-**
	जमाः केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	-		-	
	प्रतिभूत, अच्छे माने गए	23.47		18.00	
	अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	0.44		0.44	
	संदिग्ध	0.02		0.02	
	घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिम हेतु अनुमतियां	0.02		0.02	
	उप योग		**23.91**		**18.44**
	जमाएं: अन्य	-		-	
	प्रतिभूत, अच्छे माने गए	0.03		0.03	
	अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	1,526.70		1,618.24	
	संदिग्ध	54.78		53.66	
	घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिम हेतु अनुमतियां	54.78		53.66	
	उप योग		**1,526.73**		**1,618.27**
	ऋणों एवं अग्रिमों पर उपचित एवं देय ब्याज				
	प्रतिभूत, अच्छे माने गए	-		-	
	अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	2.09		2.09	
	संदिग्ध	-		-	
	घटाएं: संदिग्ध प्राप्यों हेतु अनुमतियां	-		-	
	उप योग		**2.09**		**2.09**
	रिपोर्टिंग तिथि से 12 महीने से अधिक की परिपक्वता अवधि वाली सावधि जमाएँ*		1,210.72		2,147.10
	अग्रिम कर (प्रावधान का निवल)		233.55		230.59
	एमएटी क्रेडिट पात्रता		2,309.68		2,029.94
	योग		**5,306.68**		**6,046.43**
17	**अपरिशोधित व्यय**				
	उत्खनन विकास पर व्यय				
	वर्ष के आरंभ में	1,977.46		1,868.47	
	परिवर्धन	187.49		447.18	
			2,164.95		2,315.65
	घटाएं: पूंजीकृत/समायोजित		268.82		338.18
	योग		**1,896.13**		**1,977.47**
18	**चालू निवेश**				
	गैर व्यापार निवेष		-		-
	योग		**-**		**-**

टिप्पणः सावधि जमा में 973.72 लाख रुपये (गत वर्ष 2147.1 लाख रुपये) की जमा राशि सम्मिलित है, जो ग्राहक/अन्य के पास धरोहर राशि जमा/प्रतिभूति जमा/विभागों/विनयामकों आदि के लेखा में बैंक गारंटी/साख पत्र के सापेक्ष मार्जिन मनी के रूप में धारित है।

सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
वित्तीय विवरणों पर टिप्पण

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
–सावधि जमा (बैंक गारंटी/साख पत्र के विरुद्ध मार्जिन मनी के रूप में धारित)	973.72	2,147.10

(राशि लाख रुपये में)

विवरण		31 मार्च, 2025 तक		31 मार्च, 2024 तक	
19	**मालसूचियां (प्रबंधन द्वारा यथा सत्यापित, मूल्यांकित एवं प्रमाणित)**				
क)	स्टोर एवं स्पेयर्स:				
	स्टॉक में	6,843.30		7,219.82	
	मार्गस्थ	14.39	6,857.69	11.41	7,231.23
ख)	चल रहे कार्य:				
	स्टॉक में	6,351.38		7,129.33	
	मार्गस्थ	-	6,351.38	-	7,129.33
ग)	तैयार माल:				
	स्टॉक में	1,015.92		1,299.80	
	मार्गस्थ	7.75	1,023.67	26.07	1,325.87
घ)	कच्चा माल:				
	स्टॉक में	1,140.47		992.16	
	मार्गस्थ	-	1,140.47	-	992.16
ङ)	खुले औजार:				
	स्टॉक में	0.60		0.88	
	मार्गस्थ	-	0.60	-	0.88
च)	पैकिंग सामग्री:				
	स्टॉक में	88.78		127.08	
	मार्गस्थ	-	88.78	-	127.08
छ)	कोयला:				
	स्टॉक में	842.56		1,328.37	
	मार्गस्थ	277.14	1,119.70	308.29	1,636.66
ज)	स्क्रैप:				
	स्टॉक में	213.15		335.89	
	मार्गस्थ	-	213.15	-	335.89
	उप योग		**16,795.44**		**18,779.10**
	घटाएं: मालसूची के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान		589.99		589.99
	योग		**16,205.45**		**18,189.11**

सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
वित्तीय विवरणों पर टिप्पण

(राशि लाख रुपये में)

विवरण		31 मार्च, 2025 तक		31 मार्च, 2024 तक	
20	**व्यापार प्राप्य**				
क)	छः माह से अधिक अवधि से बकाया				
	प्रतिभूत, अच्छे माने गए	-		-	
	अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	120.30		140.56	
	संदिग्ध	-		-	
	घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध प्राप्यों हेतु अनुमतियां	-	120.30	-	140.56
ख)	अन्य				
	प्रतिभूत, अच्छे माने गए	69.97		118.92	
	अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	262.18		248.55	
	संदिग्ध	-		-	
	घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध प्राप्यों हेतु अनुमतियां	-	332.15	-	367.47
	योग		**452.45**		**508.03**
21 (i)	**नकदी एवं नकदी के समकक्ष**				
	हाथ में नकदी		0.90		0.83
	बैंक में शेष:				
	चालू खाता		561.48		1,021.16
	–सावधि जमा (मूल परिपक्वता अवधि 3 महीने तक)		79.01		200.03
	योग		**641.39**		**1,222.02**
21 (ii)	**अन्य बैंक शेष**				
	सावधि जमा* (मूल परिपक्वता अवधि रिपोर्टिंग तिथि से तीन महीने से अधिक किंतु बारह महीने से कम)		22,331.02		25,422.70
	योग		**22,331.02**		**25,422.70**

टिप्पण:

सावधि जमा में 1701.52 लाख रुपये (गत वर्ष 1357.23 लाख रुपये) की जमा राशि सम्मिलित है, जो ग्राहक/अन्य के पास धरोहर राशि जमा/प्रतिभूति जमा/विभागों/विनियामकों आदि के लेखा में बैंक गारंटी/साख पत्र के सापेक्ष मार्जिन मनी के रूप में धारित है।

सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
वित्तीय विवरणों पर टिप्पण

(राशि लाख रुपये में)

विवरण		31 मार्च, 2025 तक		31 मार्च, 2024 तक	
22	**अल्पावधिक ऋण एवं अग्रिम**				
क)	**जमाः केन्द्रीय उत्पाद शुल्क**				
	प्रतिभूत, अच्छे माने गए	-		-	
	अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	-		17.80	
	संदिग्ध	17.53		-	
	घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिम हेतु अनुमतियां	17.53		-	
	उप योग		**-**		**17.80**
ख)	**जमाः अन्य**				
	प्रतिभूत, अच्छे माने गए	-		-	
	अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	1,222.83		927.05	
	संदिग्ध	-		-	
	घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिम हेतु अनुमतियां	-		-	
	उप योग		**1,222.83**		**927.05**
ग)	**संविदाकार एवं आपूर्तिकता**				
	प्रतिभूत, अच्छे माने गए	-		-	
	अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	858.91		967.48	
	संदिग्ध	-		-	
	घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिम हेतु अनुमतियां	-		-	
	उप योग		**858.91**		**967.48**
घ)	**सरकारी विभागों में शेष**				
	प्रतिभूत, अच्छे माने गए	533.91		536.31	
	अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	133.99		59.29	
	संदिग्ध	-		-	
	घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिम हेतु अनुमतियां	-		-	
	उप योग		**667.90**		**595.60**
ङ)	**बीमा एवं अन्य दावे**				
	प्रतिभूत, अच्छे माने गए	11.94		8.61	
	अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	275.40		242.57	
	संदिग्ध	-		-	
	घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिम हेतु अनुमतियां	-		-	
	उप योग		**287.34**		**251.18**

सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
वित्तीय विवरणों पर टिप्पण

(राशि लाख रुपये में)

विवरण		31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
च)	**कर्मचारियों को ऋण एवं अग्रिम**		
	प्रतिभूत, अच्छे माने गए	3.72	4.93
	अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	-	-
	संदिग्ध	-	-
	घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिम हेतु अनुमतियां	-	-
	उप योग	**3.72**	**4.93**
छ)	**कर्मचारियों से वसूली योग्य**		
	प्रतिभूत, अच्छे माने गए	13.99	12.60
	अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	12.23	8.71
	संदिग्ध	-	-
	घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिम हेतु अनुमतियां	-	-
	उप योग	**26.22**	**21.31**
ज)	**बाहरी पक्षकारों से वसूली योग्य**		
	प्रतिभूत, अच्छे माने गए	0.70	-
	अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	405.48	420.74
	संदिग्ध	-	-
	घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिम हेतु अनुमतियां	-	-
	उप योग	**406.18**	**420.74**
	योग	**3,473.10**	**3,206.09**
23	**अन्य चालू परिसंपत्तियां**		
	सावधि जमा पर उपचित ब्याज	1,081.31	1,158.99
	बाहरी पक्षकारों से वसूली योग्य –अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	604.29	721.99
	योग	**1,685.60**	**1,880.98**

सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
वित्तीय विवरणों पर टिप्पण

(राशि लाख रुपये में)

विवरण		31 मार्च, 2025 तक		31 मार्च, 2024 तक	
24	**अन्य आय**				
	संपत्ति से किराया		2,637.96		2,112.63
	ब्याजः				
	बैंक में सावधि जमा		2,000.03		1,915.21
	अन्य		51.83		56.14
	टाउनशिप से प्राप्तियां		47.43		53.82
	आधिक्य प्रावधान/प्रतिलिखित शेष (टिप्पण संख्या–34.23 देखें)		5,520.21		227.93
	विविध आय		749.97		492.41
	पूर्वावधि आय (निवल) (टिप्पण संख्या–31ख देखें)		453.29		566.74
	परित्यक्त संपत्ति की बिक्री पर लाभ		-		207.08
	योग		**11,460.72**		**5,631.96**
25	**उपभुक्त कच्चे माल की लागत**				
	प्रारंभिक शेष	992.16		1,029.61	
	वर्ष के दौरान अधिग्रहणः				
	चूने पत्थर का उत्थापन, उत्खनन एवं ढुलाई [(1)]	2,969.73		3,757.40	
	अन्य कच्चे माल की खरीदी	1,885.12	5,847.01	1,867.73	6,654.74
	घटाएः अंतिम स्टॉक		1,140.47		992.16
	उपभुक्त कच्चा माल		**4,706.54**		**5,662.58**
[(1)]	**चूने पत्थर का उत्थापन, उत्खनन एवं ढुलाई**				
	चूने पत्थर का उत्थापन एवं संविदाकारों को संदाय		828.27		1,257.31
	कर्मचारियों का पारिश्रमिक एवं हितलाभ,				
	वेतन, मजदूरी एवं बोनस	317.87		338.43	
	प्रदत्त उपदान	16.15		32.21	
	कर्मचारियों को हितलाभ	0.03		0.68	
	भविष्य निधि में अंशदान	27.11		26.23	
	पेंशन निधि में अंषदान	3.45		3.71	

सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
वित्तीय विवरणों पर टिप्पण

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2025 तक		31 मार्च, 2024 तक	
छुट्टी नकदीकरण	11.34		13.85	
चिकित्सा व्यय	3.99		4.66	
अर्जित छुट्टी हेतु प्रावधान	3.41	383.35	4.69	424.46
उपभुक्त भंडार				
सकल राशि	366.77		473.20	
घटाएं: मरम्मत में सम्मिलित राशि	187.98	178.79	219.59	253.61
बिजली	78.15		81.95	
ईंधन	23.73		34.24	
दर एवं कर	10.33		16.35	
संविदा श्रमिकों को भुगतान	399.94		386.47	
रॉयल्टी एवं उपकर	760.37		1,149.11	
अपलिखित उत्खनन विकास व्यय	268.82		338.18	
यात्रा व्यय	0.98		1.33	
बीमा	0.61		0.80	
अन्य व्यय	35.89	1,578.82	41.18	2,049.61
मरम्मत				
–मशीनरी	11.91		2.91	
–भवन	0.06		1.41	
–अन्य	176.02	187.99	215.27	219.59
उप योग		**3,157.22**		**4,204.58**
घटाएं: उत्खनन विकास व्यय, टिप्पण संख्या 17 में अंतर्गत		187.49		447.18
योग		**2,969.73**		**3,757.40**

सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
वित्तीय विवरणों पर टिप्पण

(राशि लाख रुपये में)

विवरण		31 मार्च, 2025 तक		31 मार्च, 2024 तक	
26	**तैयार माल, चल रहे कार्य एवं बिक्री माल की मालसूचियों में परिवर्तन**				
	अर्द्ध तैयार माल				
	–प्रारंभिक स्टॉक	7,129.33		4,950.94	
	–अंतिम स्टॉक	6,351.38	777.95	7,129.33	(2,178.39)
	तैयार माल				
	–प्रारंभिक स्टॉक	1,299.80		859.83	
	–अंतिम स्टॉक	1,015.92	283.88	1,299.80	(439.97)
	मार्गस्थ तैयार माल				
	–प्रारंभिक स्टॉक	26.07		77.96	
	–अंतिम स्टॉक	7.75	18.32	26.07	51.89
	स्क्रैप स्टॉक				
	–प्रारंभिक स्टॉक	335.89		316.04	
	–अंतिम स्टॉक	213.15	122.74	335.89	(19.85)
	योग		**1,202.89**		**(2,586.32)**
27	**कर्मचारी हितलाभ व्यय**				
	वेतन, मजदूरी एवं बोनस		3,873.36		4,048.14
	प्रदत्त उपदान		469.06		443.10
	कर्मचारियों को हितलाभ		6.41		10.81
	छुट्टी नकदीकरण		384.68		280.29
	भविष्य निधि में अंशदान		320.88		329.20
	पेशन निधि में अंशदान		27.06		31.00
	चिकित्सा व्यय		241.33		258.72
	अर्जित छुट्टी हेतु प्रावधान		54.66		88.43
	उपदान हेतु प्रावधान		32.77		9.43
	कर्मचारी कल्याण व्यय		97.56		110.80
	योग		**5,507.77**		**5,609.92**

सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
वित्तीय विवरणों पर टिप्पण

(राशि लाख रुपये में)

विवरण		31 मार्च, 2025 तक		31 मार्च, 2024 तक	
28	**वित्तीय लागत**				
	अन्य उधारी लागत				
	–अन्य	52.83		16.59	
	योग	**52.83**		**16.59**	
29	**मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय**				
	मूल्यह्रास / परिशोधन	1,363.30		1,839.78	
	घटाएः पूर्वावधि में दर्शाई गई राशि	-		524.74	
	उप योग	**1,363.30**		**1,315.04**	
	घटाएः आईईडीसी को अंतरित मूल्यह्रास	0.14		0.14	
	योग	**1,363.16**		**1,314.90**	
30	**अन्य व्यय**				
	बिजली	7,403.88		9,410.61	
	कोयला	10,919.25		16,165.93	
	ईंधन तेल	9.53		9.55	
	किराया	26.48		22.94	
	दर एवं कर	185.15		328.66	
	बीमा	22.26	18,566.55	36.22	25,973.91
	मरम्मत एवं रखरखाव				
	–संयत्र एवं मशीनरी	1,488.25		1,796.08	
	–भवन	66.55		138.20	
	–अन्य	285.22	1,840.02	350.48	2,284.76
	–अन्य उत्पादन व्यय		566.78		612.61
	अपलिखत उपकरण एवं रस्से		0.32		0.45
	यात्रा व्यय		93.91		94.01
	बिक्री व्यय				
	–सीमेंट पर भाड़ा	1,878.86		2,550.31	
	–चढ़ाई–उतराई खर्चे	64.66		161.73	
	–गोदाम खर्चें	-		14.90	
	–बिक्री संवर्धन एवं प्रचार	61.93		42.95	
	–अन्य बिक्री व्यय	3.12	2,008.57	13.87	2,783.76
	वाहन परिचालन व्यय		25.26		26.56
	लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक				

सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
वित्तीय विवरणों पर टिप्पण

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2025 तक		31 मार्च, 2024 तक	
–लेखापरीक्षा हेतु	8.85		8.85	
–व्ययों की प्रतिपूर्ति हेतु	0.15		0.15	
–अन्य क्षमता में	1.86	10.86	1.86	10.86
–लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक की लागत				
–लेखापरीक्षा हेतु	1.15		0.95	
–व्ययों की प्रतिपूर्ति हेतु	-	1.15	0.04	0.99
सीआरआई एवं अन्यों को अभिदान		2.92		5.47
संचार व्यय		16.00		12.52
मुद्रण एवं स्टेषनरी		19.61		20.87
विधिक एवं वृत्ति व्यय		180.20		154.60
सुरक्षा व्यय		622.45		696.90
स्टॉकिस्टों/अन्य से जमा पर ब्याज		45.75		899.27
विविध व्यय (1)		320.98		416.79
संविदा श्रमिकों को भुगतान		1,764.38		1,743.02
बंद परियोजना पर व्यय		11.91		11.92
संदिग्ध प्राप्यों एवं अग्रिमों के लिए प्रावधान*		458.66		-
कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व		31.45		42.98
भंडार एवं पुर्जों की खपतः				
–सकल राशि	1,769.10		2,538.80	
–घटाएंः मरम्मत एवं रखरखव सहित	1,158.42	610.68	1,643.08	895.72
पैकिंग सामाग्री		1,017.40		1,179.25
उप योग		**28,215.81**		**37,867.22**
घटाएंः आईईडीसी के खाते में अंतरित				
बिजली व्यय		0.14		0.21
विधिक एवं वृत्तिक व्यय		-		0.11
प्रतिभूति व्यय		10.49		10.78
विविध व्यय		1.14		0.68
योग		**28,204.04**		**37,855.44**
(1) सम्मिलितः				
–'परिसंपत्तियों की बिक्री पर कमीशन (एनओयू)		-		108.64
–परिसंपत्तियों के अधित्यजन पर हानि		-		6.56
–निदेशकों को बैठक में उपस्थिति हेतु शुल्क		6.86		5.70

*टिप्पणः टिप्पण संख्या 34.23 देखें

सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
वित्तीय विवरणों पर टिप्पण

(राशि लाख रुपये में)

विवरण		31 मार्च, 2025 तक		31 मार्च, 2024 तक	
31	**अपवादात्मक, असाधारण मदें एवं गत वर्षों से संबंधित समायोजन**				
31क क	**अपवादात्मक मदें**				
	आयः				
	ब्याज आदि का अधित्याग		-		96.63
	परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ		-		10,080.90
	उप योग		**-**		**10,177.53**
	व्ययः				
	परिसंपत्तियों की बिक्री/अधित्यजन पर हानि		-		235.40
	उप योग		**-**		**235.40**
	निवल अपवादात्मक मदों की आय/(व्यय)		**-**		**9,942.13**
31क ख	**असाधारण मदें**				
	आयः				
	उप योग		-		-
	व्ययः				
	.		-		-
	उप योग		-		-
	निवल असाधारण मदों आय/(व्यय)		-		-
31ख	**पूर्वावधि मदें**				
	आयः				
	ब्याज	-		-	
	स्टोर और स्पेयर्स, सामग्री, मूल्यह्रास और अन्य	479.18	479.18	1,541.02	1,541.02
	योग		**479.18**		**1,541.02**
	व्ययः				
	मरम्मत एवं रखरखाव	-		335.18	
	दर एवं कर	2.44		15.05	
	मूल्यह्रास एवं परिशोधन	-		524.74	
	स्टोर और स्पेयर्स, सामग्री, मूल्यह्रास और अन्य	23.45		99.31	
	योग		**25.89**		**974.28**
	निवल पूर्वावधि आय/(व्यय)		**453.29**		**566.74**

31 ग प्रचालन एवं अप्रचालन के राजस्व एवं व्यय की विवरण

	विवरण	प्रचालित		अप्रचालित		कुल	
		31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
क	राजस्वः						
	टर्नओवर (निवल)	32,521.78	41,705.51	-	-	32,521.78	41,705.51
	अन्य प्रचालन राजस्व	159.55	98.76	-	-	159.55	98.76
	तैयार माल, चल रहा कार्य और बिक्री हेतु तैयार मालसूचियों में परिवर्तन	(1,202.89)	2,803.08	-	(216.76)	(1,202.89)	2,586.32
	योग	**31,478.44**	**44,607.35**	**-**	**(216.76)**	**31,478.44**	**44,390.59**
ख	**व्ययः**						
	प्रचालन व्यय (व्यय/आबंटित आय का निवल योग सहित)	40,353.58	48,881.15	(572.07)	1,561.69	39,781.51	50,442.84
	योग	**40,353.58**	**48,881.15**	**(572.07)**	**1,561.69**	**39,781.51**	**50,442.84**
ग	**प्रचालन गतिविधियों से ब्याज एवं कर पूर्व लाभ/(हानि)**	**(8,875.14)**	**(4,273.80)**	**572.07**	**(1,778.45)**	**(8,303.07)**	**(6,052.25)**
	ब्याज खर्च	52.83	16.59	-	-	52.83	16.59
घ	**कर पूर्व लाभ/(हानि)**	**(8,927.97)**	**(4,290.39)**	**572.07**	**(1,778.45)**	**(8,355.90)**	**(6,068.84)**
	आय कर	-	-	-	-	-	-
ङ	**प्रचालन गतिविधियों से करोपरांत लाभ/(हानि)**	**(8,927.97)**	**(4,290.39)**	**572.07**	**(1,778.45)**	**(8,355.90)**	**(6,068.84)**
	अन्य आय	10,455.58	4,808.45	1,005.14	823.51	11,460.72	5,631.96
च	अपवादात्मक मदें – आय/(व्यय)	-	-	-	9,942.13	-	9,942.13
छ	असाधारण मदें– आय/(व्यय)	-	-	-	-	-	-
ज	**प्रचालन गतिविधियों से निवल लाभ/(हानि)**	**1,527.61**	**518.06**	**1,577.21**	**8,987.19**	**3,104.82**	**9,505.25**

सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
वित्तीय विवरणों पर टिप्पण

(राशि लाख रुपये में)

विवरण		31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
32	**आकस्मिक देनदारियां एवं प्रतिबद्धताएं (प्रावधान न किए जाने की सीमा तक)**		
क)	**आकस्मिक देनदारियां**		
(i)	कंपनी के विरुद्ध ऐसे दावे जिन्हें कर्ज के तौर पर स्वीकार नहीं किया गया है।		
क)	आय कर मांग	178.79	10.15
ख)	तांदूर एवं बोकाजन इकाई आदि से बिक्री कर की मांग	590.42	546.13
ग)	बोकाजन विस्तार संविदा	11,513.00	11,513.00
घ)	मध्यस्थता मामले	703.46	595.23
ङ)	अलकतरा के संबंध में न्यूनतम टेरिफ प्रभार	1,151.50	1,151.50
च)	इकाईयों के संबंध में विद्युत ह्वीलिंग प्रभार	43,209.12	38,724.06
छ)	अन्य विविध मामले	7,492.95	5,005.84
(ii)	ऐसी अन्य धनराशि जिसके लिए कंपनी आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है।	-	-
	उप योग	**64,839.24**	**57,545.91**
ख.	**प्रतिबद्धताएं**		
क)	पूंजीगत लेखाओं में निष्पादित किए जाने के लिए शेष संविदाओं की अनुमानित राशि एवं जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है	88.24	674.25
	उप योग	**88.24**	**674.25**
	योग (क+ख)	**64,927.48**	**58,220.16**

टिप्पण:

विभिन्न न्यायालयों में कर्मचारियों के सेवा मामलों से संबंधित मुआवजे/पदोन्नति/दावों आदि के लंबित मामलों का प्रभाव लेखा बहियों में नहीं दिया गया है चूंकि तत्संबंधी राशि का आकलन नहीं किया जा सका।

सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
वित्तीय विवरणों पर टिप्पण

(लाख रुपये में)

विवरण		31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार	
33	**मात्रात्मक विवरण**				
1	**वास्तविक उत्पादन**				
	पोर्टलैंड सीमेंट				
	–साधारण	357,965.00	M Tonnes	468,247.00	M Tonnes
	–पोजोलाना	307,830.00	M Tonnes	381,423.00	M Tonnes
		665,795.00	M Tonnes	**849,670.00**	M Tonnes
2	**क्लिंकर (सीमेंट तैयार होने से पूर्व की सामग्री और एक अतिरिक्त उत्पाद)**				
	–स्वयं का विनिर्माण	554,255.00	M Tonnes	829,980.00	M Tonnes
	–खरीदी	-	M Tonnes	-	M Tonnes
3	**सीमेंट का प्रेषण**	672,639.57	M Tonnes	842,415.40	M Tonnes
		मात्रा मीट्रिक टन में	**मूल्य लाख रुपये में**	**मात्रा मीट्रिक टन में**	**मूल्य लाख रुपये में**
4	**प्रारंभिक स्टॉक**				
क)	सीमेंट				
i)	फैक्ट्री में स्टॉक				
	–सीमेंट ओपीसी	17,208.92	790.47	12,507.14	495.51
	–सीमेंट पीपीसी	10,884.47	475.84	8,331.65	316.00
ii)	डंप में स्टॉक				
	–सीमेंट ओपीसी	491.85	25.27	663.30	34.41
	–सीमेंट पीपीसी	178.85	8.22	326.75	13.91
iii)	मार्गस्थ स्टॉक				
	–सीमेंट ओपीसी	218.50	15.66	948.60	43.40
	–सीमेंट पीपीसी	334.50	10.41	870.80	34.56
iv)	क्षतिग्रस्त सीमेंट				
	–सीमेंट ओपीसी	595.60	-	2,515.95	-
	–सीमेंट पीपीसी	-	-	3,015.50	-
	उप योग	**29,912.69**	**1,325.87**	**29,179.69**	**937.79**
ख)	क्लिंकर (स्वयं का विनिर्माण)	212,215.33	6,328.71	173,355.68	4,006.87
	क्लिंकर (खरीद)	-	-	-	-
	उप योग	**212,215.33**	**6,328.71**	**173,355.68**	**4,006.87**

सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
वित्तीय विवरणों पर टिप्पण

(राशि लाख रुपये में)

विवरण		31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार	
5	**स्वयं के उपभोग/अंतरण इत्यादि सहित निवल बिक्री**				
i)	सीमेंट ओजीसी	360,577.51	32,505.87	466,430.50	41,699.61
ii)	सीमेंट पीपीसी	312,044.42		377,456.20	
iii)	परीक्षण हेतु प्रयुक्त सीमेंट	508.09	-	0.04	-
iv)	मार्गस्थ होने के दौरान सीमेंट की कमी	-	-	19.92	-
v)	ओपीसी का स्वयं का उपभोग	79.75	3.86	16.25	0.99
vi)	पीपीसी का स्वयं का उपभोग	270.20	12.05	78.24	4.91
		673,479.97	**32,521.78**	**844,001.15**	**41,705.51**
vii)	क्लिंकर	-	-	-	-
6	**अंतिम स्टॉक**				
क)	सीमेंट				
i)	फैक्ट्री में स्टॉक				
	–सीमेंट ओपीसी	14,578.90	713.91	17,208.92	790.47
	–सीमेंट पीपीसी	6,669.93	291.23	10,884.47	475.84
ii)	डंप में स्टॉक				
	–सीमेंट ओपीसी	110.15	5.25	491.85	25.27
	–सीमेंट पीपीसी	123.15	5.53	178.85	8.22
iii)	मार्गस्थं स्टॉक				
	–सीमेंट ओपीसी	75.00	4.02	218.50	15.66
	–सीमेंट पीपीसी	75.00	3.73	334.50	10.41
iv)	क्षतिग्रस्त सीमेंट				
	–सीमेंट ओपीसी	595.60	-	595.60	-
	–सीमेंट पीपीसी	-	-	-	-
	उप योग	**22,227.73**	**1,023.67**	**29,912.69**	**1,325.87**
ख)	क्लिंकर (स्वयं का विनिर्माण)	172,877.61	5,301.65	212,215.33	6,328.71
	क्लिंकर (खरीद)	-	-	-	-
	उप योग	**172,877.61**	**5,301.65**	**212,215.33**	**6,328.71**
7	**अन्य**				
i)	अन्य इकाईयों को/(से) अंतरित क्लिंकर	-	-	-	-
ii)	स्क्रैप के रूप में बेचा गया सीमेंट	-	-	4,935.85	-

सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
वित्तीय विवरणों पर टिप्पण

(राशि लाख रुपये में)

विवरण		31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार	
iii)	स्क्रैप के रूप में बेचा गया क्लिंकर	12,166.72	91.73	17,593.35	192.20
	योग	**12,166.72**	**91.73**	**22,529.20**	**192.20**
8	**सीमेंट की ग्राइंडिंग हेतु प्रयुक्त क्लिंकर**	581,426.00	24,380.46	773,527.00	30,066.16
9	**उपभुक्त कच्चा माल**				
i)	चूना पत्थर	802,509.65	2,754.04	1,205,548.92	3,760.28
ii)	लैटराइट	4,099.00	25.54	5,963.00	35.20
iii)	लौह अयस्क	15,466.00	422.30	22,885.00	597.76
iv)	जिप्सम	17,052.00	509.64	24,713.00	726.00
v)	शैल	8,231.00	118.27	-	-
vi)	फ्लाई ऐष	68,868.00	854.41	60,935.00	528.67
vii)	क्लिंकर (खरीद)	-	-	-	-
viii)	जली हुई मिट्टी	996.00	8.91	653.00	5.85
ix)	अन्य	23,085.00	13.43	17,203.00	8.82
	योग		**4,706.54**		**5,662.58**
10	**निम्नलिखित के संबंध में सीआईएफ आधार पर परिकलित आयातित माल का मूल्य**				
i)	कच्चा माल	-	-	-	-
ii)	संघटक एवं अतिरिक्त पुर्जे	-	-	-	-
iii)	पूंजीगत माल	-	-	-	-
	योग		**-**		**-**
11	**सीधे आयातित एवं स्वदेशी उपलब्ध कच्चे माल, अतिरिक्त पुर्जे जिसका उपभोग किया गया एवं प्रत्येक के कुल खपत का प्रतिशतः**				
	सीधे आयातित	0.75%	48.79	0.75%	61.61
	स्वदेशी उपलब्धता	99.25%	6,426.85	99.25%	8,139.77
		100.00%	6,475.64	100.00%	8,201.38

सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
वित्तीय विवरणों पर टिप्पण

34 वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाली टिप्पण

34.01 निगम द्वारा 99,634.00 लाख रुपये (गत वर्ष 99,634.00 लाख रुपये) के दावे विभिन्न न्यायालयों आदि में मध्यस्थता के अंतर्गत/लंबित हैं और इसके परिणाम केवल निर्णय/डिक्री आदि पर ज्ञात हो पाएंगे। इसलिए लेखाओं में इसका प्रभाव नहीं दिया गया है।

34.02 आयकर अधिनियम 1961 की धारा 143(3) के अधीन वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए कर निर्धारण के दौरान, कर निर्धारण अधिकारी ने निगम की रिटर्न की गई आय में 183.14 लाख रुपये की वृद्धि की, जिससे 73.36 लाख रुपये की मांग उद्भूत हुई। उक्त कर निर्धारण आदेश से व्यथित होकर, निगम ने आयकर अधिनियम की धारा 246क के अधीन अपील दायर की है और इसे वित्तीय विवरणों में आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया गया है।

34.03 सिलचर इकाई सहित बोकाजन विस्तार का ठेका मेसर्स प्रोमैक इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बैंगलोर (संवदाकारा) को वर्ष 2010 में 18,208 लाख रुपयं में कार्य देश दिया गया था। मैसर्स प्रोमैक इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने कार्य आदेश के अनुसार मध्यस्थता खंड को रद्द कर दिया। सीसीआई ने ठेकेदार के 11,513.00 लाख रुपये के दावे के सापेक्ष 93,013.28 लाख रुपये में सिलचर सहित बोकाजन विस्तार कार्य के न किए जाने के कारण हुए नुकसान/क्षति के लिए भी प्रतिदावा दायर किया। पक्षकार को जारी कार्य आदेश रद्द कर दिया गया है। सिलचर इकाई मामले में विद्वान मध्यस्थ अधिकरण ने सीसीआई के विरुद्ध दिनांक 13.12.23 को निर्णय पारित किया है, सीसीआई ने दिल्ली उच्च न्यायालय में निर्णय को चुनौती दी है, मामला स्वीकृति के चरण में है और बोकाजन इकाई मामले में बहस चल रही है।

34.04 गैर–प्रचालनरत इकाइयों की भूमि के लिए स्वामित्व विलेखों का निष्पादन प्रक्रियाधीन है क्योंकि एमएचआई ने इन गैर–प्रचालनरत इकाइयों की भूमि के विनिवेश और निपटान के लिए निदेश दिए हैं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने ग्राइंडिंग यूनिट और रेलवे साइडिंग की स्थापना के लिए सीसीआई को 20.94 एकड़ लीज भूमि आवंटित की।

डीडीए ने 11 अप्रैल 2017 को अपने पत्र द्वारा सीसीआई की 14.20 एकड़ लीज भूमि, जो ग्राइंडिंग यूनिट की स्थापना के लिए थी, स्वतरू संज्ञान लेते हुए दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) को हस्तांतरित कर दी। 14.20 एकड़ भूमि की कीमत अब ''बाहरी पक्षकारों से वसूली योग्य'' के रूप में दर्शाई गई है, क्योंकि यह एसडीएमसी/डीडीए से वसूली योग्य है। इसके अलावा, एमसीडी ने 22 अप्रैल 2024 को अपने पत्र द्वारा 14.20 एकड़ भूमि के बदले में फिरोजपुर कलां (फरीदाबाद) स्थित एमसीडी की 9 एकड़ भूमि सीसीआई को सौंपने की सूचना दी है। इस संबंध में कार्रवाई चल रही है। सीसीआई के लिए रेलवे साइडिंग के निर्माण हेतु आवंटित शेष 6.74 एकड़ भूमि रेलवे साइडिंग के निर्माण के लिए रेलवे को दे दी गई। उत्तर रेलवे ने दिनांक 01.01.2024 के पत्र द्वारा दिल्ली डिवीजन और निर्माण संगठन को निदेश दिया है और सीसीआई के दावे के मामले पर निर्णय लेने के लिए विवरण मांगा है।

34.05 खनिज (सरकारी कंपनियों द्वारा खनन) नियम, 2015, दिनांक 03.12.2015 के अनुसार सभी सरकारी कंपनियों को खनन पट्टे प्रदान किए गए माने जाएँगे। तदनुसार, सीसीआई के खनन पट्टे प्रदान किए गए माने जाएँगे और अभी भी मान्य हैं।

34.06 सीसीआई, आदिलाबाद टाउनशिप के बाहर सरकारी भूमि का अधिग्रहण और पंप हाउस से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 तक सड़क के रूप में उपयोग की जाने वाली 32 गुंटा भूमि जिसके लिए राजस्व विभाग से अलगाव आदेश की प्रतीक्षा है, यदि इस प्रतिफल के लिए कोई प्रावधान है तो वह लेखाओं में नहीं दर्शाया गया है।

34.07 स्कोप कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली स्थित कार्यालय भवन, जिसकी लागत 266.58 लाख रुपये है, जिसमें 5.70 लाख रुपये की विद्युत स्थापना शामिल नहीं है, को मान्य स्वामी मानते हुए मूल्यह्रास के माध्यम से अनंतिम रूप से परिशोधित किया जा रहा है।

34.08 रुग्ण औद्योगिक कंपनी (एसपी) अधिनियम, 1985 की धारा 15(1) के अधीन औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को पत्र संख्या एसईसी 84/96/513 दिनांक 25.04.1996 द्वारा एक प्रतिनिर्देष भेजा गया था। कंपनी को माननीय बीआईएफआर के पत्र संख्या 501/96–बेंच IV एसओएल दिनांक 08.08.1996 के माध्यम से रुग्ण घोषित किया गया था। माननीय बीआईएफआर ने 21.03.2006 को हुई अपनी सुनवाई में मेसर्स आईएफसीआई (ओए) द्वारा तैयार और भारत सरकार द्वारा अनुमोदित पुनर्वास योजना को मंजूरी दे दी है। स्वीकृत योजना माननीय बीआईएफआर द्वारा 03.05.2006 को प्रसारित की गई थी, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ सुरक्षित और असुरक्षित लेनदारों के निपटान और 3 प्रचालनरत

संयंत्रों के विस्तार/तकनीकी उन्नयन और शेष 7 गैर–प्रचालनरत संयंत्रों को बंद करने/बेचने की परिकल्पना की गई थी। स्वीकृत योजना के अनुसार, सात इकाइयों को बंद कर दिया गया है। गृह मंत्रालय ने दिनांक 09.02.2022 के पत्र द्वारा इन निष्क्रिय इकाइयों के संयंत्र एवं मशीनरी, भंडार आदि को बेचने का निर्देश दिया है। तदनुसार, अकलतरा, चरखी दादरी, कुरकुंटा, मंधार इकाइयों के संयंत्र एवं मशीनरी सहित अन्य परिसंपत्तियों को मेसर्स एमएसटीसी के माध्यम से बेचा गया।

इसके अलावा, दिनांक 05.03.2025 को नयागांव इकाई की एमएसटीसी ई–नीलामी के परिणाम और संबंधित निविदा की शर्तों के अनुसार, प्लांट एवं मशीनरी, डिस्मेंटलिंग, स्टोर्स और स्पेयर्स सहित, जैसा है जहाँ है और क्लीन स्वीप के आधार पर ₹1,00,300 लाख की राशि का विक्रय उच्चतम बोलीदाता मैसर्स मणिभद्र सेल्स कॉर्पोरेशन को प्रदान किया गया है। इस संबंध में 440.00 लाख रुपये की अग्रिम राशि 31 मार्च, 2025 से पहले ही प्राप्त हो चुकी है।

34.09 (i) ऋणदाताओं, राज्य सरकारों, अन्य सरकारी विभागों और एजेंसियों के संबंध में राहत और रियायतों पर उचित रूप से तब विचार किया जाएगा जब ऐसे भुगतान किए जाएंगे और ऐसी रियायतें/राहतें यथास्थिति, बिना किसी आकस्मिकता के निश्चित हो जाएंगी या इसके लिए अनुमोदन प्राप्त हो जाएगा।

(ii) माननीय बीआईएफआर की दिनांक 03.05.2006 की स्वीकृत योजना के अनुसार, भारत सरकार से 1975 से प्राप्त 15,090.07 लाख रुपये (गत वर्ष 15,090.07 लाख रुपये) की कुल योजना ऋण राशि का भुगतान सात गैर–प्रचालनरत इकाइयों की बिक्री से प्राप्त राशि से किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए गैर–प्रचालनरत ऋण पर अर्जित 12,385.27 लाख रुपये की ब्याज राशि को 01.04.2011 से रोक दिया गया है। कंपनी इस सीमा तक चुकौती में चूक कर चुकी है। ब्याज का भुगतान गैर–प्रचालनरत इकाइयों की बिक्री से प्राप्त राशि से किया जाएगा।

34.10 निम्नलिखित इकाइयों में प्रत्येक इकाई के सामने उल्लिखित तिथियों से उत्पादन बंद कर दिया गया है:

क्र.स.	इकाई का नाम	राज्य	बंद होने की तिथि
i)	मंधार	छत्तीसगढ़	06 जून, 1996
ii)	चरखीदादरी	हरियाणा	14 अगस्त, 1996
iii)	अकलतारा	छत्तीसगढ़	09 दिसंबर, 1996
iv)	नयागांव, नयागांव विस्तार	मध्य प्रदेश	30 जून, 1997
v)	कुरकुन्टा	कर्नाटक	01 नवंबर, 1998
vi)	अदिलाबाद	तेलंगाना	05 नवंबर, 1998
vii) क	दिल्ली सीमेंट ग्राइडिंग यूनिट	दिल्ली	08 फरवरी, 1999
vii) ख	भटिंडा ग्राईडिंग यूनिट	पंजाब	चालू नहीं किया गया

आईएफसीआई (ओए) द्वारा तैयार मसौदा पुनरुद्धार योजना (डीआरएस) को माननीय बीआईएफआर द्वारा दिनांक 21–03–2006 को हुई सुनवाई में अनुमोदित किया गया था और स्वीकृत योजना दिनांक 03–05–2006 को परिचालित की गई थी, जिसमें प्रतिभूत और अप्रतिभूत लेनदारों के निपटान और बंद करने/उपरोक्त 7 अप्रचालरत इकाइयों की बिक्री की परिकल्पना की गई थी। उक्त योजना में उल्लिखित उपरोक्त 7 इकाइयों के संबंध में परिसंपत्तियों का बाजार मूल्य परिसंपत्तियों के बही मूल्य से अधिक है। इसी तरह, बोकाजन, राजबन और तंदूर इकाइयों के संबंध में परिसंपत्तियों का बाजार मूल्य परिसंपत्तियों के बही मूल्य से कहीं अधिक होने की उम्मीद है। इसलिए, किसी भी संभावित हानि का कोई संकेत नहीं है। इस प्रकार लेखाओं में हानि के लिए प्रावधान पर विचार नहीं किया गया है।

34.11 पुनर्वास योजना के कार्यान्वयन के दौरान, 22.03.2007 को सात वर्षों के लिए 35,543.25 लाख रुपये का गैर–संचयी अधिमानी शेयर जारी किया गया था, अवधि समाप्त होने के बाद अधिमनी शेयर को पुनः निर्गमित करने के लिए मंत्रालय से आगे विस्तार मांगा गया है, इस संबंध में प्रतिक्रिया अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

34.12 आस्थगित कर परिसंपत्ति/देनदारियों को आयकर अधिनियम के अंतर्गत स्वीकार्य अवधि के भीतर आस्थगित कर आस्तियों की वसूली की आभासी निश्चितता के अभाव में मान्यता नहीं दी जाती है।

34.13 देनदारियों को चालू और गैर–चालू में वर्गीकृत करने के लिए, इसकी प्रकृति के अलावा स्वीकृत योजना में निहित शर्तों को ध्यान में रखा गया है।

34.14 निगम के व्यवसाय की प्रकृति और भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, लेखा मानक–17 के अधीन रिपोर्टिंग खंड कपंनी पर लागू नहीं होता।

34.15 भारी उद्योग मंत्रालय के पत्र संख्या 1(1)/2017–पीई–XII/सीपीएसई–III दिनांक 09.02.2022 के निर्देशों के आलोक में, नयागांव और आदिलाबाद इकाई के क्रमशः 386.84 लाख रुपये और 5,227.17 लाख रुपये मूल्य के संपत्ति संयंत्र उपस्कर के सकल ब्लॉक (टाउनशिप और भूमि को छोड़कर) को सक्रिय उपयोग से हटा दिया गया है और एएस–10, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अनुपालन में निपटान के लिए रखा गया है। तदनुसार, 2022–23 से मूल्यह्रास की समीक्षा की जा रही है और एएस–10 की अपेक्षाओं के अनुपालन में चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में इस संबंध में आवश्यक प्रविष्टियाँ की जा रही हैं।

34.16 आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115जेबी के प्रावधानों के अनुसार, चालू वित्तीय वर्ष का बही लाभ एमएटी के अधीन है और उक्त राशि को वर्तमान कर व्यय और एमएटी क्रेडिट पात्रता के अंतर्गत भी दर्शाया गया है। एमएटी क्रेडिट एक आस्थगित कर परिसंपत्ति होने के कारण, टिप्पण संख्या 16 में दर्शाया गया है।

34.17 रॉयल्टी, तकनीकी जानकारी, पेशेवर, परामर्श शुल्क, ब्याज और अन्य मामलों के लिए विदेशी मुद्रा में व्यय 0 लाख रुपये (गत वर्ष 0 लाख रुपये) विदेशी मुद्रा में आय 0 लाख रुपये (गत वर्ष 0 लाख रुपये)

34.18 कंपनी (लेयर्स की संख्या पर प्रतिबंध) नियम, 2017 के साथ पठित अधिनियम की धारा 2 के खंड (87) के प्रावधान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के अनुसार कंपनी पर लागू नहीं होतें।

34.19 कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 237 के अंतर्गत किसी भी व्यवस्था योजना में हस्ताक्षर नहीं किया है।

34.20 उपलब्ध सूचना के अनुसार, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 560 के अधीन उल्लिखित हटाई गई कंपनियों के संबंध में कोई लेनदेन नहीं किया है।

34.21 दिशानिर्देशों के अनुसार, आईडीए कर्मचारियों के लिए तीसरा वेतन संशोधन डीपीई द्वारा 29.05.2017 को जारी किया गया है। प्रथा के अनुसार, निदेशक मंडल की सिफारिश को गृह मंत्रालय को अनुमोदन के लिए भेजा गया था। डीएचआई से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त हुआ और इसे लागू कर दिया गया है। राष्ट्रपति के निर्देशों के अनुसार, मंत्रालय ने आईडीए कर्मचारियों के लिए तीसरे वेतन संशोधन को 01 अप्रैल, 2023 से पहले की अवधि के लिए देय बकाया के बिना मंजूरी दे दी है। वर्ष के दौरान लेखा बहियों में इसके लिए प्रावधान की समीक्षा की गई और प्रबंधन के सर्वोत्तम आकलन के आधार पर, 1,986 लाख रुपये के प्रावधान को चालू वित्त वर्ष में प्रतिलिखित किया गया है और माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में कर्मचारी संघ द्वारा किए जा रहे मामले में चल रही कार्यवाही को ध्यान में रखते हुए टिप्पण संख्या 32 में आकस्मिक देयता के रूप में प्रकटन किया गया है।

34.22 कुरकुंटा इकाई के मामले में, पीएसएन मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड (बोलीदाता) से संबंधित 530 लाख रुपये की प्रतिभूत जमा राशि जब्त कर ली गई है और वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान लेखा बहियों में आय के रूप में दर्शाई गई है, क्योंकि इस संबंध में निविदा के नियमों और शर्तों के प्रासंगिक खंडों के अनुसार दायित्वों को पूरा नहीं किया गया है। इस मामले में बोलीदाता द्वारा मध्यस्थता खंड का पहले ही आह्वान किया जा चुका है और आज की तिथि तक उसका निपटान लंबित है। कंपनी निविदा दस्तावेज में निर्धारित नियमों और शर्तों पर विचार करते हुए इस संबंध में अनुकूल निर्णय की अपेक्षा कर रही है।

34.23 वर्ष के दौरान, प्रबंधन ने लेखा–बही में बकाया पुरानी वसूली योग्य और देय शेष राशि की विस्तृत समीक्षा की है और तदनुसार संदिग्ध प्राप्य राशियों के लिए प्रावधान किए हैं और इस संबंध में सभी दस्तावेजों सहित पुरानी शेष राशियों को वापस लिख दिया है। कंपनी ने 2,817.30 लाख रुपये की पुरानी देनदारियों को प्रतिलिखित कर दिया है, जो अब देय नहीं हैं और वर्ष 2024–25 के दौरान 436.43 लाख रुपये की संदिग्ध प्राप्य राशियों के लिए प्रावधान किया है। वित्तीय विवरणों में इसका उचित रूप से प्रकटन किया गया है।

34.24 कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी में व्यापार या निवेश नहीं किया है।

34.25 लेखांकन मानक–29 के अनुसार प्रावधान का विवरण, टिप्पण संख्या 6 एवं 10 देखें।

विवरण	प्रारंभिक शेष		वर्ष के दौरान समायोजन/प्रदत्त		वर्ष के दौरान परिवर्धन		अंतिम शेष	
	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
चल रहे पूंजीगत कार्य	10.57	10.57	-	-	-	-	10.57	10.57
अन्य प्रावधान	4759.57	4182.34	3290.89	432.72	360.46	1009.94	1829.14	4759.56

34.26 कंपनी अधिनियम, 2013 और एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की अनुसूची–III के अधीन यथापेक्षित सूक्ष्म और लघु उद्यमों के संबंध में प्रकटन

(राशि लाख रुपये में)

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	लेखांकन वर्ष के अंत की स्थिति के अनुसार आपूर्तिकर्ता को शेष अप्रदत्त मूल राशि	645.39	924.99
2	लेखांकन वर्ष के अंत में आपूर्तिकर्ता को शेष अप्रदत्त राशि पर ब्याज	295.32	405.24
3	वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि के साथ एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार प्रदत्त ब्याज की राशि	-	-
4	भुगतान करने में विलंब की अवधि के लिए किंतु एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के अधीन निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना, बकाया और देय ब्याज की राशि (जिसका वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद प्रदत्त)	-	-
5	वर्ष के दौरान उपचित ब्याज की राशि और लेखांकन वर्ष के अंत में बकाया राशि	9.45	13.41
6	बाद के वर्षों में भी बकाया और देय ब्याज की राशि, उस तारीख तक जब तक कि एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अधीन कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकृत करने के उद्देश्य से छोटे उद्यमों को उपरोक्त बकाया ब्याज का वास्तव में प्रदत्त किया जाता है।	295.32	405.24

34.27 लेखांकन मानक 15 के अनुसार कर्मचारी के हितलाभ

निगम ने कर्मचारी हितलाभ नीचे दिए गए विवरण में लेखांकन मानक 15 अंगीकृत किया है –

i) भविष्य निधि

निगम एक अलग ट्रस्ट को पूर्व–निर्धारित दरों पर भविष्य निधि (पीएफ) के निश्चित अंषदान का भुगतान करता है जो ध ान को अनुमत प्रतिभूतियों में निवेश करता है। ट्रस्ट को ट्रस्ट के सदस्यों को अंशदान पर न्यूनतम ब्याज दर का भुगतान करना आवश्यक है। भविष्य निधि ट्रस्ट की हानि, यदि कोई हो, निगम वहन करता हैं

ii) उपदान

निगम की एक परिभाषित उपदान योजना है। उपदान अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी उपदान पाने का हकदार है। उपदान के लिए देनदारी को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

iii) छुट्टी नकदीकरण

छुट्टी नकदीकरण उन पात्र कर्मचारियों को देय होता है, जिन्होंने अर्जित छुट्टी (ईएल), अर्ध वेतन छुट्टी (एचपीएल) आदि संचित की है। छुट्टी नकदीकरण के प्रति देनदारी को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

iv) अन्य परिभाषित सेवानिवृत्ति हितलाभ

निगम में अधिवर्शिता के समय कर्मचारियों और आश्रितों के लिए गृह नगर में बंदोबस्त कीयोजना है। इसे बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लाभ–हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

लाभ–हानि विवरण और तुलन पत्र में माने गए विभिन्न परिभाषित हितलाभों का सारांश इस प्रकार है:

क. लाभ–हानि विवरण में माना गया व्यय (राशि लाख रुपये में)

क्र.सं.	विवरण	उपदान		छुट्टी नकदीकरण		अन्य परिभाषित सेवानिवृत्ति हितलाभ	
		31-03-25	31-03-24	31-03-25	31-03-24	31-03-25	31-03-24
क)	वर्तमान सेवा लागत	104.91	102.76	111.13	110.93	0.76	0.72
ख)	ब्याज लागत	164.04	175.10	116.04	113.15	0.94	0.98
ग)	अवधि में मानी गई निवल बीमांकिक (वृद्धि)/हानि	(78.25)	83.25	130.87	67.24	(1.86)	(0.07)
घ)	लाभ–हानि विवरण में माना गया व्यय	190.69	361.11	358.04	291.32	(0.17)	1.63

ख. तुलन पत्र में मानी गई राशि (राशि लाख रुपये में)

क्र.सं.	विवरण	उपदान		छुट्टी नकदीकरण		अन्य परिभाषित सेवानिवृत्ति हितलाभ	
		31-03-25	31-03-24	31-03-25	31-03-24	31-03-25	31-03-24
क)	अवधि के अंत की स्थिति के अनुसार दायित्व का वर्तमान मूल्य	2,065.29	2,275.16	1,544.95	1,609.43	12.83	13.00
ख)	वित्तपोशण की स्थिति/अंतर	(2,065.29)	(2,275.16)	(1,544.95)	(1,609.43)	(12.83)	(13.00)
ग)	तुलन पत्र में मानी गई निवल परिसंपत्ति/(देनदारी)'	(2,065.29)	(2,275.16)	(1,544.95)	(1,609.43)	(12.83)	(13.00)

* उपरोक्त शेष राशि में उपदान की वाईआरओ इकाई बकाया राशि 113.35 रुपये (गत वर्ष 113.35 रुपये) और अर्जित अवकाश 14.74 रुपये (गत वर्ष 14.74 रुपये, जो बीमांकिक के अंतर्गत कवर नहीं होता है) सम्मिलित नहीं है।

ग. दायित्व का वर्तमान मूल्य में परिवर्तन (राशि लाख रुपये में)

क्र.सं.	विवरण	उपदान		छुट्टी नकदीकरण		अन्य परिभाषित सेवानिवृत्ति हितलाभ	
		31-03-25	31-03-24	31-03-25	31-03-24	31-03-25	31-03-24
क)	वर्ष के आरंभ में दायित्व का वर्तमान मूल्य	2,275.16	2,375.91	1,609.43	1,535.26	13.00	13.16
ख)	ब्याज लागत	104.91	102.76	111.13	110.93	0.76	0.72
ग)	वर्तमन सेवा लागत	164.04	175.10	116.04	113.15	0.94	0.98
घ)	प्रदत्त हितलाभ	(400.56)	(461.86)	(422.53)	(217.15)	-	(1.79)
ङ)	दायित्व पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	(78.25)	83.25	130.87	67.24	(1.86)	(0.07)
च)	वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	2065.29	2275.16	1544.95	1609.43	12.83	13.00

घ. चालू अवधि के लिए राशि

(राशि लाख रुपये में)

क्र.सं.	विवरण	उपदान		छुट्टी नकदीकरण		अन्य परिभाषित सेवानिवृत्ति हितलाभ	
		31-03-25	31-03-24	31-03-25	31-03-24	31-03-25	31-03-24
क)	वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	2,065.29	2,275.16	1,544.95	1,609.43	12.83	13.00
ख)	अधिशेष / (घाटा)	(2,065.29)	(2,275.16)	(1,544.95)	(1,609.43)	(12.83)	(13.00)

ङ बीमांकिक अनुमान

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार	
i)	सेवानिवृति आय	60 वर्ष		60 वर्ष	
ii)	आयु	वापसी दर	प्रतिशत	वापसी दर	प्रतिशत
		30 वर्ष तक	0%	30 वर्ष तक	0%
		31 वर्ष से 44 वर्ष तक	1%	31 वर्ष से 44 वर्ष तक	1%
		44 वर्ष से ऊपर	1%	44 वर्ष से ऊपर	1%
iii)	मितीकाटा दर	6.79 प्रतिशत		7.21 प्रतिशत	
iv)	भावी वेतन वृद्धि	6.00 प्रतिशत		6.00 प्रतिशत	
v)	योजनागत परिसंपत्तियों का अपेक्षित प्रतिलाभ	शून्य		शून्य	

34.28 संदाय के लिए देय व्यापार देय राशियों की आयु निर्धारण अनुसूची (तुलन पत्र की टिप्पण संख्या 05 और 08 देखें):

(राशि लाख रुपये में)

क्र.सं.	विवरण					
		1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
i	एमएसएमई					
	– चालू वर्ष	500.10	59.58	-	54.86	614.54
	– गत वर्ष	792.93	1.73	-	99.48	894.14
ii	अन्य					
	– चालू वर्ष	1,987.63	106.19	114.88	1,940.50	4,149.20
	– गत वर्ष	1,311.12	543.27	122.73	2,727.95	4,705.07
iii	विवादित देय– एमएसएमई					
	– चालू वर्ष	-	30.85	-	-	30.85
	– गत वर्ष	30.85	-	-	-	30.85
iv	विवादित देय– अन्य					
	– चालू वर्ष	-	-	-	3.54	3.54
	– गत वर्ष	-	-	-	3.54	3.54

34.29 व्यापार प्राप्य बकाया की आयु निर्धारण अनुसूची (तुलन पत्र की टिप्पण संख्या 16 देखें):

(राशि लाख रुपये में)

क्र.सं.	विवरण	संदाय की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					कुल
		6 मास से कम	6 मास – 1 वर्ष	1 – 2 वर्ष	2 – 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
i	अविवादित व्यापार प्राप्य – अच्छा माना गया						
	– चालू वर्ष	-	-	-	-	-	-
	– गत वर्ष	-	-	-	-	-	-
ii	अविवादित व्यापार प्राप्य – संदिग्ध माना गया						
	– चालू वर्ष	-	-	-	-	-	-
	– गत वर्ष	-	-	-	-	-	-
iii	विवादित व्यापार प्राप्य – अच्छा माना गया						
	– चालू वर्ष	-	-	-	-	-	-
	– गत वर्ष	-	-	-	-	-	-
iv	विवादित व्यापार प्राप्य – संदिग्ध माना गया						
	– चालू वर्ष	-	-	-	-	-	-
	– गत वर्ष	-	-	-	-	-	-

34.30 34.26 व्यापार प्राप्य बकाया की आयु निर्धारण अनुसूची (तुलन पत्र की टिप्पण संख्या 20 देखें):

(राशि लाख रुपये में)

क्र.सं.	विवरण	संदाय की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					कुल
		6 मास से कम	6 मास – 1 वर्ष	1 – 2 वर्ष	2 – 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
i	(i) अविवादित व्यापार प्राप्य – अच्छा माना गया						
	– चालू वर्ष	332.15	1.09	2.66	1.95	67.54	405.39
	– गत वर्ष	367.47	1.40	20.32	7.83	63.95	460.97
ii	(ii) अविवादित व्यापार प्राप्य – संदिग्ध माना गया						
	– चालू वर्ष	-	-	-	-	-	-
	– गत वर्ष	-	-	-	-	-	-
iii	(iii) विवादित व्यापार प्राप्य – अच्छा माना गया						
	– चालू वर्ष	-	-	-	-	47.06	47.06
	– गत वर्ष	-	-	-	-	47.06	47.06

iv	(iv) विवादित व्यापार प्राप्य – संदिग्ध माना गया						
	– चालू वर्ष	-	-	-	-	-	-
	– गत वर्ष	-	-	-	-	-	-

34.31 31.03.2025 तक निगम के नाम पर अधारित अचल संपत्ति के स्वत्व विलेखः

(राशि लाख रुपये में)

क्र.सं.	तुलन पत्र में प्रासंगिक लाइन मद	संपत्ति की मद का विवरण	सकल रखाव मूल्य	जिसके नाम पर स्वामित्व विलेख है	क्या स्वत्व विलेख धारक प्रवर्तक, निदेशक या प्रवर्तक/निदेशक का रिश्तेदार या प्रवर्तक/निदेशक का कर्मचारी है	संपत्ति किस तारीख से धारित की गई है	कंपनी के नाम पर धारित न किए जाने का कारण
i	पीपीई	भूमि	5.57	पंजाब राज्य बिजली बोर्ड (गुरुनानक देव थर्मल पावर स्टेशन भटिंडाद्ध	नही	1995 से	सीसीआई के पास मान्य स्वामित्व
		भवनः					
		कार्यालय भवन	266.58	सार्वजनिक उद्यम का स्थायी सम्मेलन	नही	1988 से	सीसीआई के पास मान्य स्वामित्व
ii	संपत्ति मे निवेश	भूमि					
		भवन					
iii	पीपीई को सक्रिय उपयोग से हटा दिया गया और निपटान धारित	भूमि					
		भवन					
iv	अन्य						

टिप्पण संख्या 34.04 (पीपीई को सक्रिय उपयोग से हटा दिया गया है और निपटान के लिए रखा गया है) के अनुसार भूमि का सकल रखाव मूल्य, जहां अभी तक स्वामित्व विलेख निष्पादित नहीं किया गया है, 10.12 एकड़ (भटिंडा ग्राइंडिंग यूनिट) को छोड़कर, का आकलन अभी नहीं किया जा सका है।

34.32 क) 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार चल रहे कार्य की आयु निर्धारण अनुसूची:

(राशि लाख रुपये में)

क्र.सं.	सीडब्यूआईपी	सीडब्यूआईपी में एक अवधि के लिए				कुल
		1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
	– चालू वर्ष					
	चल रही परियोजनाएं					
i	कोयला शेड	642.82	-	-	-	642.82
ii	प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर	495.49	156.21	34.30	-	686.00
iii	ऊर्जा दक्ष मोटर और अन्य	26.86	-	45.40	-	72.26
iv	गर्म हवा वाहिनी	94.93	22.79	-	-	117.72
v	सौर ऊर्जा संयंत्र	25.00	-	-	-	25.00
	अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं:					
i	ग्राइंडिग सहित संयंत्र क्षमता विस्तार	-	-	-	3,140.99	3,140.99
ii	संयंत्र और उपस्कर	-	-	-	300.33	300.33
	योग	**1,285.09**	**179.00**	**79.70**	**3,441.32**	**4,985.12**
	– पूर्व वर्ष					
	चल रही परियोजनाएं					
i	भंडारण साइलो	612.95	-	-	4.20	617.15
ii	प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर	156.22	34.30	-	-	190.52
iii	ऊर्जा दक्ष मोटर और अन्य	77.26	45.40	-	-	122.66
iv	गर्म हवा वाहिनी	22.79	-	-	-	22.79
v	बायोमेट्रिक मशीन	-	-	-	0.12	0.12
	अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं					
i	ग्राइंडिग सहित संयंत्र क्षमता विस्तार	-	-	-	3,140.99	3,140.99
ii	संयंत्र और उपस्कर	-	-	-	483.51	483.51
	योग	**869.22**	**79.70**	**-**	**3,628.83**	**4,577.75**

ख) अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाओं के अलावा, प्रगति पर चल रहे पूंजीगत कार्यों के लिए सीडब्ल्यूआईपी समापन अनुसूची, जिनकी पूर्णता में देरी हो चुकी है या जिनकी लागत 31.03.2025 की स्थिति के अनुसरा मूल योजना की तुलना में अधिक हो चुकी है:

(राशि लाख रुपये में)

क्र.सं.	सीडब्यूआईपी	अवधि जिसमें पूरा किया जाएगा			
		1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
	परियोजना 1				
	– चालू वर्ष	-	-	-	-
	– पूर्व वर्ष	-	-	-	-
	परियोजना 2				
	– चालू वर्ष	-	-	-	-
	– पूर्व वर्ष	-	-	-	-

34.33 क) 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों की आयु निर्धारण अनुसूची:

(राशि लाख रुपये में)

क्र.सं.	विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ	सीडब्यूआईपी में एक के लिए अवधि राशि				कुल
		1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
	चल रही परियोजनाएं:					
i	सॉफ्टवेयर विकास					
	– चालू वर्ष	-	-	-	-	-
	– पूर्व वर्ष	-	-	0.87	11.94	12.81
	अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं:					
	– चालू वर्ष	-	-	-	-	-
	– पूर्व वर्ष	-	-	-	-	-

ग) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों के लिए समापन अनुसूची, जिनकी पूर्णता तिथि 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार विलंबित हो चुकी है या जिनकी लागत मूल योजना की तुलना में अधिक हो चुकी है:

(राशि लाख रुपये में)

क्र.सं.	सीडब्यूआईपी	अवधि जिसमें पूरा किया जाएगा			
		1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
	परियोजना 1				
	– चालू वर्ष	-	-	-	-
	– पूर्व वर्ष	-	-	-	-
	परियोजना 2				
	– चालू वर्ष	-	-	-	-
	– पूर्व वर्ष	-	-	-	-

34.34 बेनामी संपत्ति का विवरण अर्थात अधिग्रहण का वर्ष, राशि, लाभार्थी, कार्यवाही यदि कोई हो: शून्य

34.35 चालू परिसंपत्तियों की प्रतिभूति के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से उधार लेने के मामले में सांविधिक रिटर्न समय पर फाइल करना: लागू नहीं

34.36 कंपनी ने चालू वर्ष और पिछले वर्ष में अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर और अमूर्त परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

34.37 कंपनी ने किसी भी संस्था (मध्यस्थ) को इस समझ के साथ कोई धनराशि अग्रिम, ऋण या निवेशत नहीं किया है कि मध्यस्थ कंपनी द्वारा या उसकी ओर से पहचाने गए पक्ष (अंतिम लाभार्थी) को उधार देगा या निवेश करेगा। कंपनी ने किसी भी पक्षकार से इस समझ के साथ कोई धनराशि प्राप्त नहीं की है कि कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी द्वारा या उसकी ओर से पहचाने गए अन्य संस्थाओं (''अंतिम लाभार्थी'') को उधार देगी या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या ऐसी ही कोई चीज प्रदान करेगी।

34.38 कंपनी का ऐसा कोई लेन–देन नहीं है जो लेखा बहियों में अभिलिखित न हो, जिसे आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में अभ्यर्पण किया हो या प्रकट किया गया हो।

34.39 किसी बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा निगम की जानबूझकर की गई चूक की घोषणा का विवरणः लागू नहीं

34.40 संविधिक अवधि के बाद कंपनी रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत होने वाले शुल्कों या ऋणमुक्ति का विवरण और कारण

(राशि लाख रुपये में)

क्र. सं.	प्रभारी धारक का नाम	राशि	कारण
i	सिंडिकेट बैंक	460.00	प्रभार खाली करना लंबित है।
ii	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	1,230.00	प्रभार खाली करना लंबित है।
iii	भारतीय जीवन बीमा निगम	300.00	प्रभार खाली करना लंबित है।
iv	भारतीय सामान्य बीमा निगम	300.00	प्रभार खाली करना लंबित है।

34.41 प्रमुख वित्तीय अनुपातः

क्र.सं.	वित्तीय अनुपात	गणक/भाजक	31.03.2025 को वर्ष समाप्त	31.03.2024 को वर्ष समाप्त	परिवर्तन का प्रतिशत	''पिछले वर्ष की तुलना में अनुपात में 25 प्रतिशत से अधिक परिवर्तन के लिए स्पष्टीकरण''
i	चालू अनुपात	चालू परिसंपत्तियां/चालू दायित्व	4.81	3.20	50.31%	वर्ष के दौरान चालू परिसंपत्तियों की तुलना में चालू देनदारियों में कमी
ii	ऋण इक्विटी अनुपात	ऋण पूंजी (गैर–चालू उधार, चालू उधार)/शेयरधारक की इक्विटी (कुल इक्विटी)	0.60	0.68	-11.76%	-
iii	कर्ज सेवा कवरेज अनुपात	वर्ष के लिए लाभ, वित्तीय लागत, मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय, असाधारण मदें/वित्तीय लागत, पट्टा भुगतान, गैर–चालू उधारों की अनुसूचित मूलधन चुकौती	लागू नही*	लागू नही*	-	-

क्र.सं.	वित्तीय अनुपात	गणक/भाजक	31.03.2025 को वर्ष समाप्त	31.03.2024 को वर्ष समाप्त	परिवत्रन का प्रतिशत	"पिछले वर्ष की तुलना में अनुपात में 25 प्रतिशत से अधिक परिवर्तन के लिए स्पष्टीकरण"
iv	इक्विटी अनुपात पर प्रतिफल	वर्ष के लिए लाभ /औसत शेयरधारक इक्विटी	13.09%	54.60%	-76.02%	वर्ष के दौरान शेयरधारक इक्विटी की सापेक्ष निवल आय में परिवर्तन
v	मालसूची टर्नओवर अनुपात	प्रचालन से राजस्व/ औसत मालसूची	1.90	2.37	-19.83%	-
vi	व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात	प्रचालन से राजस्व/ औसत व्यापार प्राप्य	68.05	100.66	-32.40%	औसत व्यापार प्राप्य में वृद्धि
vii	व्यापार देय टर्नओवर अनुपात	कुल खरीद/प्रचालन व्यय अन्य व्यय (गैर–नकद मदों को छोड़कर)/औसत व्यापार लेनदार	12.33	18.12	-31.95%	तैयार माल, चल रहा कार्य और बिक्री हेतु तैयार माल की मालसूची में परिवर्तन से अनुपात में कमी
viii	निवल पूंजी टर्नओवर अनुपात	प्रचालन से राजस्व/ कार्यशील पूंजी. गैर–चालू उधारों की चालू परिपक्वता	0.92	1.20	-23.33%	-
ix	निवल लाभ अनुपात	करोपरांत लाभ/(हानि)/ प्रचालन से राजस्व	9.50%	22.74%	-58.22%	वर्ष के दौरान निवल बिक्री के सापेक्ष निवल लाभ में परिवर्तन
x	नियोजित पूंजी पर रिटर्न	ब्याज और कर पूर्व आय (ईबीआईटी)/नियोजित पूंजी (मूर्त निवल संपत्ति और कुल ऋण) – आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	7.58%	25.53%	-70.31%	वर्ष के दौरान नियोजित पूंजी पर पीबीआईटी में परिवर्तन
xi	निवेश पर प्रतिफल	निवेश आय/औसत निवेश	लागू नही*	लागू नही*	-	-

*इसका प्रकटन नहीं किया गया है क्योंकि या तो गणक शून्य है या भाजक शून्य/ऋणात्मक है।

34.42 अग्रिम, व्यापारिक देय और व्यापारिक प्राप्य, पक्षकारों को और उनसे जमा राशि और अन्य देनदारियों आदि के अंतर्गत दर्शाए गए शेष, पुष्टि/समाधोधन के अधीन हैं। इनमें समायोजन की संवीक्षा हेतु लंबित कुछ पुराने शेष भी शामिल हैं। इसके पूरा होने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

34.43 चूना पत्थर (1516.07 एकड़) के तांदूर खनन पट्टे की वैधता 31–03–2030 तक है। शेल (328.80 एकड़) और लैटेराइट (102.32 एकड़) के खनन पट्टों के नवीनीकरण हेतु आवेदन खनन विभाग (भारत सरकार, भूविज्ञान, खान) को प्रस्तुत किए जा चुके हैं।

34.44 एसबीआई कैप्स, मर्चेंट बैंकर्स द्वारा नियुक्त विशेष लेखा परीक्षक ने येरगुंटला इकाई के संबंध में समझौता ज्ञापन/बिक्री करार की शर्तों के अनुसार अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। मैसर्स इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड के साथ समाधोधन और पुष्टि होने तक, बिक्री की तिथि पर अर्जित आवश्यक देनदारियों को पहले ही लेखाओं में शामिल कर लिया गया है।

34.45 कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के अधीन विभिन्न गतिविधियों पर किया गया व्यय नीचे दिया गया है। कुल खर्च की गई राशि टिप्पण संख्या 30 में दर्शाई गई है।

(राशि लाख रुपये में)

क्र.सं.	प्रभारी धारक का नाम	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
i)	पिछले तीन वर्षों में निगम का औसत निवल लाभ	1645.91	2230.06
ii)	निर्धारित सीएसआर व्यय (कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन उपरोक्त का 2 प्रतिशत)	32.92	44.60
iii)	सीएसआर परियोजनाओं से उदभूत अधिशेष	2.77	4.39
iv)	गत वर्ष के सापेक्ष कमी	-	-
v)	वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व [(ii)+(iii) -(iv)]	30.15	40.21
vi)	वर्ष के दौरान व्यय की गई कुल राशि नीचे दी गई है	31.45	42.98
vii)	आगामी वर्षों के लिए सेट ऑफ उपलब्ध है	1.30	2.77
viii)	समापन पर अव्ययित राशि (ii +ii-iv)	-	-

वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि का विवरण

(राशि लाख रुपये में)

क्र.सं.	विवरण	पहले से ही प्रदत्त		अभी तक प्रदत्त नहीं		कुल	
		चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
क)	कोई परिसंपत्ति का निर्माण/ अधिग्रहण	-	-	-	-	-	-
ख)	उपरोक्त से भिन्न अन्य उद्देश्यों पर						
	(i) शिक्षा को बढ़ावा देना	18.50	8.43	-	-	18.50	8.43
	(ii) स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देना	3.25	34.55	-	-	3.25	34.55
	(iii) अत्यधिक भुखमरी और गरीबी का उन्मूलन	1.70	-			1.70	
	(iv) कोई अन्य सामाजिक व्यय	8.00	-			8.00	-
	योग	**31.45**	**42.98**	**-**	**-**	**31.45**	**42.98**

34.46 कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2006 के लेखा मानक–18 ''संबंधित पक्षकार प्रकटीकरण'' के अनुसार, प्रबंधन द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि वर्ष के दौरान कोई संबंधित पक्षकार लेनदेन नहीं किया गया है। प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को दिए गए पारिश्रमिक का विवरण नीचे दिया गया है:

(राशि लाख रुपये में)

क्र.सं.	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक का नाम	पदनाम	31–03–2025 को वर्ष समाप्त	31–03–2024 को वर्ष समाप्त
i)	श्री संजय बंगा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	55.37	51.71
ii)	श्री प्रदीप कुमार चंद	निदेशक (वित्त)	50.28	44.32
iii)	श्री अजय कुमार शर्मा	कंपनी सचिव	28.30	28.12

इसके अतिरिक्त, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा पूर्णकालिक निदेशकों को भी 2,000 रुपये प्रति माह के भुगतान पर 1,000 किलोमीटर तक की गैर–ड्यूटी यात्रा के लिए कंपनी वाहन का उपयोग करने की अनुमति है।

34.47 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक–20 के अनुसार कंपनी की प्रति शेयर आय (ईपीएस) इस प्रकार है:

(राशि लाख रुपये में)

क्र.सं.	प्रभारी धारक का नाम	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
क)	वर्ष के लिए करोपरांत निवल लाभ (लाख रुपये)	3,104.82	9,505.25
ख)	घटाएं: असाधारण/अपवादात्मक मदें (लाख रुपये)	-	9,942.13
ग)	घटाएं: गैर–संचयी अधिमानी शेयरों पर लाभांश (लाख रुपये)	3.55	3.55
घ)	इक्विटी शेयर धारकों के संबंध में करोपरांत निवल लाभ (लाख रुपये)	3,101.27	(440.43)
ङ)	वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या	4,559,749	4,559,749
च)	इक्विटी शेयर का अंकित मूल्य (रुपये)	1,000.00	1,000.00
छ)	प्रति शेयर मूल आय (रुपये)	68.01	(9.66)
ज)	प्रति शेयर तनुकृत आय (रुपये)	68.01	(9.66)

34.48 जहां भी आवश्यक हुआ गत वर्षों के आंकड़ों को विभाजित और पुनर्समूहित किया गया है, ताकि उन्हें चालू वर्ष के आंकड़ों के अनुरूप रखा जा सके।

कृते एस के मेहता एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएनः. 000478एन
ह/–
(सीए रोहित मेहता)
भागीदार
सदस्यता सं. 091382

तारीखः 06/08/2025
स्थानः नई दिल्ली
दिनांक 06.08.2025

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

ह/–
(संजय बंगा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 09353339

ह/–
(प्रदीप कुमार चंद)
निदेशक (वित्त)
डीआईएनः 09711963

ह/–
(अजय कुमार शर्मा)
कंपनी सचिव

ह/–
(सैय्यद शारिक हुसैन)
वरिष्ठ प्रबंधक (वित्त)

कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा,
उद्योग एवं कॉर्पोरेट कार्य
ए.जी.सी.आर, भवन, आई.पी. एस्टेट,
नई दिल्ली–110 002

सत्यमेव जयते

OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT,
INDUSTRY AND CORPORATE AFFAIRS
A.G.C.R. BUILDING I.P. ESTATE,
NEW DELHI-110 002

संख्या: एएमजी-III/2(33)/वार्षिक लेखे/
सीसीआई(2024-25)/(2025-26)/299
दिनाँक: 01 OCT 2025

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,
कोर - 5, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, लोधी रोड,
नई दिल्ली – 110 003

विषय : **कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (b) के अधीन 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के वार्षिक लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।**

महोदय,

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (b) के अधीन 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के वार्षिक वित्तीय लेखों पर उपरोक्त विषय संबंधित संलगन पत्र अग्रेषित है।

भवदीय,

पवन 1/10/25

(डॉ. पवन कुमार कोंडा)
ओएसडी
(उद्योग एवं कारपोरेट कार्य)
नई दिल्ली

संलग्नक:- यथोपरि

दूरभाष / Phone : +91-11-23702357, फैक्स / Fax : +91-11-23702359, E-mail : pdaica@cag.gov.in

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अधीन निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की वित्तीय विवरणिका तैयार करना कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। अधिनियम की धारा 139(5) के अधीन भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, अधिनियम की धारा 143 के अधीन, अधिनियम की 143(10) धारा के अधीन निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय विवरणों के मत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है। यह उनके द्वारा तैयार दिनांक दिनांक 06 अगस्त, 2025 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से बताया गया हैं

मैंने भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 143(6)(क) के अधीन, 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा की है। यह पूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कामकाजी कागजात तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और मुख्य रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों से पूछताछ और कुछ लेखाकरण अभिलेखों की चुनिंदा जांच तक ही सीमित है।

मेरी पूरक लेखापरीक्षा के दौरान उठाए गए मेरी संज्ञान में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं आया जो अधिनियम की धारा 143 (6) (ख) के अधीन सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर किसी भी टिप्पणी या पूरक को जन्म दे।

कृते एवं भारत के
नियंत्रक और महालेखापरीक्षक

ह/–
(डॉ. पवन कुमार कोंडा)
ओएसडी
(उद्योग एवं कारपोरेट कार्य)
नई दिल्ली

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 01 अक्तूबर, 2025

हमारे कर्मचारी–हमारी सबसे बड़ी परिसंपत्ति

आज के प्रतिस्पर्धी बाजार में, शीर्ष प्रतिभाओं को बनाए रखना नितांत आवश्यक है। 60 से अधिक वर्षों से, सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (सीसीआई) ने अपने कर्मचारियों के विकास और कल्याण को सदैव प्राथमिकता दी है जो इसकी सबसे बहुमूल्य संपत्ति है–ताकि एक उत्पादक, प्रतिबद्ध और सक्रिय कार्यबल को बढ़ावा दिया जा सके।

सीसीआई एक कुशल और प्रेरित कार्यबल द्वारा संचालित है जो इसकी निरंतर प्रगति का आधार रहा है। पिछले कुछ वर्षों में जनशक्ति में उल्लेखनीय कमी के बावजूद, कंपनी की लाभप्रदता अप्रभावित रही है – जो इसके कर्मचारियों की दक्षता और समर्पण का प्रमाण है। सीसीआई ने कर्मचारी मूल्यों के बदलते प्रस्तावों के अनुरूप अपनी मानव संसाधन नीतियों को लगातार विकसित किया है, जिससे एक सहयोगी और गतिशील कार्य वातावरण को बढ़ावा मिला है। एक गहन संगठनात्मक संस्कृति और मजबूत मूल्य प्रणाली ने न केवल कर्मचारियों के व्यवहार और मानसिकता को आकार दिया है, अपितु व्यवसाय की समग्र दिशा को भी निर्देशित किया है। ये मूल तत्व निगम की जीवनरेखा की भांति काम करते हैं, उच्च कार्य निष्पादन को बढ़ावा देते हैं, नवाचार को प्रोत्साहित करते हैं और उल्लेखनीय उपलब्धियों को संभव बनाते हैं। सीसीआई में, कर्मचारी केवल योगदानकर्ता ही नहीं हैं अपितु वे प्रमुख हितधारक हैं, जिनके प्रयास कंपनी की सफलता को सीधे प्रभावित करते हैं।

सीसीआई में, कर्मचारियों को ब्रांड एंबेसडर और संगठन का असली चेहरा माना जाता है। निगम का दृढ़ विश्वास है कि अपने कर्मचारियों में निवेश करना दीर्घकालिक सफलता की कुंजी हैकृउत्पादकता, निष्ठा और सार्थक परिणामों को बढ़ावा देना।

रचनात्मकता, नवाचार और अंतर–कार्यात्मक शिक्षा की संस्कृति को विकसित करने के लिए, सीसीआई ने ज्ञान साझाकरण सत्रों को संस्थागत रूप दिया है, जो अंतर–इकाई और अंतर–विभागीय सहयोग को मजबूत करने और समग्र दक्षता को बढ़ाने के लिए वर्चुअल रूप से आयोजित किए जाते हैं।

सभी संगठनात्मक स्तरों पर ज्ञान हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा कार्यात्मक अनुसंधान पहलों का सक्रिय रूप से समर्थन और बारीकी से निगरानी की जाती है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा नियमित संयंत्र भ्रमण कर्मचारियों की सहभागिता को और सुदृढ़ करते हैं, खुले संवाद को प्रोत्साहित करते हैं और कार्यस्थल के मनोबल को मजबूत करते हैं। नियोजित कार्यबल के निर्माण के लिए सीसीआई का दृष्टिकोण प्रतिभा प्रबंधन, रणनीतिक संचार, कार्यबल नियोजन, कर्मचारी मान्यता और सहभागी प्रबंधन जैसे प्रमुख स्तंभों पर आधारित है – जो एक गतिशील और जन–केंद्रित कार्य वातावरण का निर्माण करता है।

उत्कृष्टता की ओर सीसीआई की यात्रा इसके मानव संसाधनों की ताकत और गुणवत्ता से प्रेरित है, जैसा कि इसकी वर्तमान जनशक्ति प्रोफाइल में परिलक्षित होता है। लगभग 78 प्रतिशत कार्यबल तकनीकी और व्यावसायिक रूप से योग्य व्यक्तियों से बना है, जिनमें डिग्री या डिप्लोमा धारक और प्रबंधन स्नातक शामिल हैं। संगठन को एक गतिशील और उत्पादक आयु वर्ग का भी लाभ मिलता है, जहाँ लगभग 64 प्रतिशत कर्मचारी 25 से 50 वर्ष की आयु वर्ग में आते हैं – जो उच्च ऊर्जा, अनुकूलनशीलता और परिचालन दक्षता में योगदान देता है।

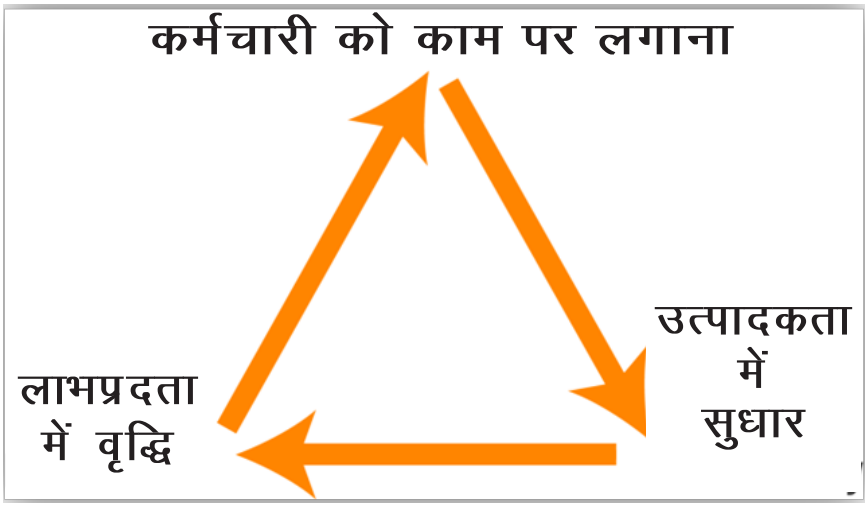

पेशेवर प्रोफाइल			
क्र.सं.	विवरण	कर्मचारियों की संख्या	
		31.03.2024 तक	31.03.2025 तक
1	पीएचडी धारक	1	1
2	स्नातकोत्तर अभियंता	2	2
3	स्नातक अभियंता	68	61
4	एमबीए	19	17
5	पेशेवर डिप्लोमा धारक	15	13
6	स्नातकोत्तर	16	14
7	सीए/आईसीडब्ल्यूए/एसएएस/एसीएस	6	5
8	इंजीनियर डिप्लोमा धारक	34	30
9	स्नातक	37	33
10	आईटीआई प्रमाणपत्र धारक	77	68
11	अन्य	71	66
	योग	**346**	**310**

31.03.2025 की स्थिति के अनुसार कर्मचारियों का आयु–वार और श्रेणी–वार वितरण									
पंक्तिबद्ध सूचक	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	कुल योग	औसत आयु
कार्यपालक अधिकारी		4	25	21	7	13	23	93	47
पर्यवेक्षक	1	12	15	7	1	5	24	65	46
कर्मकार	6	16	40	30	12	15	33	152	45
कुल योग	**7**	**32**	**80**	**58**	**20**	**33**	**80**	**310**	**46**

सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड														
	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व				कैलेंडर वर्ष के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या (नियमित)									
	(01.01.2025 की स्थिति के अनुसार)				सीधी भर्ती द्वारा				पदोन्नति द्वारा			प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा		
समूह	कुल कर्मचारी	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	योग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	योग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	योग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
समूह ए–टीओटी	94	11	2	20	0	0	0	0	26	5	1	0	0	0
समूह बी–टीओटी	67	9	6	16	0	0	0	0	24	1	3	0	0	0
समूह सी–टीओटी	144	27	14	45	0	0	0	0	42	3	7	0	0	0
समूह डी–टीओटी	10	1	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
योग	**315**	**48**	**25**	**84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**92**	**9**	**11**	**0**	**0**	**0**

सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड					
	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व				
	(01.01.2025 की स्थिति के अनुसार)				
समूह	कुल कर्मचारी	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	दिव्यांग
1	2	3	4	5	6
समूह ए–टीओटी	93	11	2	18	1
समूह बी–टीओटी	65	9	6	16	1
समूह सी–टीओटी	147	27	16	47	1
समूह डी–टीओटी	5	1	1	1	0
योग	**310**	**48**	**25**	**82**	**3**

इकाई का नाम	सीसीआई लिमिटेड															
01.01.2025 की स्थिति के अनुसार दिव्यांग कर्मचारियों की संख्या																
01.01.2025 की स्थिति के अनुसार दिव्यांग कर्मचारियों की समूह–वार संख्या																
समूह	कर्मचारियों की संख्या				सीधी भर्ती (कैलेंडर वर्ष के दौरान)							पदोन्नति						
(01.01.2025 की स्थिति के अनुसार)					आरक्षित रिक्तियों की संख्या			(नियुक्त) की गई रिक्तियों की संख्या				आरक्षित रिक्तियों की संख्या			(नियुक्त) की गई रिक्तियों की संख्या			
	योग	वीएच	एचएच	ओएच	वीएच	एचएच	ओएच	योग	वीएच	एचएच	ओएच	वीएच	एचएच	ओएच	योग	वीएच	एचएच	ओएच
समूह क	94	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
समूह ख	67	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
समूह ग	144	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
समूह घ	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
योग	**315**	**0**	**0**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

टिप्पण: वीएच का अर्थ है दृष्टिबाधित दिव्यांग (अंधेपन या कम दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति)

ii) एचएच का अर्थ है श्रवण बाधित (श्रवण हानि से पीड़ित व्यक्ति)

iii) ओएच का अर्थ है आर्थोपेडिक रूप से दिव्यांग (चलने में अक्षमता या सरब्रेल पाल्सी से पीड़ित व्यक्ति)

हमारी इकाईयों की प्रमुख विशेषताएं:

मंधार (जिला–रायपुर, छत्तीसगढ़)

यह निगम की पहली इकाई है, जिसमें जुलाई, 1970 में उत्पादन आरंभ हुआ, इस इकाई में उत्पादन के लिए गीली प्रक्रिया अपनाई गई और नवम्बर 1978 से स्लैग सीमटें का उत्पादन शुरू करने के लिए इसका विस्तार किया गया। इस इकाई में स्लैग की मांग भिलाई स्टील संयत्र से पूरी की जाती है।

विवरण	2024-25	2023-24	2022-23
संस्थापित क्षमता (लाख टन में)	3.80	3.80	3.80
उत्पादन (लाख टन में)	-	-	-
उत्पादन का मूल्य (लाख रुपये में)	-	-	-
लाभ/(हानि) (लाख रुपये में)	**503**	**4064**	**(131)**

भारी उद्योग मंत्रालय के निदेशों के अनुसार, संयंत्र और मशीनरी और अन्य परिसंपत्तियां वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान बेच दी गई थी।

कुरकुंटा (जिला–गुलबर्ग, कर्नाटक)

यह गीली प्रक्रिया से सीमेंट का उत्पादन करने की निगम की दूसरी इकाई है, जहां वर्ष 1972 से उत्पादन आरंभ हुआ।

विवरण	2024-25	2023-24	2022-23
संस्थापित क्षमता (लाख टन में)	1.98	1.98	1.98
उत्पादन (लाख टन में)	-	-	-
उत्पादन का मूल्य (लाख रुपये में)	-	-	-
लाभ/(हानि) (लाख रुपये में)	**688**	**4703**	**(157)**

भारी उद्योग मंत्रालय के निदेशों के अनुसार, संयंत्र और मशीनरी और अन्य परिसंपत्तियां वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान बेच दी गई थी।

बोकाजन (जिला–कारबी अंगलोंग, असम)

यह इकाई असम के कारबी अंगलोंग जिले के दुर्गम क्षेत्र में स्थित है, जिसकी स्थापना महज केवल सामान्य आर्थिक लाभ को ध्यान में रखकर ही नहीं की गई अपितु आसपास के क्षेत्रेा को सीमेंट उपलब्ध कराने के सामाजिक, आर्थिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर भी की गई थी। इस इकाई में दुर्गम क्षेत्र से गुजरने वाले 18 किलोमीटर लम्बे रोपवे से चुना–पत्थर लाया जाता है। इस इकाई में 1 अप्रैल, 1977 से उत्पादन आरंभ हुआ।

विवरण	2024-25	2023-24	2022-23
संस्थापित क्षमता (लाख टन में)	1.98	1.98	1.98
उत्पादन (लाख टन में)	0.98	1.18	1.30
उत्पादन का मूल्य (लाख रुपये में)	6291	8391	8671
लाभ/(हानि) (लाख रुपये में)	**217**	**503**	**431**

राजबन (जिला–सिरमौर, हिमाचल प्रदेश)

यह निगम की पहाड़ी तथा दुर्गम क्षेत्र में स्थित दुसरी इकाई है। सामान्य आवागमन कठिन होने के अलावा इस इकाई में बड़े पैमाने पर सामग्री के आंतरिक आवागमन और तैयार उत्पाद की ढुलाई सडक़ मार्ग से की जाती है चूंकि इस इकाई

के निकट कोई रले सम्पर्क नहीं है। इस फैक्ट्री के पूरे उत्पादन का वितरण सड़क मार्ग द्वारा ही किया जाता है। पहाड़ों में स्थित खदानों से 9 किलोमीटर लम्बे रोप–वे के माध्यम से चूना पत्थर यहां लाया जाता है। इस इकाई में अप्रैल, 1980 से वाणिज्यिक उत्पादन किया जा रहा है।

विवरण	2024-25	2023-24	2022-23
संस्थापित क्षमता (लाख टन में)	2.48	2.48	2.48
उत्पादन (लाख टन में)	1.41	1.41	1.57
उत्पादन का मूल्य (लाख रुपये में)	7558	8474	9145
लाभ/(हानि) (लाख रुपये में)	**182**	**109**	**605**

नयागांव (जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश)

4 लाख टन की वार्षिक संस्थापित क्षमता वाली इस इकाई में 1 मार्च, 1982 से वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ हुआ।

विवरण	2024-25	2023-24	2022-23
संस्थापित क्षमता (लाख टन में)	4.00	4.00	4.00
उत्पादन (लाख टन में)	-	-	-
उत्पादन का मूल्य (लाख रुपये में)	-	-	-
लाभ/(हानि) (लाख रुपये में)	**63**	**(49)**	**(195)**

स्थल विभाजन अर्थात नयागांव में क्लिंकर स्टेशन और दिल्ली तथा भटिंडा में क्लिंकर की ग्राइंडिंग की अवधारण के साथ इस इकाई की उत्पादन क्षमता और 10 लाख टन बढ़ा कर परियोजना का विस्तार किया गया। नयागावं में क्लिंकर स्टेशन और दिल्ली में ग्राइंडिगं इकाई में वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक 01.05.1990 से आरंभ हुआ।

नयागांव विस्तार जिसमें डीजीयू और बीजीयू भी हैं

विवरण	2024-25	2023-24	2022-23
संस्थापित क्षमता (लाख टन में)	5.00	5.00	5.00
उत्पादन (लाख टन में)	-	-	-
उत्पादन का मूल्य (लाख रुपये में)	-	-	-
लाभ/(हानि) (लाख रुपये में)	**23**	**(62)**	**(89)**

अकलतरा (जिला–बिलासपुर, छत्तीसगढ़)

इस इकाई में वाणिज्यिक उत्पादन 1 अप्रैल, 1981 से आरंभ हुआ।

विवरण	2024-25	2023-24	2022-23
संस्थापित क्षमता (लाख टन में)	4.00	4.00	4.00
उत्पादन (लाख टन में)	-	-	-
उत्पादन का मूल्य (लाख रुपये में)	-	-	-
लाभ/(हानि) (लाख रुपये में)	**245**	**504**	**4896**

भारी उद्योग मंत्रालय के निदेशों के अनुसार, संयंत्र और मशीनरी और अन्य परिसंपत्तियां वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान बेच दी गई थी।

चरखी दादरी (जिला–भिवानी, हरियाणा)

यह भारत सरकार द्वारा अधिग्रहीत एक रुग्ण इकाई थी और जून, 1981 में इसे सीसीआई के नियत्रंणाधीन किया गया। अल्पावधि के भीतर पुनरूद्धार के उपरांत इकाई में सीमेंट की ग्राइंडिगं का कार्य सितम्बर, 1981 में आरंभ हुआ गया और तत्पश्चात क्लिंकर का उत्पादन आरंभ हुआ। दो स्ट्रीम में से केवल एक ही स्ट्रीम इस लायक थी, जिसका पुनरुद्धार किया जा सका।

विवरण	2024-25	2023-24	2022-23
संस्थापित क्षमता (लाख टन में)	1.74	1.74	1.74
उत्पादन (लाख टन में)	-	-	-
उत्पादन का मूल्य (लाख रुपये में)	-	-	-
लाभ/(हानि) (लाख रुपये में)	**9**	**(43)**	**3017**

भारी उद्योग मंत्रालय के निदेशों के अनुसार, संयंत्र और मशीनरी और अन्य परिसंपत्तियां वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान बेच दी गई थी।

आदिलाबाद (जिला–आदिलाबाद, तेलंगाना)

इस इकाई में अप्रैल, 1984 से वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ हुआ।

विवरण	2024-25	2023-24	2022-23
संस्थापित क्षमता (लाख टन में)	4.00	4.00	4.00
उत्पादन (लाख टन में)	-	-	-
उत्पादन का मूल्य (लाख रुपये में)	-	-	-
लाभ/(हानि) (लाख रुपये में)	**47**	**(130)**	**(256)**

तांदूर (जिला–के.वी. रंगारेड्डी, तेलंगाना)

इस इकाई में 1 जुलाई, 1987 से वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ हुआ।

विवरण	2024-25	2023-24	2022-23
संस्थापित क्षमता (लाख टन में)	10.00	10.00	10.00
उत्पादन (लाख टन में)	4.27	5.90	5.82
उत्पादन का मूल्य (लाख रुपये में)	17470	27642	26925
लाभ/(हानि) (लाख रुपये में)	**1128**	**(94)**	**1408**

नोट्स

VISION & MISSION

SUSTAINABLE

To emerge as sustainable cement company

COMMITTED

Committed to contribute to the Economy

STAKEHOLDERS

To enhance value for the stakeholders

WEALTH

To augment the wealth creation for the Company

INSPIRING

Inspiring Employee in delivering an Improved Product

DIVERSIFICATION

Aim for diversification in related fields

Registered & Corporate Office
Cement Corporation of India Ltd.
CORE-5, Scope Complex, 7, Lodhi Road, New Delhi-110003
e-Mail: mktg_co@cciltd.in

Cement Manufacturing Units

Bokajan Cement Plant
Disstt.- Karbi Anglong
State-Assam
e-Mail: mktg_bko@cciltd.in

Rajban Cement Plant
Distt.- Sirmaur
State- Himachal Pradesh
e-Mail: mktg_rjo@cciltd.in

Tandur Cement Plant
Distt.- K.V. Rangareddy
State- Telangana
e-Mail: mktg_tdo@cciltd.in

Regional Offices & Dumps

Hyderabad | Gulbarga | Sholapur | Mehboobnagar | Gulbarga | Hubli | Yadgir | Raichur | Koppal
Dehradun | Yamuna Nagar | Herbetpur | Rishikesh | Haridwar | Roorkee | Saharanpur

Email id for Centralised bulk order : **mktg_co@cciltd.in**